Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का १७वां दिवस [संख्या १३

शुक्रवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, आबकारी, उद्योग, नियुक्ति, बन, सहकारी, श्रम एवं वित्त विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

गंगानगर क्षेत्र में भूमि का एलॉटमेन्ट

४३६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गंगानहर क्षेत्र में पक्की एलाटमेन्ट के कानून में राजस्थान सरकार की ओर से कोई रियायतें घोषित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या आज्ञाएं जारी की गई हैं ? सूचना संदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) गंगनहर क्षेत्र में पक्की अलाटमेन्ट भूमिहीन कृषकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई तथा किन आधारों पर की गई ?

(३) उसके बाद इन आधारों में क्या क्या परिवर्तन कब कब किये गये ?

(४) परिवर्तित आधारों पर किस वर्ष प्रार्थना-पत्र लिये गये तथा कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ?

(५) प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने परिवर्तित आधारों पर भूमि के हकदार बनते थे ?

(६) अब सरकार द्वारा घोषित रियायतों से कितने और भूमिहीन किसान भूमि के हकदार बनते हैं ?

(७) क्या यह सही है कि भूमि एलाटमेन्ट के नियमों में एक मुरब्बा का मूल्य १०,०००) या १२,०००) रुपया प्रति मुरब्बा रखा गया है इनकी अदायगी दस वर्ष में दस किश्तों में होनी चाहिये ?

(८) क्या यह सही है कि इन किस्तों में से एक भी किस्त की अदायगी न होने की सूरत में भूमि केन्सल करके नीलाम कर दी जाने का प्रावधान है ?

Page No 2

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(९) क्या यह सही है कि किस्तों की अदायगी का समय फसलों के बाजार में आने के समय नहीं रखा गया है ?

(१०) क्या यह सही है कि बीकानेर रियासत के समय यह धरती ७,०००) या ५,०००) फी मुरब्बा २४ किस्तों में जिनकी अदायगी २४ वर्षों में थी, बेची गई थी तथा आज भी भाखरा क्षेत्र में १५ किश्तें रखी गई हैं ?

(११) यदि हां, तो गंगनहर क्षेत्र में किसानों से यह व्यवहार क्यों ?

(१२) क्या सरकार किश्तों की मोह-लत, संख्या, भूमि की किश्त करके बढ़ाने का विचार रखती है ?

(१३) क्या भूमि का पक्की एलाटमेन्ट के बाद सरकार गंगनहर क्षेत्र की भूमि को खुला नीलाम कर देगी ?

(१४) क्या भूमिहीन निर्धन किसान खुली नीलामी में भूमि खरीद सकेगा ?

(१५) क्या जिस परिवार के पास साझे खाते में एक भी बीघा धरती है तथा सांझ खाते का बंटवारा नहीं हुआ है, वह परिवार भूमि एलाटमेन्ट का हकदार नहीं है ?

(१६) क्या यह सही है कि यदि १९५७ से १९६२ के कब्जों को आधार मान कर पक्की एलाट की जाय तो मौजूदा प्रार्थना पत्र में से ९९ परसेन्ट की धरती पक्की एलाट हो जाती है ?

(१७) क्या सरकार १९५७ से १९६२ की गिरदावरी को आधार मान कर धरती की पक्की एलाटमेन्ट भूमिहीन किसानों को करने के लिये तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री राजस्व : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के १७ हिस्से हैं । इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तैयार नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना तैयार नहीं हुई है १७ भाग हैं इसके ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तैयार करवा दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महो-दय, येतो रिकार्ड की चीजें हैं और जयपुर में ही हैं । शार्ट नोटिस क्वेश्चन था । १५, २० दिन बाद आया है । ओफिस में रिकार्ड है और सरकार की ओर से फैसले दिये जा चुके हैं उसकी सूचना ही इस प्रश्न के द्वारा प्राप्त की गई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी डिटेल्ड बातें हैं उनकी जानकारी नहीं हो सकी और सरकारी अफसर घग्घर की बाढ़ के कारण उधर लगे हुए थे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न कितना लम्बा हो सकता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल लम्बा है, अधिक लम्बा नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ४३६ का जो प्रश्न हैं वह मुख्य प्रश्न सरकार के एक्जीक्यूशन का है। नीचे के अधिकारी न तो कलेक्टर और न ही सरकार के आदेशों को मानते हैं। हम मंत्री महोदय से चाहते हैं कि जहां तक एक्जीक्यूशन का प्रश्न है नीचे के अधिकारी आदेश मानें इस प्रकार की व्यवस्था करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस प्रश्न के लिए कह रहे हैं वह तो उत्तर आयगा ही।

(कृपा परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

रतनगढ़ में डिग्री कॉलेज

४४८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) सरकार के समक्ष रतनगढ़ में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

(२) वहां अब तक कॉलेज खोलने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकार का रतनगढ़ में कॉलेज खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

(२) सरकार वहां कॉलेज खोलना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि रतनगढ के पास दो डिग्री कॉलेज हैं एक ३० मील दूर सरदारशहर व दूसरा २४ मील दूर चूरू में है।

श्री मुरलीधर व्यास : आस पास में डिग्री कॉलेज तो है। रतनगढ़ प्रोपर में शिक्षण संस्थायें हैं और कई छात्र निकलते हैं उनको तादाद को मद्देनजर रखते हुए आवश्यकता है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : विद्यार्थियों की तादाद मद्देनजर रखते हुए ५८ में सरदारशहर में डिग्री कॉलेज रखा। दोनों कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए इन स्थानों पर काफी तादाद में अभी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : स्थान मिल सकता है लेकिन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां जाकर पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत।

करलिया देह नाला

४४१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूँडावत** (भीम) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम और जवाजा के बीच करलिया देह नाम के नाले को बांध कर ब्यावर के फूलसागर तालाब में डालने की स्कीम का सर्वे किया गया है ?

(२) यदि हां, तो उस स्कीम क्या हुआ ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) इस योजना का रिटर्न बहुत कम होने के कारण इसको अभी नहीं लिया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कब तक लिया जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : जब पैसा हमारे पास आयेगा ।

आबकारी के ठेकेदारों में बकाया

४४२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(१) एक्साइज के ठेकेदारो में किस किस वर्ष की कितनी कितनी रकम बाकी है तथा इसकी वसूली न होने के क्या कारण हैं ?

(२) इन ठेकेदारों में ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनको इस वर्ष के ठेके मिले हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : प्रश्न के भाग तो दो ही हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी मुझ को इस सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त नहीं हुए ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जो भी सामग्री आपको प्राप्त हुई है वही सामग्री हाउस के सामने रख दीजिये ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सामग्री कुछ भी प्राप्त नहीं हुई एक्साइज एन्ड टेक्सेशन कमिश्नर को इस बारे में लिखा गया लेकिन वे उन दिनों इधर उधर रहे । बाद में उन्होंने कहा कि यह सामग्री डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट्स से भी प्राप्त नहीं हो सकी ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार उत्तर ही देना नहीं चाहे यह बात तो अलग है सरकार के जो आउटस्टेंडिंग होते हैं वे सबफाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में रहते हैं, कमिश्नर के आफिस में रहते हैं । १५ दिन का जब क्वश्चन के लिये नोटिस दिया जाता है उस १५ दिन में सरकार के क्या आउटस्टेंडिंग है उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकती । किसी भी सरकार के आउटस्टेंडिंग तो उसके एडमिनिट्रेशन के पास होने चाहिये । उन्हीं ठेकेदारो को फिर आक्शन में ठेके दिये गये हैं इसलिये सदन में वह लिस्ट नहीं आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय के पास आते ही वे आपको भिजवा देगें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रश्न हमेशा उठते है यदि जवाब मिल जाता है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते थे । यह हमारे राइट्स का सवाल है आपका इसमें जजमेन्ट होना चाहिये । कोई भी मंत्री सदन में किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहे तो उसके लिये जजमेन्ट चेयर का हो सकता है । क्या बात थी क्या सरकार के कम्युनिकेशन के साधन टूट गये थे या टेलीफोन खराब होगये थे जिसकी वजह से वे जवाब नहीं मंगा सके क्या बात थी ? मैं चेयर के सामने यह प्रश्न पुट अप कर रहा हूं आखिर कितने दिनों बाद हमें जवाब मिल सकते हैं ? कितने प्रयास के बाद वे सप्लाई कर सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास जो फाइल है वह मैं चेयर के सामने रख सकता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अक्सर ऐसा होता है कि जितने प्रश्न हम पूछते हैं उन सब का जवाब नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में कम से कम आपकी हिदायत होनी चाहिये आखिर कितने दिनों के बाद किसी प्रश्न का जवाब मिल सकता है । इस सत्र में कई प्रश्न ऐसे रह गये जिनका जवाब नहीं आया है । जब कि नियम यह है कि १५ दिन के भीतर भीतर जवाब आजाना चाहिये, आखिर कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी मांगी गई है वह उन ठेकेदारों के बारे में है जिनमें सरकारी बकाया है । यह सामान्य बात है कि अच्छे प्रशासन के लिये उसकी बकाया की जानकारी हमेशा होनी चाहिये कि कितने ठेकेदारों में कितनी बकाया है । मैं इस सम्बन्ध में आशा करूंगा कि इसका जवाब ही जल्दी न आय, बल्कि इसके अनुसार अमल भी होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर कितनी बकाया है इसकी जानकारी देने के बारे में आपके आदेश होने चाहियें ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं यह तो सामान्य बात है ।

(श्री मुरलीधर व्यास बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप किसी की सुनते नहीं ख्वामख्वाह बोलने की कोशिश करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इसका उत्तर कब मिलेगा, उस पर किस प्रकार अमल किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इसका लिखित उत्तर प्रश्न कर्त्ता सदस्य को अवश्य मिलेगा । केवल यही प्रश्न नहीं बल्कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये उनके लिखित उत्तर मिलेंगे और वे प्रोसीडिंग्ज में आयेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): लिखित सप्लीमेन्ट्री कैसे पूछे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो स्वयं आप सोच सकते हैं कि यह क्या पूछने की बात है ।

विजयनगर सूती मिल को कर्ज

४४३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन ने विजयनगर सूती मिल को जो कर्ज दिया था उसे राज्य सरकार ने गारन्टी किया था ?

(२) क्या यह सही है कि मिल द्वारा कर्ज की किश्तें व ब्याज न चुकाने पर अब वह रकम राज्य सरकार को चुकानी पड़ रही है ?

(३) यदि हां तो अब तक कितनी राशि चुकाई गई ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) :
(१) जी नहीं ।
(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।
(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No 6

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप कहते हैं प्रश्न ही नहीं उठता तो ऑडिट रिपोर्ट में कैसे लिखा गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया कि जी नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन विजयनगर सूती मिल को जो कर्ज दिया था उसे राज्य सरकार ने गारन्टी किया था या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं । दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

तावान की वसूली की दर

४४४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चक नं० ९०, ९१, ९२, ९३ व ९४ जी० बी० तहसील अनोपगढ़ में कितने आराजी काश्तकारान हैं और उनमें से कितने आरजीकाश्त के नियमानुसार खुदकाश्त करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जो आराजी काश्तकारान खुदकाश्त नहीं करते और जिनकी जमीनें दूसरे शख्स काश्त करते हैं उन पर सम्वत् १९५९, ६०, ६०-६१ व ६१–६२ में कोई तावान कायम नहीं किया गया ? यदि हां, तो तावान किस दर से वसूल किया गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) २०० काश्तकार हैं जिनमें से ८६ खुदकाश्त करते हैं ।

(२) सन् १९५९-६० और १९६०-६१ में कोई तावान कायम नहीं हुआ । सन् १९६१-६२ से जांच जारी है जिनमें से अब तक १२ काश्तकारान पर तावान कायम हुआ है; जिनमें से ५ काश्तकारान पर १५ गुणा, १ पर दस गुणा, ३ पर ६ गुणा तथा ३ पर २ गुणा तावान कायम हुआ है । शेष की जांच जारी है ।

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा

४४५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) नाइलोन फैक्ट्री, कोटा को कुल कितनी जमीन एलॉट की गई है ?

(२) क्या यह सत्य है कि नाइलोन फैक्ट्री ने एलॉट की गई भूमि से बहुत भूमि अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर ली है ?

(३) उक्त फैक्ट्री से अब तक कितनी लीज मनी व डेवलपमेन्ट चार्जेज वसूल किये गये हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):

(१) नाइलोन फेक्ट्री को ७० एकड़ भूमि दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) उक्त फैक्ट्री से १७,५००) रुपया डेवलपमेन्ट चार्जेज वसूल किया गया है ।

Page No 7

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो जमीन दी गई थी उसका कोई एग्रीमेन्ट लिखित या जबानी हुआ था ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब लिखा गया एग्रीमेन्ट और जबानी हैं या लिखित ?

श्री चन्दनमल वैद : लिखित ही होना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : होना चाहिये या है।

श्री चन्दनमल वैद : कहा है, है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब लिखा गया ?

श्री चन्दनमल वैद : ५८ के आसपास।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तारीख बता सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल कितनी रकम वसूल करने की थी ?

श्री चन्दनमल वैद : २१ हजार।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बाकी क्यों हैं उनमें ?

श्री चन्दनमल वैद : सन् ६० में इन्डस्ट्रियल एरिया रूल्स पास होने के बाद फेक्ट्री का कहना है कि इन रूल्स की तहत रकम वसूल की जावे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब उनको ५८ में जमीन दी है तो उस पर रूल्स ६० के कैसे एप्लाई होंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : फैक्ट्री का यह कहना है कि सरकार मानती है या नहीं मानती है, यह सरकार पर है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : फैक्ट्री के कहने का सवाल नहीं जब उनको ५८ में जमीन एलोट की है तो उस समय रूल्स की कम्प्लायेन्स नहीं की तो सरकार क्या कर रही थी ?

श्री चन्दनमल वैद : १९५८ में इन्डस्ट्रियल एरिया रूल्स नहीं थे। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने दी थी। अब इन्डस्ट्रियल एरिया रूल्स बन गये हैं जिसके अनुसार दूसरी फैक्ट्रीज को जमीन एलोट की जा सकती है उन्हीं के आधार पर उक्त फैक्ट्री ने लिखा। वह दरख्वास्त सरकार के विचाराधीन है। अगर उसको सरकार मान लेती है तो उसके अनुसार वसूल कर लेंगे नहीं तो जो २१ हजार रुपया बाकी है वह वसूल कर लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें विचाराधीन का सवाल नहीं ५८ में जो कोई भी रूल्स है उनके अनुसार उनको एलोट हुई है उसी के अनुसार हमें कीमत वसूल करना है। १९६० के रूल्स के अनुसार उनको रिकन्सीडर करना मैं समझता हूं उचित नहीं जब कि उनको ५८ में जमीन अलोट हो चुकी थी। यह मामला विचाराधीन होने लायक ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इन्डस्ट्रियल एरिया रूल्स में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का कोई क्लॉज नहीं रखा गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह बिल्कुल सही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब आपके रूल्स में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का कोई प्रावधान नहीं तो फिर इसको कन्सीडर क्यों किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : फेक्ट्री ने दरख्वास्त दी है उस पर विचार करना कोई गुनाह नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का प्रावधान नहीं था तो आप उसको कैसे दे रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। कि उसे सत्तर एकड जमीन दी गई है, आप कहते है कि उतनी ही उनके कब्जे में है। मैं कहता हूं आपने कब एलॉटमेंट किया और कब पजेशन उसको दिया, उसने ज्यादा पर कब्जा कर रखा है, अगर नहीं हैं यह बात सही, तो आप बतावें आपने कब इसे वेरीफाई किया और कौन से अफसर ने किया ?

श्री चन्दनमल वैद : वेरीफिकेशन का का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि आप यह किस आधार पर कह रहे है कि उसे सत्तर एकड दी गई और इतनी ही उसके कब्जे में है, अधिक नहीं ? मैं कहता हूं उसने अधिक जमीन ले रखी है।

श्री चन्दनमल वैद : आपका यह एलीगेशन सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप किस आधार पर यह कह रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकारी मशीनरी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब मैंने इस तरह की शिकायत की तो क्या आपने दुबारा इसको वेरीफाई करना आवश्यक नहीं समझा क्या ? वेरीफिकेशन तो आपने कराया ही होगा कि वास्तव में उतनी ही है या अधिक है ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकार को यह निश्चित रूप से मालूम है कि जितनी उनको दी गई उतनी पर ही काबिज हैं वे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं हैं। इसके बारें में सरकार के साथ उनका कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है और सत्तर एकड से ड़ेड गुना जमीन पर उनके द्वारा कब्जा किया जा चुका है।

Page No 9

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : यह प्रश्न उठने के बाद में क्या आपने यह देखा है कि कितनी जमीन उन्होंने घेर रखी है या पहले के रेकार्ड के अनुसार ही देखकर आप यह कह रहे हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

राजस्थान में आर.ए. एस. अफसर

श्री रामकिशन (वैर): **श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना) : द्वारा पूछा गया क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में आर०ए०एस० अफसरों की कुल कितनी संख्या है और प्रत्येक जिले से कितने कितने आर०ए०एस० अफसर हैं ?

मुख्य मंत्री की ओर से (श्री भीखाभाई) : राजस्थान में आर०ए०एस० अधिकारियों की कुल संख्या ५३२ है। जिलेवार आर०ए०एस० अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है:—

१	अलवर	२४
२	अजमेर	४१
३	बीकानेर	२२
४	भरतपुर	२८
५	बूंदी	८
६	भीलवाड़ा	११
७	बांसवाड़ा	८
८	चित्तौड़गढ़	५
९	चूरू	४
१०	डूंगरपुर	५
११	जयपुर	८६
१२	जोधपुर	६४
१३	झुंझनूं	१७
१४	झालावाड़	५
१५	जैसलमेर	३
१६	सीकर	१३
१७	सवाई माधोपुर	४
१८	सिरोही	८
१९	बाड़मेर	६
२०	जालोर	२
२१	पाली	६
२२	नागौर	१०
२३	गंगानगर	१३
२४	टोंक	५
२५	उदयपुर	४५
२६	कोटा	२१
	राजस्थान के अलावा बाहर के निवासी	६५
	कुल	५३२।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक प्रश्न साहब, कुछ कट हुई है पिछले साल इसमें से ? अगर हां तो कितने सरप्लस डिक्लेअर किये गये और कितने निकाले गये; तहसीलें तोडी तो वहाँ से निकाले गये, उनमें से कितने निकाले गये ?

श्री भीखाभाई : कम करने का प्रश्न उठता नहीं है, फिर भी अगर यह पूछना है तो इसके लिये अलग से नोटिस होना चाहिये।

Page No 10

सांचोर तहसील में छोटे उद्योग

४७७.श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सांचोर तहसील में क्या क्या छोटे उद्योग-धन्धे लगाये जा सकते हैं इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कोई सर्वे कार्य कराया है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कितना कार्य हो पाया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि तहसील साँचोर में काश्त के मौसम के बाद काश्तकारों को छोटे उद्योगों में लगाया जा सकता है ? अगर हां, तो सरकार इस बारे में क्या क्या छोटे उद्योग लगाने वाली है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि सांचोर में छोटे उद्योग के लिये काफी साधन उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो सरकार द्वारा उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) पंचायत समिति, सांचोर के क्षेत्र में निम्नलिखित कुटीर उद्योग-धन्धे चालू किये जा सकते हैं:—

बुनाई, जूते बनाना, ऊन का धन्धा, मिट्टी के बर्तन बनाना, सज्जी का काम, बढईगिरी का काम, बांस की टोकरी बनाना, गलीचा व दरियां बनाना, लोहारी का काम, ईट बनाना तेल घाणी, रस्सा बनाना, कम्बल, गद्दे, नमक, हड्डियों की फैक्ट्री आदि छोटे कुटीर उद्योग चलू किये जा सकते हैं।

हां, सरकार द्वारा सर्वे कार्य कराया जा चुका है।

(i) बुनकर उद्योग : इस क्षेत्र के जाखल गांव में हाथ कर्घा प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोला गया है, जिसमें बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है व उनको अच्छे ढंग व आधुनिक ढंग के कपड़ा बुनना सिखाया जाता है।

(ii) चर्म उद्योग : इस क्षेत्र में चर्म रंगाई केन्द्र हरियाली, अरणय, कारोला, बीसावा में चल रहे हैं। इसमें यहां के चमड़े के काम करने वालों को आधुनिक ढंग से चमड़ा पकाना व रंगना सिखाया जाता है।

(iii) मिट्टी उद्योग सहकारी समिति:

(१) यह उद्योग धन्धा जाजेसण में चल रहा है।

(२) हां, यह सत्य है तहसील सांचोर में काश्त की मौसम के बाद काश्तकारों को छोटे उद्योग धन्धे में लगाया जा सकता है। सरकार का विचार कोई और उद्योग लगाने का नहीं है, क्योंकि उद्योग लगाने का काम उद्योगपतियों का है।

उपलब्ध साधनों का उपयोग करना उद्योग-पतियों का कार्य है। राज्य सरकार केवल पथ-प्रदर्शन और उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण आदि दे सकती है जो कि बराबर दे रही है।

(३) हां, यह सत्य है कि सांचोर क्षेत्र में उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध है, जैसे ऊन, जूट (ईंट की भट्टी), चमड़ा, लकड़ी, नमक, खार, सज्जी का पौधा; परन्तु कच्चामाल उपलब्ध होने पर भी यातायात के साधनों व क्रय-विक्रय के लिए व्यापारिक मण्डी उन्नतशील औजार की कमी व कलाकारों की आर्थिक स्थिति के सन्तोषजनक न होने के कारण इस साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है।

Page No 11

श्री रघुनाथ विश्नोई : नमक के उद्योग के बारे में क्या निर्णय किया, कुछ सर्वे करेंगे आप !

श्री चन्दनमल वैद : कोई नमक बनाना चाहे तो जमीन एलॉट की जा सकती है।

सीलिंग कानून

४४८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि जमीन पर सीलिंग कानून लागू होने से बचने के लिये लोग बड़ी तादाद में अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, अन्यथा हिबा, रहन, त्यादी पट्टे करके जमीन ट्रान्सफर कर रहे हैं –

(२) क्या सरकार जानती है कि टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार जमीन ट्रान्स्फर करने वाले पर पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है ?

(३) सरकार सीलिंग कानून को किस तारीख से लागू करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

(२) जी हां।

(३) निकट भविष्य में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निकट भविष्य से क्या मतलब है आपका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें सारे एरियाज को वर्क आउट कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही इसे लागू कर दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'बहुत जल्दी' और 'निकट भविष्य' इन दोनों का तो एक ही मतलब हुआ। ट्रान्सलेशन करके आपने हिन्दी कर दी इसकी सिर्फ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निकट भविष्य का मतलब दो-तीन साल तो नहीं होते दो-चार महीने होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दूसरे प्रश्न का आपने उत्तर दिया कि इसमें कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है जमीन ट्रान्स्फर करने वाले पर तो क्या सरकार इस बारे में जरूरत नहीं महसूस करती कि ऐसे ट्रान्स्फरों को रोकने के लिए इस प्रकार की पेनल्टी का क्लॉज इसके अन्दर फौरन जोड़ा जावे ताकि इस प्रकार के ट्रान्स्फरों को रोका जा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को मालूम है कि इस एक्ट की दफाओं में ही कुछ प्रावधान ऐसा किया गया है कि जिसके जरिये २५ फरवरी, ५८ से लेकर ३ दिसम्बर, ५९ तक के ट्रान्जेक्शन्स के अलावा और सारे ट्रान्जेक्शनों को बार किया गया है और बार करने का मतलब स्पष्ट है कि इन को रिकग्नाइज नहीं किया जावेगा। और रिकग्नाइज नहीं होने का मतलब वे इल्लीगल कहे जावेंगे। इसलिये जो भी अगर होने वाला है, वह होगा। इसलिये इस स्थिति में पेनल्टी क्लॉज रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको रिकग्नाइज नहीं करने से ट्रान्स्फर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रान्स्फरी पर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका असर ट्रांस्फरर पर भी पड़े, उसको पेनल्टी देनी पड़े। ज्यादा से ज्यादा आप अगर रिकग्नाइज नहीं करेंगे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो ट्रान्सफरी देखेगा कि कम्पेन्सेशन तो इतना मिलेगा ही। इसलिये जो कानून में प्रावधान मौजूद है इस समय वह किसी प्रकार से बार नहीं करता इसको। इसलिये कानून में रहे हुए इस लेकुना को. दूर करने के लिये पुनः कोई कानून में संशोधन लावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो लेकुना बताया गया है वह, रूल्स जब सामने आवेंगे तो जिस प्रकार वे समझ रहे हैं, वह नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी डिफिकल्टी आवेगी तो उस पर जरूर विचार किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कानून में ही नहीं है, उसको रूल्स में कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं मन्त्री महोदय को बताऊं कि इसमें क्या तरीका अपनाया जा रहा है। लोग आते हैं और ट्रान्स्फर उनमें सैटल हो जाता है और फिर दफा १३६ के तहत करक्शन ऑफ एन्ट्रीज का दावा दायर कर देते हैं। अब पिछले आठ सालों से जो काश्त करता आ रहा है उसकी एन्ट्री लैंड लॉर्ड ने नहीं होने दी और ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वह दावा या तो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में एक्स पार्टी हो जाता है.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप यह खबर जाकर दे दें तो अच्छा होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) आप समझ नहीं सकते, इन बातों को, यह काश्तकार के हित की बात है। तो होता क्या है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो लैंड लॉर्ड की बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सुन लें, तो इस पर एन्ट्री बदल जाती है उनके नाम पर और डिक्लेरेटरी सूट खातेदारी का प्राप्त कर लेता है और वह ट्रान्फर तहसील में जाकर रजिस्ट्रार के यहां न होकर दूसरे तरीके से ट्रान्स्फर हो जाता है, यह जिससे सीलिंग की मंशा ही समाप्त हो जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही मैं कह रहा हूं कि कौनसी तारीख की एन्ट्रीज को हम मानेंगे। 'अपोइन्टेड डेट' जैसे शब्द आये हैं तो वह 'अपोइन्टेड डेट' रूल्स में भी आवेगी और उसके आधार पर ऐसी एन्ट्रीज को डिटर्मिन करेंगे। अगर मान लीजिये कि डेट जो एक्ट में पास हुई है तो उसके बाद कोई भी नामान्तरण करेगा तो जब सीलिंग को डिटर्मिन करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हम एन्ट्रीज देखेंगे उस तारीख को। उसी को मान्यता देंगे। बाद में कुछ भी कर ले तो उसका असर वहां नहीं पड़ने वाला है।

देवगढ़ में ऊनी कम्बल

४४१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में अच्छी किस्म के ऊनी कम्बल तैयार किये जाते है ?

Page No 13

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) क्या यह सही है कि वहां के बने कम्बल उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीदे जाते हैं ?

(३) क्या सरकार इन कम्बलों को मेडिकल एवं पुलिस विभाग को सप्लाई करने के लिये व्यवस्था करने का तथा इस आधार पर स्थानीय कम्बल निर्माण कार्य को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) यह आम तौर पर साधारण क्वालिटी के कम्बल हैं क्योंकि इनकी बुनाई और प्रेसिंग समुचित नहीं होती ।

(२) ग्राम विकास मण्डल देवगढ़ से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि जून, सन् ६२ तक उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ सेम्पल ही भिजवाये गये हैं ।

(३) हां, यदि कम्बलों की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन में सुधार किया जावे तो पुलिस और मेडिकल विभाग को लिखा जा सकता है कि वह टेन्डर नोटिस इनको भिजवा दिया करे। पर्चेज विभाग को भी इनके खरीदने की व्यवस्था करने के लिये लिखा जा सकता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मालपुरा में ऊन उत्पादन केन्द्र खोला गया तो देवगढ़ में क्यों नहीं खोला गया ?

विदेशी शराब के लिये लाइसेन्स

४५०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान में किस किस जिले में विदेशी शराब (फोरिन लिकर) की बिक्री के कितने कितने लाइसेन्स होल्डर्स हैं ?

(ख) क्या जिन जिलों में ऐसे लाइसेन्स नहीं हैं अथवा कम हैं वहां पर ऐसा लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए बहुत संख्या में जनता ने विभाग में आवेदन पत्र पेश किये हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने आवेदन पत्र विचारार्थ हैं ?

(ग) विदेशी शराब (फोरिन लिकर) का ऐसा लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें (कन्डीशन्स) हैं ?

(घ) लाइसेन्स मन्जूर करने के लिए सरकार ने क्या आधार बना रखा है ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, सूचना यद्यपि प्राप्त हुई है लेकिन अपर्याप्त है, ऐसी स्थिति में अगर इसको एडजार्न कर दिया जाय तो अच्छा है ।

श्री भैरोंसिंह : जो पर्याप्त हैं वह तो तो बता दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमेन्टरी पूछेंगे और उनका उत्तर मेरे पास नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप कुछ कहें तो सही । सप्लीमेन्टरी के लिए डर क्यों रहे हैं ? जो आपके पास जानकारी है वह तो दे दें, उसके बाद में फिर देखेंगे कि कौन से सप्लीमेन्टरी का जवाब आप दे सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा और शराब का मेल एक जगह होना ठीक नहीं है ।

Page No 14

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसको मुल्तवी कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो इन्फोरमेशन आपके पास है वह तो हाउस को दी जाये।

श्री अध्यक्ष : वह इन्फोरमेशन जो आपने मांगी है कि फोरिन लिकर की कितनी दुकानें हैं, कितने लाइसेन्स होल्डर्स हैं, उनकी संख्या यह २०-५० बतायेंगे और उसमें आप कुछ नहीं पूछ सकेंगे।

श्री ज्वालप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पॉइन्ट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय सवाल यह है

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि मैं कुछ कह रहा था।

माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है वह फोरिन लिकर के लाइसेंस होल्डर्स की कितनी तादाद उसके बारे में पूछा है। उसमें इनकम्प्लीट या कम्प्लीट का सवाल नहीं है। या तो एग्जेक्ट फीगर मंत्री महोदय बताने की स्थिति में हों तो ठीक है वरना सवाल को लेना ही ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास लिस्ट है और सरकार के पास नहीं पहुंची जो लिस्ट कहीं भी दूसरी जगह आसानी से अवेलेबल हो सकती है उसका जवाब मंत्री महोदय नहीं दें तो उसका क्या मतलब निकल सकता है? इसको जानबूझकर टाला जा रहा है क्योंकि काफी लोगों को अनियन्त्रित रूप से अपने डिस्क्रीशन से एप्लीकेशन ली गयी है और उनको लाइसेन्स दिये गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा उत्तर देने के पहले ही सप्लीमेन्टरी उठने लग गए। अगर ऐसा हुआ तो एक्स-पार्टी मामला चला जायेगा। मेरे पास इसका उत्तर है लेकिन सप्लीमेन्टरी का जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में और पहले भी यही सवाल आपने तय कर दिया है। यह कहते हैं कि मेरे पास उत्तर पूरा नहीं है मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि यह तैयार हैं टेबल ऑफ दी हाउस पर सारे कागजात रखने के लिए, और मैं बड़े दबे लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जिन नई शॉप्स को लाइसेन्स देने के लिए सरकार को ११ से ५० हजार की आमदनी हुई है वह चाहें तो चार शोप्स से इतनी आमदनी मैं करके बता सकता हूं ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : The papers are ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमको नहीं दीख सकता तो आपको तो दीखता था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे उत्तर को तो आप सुन लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन ११ शोप्स से पचास हजार की आमदनी की है वह उनको ४ शोप्स से हो सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have not been given an opportunity....

श्री अध्यक्ष : जितनी जानकारी आपके पास है वह सदन के सामने रख दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : There is no question, Sir. In fact I am replying मुझे मालूम है, आपको बड़ी उद्विग्नता है। मैंने उत्तर दिया ही नहीं तो रोष किसके ऊपर हो।

(क) सूची संलग्न है

श्री भैरोंसिंह : वह हो तो हमको भी दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पढ़ देता हूं

	होलसेल	रिटेल
उदयपुर	३	४+१+१+१
भीलवाड़ा	०	२
कोटा	१	४+१+१
टोंक	०	१
बूंदी	१	
गंगापुर	०	२
जोधपुर	१	११+१+१
सिरोही	०	२
बीकानेर	१	७+१+१
गंगानगर	३	१७
जयपुर	१	२१+२
अजमेर	४	६
भरतपुर	०	६
अलवर	१	५

इसमें थोड़ी इधर-उधर की गलती हो सकती है क्योंकि तैयार नहीं थी तो उसके लिए क्षमा करें।

श्री भैरोंसिंह : सीकर और झुंझुनुं कहां गायब हो गए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : घोटाला वहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी तो बाद में होते हैं। जितना क्रोध हो वह बाद में बता दें। वरना आपके क्रोध में आपके सवाल गायब हो जाएंगे।

(ख) जयपुर में ६२, कोटा में ५४, बीकानेर में ११३; यह दरख्वास्तों का नम्बर है।

(ग) फोरिन लिकर का लाइसैन्स प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है।

(घ) कोई क्राइटेरिया नहीं है। आवेदन-पत्र उनकी योग्ताओं तथा कई अन्य बातें जैसे नई दुकानों की आवश्यकता, पार्टी की माली हालत, अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि आपने जैसा कहा कि इसके लिए कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं तो ऐक्साइज एक्ट के जो रूल्स बने हुए हैं उनकी धारा ४८ के अन्तर्गत यह लाइसेन्स कैसे दिए गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : धारा ४८ के अन्तर्गत दिये जाते हैं यह तो निश्चित है पर रूल्स के अन्तर्गत है ?

श्री भैरोंसिंह : तो आपने कैसे कहा कि रूल्स बने हुए नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आवेदन-पत्र जो प्रस्तुत करते हैं फोरिन लिकर के लिए उस आदमी को असेस करने के लिए कोई नियम नहीं हैं।

Page No 16

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि धारा ४८ के मातहत केवल कमिश्नर ही ऐसे लाइसेन्स दे सकता हैं और इस बार जो लाइसेंन्स दिये गये हैं वह मंत्रीमहोदय ने अपने कलम से और अपनी दस्तखतों से अपना डिस्क्रिशन यूज करके अपने कृपापात्रों को दिये हैं ?

(शेम शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर सुनने के पहले ही शेम कर दिया शेम तो मेरे उत्तर देने के बाद पैदा होता है ।

श्री भैरोंसिंह : अब मना कर दीजिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसको कोई महत्व नहीं दिया जाये और इसको एक्स पार्टी लिया जावे । मेरा निवेदन है कि एक्साइज एक्ट के रूल्स की धारा ४८ के अनुसार कमिश्नर को लाइसेन्स देने के अधिकार हैं यह तो कानून में लिखा है इसका क्या उतर दिया जाये ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल है कि जो फारिन लिकर के लाइसेन्स देने के अधिकार केवल कमिश्नर को हैं और उन अधिकारों का उपयोग कमिश्नर ने नहीं लिया लेकिन उन एप्लीकेशन्स पर मंत्री महोदय ने स्वयं ने अपने अधिकार समझकर और अपना डिस्क्रशन यूज करके अपने कृपापात्रों को लाइसेन्स दिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न ही नहीं रहा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने रूल्स की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : धारा ४८ के अन्तर्गत लिकर शोप्स का लाइसेन्स, डिप्टी कमिश्नर विथ दी एप्रूवल ऑफ़ दी कमिश्नर देने के उसके अधिकार है धारा ४८ "may" शब्द का प्रयोग किया गया है "The Deputy Commissioner may, with the approval of the Commissioner, give the licence".

ऐसी स्थिति में कमिश्नर को डिस्क्रीशन मेन्डेटरी प्रोवीजन नहीं है कि कमिश्नर ही दे यह तो धारा को इन्टरप्रेट करने का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या नियमों के अन्तर्गत मंत्री महोदय को अधिकार नहीं है कि वह लाइसेन्स दे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक इन नियमों का संबंध है मंत्री महोदय को अधिकार नहीं है यह तो ठीक है लेकिन इस प्रश्न.........

श्री भैरोंसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कुछ कहें इस संबंध में मैं कहूंगा कि इस संबंध में सारे रेकार्ड को जब्त किया जावे । मंत्री महोदय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके जो लाइसेन्स दिये हैं वह नियमों के अनुकूल नहीं हैं और मंत्री महोदय ने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया है । आप सारे रिकार्ड को अभी जप्त करे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीकर और झुन्झनू में किस को लाइसेन्स दिया है ?

महारावल लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) अध्यक्ष महोदय, क्या धारा ४८ की अवहेलना हुई है या नहीं हुई है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, ये बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, इसमें गबन का भी आरोप है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक सप्लीमेन्टरी मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले आप उत्तर सुन लें।

श्री बालकृष्ण कौल : वित्तमंत्री : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्यों ने बगैर किसी आधार यहां खड़े होकर चार्जेज लगाने शुरू किये। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और उन माननीय सदस्यों से जिन्होने यह चार्ज। लगाया है यह तकाजा है कि वे कोई भी ऐसा डाक्यूमेंट पेश करें कि जिससे यह साबित हो कि कमिश्नर ने यह लाइसेन्स नहीं दिया है और गवर्नमेंट ने लाइसेन्स दिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, की जानकारी के लिए आपका प्रोटेक्शन लेकर यह कहना चाहता हूं कि जिन कागजातों को डिसपोज ऑफ किया गया है उनको तुरन्त जब्त किया जाय। अगर वे जब्त कराने को तैयार हों तो मैं साबित कर दूंगा कि जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने कहा है वह सही नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं एक सप्लीमेन्ट्री रेज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,

श्री रामानन्द अग्रवाल : We Want reply from the Hon' ble Minister.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहां तक मंत्री महोदय ने एक बात कही है उसके सिलसिले में यह अर्ज है कि जो कुछ डाक्यूमेंट्स उनके पास हों उनसे बारबार सदन कह रहा है उन डाक्यूमेंट्स को कहां रख दिया जाय दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि उन्होंने लाइसेन्स नहीं दिये हैं तो ये डाक्यूमेंट्स आज अभी यहां रख दें और आप अभी पढ़ लें तो अभी साबित कर देता हूं कि उन्होंने नहीं दिये हैं और इन्होंने दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो कहा है वह एक्स्प्लेनेटरी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल तो हो गया।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटमेन्ट के बाद और आपसे इतना अर्ज करने के बाद जो साहब बड़े जोर से बातें कर रहे हैं तो मेरा काम नहीं है कि एक ऑफीशियल फाइल को यहां मेज पर रखूं मैं इतना ही चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि वे लाइसेन्स कमिश्नर के यहां से नहीं गये हैं तो वे माननीय सदस्य आपके सामने जो लाइसेन्स के संबंध में कम्युनिकेशन्स लाइसेन्स होल्डर्स के पास हैं, पेश करें।

श्री भैरोंसिंह : हम क्यों पेश करें? आपको रेकार्ड पेश करना होगा यदि आप साहूकार हैं तो।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपकी तरह से खड़ा होकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से आवाज नहीं लगा सकता। अगर आप चार्जेज लगाते हैं तो मेरा यह कहना है कि आपकी इन्फोर्मेशन बिलकुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। चार्जेज सही हैं। अवैधानिक कार्यवाही करके आपने अपना डिस्क्रीशन अपने कृपापात्रों के पक्ष में इस्तेमाल किया है। जो चार्जेज लगाये गये हैं वे केटेगोरिकल एलीगेशन्स हैं, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने इसी समय कागजात पेश कर दें।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : This is a question of law, Sir. I may be permitted to clarify the position.

श्री अध्यक्ष : No, it is not a question of law. It is a question of fact really.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिनको दिये हैं और जिस वास्ते पूछ रहे हैं अगर वह टिकड़ी उससे अलग कर दी जाय तो वास्तविक शक्ल सामने आ जाय। मेरा यह कहना है कि यह ठीक है कि आपने यह कहा कि लाइसेंस जो उनके पास गए है जिनमें पर्मिशन दी गई है उनमें रूल्स के मुताबिक उन्हीं के दस्तखत हैं। कहना यह है कि जहां डिस्क्रीशन रूल्स में ऑफिसर को था, ऑफिसर को दिया था, वहां ऑफिसर ने कुछ नहीं लिखा है, बल्कि मिनिस्टर ने बुलाया और कागजात मांगे हैं और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि मेंबरों को करप्ट करने की कोशिश की गई है लाइसेंसों के अन्दर।

यह जरूरी है कि वे कागजात यहां पर रखें हम से सबूत चाहते हैं तो हम नहीं मांगते हैं कि हमें दिखाया जाय। हम स्पीकर को इसके लिये मुकर्रर करते हैं और वे खुद फाइल देख लें कि यह लाइसेंस दिलवाने के अन्दर अधिकारी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। इन सारे लाइसेंसों के ऊपर जो ऑर्डर्स हैं बड़े मिनिस्टर के हैं और सबसे निगोशियेशन हुए हैं। और बोली बुला बुलाकर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा संयम से बात कहें। कहां बोली लग रही है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उनके आधार पर बहस और चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लें।

श्री अध्यक्ष : डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि जो लाइसेंस जारी किये गये हैं तो मन्त्री महोदय ने निश्चित तौर से कह दिया है कि कमिश्नर के द्वारा जारी किये गये हैं। अब माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि उस डिस्क्रीशन को एक्सरसाइज करने में मन्त्री महोदय ने किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया इस चीज का निराकरण करना हैं तो कभी नहीं हो सकता है। बुला कर डिस्क्रीशन यूज नहीं करने के लिए दबाव डाला है तो डॉक्यूमेंट्स आने से निराकरण नहीं हो सकता और न इस चीज की जांच की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : इसकी जांच हो सकती है। जितनी एप्लीकेशन्स कमिश्नर के ऑफिस में आई वे मन्त्री महोदय के नाम से डिस्पेच की गई हैं तो रूल्स के अनुसार ऐसी एप्लीकेशन मन्त्री महोदय के पास नहीं आनी चाहिए। उनको अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज करना चाहिए था। एप्लीकेशन का

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्पेच होना अपने आप में प्रमाण है कि मन्त्री महोदय ने हस्तक्षेप किया है। इस बात से भी इन्कार कर दें कि एप्लीकेशन्स नहीं आई हैं। इन्कार करेंगे तो भी साबित हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : एप्लीकेशन्स आती हैं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं आनी चाहिए थीं। रूल्स में उनको ऑथोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : कोई पूछे तो क्या किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : कमिश्नर नहीं पूछ सकता है। कमिश्नर के अपने पावर में है। वह खुद उनको एक्सरसाइज कर सकता है। वह अपने डिस्क्रीशन को एप्लाई कर सकता है अगर कमिश्नर एप्लीकेशन्स भेजता है मिनिस्टर के पास में तो या तो यह है कि कमिश्नर अयोग्य है जिसके बारे में हम मानने को तैयार नहीं हैं कि कमिश्नर अयोग्य है। मन्त्री महोदय के पास क्यों भेजी जाती है ? वे बुलाये जाते हैं। वे जाते हैं इसलिए कि मन्त्री महोदय उसमें हस्तक्षेप करके उनको बताना चाहते हैं कि इन इन को लाइसेंस दे दो और इनको मत दो। अगर ये कह दें कि मेरे पास दरख्वातें नहीं आई हैं तो अभी मैं प्रमाण पेश करने को तैयार हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : एडमिनिस्ट्रेशन के हर मुद्दे पर बहस करना मुनासिब नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्योंकि चोरी पकड़ी जायगी।

श्री बालकृष्ण कौल : यह उनका पॉइंट ऑफ बहस ही नहीं था, इसका यहां अधिकार नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारे अधिकार की व्याख्या तो चेयर करेगी। आप अपनी बात कहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : लाइसेंसों को जो कायदे-कानून के हिसाब से इश्यू करता है, यानी उन ऑफिसर महोदय ने लाइसेंस इश्यू किया या नहीं, प्रश्न सिर्फ इतना है।......

श्री भैरोंसिंह : इतना नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्यों है, क्या है, किसने क्या कर लिया है, यह इसमें सिवाय यह है कि अपने खाली दिमाग से इन चीजों पर बहस कर रहे हैं। मैं मजबूर हूं यह कहने के लिए कि जिस फिराकदिली और कुशादा जबान से ये बातें कर सकते हैं माननीय सदस्य मैं इस तरह की बात नहीं कह सकता, इसलिए उस चीज का फायदा उठाते हैं और जो जी में आता है, पोइन्ट एट रेफरेन्स है या नहीं बहस करते हैं। अन्दर क्या होता है, क्यों गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ा है, किस लिए उठाये, वह माननीय सदस्य को खबर नहीं, वह एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखता है। वे कितना ही उत्तेजित करना चाहें उस उत्तेजना के फलस्वरूप माननीय सदस्य ही बतला सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने खुद ने अपनी स्पीच में कहा है। मुझे बता दें कि आपके पास एप्लीकेशन्स नहीं आईं।

श्री बालकृष्ण कौल : उसका इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : उसका सम्बन्ध है । इसी में गड़बड़ है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास एप्ली-केशन्स किन वजुहात में आ सकती हैं, वे वजूहात मैं सदन के आगे नहीं रख सकता हूं । मैंने अर्ज कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक इंट्रेस्ट में हो तो.......

(कोलाहल)

श्री बालकृष्ण कौल : इन दी पब्लिक इंट्रेस्ट मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बातें सदन के सामने नहीं रख सकता ।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई पब्लिक इंट्रेस्ट का नहीं है । यह शराब का मामला है, इसमें पब्लिक इन्ट्रेस्ट कैसे हो सकता है ? जिन लोगों को दिया है पब्लिक इन्ट्रेस्ट का मामला नहीं है कि जिससे पब्लिक इन्ट्रेस्ट का नुकसान होता हो फेक्ट्स में रेकार्ड बताये जाते हैं लेकिन सीधे एलीगेशन पर चलते हैं तो आपने पक्षपात किया है । आपकी बचत के लिए आवश्यक है कि आप बताएं कि इन इन कारणों से अमुक अमुक लोगों की एप्ली-केशन मंगाई और अमुक अमुक लोगों को लाइसेंस देने के लिए कमिश्नर ने लिखा । वह इसलिए पब्लिक इन्ट्रेस्ट में था, इस प्रकार की कार्यवाही पब्लिक इन्ट्रेस्ट में करते और कुछ कहते तो विचार किया जा सकता है । एलिगेशन के बावजूद आप नहीं कहते हैं तो एलिगेशन्स अपने आप में सब्स्टेन्शियेट होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन ।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर सीरियस एलिगेशन लगाया गया है । यह कहा गया है कि रिश्वत ली गई है । मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि बावजूद इसके कि उनकी मज-बूरियां हैं, लेकिन जब कि इस तरह का आरोप सदन में लगाया गया है तो वे इस तरह के कागजात अध्यक्ष महोदय को बताये जायं ताकि हाउस के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : Next question Shri Bhairon Singh.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आज आज के लिये कुछ कांग्रेसी सदस्यों को इधर बैठने दिया जाय ।

श्रीमती सुमित्रादेवी (झुझनूं): माननीय सदस्य ने जो सूची पेश की है उसमें झुझनूं का नाम नहीं है । क्या यह माना जाय कि झुंझनूं में एक भी लाइसेन्स नहीं है ?

श्री ज्वालाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : Next question दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Very serious allegation has been made by the Hon'ble Member, Sir.

श्री अध्यक्ष : Every one knows But if somebody does not come forward... .....

(श्री मुरलीधर व्यास, श्री हीराभाई और अन्य कुछ सदस्य एक साथ बोलते हैं)

श्री अध्यक्ष : Order Please ! मन्त्री महोदय ने आपके सामने उत्तर दिया। इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रश्न पूछने से भी मैं नहीं समझता कि कोई मतलब हल होगा। Ample opportunity has been provided to every.......

श्री मुरलीधर व्यास : एक एम.एल.ए. के बारें में कहा गया। वह एम.एल.ए. कोई भी हो सकता है इसलिए उसका नाम बताया जाय कि कौन एम.एल.ए. ऐसा है, वरना सब पर रिफ्लेक्शन पड़ता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके सामने प्रश्न आया, लेकिन वे जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं आपसे।

श्री अध्यक्ष : सारे तथ्य माननीय सदस्यों के सामने हैं, किस तरह से उत्तर दिया न दिया, जो चाहें कन्क्ल्यूजन निकाल सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एम. एल. ए. का नाम लिया है, यह हमारे ऊपर आरोप है, इसलिये हम चाहते हैं कि नाम बता देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को आपत्ति हो तो स्वयं बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट के लिए अर्ज करना चाहता हूं। यह प्रिविलेज इश्यू बनता है। पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज के नाम से मैं अर्ज करूंगा, बहस नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से एम० एल० एज० के बारे में यहां पर बात कहीं गई है वह सारे एम० एल०ए० के करेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है इसलिये कोई पार्टिकुलर एम० एल० ए० इससे सम्बन्धित हो तो उनका नाम बता दिया जाय ताकि बाकी का सारा हाउस इस रिफ्लेक्शन से बच सके। इसलिये प्रिविलेज के नाते मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि उनका नाम बता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज के नाते आवश्यक नहीं है कि किसी माननीय सदस्य का नाम बताया जाय, न इस पर बहस हो सकती है। कितना सही है, कितना गलत है यह माननीय सदस्य समझते हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तो उसके लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सदन आज इस स्थिति में है नहीं कि इस पर बहस कर सकें और निर्णय ले सकें। इसलिए माननीय सदस्य को किसी तरह की आपत्ति हो तो नियमानुसार आगे रख सकते हैं।

(विराम)

Next question.

भूतपूर्व नबाब, टोंक द्वारा लगाया गया विशेष टैक्स

४५१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ के कुछ गांव पहले भूतपूर्व रियासत टोंक में शामिल थे ?

(ख) क्या यह सही है कि भूतपूर्व नवाब टोंक ने राज्य का कर्ज चुकाने के लिये

Page No 22

(श्री भैरोंसिंह)

दो आना प्रति रुपया लगान १० वर्ष के लिये एक विशेष टैक्स लगाया था ?

(ग) क्या यह सही है कि यह लगान अब भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह टैक्स भूतपूर्व टोंक रियासत के पूरे गांवों में वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार क्या अब भी यह टैक्स वसूस करना उचित समझती है ?

कृपया भूतपूर्व टोंक रियासत के उस निर्णय की, जिसके अनुसार यह टैक्स लगा, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। चूंकि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ इसलिये प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : मैं सप्लीमेन्टरी नहीं करता लेकिन आपकी जनकारी के लिये कह देता हूं कि सरकार को जो जानकारी मिली है वह सही नहीं है। दो आना आज के दिन भी लग रहा है। मैं जाकर आया हूं, स्वयं कास्तकारों ने बताया है। एम० एल० एज० भी कहते हैं कि इस तरह का टैक्स लिया जाता है। अगर आप जानकारी करना चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी सूचना आई है कि पिड़ावा तहसील के गांवों से ऐसा टैक्स नहीं लिया जाता, अधिकृत सूचना यही है। आप कहते हैं तो फिर जानकारी करा लूंगा।

श्री गोविंद सिंह (पिड़ावा) : क्या पिड़ावा का रेकार्ड डेस्ट्रोय कर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जानकारी करूंगा कि वास्तव में इस तरह का टैक्स लिया जा रहा है या नहीं। इस तहसील के बाकी गांवों में नहीं लिया जाता है इसलिये यहां भी नहीं लिया जाना चाहिये मैं यह कयास करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह : क्या ४–५ साल पहले सैटलमेन्ट हुआ था उसमें रेट कम थी? और उससे सरकार को नुक्सान होता था इसलिये यह लिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न अलग है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

कटाव पेड़

४५२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में दिवेर के पास के जंगल में कड़ाव नाम का पेड़ होता है जिसे अकाल में मवेसी खाकर जिन्दा रहते हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत)

(२) क्या यह सही है कि इस पेड़ को पूरा पेड़ बनने में चालीस साल का अर्सा लग जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि आज-कल सरकार ने कड़ाव के पेड़ों को गोंद निकालने का ठेका १६,०००) रु० में दे दिया है और गोंद निकालने से पेड़ सूख जाते हैं और वहां के ५० प्रतिशत पेड़ सूख गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि दिवेर पंचायत ने सरकार को प्रस्ताव पास कर प्रार्थना की है कि इन पेड़ों का गोंद निकालने का ठेका बन्द कर दिया जाय क्योंकि इससे जंगल सूख जाता है और अकाल में मवेशी भूखों मर सकते हैं ?

(५) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, लगभग ४० साल लग जाते हैं।

(३) जी हां। ठेका इस वर्ष २६,०००) रु० में दिया गया है। गोंद निकालने से कुछ पेड़ सूख जाते हैं। अन्दाजन अब तक १० प्रतिशत से अधिक नहीं सूखे हैं।

(४) जी हां।

(५) यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : १० परसेन्ट से और ज्यादा सुखाने का इरादा है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १० परसेन्ट से कम सुखाने का इरादा है अध्यक्ष महोदय। वह इसलिये कि २६ हजार का गोंद बॉम्बे जाता है, फोरिन एक्सचेन्ज इससे मिलता है। इस लाभ को उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ वृक्ष कम से कम सूखे इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब इतनी कीमत इन वृक्षों की है कि इनसे फोरिन एक्सचेन्ज मिलता है तो इनको और बढाना चाहिये या सुखाना चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों में विरोधाभाष है। गोंद लेने से दरख्त सूखता है लेने के बाद नहीं सूखे इस पर परीक्षा कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब तक आप का परीक्षण या एक्सपेरिमेन्ट नहीं हो जाय तब तक क्या ठेका देना बंद करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २६,०००) रु० के लिये ठेका दिया गया है बंद करने से इन्कम नहीं होगी। हम सतर्कता बरत रहे हैं कि पेड़ कम से कम सूखें।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : यह जो एक्सपेरिमेन्ट हो रहा है यह पहली दफा हो रहा है या पहले भी कभी हुआ है दुनिया में ?

Page No 24

श्री निरंजननाथ आचार्य : गोंद निकालने से दरख्त सूखते हैं यह शिकायत आने पर जांच की गई तो पता चला कि दरख्त सूखते हैं इसलिये ये न सूखे इसका एक्सपेरिमेन्ट कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ठेका बंद क्यों नहीं किया जाता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो नहीं लेकिन पेड़ सूखना बंद करने का प्रयत्न करेंगे।

पांच वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अध्यापक

४५३. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जयपुर, पंचायत समिति चाकसू, के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक ऐसे कितने हैं जो पांच साल से एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : क्या यह अच्छा समझते हैं कि इतने समय तक एक ही जगह पर रखा जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पंचायत समिति का प्रश्न है, प्रधानजी से संबंधित है, वहां पूछे।

श्री नाथूलाल करोल : आठ साल पहले पंचायत समिति का गठन नहीं हुआ था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायत समिति बनने के बाद उनके अधिकार क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिम्मे धनराशि

४५४. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राज्य में कुल कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक है ? प्रत्येक बैंक के जिम्मे राज्य सरकार अथवा रिजर्व बैंक अथवा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की कितनी २ धनराशि निकलती है ? कृपया प्रतिवर्ष का ब्यौरा अलग अलग देवें।

(२) उपरोक्त धनराशि संबंधित बैंक संबंधित समितियों से वसूल करके अपने ओवर ड्यूज तयकर सकें, इसके संबंध में विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

उप-मंत्री, सहकारी (भीमसिंह) : (१) २५ बैंक है। अन्य सूचनायें संलग्न सूची में दी गई हैं।

सहकारी विभाग अपने निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों की सहायता से वसूली की कार्यवाही करा रहा है और समितियों के उन सदस्यों के विरुद्ध जिन्होंने समय पर ऋण की अदायगी नहीं की है सहकारी अधिनियम सन् १९५३ की धारा ६६ के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर और धारा ६७ के अतर्गत वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये जाकर सम्बन्धित अदालतों को भिजवा रहा है।

(श्री भीमसिंह)

(२) सहकारी विभाग की आज्ञा दिनांक ११-९-६२ द्वारा एक परिपत्र प्रकाशित करके जिलों के विभागीय कार्यकर्त्ताओं एवं सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा वसूली अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ओवरड्यूज़ की वसूली हुई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या राजस्थान सरकार नेशनल स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट नहीं करना चाहती ? जो अकाल की वजह से या और किसी कारण से टाइम पर पेमेन्ट नहीं कर सकते उनके लिये नैशनल स्टेबिलाइजेशन फंड नहीं क्रिएट करना चाहिये ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस पर विचार चल रहा है।

(१२ मध्याह्न)

आसव अरिष्ट पर आबकारी

४५५. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या मंत्री, आबकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में आसव अरिष्ट पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है वह कितने प्रतिशत एल्कोहोल पर ली जाती है ? क्या इसके बारे में कोई नियम हैं ?

(२) आसव अरिष्टों में कितने प्रतिशत एल्कोहोल रहता है ? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई टेस्ट करवाया है ? यदि हां, तो कब ?

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) आशव व वरिष्ट भारत सरकार......

श्री गोविन्दसहाय : आसव अरिष्ट है, वरिष्ट नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा ही है, मैं तो थोड़ा ले रहा था, कहां तक गंभीर है।

(१) आसव व अरिष्ट भारत सरकार के मेडीसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन रूल्स के अन्तर्गत निर्माण होता है। इस नियमों के अनुसार २ प्रतिशत अल्कोहल से ज्यादा होने पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती है।

(२) सन् १९६० में चीफ पब्लिक एनेलिस्ट, जयपुर द्वारा केमिकल टेस्ट करवाया गया था उसका नतीजा इस प्रकार है:–

झंडू फार्मेसी के--

१. द्राक्षारिष्ट ४.५४ प्रतिशत अलकोहल
२. द्राक्षासव ४.०० ,, ,,
३. पीपलासव ४.२७ ,, ,,

इसके अलावा आयुर्वेद सेवाश्रम उदयपुर में निर्मित ३ नमूनों की भी जांच चीफ पब्लिक ऐनेलिस्ट जयपुर द्वारा कराई गई जिसका नतीजा इस प्रकार रहा–

१. द्राक्षासव ४.८१ प्रतिशत अलकोहल
२. ,, ४.२७ ,, ,,
३. ,, ४.५९ ,, ,,

प्रश्न संख्या ४५६

श्री अध्यक्ष: श्री भैरवलाल कालाबादल

Page No 26

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, इसको बाद में ले लिया जाय।

(कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

ग्राम दीपावास में चरागाह

४५७. **श्री मांगीलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि प्रत्येक ग्राम में मवेशियों के अनुपात से गोचर की जमीन रखी जाय ? यदि हां, तो क्या पाली जिले की रायपुर, तहसील के दोपावास में कोई चरागाह की भूमि है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार वहां पर चरागाह घोषित करेगी, जब कि वहां पर १५,०० मवेशी हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधीश, पाली जांच कर रहे हैं और जांच पूर्ण हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही उन्हीं के द्वारा कर ली जावेगी।

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में विशेष आदेश जारी किये हैं कि गोचर-भूमि की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाय लेकिन अभी तक गोचर-भूमि कायम नहीं की गई है और पहले से काम में आती है उसे कोआॅपरेटिव्ज को दी है, बोगस कोआॅपरेटिव हैं उनको दी है, क्या मवेशियों की समस्या को देखते हुए सरकार जल्दी ही इस पर ध्यान देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी कुछ दिन पूर्व आदेश दिये गये हैं कि जिन गांवों में चरागाह नहीं हैं वहां चरागाह डिमार्क किये जायं। इसकी कम्प्लायेंस रिपोर्ट अक्टूबर तक आयेगी। जल्दी से जल्दी चरागाह कायम करने के लिए कार्यवाही चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि चरागाह की जो जमीन, तीस-चालीस बीघा चरागाह के काम में आती थी, वह सेटलमेंट में दर्ज नहीं की गई है और किसी कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दे दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

जहाजपुर के निकट बांध

४५८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जहाजपुर के पास कोई बांध बनाया गया है ?

(२) अगर हां, तो कौनसा व उसमें कितना खर्च हुआ ?

(३) क्या उस क्षेत्र को कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों?

(४) क्या उस बांध से पीवल होने वाली जमीन मुफ्त में एलोट की जा रही है? अगर सही है तो अब तक कितने एकड़ जमीन एलोट की जा रही है ?

(५) क्या भीलवाड़ा जिले में और भी कोई बांध है जिसके एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित नहीं किया गया है ?

Page No 27

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) नागदी बांध बनाया गया है जिसमें ५,८४,००० रुपया खर्च हुआ है।

(३) इस क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(४) इस बांध का क्षेत्र कमाण्ड क्षेत्र घोषित हो जाने पर भूमि का आवंटन (अलॉटमेंट). नियमानुसार जिलाधीश व तहसीलदार द्वारा किया जाता है। भूमि वितरण प्रोजेक्ट बनने के बाद किया जावेगा।

(५) भीलवाड़ा जिले में अन्य बांध:–

(१) गोवटा, (२) ब्राह्मणों की सरेरी (३) पाटन, (४) पुर का कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने का मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि इस बांध के नीचे जितनी भी जमीन है वह कमाण्ड एरिया की जमीन की तरह एलोट न करके जो सीधे तरीके से एलॉट होती है जिसका पैसा नहीं लिया जाता उसी तरह अभी तक एलॉट हो रही है

श्री दिनेशराय डांगी : इस सम्बन्ध में अभी अलॉट होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री श्योदत्तसिंह (हनुमानगढ़) क्या सरकार……

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि इसके नीचे जो जमीन है उसमें से सैंकड़ों बीघा जमीन इस साल भी और १९६१-६२ में भी एलॉट हुई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इस सम्बन्ध में जैसा मैंने बताया, प्रश्न नम्बर ४ के उत्तर में लिखा है-इस बांध का क्षेत्र कमाण्ड क्षेत्र घोषित हो जाने पर भूमि का आवंटन (एलॉटमेंट) नियमानुसार जिलाधीश व तहसीलदार द्वारा किया जाता है। भूमि-वितरण प्रोजेक्ट बनने के बाद किया जाएगा –और जब होगा तब जो प्रोजेक्ट एरिया में लिया जाता है वह लिया जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें यह प्रश्न बहुत जरूरी है कि जब दूसरी जगह के बांध बन गये हैं और उनको कमाण्ड एरिया में घोषित किया गया है, और ६०, ७० रुपया प्रति बीघा वसूल किया जा रहा है तो इस तहसील में छूट क्यों दी जा रही है ? सिर्फ इसलिए कि उप-मंत्रीजी जीत कर आये हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : कमाण्ड एरिया घोषित नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट बन जायगा, कॉलोनाइजेशन एरिया डिक्लेयर हो जायगा, उसके बाद होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या सरकार……

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तब तक सारी जमीन इधर उधर हो जायगी, एलॉट हो जायगी।

श्री दिनेशराय डांगी एलॉट कैसे हो हो जायगी ? जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं बनेगा, कॉलोनी एरिया डिक्लेयर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। यह राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा होगा।

श्री अध्यक्ष : उसका अलॉटमेंट रोका कहां गया है। प्रश्न यही तो है, बांध बन जाने के बाद, आपकी नीति है कि इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिये जमीन एलोट की जाय या दूसरी बात हैं ? अलग एलॉट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: क्या सरकार बताएगी कि कितने एकड़ से कम पिलाई हो तो कमाण्ड एरिया में लिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : एक हजार एकड़ के ऊपर के जितने तालाब हैं, जिनसे सिंचाई होती है वे प्रोजेक्ट एरिया में डिक्लेर किये जायेंगे कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष : यह कहना कि कार्यवाही चल रही है–यह ठीक नहीं है। आप कह दीजिये कि पांच सौ एकड़ में नहीं आता और कोलोनाइजेशन एक्ट में नहीं आने के कारण नहीं कर रहे है। यह उत्तर होना चाहिये।

श्री भीखाभाई : यह उत्तर दिया हैं, यह राइट है। सिर्फ स्पष्टीकरण की आवश्यकता रह गई है, जो प्रोजेक्ट एरिया बनाना चाहिए उसके सम्बन्ध में यह कहा कि जो तालाब १९६२ में पूरे हो गये या अभी पूरे हुए हैं। उनके लिए कार्यवाही चल रही है प्रोजेक्ट एरिया डिक्लेयर करने के बारे में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक हजार एकड़ से पिलाई कम होती है उसको कोलोनाइजेशन में नहीं लिया जायगा, यह उत्तर होना चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस बांध को बने हुए कितना अरसा हो गया, यह पूछना चाहता हूं कि इस बांध को बने हुए इतना समय हो गया तो कमाण्ड एरिया क्यों नहीं घोषित किया गया जब कि दूसरे बांध को घोषित कर दिया है और पैसे से जमीन बेची जा रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : नागदी बांध १९६२ में पूरा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिस बांध से एक हजार से पिलाई कम होती है उसको प्राजेक्ट एरिया में नहीं लिया जाता……

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरे प्रश्न को उत्तर मिलना चाहिए। जब इस बांध को बने हुए तीन साल हो गये फिर भी इसके नीचे की जमीन को बिना पैसे एलॉट किया जा रहा है ? यह चार्ज लगा रहा हूं, यह कहां तक सत्य है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री भीखाभाई : उसके बारे में कार्यवाही चल रही है और उसको प्राजेक्ट एरिया में लिए जाने की कार्यवाही चल रही है। यह बांध अभी पूरा हुआ है, १९६२ में हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जवाब दिया जा रहा है कि कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ इस तरह सैंकड़ों बीघा जमीन का नुकसान हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा प्रश्न है कि……

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक प्रश्न है कि एक हजार एकड़ से जिन बांध की पिलाई कम होती है, उनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया। कृपया स्पष्ट करें कि एक हजार एकड़ से कम पिलाई होती है तो उसको प्रोजेक्ट एरिया में नहीं लिया जायगा।

श्री भीखाभाई : जी हां। जो सिंचाई नहीं हो रही है उसका वही हिस्सा हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बतायेगी ......

श्री अध्यक्ष : इसकी सिंचाई कितनी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, एक हजार से ऊपर एकड़ हैं तो कोलोनाइजेशन एक्ट में आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसके नीचे कितनी है ?

श्री भीखाभाई : इसके नीचे २,५०० एकड़ के करीब सिंचाई होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बांध कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत आता है ? अगर आता है तो क्या कोलोनाइजेशनए एक्ट के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए कार्यवाही हो रही है। कोलोनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत आता है एक हजार एकड़ से ऊपर पिलाई होने के बाद और तब प्रोजेक्ट के अन्दर लिया जाता है। उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। यह निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो ववेदन किया था, उसका जवाब नहीं मिला। जब जमीन एलॉट हो रही है, वह कर रहे हैं तो वापिस कार्यवाही कैसी होगी ? जो प्रश्न किया था, उसका जवाब मिलना चाहिए !

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने सरेरी और पाटन के लिए बताया कि उसके सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। क्या बताने की कृपा करेंगे कि कितनी इनसे सिंचाई होती है और इनको कमाण्ड एरिया में लिया जायगा या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(विराम)

छात्रवृत्ति

४५६ का भी उत्तर दे दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मंत्री, शिक्षा) : ४५६ का उत्तर पहले दे देता हूं।

४५६. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा कॉलेज में पढ़ने वाले बी० ए० के किन किन आदिवासी छात्रों को सन् ६१ में छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि बी० ए० के चार आदिवासी छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति नहीं दी गई जब कि यही छात्र गत कई वर्षों से छात्रवृत्ति के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते आ रहे थे ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कोटा कॉलेज में बी० ए० फाइनल के निम्न आदिवासी छात्रों को सन् १९६१-६२ में छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

१. श्री शान्तिलाल मीना

२. श्री सूरजमल

३. श्री मदनमोहन

४. श्री नन्दलाल

(२) बी० ए० के उपरोक्त आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा प्रिन्सीपल, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा को दिनांक ४-११-६१ को दी जा चुकी थी। प्रिन्सीपल, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा की सूचना के अनुसार क्लर्क की भूल के कारण बिल का भुगतान सन्, १९६१-६२ में नहीं हो सका । अतः नई स्वीकृति फिर से प्रदान की जा रही है । प्रिन्सीपल गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा को क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है । आशा है कि पिछले वर्ष की इस छात्रवृत्ति का भुगतान जल्दी ही कर दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह किस तारीख को देने के लिए लिखा गया कि उनको छात्रवृत्ति दे दी जावे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी उनको लिख दिया है और जिस क्लर्क की गलती है उनके खिलाफ भी कार्यवाही के लिए लिख दिया गया है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उन छात्रों को नुकसान हुआ, पढ़ाई करने से महरूम रहे !

श्री निरंजननाथ आचार्य : नुकसान हुआ तभी तो क्लर्क के खिलाफ कार्यवाही की है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जिसकी गलती से छात्रवृत्ति उन लोगों को नहीं मिली और उनका साल भर मारा गया और पढ़ाई बरबाद हुई उस क्लर्क के लिए, क्या कोई कार्यवाही इसके खिलाफ की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कार्यवाही जो कुछ भी करनी होती है, वह प्रिन्सीपल करता है, वे प्रिन्सीपल के अधीनस्थ है। उसको लिख दिया गया है। क्लर्क को सस्पेन्ड कर दिया है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मुझे तो ऐसी जानकारी थी कि प्रिन्सीपल और क्लर्क दोनों ने मिलकर ले ली थी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिन्सीपल के खिलाफ आरोप निराधार है ।

एक माननीय सदस्य : यह आप कैसे कहते हैं कि यह आरोप निराधार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आरोप प्रिन्सीपल के खिलाफ निराधार और बेबुनियाद है ।

एक माननीय सदस्य : आपने बताया की बेबुनियाद है । क्या कमी सेलेरी में देते समय काउन्ट करने में भी उन्होंने गलती की है । ऐसा तो नहीं किया तो फिर यह तो सब की जानकारी से ही हुआ है ।

Page No 31

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह क्लर्क की जानकारी से हुआ होगा। उसका मेलाफाइड इन्टेन्सन हो सकता है लेकिन प्रिन्सीपल के सम्बन्ध में मैंने कहा कि यह आरोप उसके खिलाफ निराधार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इसकी इन्क्वायरी कराई है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्टेट्स को देखते हुए ऐसी बात नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने यह देख लिया है कि स्टेटस के लोग ऐसा नहीं करते हैं?

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग द्वारा तरक्की देने के आधार

४५६. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

क्या शिक्षा विभाग द्वारा हैडमास्टर्स, सीनियर टीचर्स, ट्रेण्ड ग्रेज्युएट्स आदि की सीनियोरिटी तैयार कर ली गई है? अगर नहीं तो उक्त पदों पर अब तक तरक्की देने के क्या आधार रखे गये हैं?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : प्रधानाध्यापकों की सीनियोरिटी चयन समिति के द्वारा प्रधानाध्यापकों के पद के लिये चयन करते समय ही जन सेवा आयोग की स्वीकृति से उसी समय बता दी जाती है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापकों की सीनियोरिटी के अभी कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। परन्तु इसका वरिष्ठ अध्यापकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रधानाध्यापकों के पद के लिये आर०ई०एस० नियमों के अनुसार पदोन्नत करने के लिये ट्रेन्ड ग्रेजुएट व वरिष्ठ अध्यापकों को एक ही स्तर पर माना जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ४६०। श्री मांगीलाल।

राजस्व की वसूली

४६०. **श्री मांगीलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि पाली जिले की तहसील रायपुर के ग्राम काणूजा में श्रावण काश्त की भूमि का राजस्व २५ नये पैसे प्रति बीघा है, जब कि गैर मु० पड़त भूमि का राजस्व बजाय कम के दुगुना प्रति बीघा वसूल किया जाता है यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है?

(२) राज्य के किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की वसूली की जा रही है और इसके लिये निर्णय का आधार क्या है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली का आधार राजस्थान लैंड रेवेन्यू, १९५६ की धारा ९१ (२) है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब सही नहीं आया। मैंने प्रश्न किया था कि जो काश्तकार काश्त करते है। उनकी बीघोड़ी की दर है २५ नये पैसे और जो पड़त भूमि काश्तकार के कुएँ के आस पास है उसका लगान है ५० नये पैसे। यह काश्तकारों के साथ अन्याय हैं। वहाँ पर पहाड़ी इलाका है। इसलिये उनसे जो ज्यादा बीघोड़ी वसूल की है वह उनको वापिस लौटाई जानी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर स्पष्ट है कि श्रावण काश्त की भूमि का राजस्व २५ नये पैसे प्रति बीघा है और गैर मु० पड़त भूमि का राजस्व लैंड रेवेन्यू १९५६ की धारा ९१ (२) के तहत सरकार को अधिकार है कि वह रेट ६ गुनी ले सकती है। इस दफा की तहत दुगना याने २५ नये पैसों के बजाय ५० नये पैसे लिये जाते हैं जो बिला मंजूरी होती है।

श्री मांगीलाल : तहसीलदार ने उसकी रेट ५० नये पैसे प्रति बीघा कर दी है। अगर उन्होने जबरदस्ती बोई तो उनसे ६ गुना लगान लिया जाना चाहिये था मगर ऐसा नहीं होता। यह तय है कि ५० नये-पैसे उनसे लिये जाते हैं। क्या सरकार ने यह ५० नये पैसे इस प्रकार की भूमि पर वसूल करने की परमिशन दे दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कम भी हो सकता है। ६ गुना तक है।

श्री अध्यक्ष : आप उसे एलॉट करा दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप उस जमीन का रेगूलर एलोटमेंन्ट करा लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह ५० नये पैसे पर बीघा जुर्माना के रूप में लेते हैं या यह उनसे वसूल करने के लिये दर मुकर्रर कर ली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह २५ नये-पैसे के बजाय ५० नये पैसे उनसे लिये जाते हैं।

श्री मांगीलाल : वे उस जमीन को खाली नहीं कर सकते। वह उनके कुओं के पास होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एलॉटमेंट कमेटी में हैं। वे एलोट करवा दें।

श्री मांगीलाल : जब जमीन पर खेती नहीं होती फिर भी आप ५० नये पैसे उनसे वसूल करते हैं……

श्री अध्यक्ष : आप एलोटमेन्ट कमेटी में हैं। आप उस जमीन को उन लोगों को एलाट करवा दें।

श्री केसरीसिंह (पाली) : क्या गैर मु० पड़त भूमि में काश्त होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पशु चरा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No 33

कच्ची सड़क

४६१ **श्री लक्ष्मी प्रसाद** (सिकराय) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या सरकार का बन्ध माधोसागर की नहर पूर्ती पर कच्ची सर्विस रोड बनाने का विचार है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) अगर ऐसा विचार है तो यह रोड कब तक बन जावेगी ?

उप-मन्त्री (सिंचाई) (श्री दिनेशराय डांगी) जी हां ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) तखमीना बना लिया गया है । तखमीने की स्वीकृति के बाद काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये कह दू कि यह मामला पी. डब्ल्यू. डी. का नहीं समझें । यह इरिगेशन के लिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२.१८ मध्याह्न)

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मुकट बिहारीलाल (बयाना) : पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव रखा उसकी सूचना मुझे मिली । आपका आदेश प्राप्त हो चुका कि सदन में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि··

श्री अध्यक्ष : इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है और जब व्यवस्था दे दी गई है तो उसके बाद में कोई पोइन्ट ऑफ ओर्डर नहीं हो सकता । इसलिये माननीय सदस्य इस मामले को और न बढ़ावें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, रामकिशनजी का प्रश्न तीन दफे आया है । रामकिशनजी नहीं हैं । इसका उत्तर उनके पास तैयार है । अगर आप इजाजत दे दें तो उसका उत्तर दिला दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो उसका आपको मिल ही जावेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जवाब उनके पास है दिला दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसको तो ले लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : कल के बहुत ही ओवर ड्राफ्ट आदि के हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) शोर्ट नोटिस प्रश्न ले लिये जावें ।

श्री अध्यक्ष : शोर्टनोटिस प्रश्न की सूचना मिली हो तो ले लिये जावेंगे नही तो नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ४ शोर्ट नोटिस क्वश्चन्स हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप नियम देखिये ।

Page No 34

अतारांकित प्रश्न

विन्धियन लाइम स्टोन के ठेके

६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ जनवरी, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६२ तक Vindhian लाइम स्टोन की किन २ पार्टीज को लीज दी गई व किस २ तारीख से ?

(२) लीज देने की तारीख से ३०-९-६२ तक कितना २ लाइम स्टोन उक्त लीज होल्डर्स ने निकाला । उनको लीज का कब्जा किन २ तारीखों को दिया गया व एग्रीमेन्ट किन २ तारीख का लिखा गया व उक्त लीज का लीज मनी सालाना क्या क्या तय किया गया ?

(३) राजस्थान में Vindhian लाइम स्टोन के कुल कितने लीज होल्डर्स हैं व कौन २ व इनमें से कौन २ सी पार्टीज के मनोपोली के वक्त भी उक्त खनिज का काम चलता था व उस वक्त सालाना व कितना २ रुपया सरकार को देते थे व अब क्या, रकम देते हैं ?

(४) उक्त लीज होल्डर्स में किन २ ने पिछले ५ सालों में कितना २ माल आर्मस. व Explosive Manufacturing Concerns को भेजा । साल वार आंकड़े बतावें व उस Concern का कितना प्रतिशत बिल्डिंग व अदर परपजेज में माल बिका व कितना प्रतिशत आर्मस व Explosive Manufacturing Concern में भेजा गया ?

(५) क्या Vindhian लाइम स्टोन को माइनर Mineral Concessation Rules 1959 से govern किया जाता है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(६) क्या यह Protection केवल Monopoly बहाल रखने के लिये है या उक्त इन्डस्ट्री के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये है । व अगर इस प्रोत्साहन से उक्त इन्डस्ट्री का विकास हुआ है तो उसकी प्रगति निम्न रूप में बताई जावे ?

1. Manufacturing Process.
2. Mining Process.

(७) Vindhian लाइम स्टोन के भाव १९५५ में क्या थे व १९६२ में क्या हैं ? हर लीज होल्डर्स के अलग अलग बताये जावें ?

उत्तर

(१) जनवरी १९६२ से ३० सितम्बर १९६२ तक विन्धयन (Vindhian) लाइम स्टोन की लीज की स्वीकृति निम्न पार्टियों के नाम प्राप्त हुई ।

(२) मेसर्स केशवसिंह शिवजी सिंह सोजत रोड । लीज की स्वीकृति अनुसार पट्टा सम्पादन से मयाद शुरू होने का है और ३०-९-६२ तक पट्टा सम्पादन नहीं हुआ ।

(३) श्री गोविन्दलाल सरदारपुरा जोधपुर स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश दिनांक १० मई १९६२ द्वारा प्राप्त हुई परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक १-६-६२ के अनुसार पट्टा सम्पादन की कार्यवाही रुकी हुई है । अतः लीज की मयाद शुरू होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(४) चौहान इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन मोहनपुरा जोधपुर—स्वीकृति राज्य सरकार

के आदेश दिनांक ११-६-६२ द्वारा प्राप्त हुई परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक १९-६-६२ के अनुसार पट्टा सम्पादन की कार्यवाही रुकी हुई है। अतः लीज की मयाद शुरू होने का प्रश्न नहीं उठता। पट्टा सम्पादन ३०-९-६२ तक न होने के कारण लीजों की मयाद शुरू नहीं हुई अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते। लेकिन मेसर्स केशर्वासिंह शिवजीसिंह ने लीज एग्रीमेंट पर ३-१०-६२ को दस्तखत कर दिये हैं। डेडरेन्ट निम्न प्रकार नियुक्त हुआ है:—

(क) मेसर्स केशर्वासिंह शिवजीसिंह अटवाडा लाइम स्टोन लीज। क्षेत्र १० वर्गमील। ११९०००) सालाना।

(ख) श्री गोविन्दलाल, बोरुदा, गंगराना लाइम स्टोन लीज। लीज क्षेत्र १० वर्गमील। ९४०१४) सालाना।

(ग) मेसर्स चौहान इन्डस्ट्रीयल कोरपरेशन आसमी के पास लाइमस्टोन लीज क्षेत्र १० वर्गमील। ९४०१४)

विन्धियन (Vindhians) लाइम स्टोन के लीज चालू हैं।

(क) मेसर्स गोटन लाइम सिन्डीकेट गोटन।

(ख) मेसर्स केशर्वासिंह शिवजीसिंह सोजत रोड।

(ग) मेसर्स केमिकल लाइम मुण्डवा।

नम्बर १ व २ पार्टीज लाइम स्टोन का काम जोधपुर राज्य के समय से ही कर रही है।

सालाना लीज मनी निम्न प्रकार देते थे व हैं :—

	जोधपुर राज्य के समय डेन्ड रेन्ट	सब डेडरेन्ट
(क) मेसर्स गोटन लाइम सिन्डीकेट	रु० १८१०००) सालाना (बिना रोयल्टी)	रु० ६६०००) सालाना (बिना रोयल्टी)
(ख) मेसर्स केशर्वासिंह शिवजीसिंह	रु० ११०५५१) सालाना (बिना रोयल्टी)	रु० ६४०००) सालाना (बिना रायल्टी)

गत पांच वर्षों में चूने के पत्थर, चूने व कचरे का बाहर भेजे गये परिमाण की सूची संलग्न है। किन २ कार्यों के लिये यह माल भेजा गया इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(५) हां, चूने के पत्थर का जो उद्योग में प्रयुक्त नहीं होने वाला है राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम १९५९ के के अन्तर्गत ठेका दिया जाता है। चूने के पत्थर का न कोई संरक्षण है और न उसका

Page No 36

कोई एकाधिकार ही है। नियमानुकूल कोई भी उसके ठेके के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता हैं। इस उद्योग के विकास की और प्रवृत्ति का गत कुछ वर्षों में उसके निर्यात के आकड़ों से पता लग सकेगा। इस खनिज के निर्यात के आंकड़ों में यदि वृद्धि इस बात को खुली दर्शाती है कि किसी को इस खनिज के उद्योग में प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है इससे बनने वाले पदार्थ के गुण पूर्णतः खनन प्रक्रिया तथा निर्माण क्रिया पर अवलंबित हैं। जो प्रक्रिया संहति पूर्ण या खदान नहीं होती उसे स्वभावतः ही ठेकेदार लोग अपनाने में हिचकिचायेंगे क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से अनुकूल नहीं पड़ेगी।

(६) चूने के पत्थर की दर का कोई स्तर नहीं है और ठेकेदार अपनी इच्छानुसार भाव निश्चित कर सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

सड़क यातायात में बसों का राष्ट्रीयकरण

(१०) (७४। पी० डब्लू० एम०)- **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) :

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सरकार ने सड़क यातायात में बसों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किस तारीख से किया व उक्त तारीख से ३०-९-६२ तक कितनी-कितनी योजनाएं किन किन मार्गों की राष्ट्रीयकरण हेतु बनाई गई ?

(२) उक्त योजनाओं में से किन किन रास्तों पर स्टेट रोडवेज़ की गाड़ियां किन २ तारीखों से चलनी शुरू हुई ?

(३) उक्त योजनाओं में से किन किन योजनाओं की वैधता को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई व उनमें से किन किन योजनाओं को उच्च न्यायालय ने सही माना, किन किन को गलत, तथा किन किन पाइंट्स पर गलत माना व उन्हीं पाइंट्स पर कितनी योजनाएँ उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई ?

(४) इन योजनाओं में कानूनी खामियों का उत्तरदायित्व किसका है ?

(५) योजनाएँ किन किन रूट्स की बनाई जाती हैं और उसका आधार क्या है, कितने समय में राजस्थान में पूर्ण नेशनेलाइजेशन करने का सरकार का फेज्ड प्रोग्राम है ?

(१) राजस्थान सरकार ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला १० अगस्त, सन् १९५९ में किया। दिनांक ३०-९-६२ तक निम्नलिखित मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजनाएं प्रकाशित की गई :—

जयपुर-अलवर, जयपुर-भरतपुर, जयपुर-अजमेर, जयपुर-कोटा, आबूरोड-माउंट आबू आबूरोड-सिरोही, माउंटआबू-देलवाड़ा-नवलगढ़, सिरोही-सुमेरपुर, आबूरोड मंडार, आबूरोड अनादरा, अलवर-दिल्ली, अजमेर-भीलवाड़ा, अजमेर-बिलाडा-जोधपुर, जोधपुर-पाली-सुमेरपुर, जोधपुर-पाली-ब्यावर, भीलवाड़ा-चित्तौड़-कपासन-उदयपुर, उदयपुर-रतनपुर जिसमें उदयपुर-डूंगरपुर तथा डूंगरपुर-पुर मार्ग सम्मिलित हैं।

(२) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्टेट रोडवेज की गाड़ियां निम्नलिखित मार्गों पर उनके सामने अंकित तिथि से चलनी शुरू हुई।

जयपुर-अलवर	२६–१–६१
जयपुर-भरतपुर	,,
अजमेर-कोटा	१५–२–६१
आबूरोड-आबू	१५–५–६१
आबूरोड-सिरोही	,,
आबू-देलवाड़ा-नवलगढ़	,,
सिरोही-सुमेरपुर	,,
जयपुर-अजमेर	१–३–६२
जयपुर-कोटा	१५–२–६२
आबूरोड-मन्डार	११–६–६२
आबूरोड-अनादरा	,,
अलवर-दिल्ली	१–८–६२
अजमेर-भीलवाड़ा	१५–८–६२
जोधपुर-पाली-सुमेरपुर	१५–८–६२

जिन २ योजनाओं को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई उनका विवरण इस प्रकार है।

योजना मार्ग	उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
(३) जयपुर-अलवर	योजना सही है	योजना सही है।
जयपुर-भरतपुर	,,	,,
अजमेर-कोटा	,,	,,
जयपुर-अजमेर		आपत्ति-पत्र पेश करने वालों की सुनवाई नियमानुसार सही तरीके से नहीं की गई। अतः उन्हें पुनः सुना जावे।
जयपुर-कोटा	आपत्ति-पत्र पेश करने वालों की सुनवाई नियमानुसार सही तरीके से न होने के कारण उन्हें पुनः सुनकर निर्णय किया जाय।	
अजमेर-विलाड़ा जोधपुर	लीगल रिमेम्बरेन्सर द्वारा दिये गये फैसले में कुछ गलतियां हैं और वह स्पष्ट नहीं हैं अतः वे अपना फैसला पुनः लिखें और स्वीकृत योजना सही तरीके से प्रकाशित की जाय।	
अजमेर-भीलवाड़ा जोधपुर-पाली-सुमेरपुर अलवर-मुबारिकपुर	प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा दी गई रिट याचिकाओं पर निर्णय होने तक उनकी बसों को चलने से नहीं रोका जाय। अभी तारीखें पड़ रही हैं और अंतिम निर्णय होना बाकी है।	
अलवर-दिल्ली	सुनवाई हो चुकी है और निर्णय होना बाकी है।	

(४) इस कानूनी खामियों का उत्तर-दायित्व किसी पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि यह तो केवल कानून के सही अर्थ पर वादविवाद (Inter pretation of law) का प्रश्न होता है। जो भी कार्यवाही की गई थी कानून के सही माने में ही की गई थी। जब उच्च न्यायालय ने उन्हीं धाराओं का भिन्न अर्थ सही बतलाया तो कार्यवाही उसी के अनुसार करनी पड़ी।

(५) राज्य के सारे मार्गों की एक सूची बना कर सरकार को पेश कर दी गई है। इस सूची को बनाते समय उन्हीं मार्गों को प्राथमिकता दी गई है जो :—

(१) राज्य के केन्द्र को भारत के केन्द्र से मिला दें।

(२) राज्य के केन्द्र को डिवीजनल केन्द्र से मिला दें।

(३) राज्य के केन्द्र को, डिवीजनल केन्द्र और जिला केन्द्र से मिला दें।

(४) मुख्य मुख्य जिला केन्द्रों को मिला दें।

(५) मुख्य मुख्य अन्तर राजकीय (Inter State) मार्ग।

(६) वे मुख्य सहायक मार्ग जो उपरोक्त मार्गों से संबंध रखते हों और इन सारे मार्गों पर चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय-करण करने की योजना बनाई गई है। और प्रत्येक वर्ष के पहिले उन मार्गों को लिया जाता है जो रोडवेज के स्थापित वर्कशॉप आदि से बारी बारी से सम्बन्ध रखते हों और जिन्हें एक न एक वर्कशॉप से इन्तजाम कया जा सके।

राजस्थान सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री कर एवं खरीद कर

(११) (१४/एम०एम०) श्री तेजाराम गहलोत, एम० एल० ए० (सोजत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५४ से ३० सितम्बर, ६२ तक राज्य सरकार ने किन २ आइटम्स पर सेल्स व परचेज टैक्स लगाये व उसकी आइटमवार क्या आमदनी हुई ?

(२) राज्य सरकार ने उपरोक्त अरसे में किन किन आइटम्स को उपरोक्त टैक्स से एग्जेम्प्ट किया व किन किन आइटम्स को टैक्स में सम्मिलित किया व किन किन विज्ञप्तियों के जरिये ?

(३) १ अप्रेल, १९६२ से ३० सित-म्बर, १९६२ तक शीप, गोट एन्ड केमल से कितना सेल्स व परचेज टैक्स वसूल हुआ व सरकार का उक्त टैक्स की वसूली में क्या खर्चा हुआ ?

(४) सन् ५४ से ३० सितम्बर, ६२ तक शीप गोट व केमल पर किस २ विज्ञप्ति के जरिये व किन २ तारीखों को टैक्स की दरें बढ़ाई व शुरू से अब तक इन टैक्सों की दरें कितना गुना बढ़ चुकी हैं व क्या आय हुई है ?

(५) उपरोक्त अर्से में किन २ आइ-टम्स की सेल्स या परचेजेज टैक्स की टेक्सरेट्स रिड्यूस की गई व उपरोक्त रिडक्शन अधिक-तम रेट का कितना प्रतिशत है ?

(६) नम्बर ४ में बताये हुए आइटम्स की टैक्स रेट में संशोधनों से राज्य सरकार की आय में कितनी कमी हुई व कितनी अधिक आय हुई ? आइटम-वार बताया जावे ?

(७) ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको टैक्स से एक्ट की Schedule में Exempt नहीं किया गया व फिर राज्य-सरकार ने Exempt उनको किया व फिर टैक्स लगाया व फिर राज्य सरकार ने Exempt किया और ऐसा करने का क्या कारण है ?

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य में बिक्री कर १-४-५५ से तथा परचेज टैक्स ७-१०-६० से लगाया गया था। सूची "क" और "ख" में अंकित वस्तुओं को छोड़ कर बाकी सभी वस्तुओं पर बिक्री कर लगता है। जिन जिन वस्तुओं पर परचेज टैक्स लगता है वे सूचि 'ग" में अंकित है। आइटम वाइज आमदनी का ब्योरा विभाग में नहीं रखा जाता है। अतः इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं किये जा सकते। बिक्री कर की सन् १९५५-५६ से लेकर १९६१-६२ तक की कुल आमदनी सूची "घ" में अंकित है।

(२) बिक्री कर से मुक्त किये हुए माल की सूची और किन किन तिथियों से तथा विज्ञप्तियों से कर मुक्त किये गये हैं सूची "ख" में अंकित हैं।

(३) ऊँट, भेड़ और बकरे, बकरियों पर टैक्स की १-४-६२ से ३०-९-६२ तक की आमदनी के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दिये जायेगें, खर्चे के आंकड़े अलग से नहीं दिखाये जा सकते क्योंकि विभाग कई प्रकार के करों की वसूली का कार्य करता है। ऊँट, भेड़ बकरों के टैक्स की वसूली के लिये कोई अलग स्टाफ नहीं है।

(४) बकरे बकरियों पर १-४-५५ से २९-४-५६ तक ३-१।८ प्रतिशत बिक्री कर था। ३०-४-५६ से ५-५-५७ तक ये एग्जेम्प्शन सर्टीफिकेट लेने पर कर मुक्त थे। ६-५-५७ से २५-३-६२ तक १ प्रतिशत बिक्री कर था। १-४-५५ से ऊँट व भेड़ पर सूची "क" के आइटम १६ के अन्तर्गत ३ १।८ प्रतिशत तथा ९-३-६० से ८-३-६१ तक ४ प्रतिशत व ९-३-६१ से ५ प्रतिशत बिक्री कर था। २६-३-६२ से विज्ञप्ति क्रम से विज्ञप्ति क्रमांक ५ (१५) इ० एन्ड टी। ६२, दिनांक ४-५-६२ को जो कि सूची "ड" में दी गई है, से अन्तर्गत बकरे-बकरी भेड़ व ऊंट पर बिक्री कर व परचेज टैक्स ५ प्रतिशत है।

(५) बिक्री कर के उपरोक्त अर्से में बिक्रीकर की दरों में बढ़ोत्तरी ही होती रही है केवल ३-३-६० से कुछ वस्तुओं पर जो कि सूची "च" में अंकित है, बिक्री करों की दरों में कमी की गई थी। परचेज टैक्स की दरों में किसी प्रकार की घटोतरी अथवा बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

(६) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न ३ के उत्तर में अन्तरहित है।

(७) ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको ऐक्ट के शिड्यूल द्वारा एग्जम्प्ट नहीं किया हो। उसी को राज्य सरकार ने एग्जम्प्ट किया हो, फिर एग्जेम्प्शन हटा कर टैक्स लगाया हो और फिर उसी वस्तु को एग्जेम्प्ट किया हो।

(१२.१ म. प.)

नियम समिति के सदस्यों का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४७ के अन्तर्गत, मैंने निम्नांकित सदस्यों को नियम समिति के लिये मनोनीत किया है :

(१) राव श्री नारायणसिंह मसुदा ।
(२) श्री बृजसुन्दर शर्मा ।
(३) श्री रामानन्द अग्रवाल ।
(४) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।
(५) श्री मानिकचन्द सुराना ।
(६) मुकुटबिहारीलाल ।
(७) श्री मथुरेश बिहारी ।
(८) श्री मालसिंह ।
(९) कुमारी उमा माथुर ।

विशेषाधिकार समिति से त्यागपत्र एवं मनोनयन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ने विशेषाधिकार समिति की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है। प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १८० के अन्तर्गत मैंने उनके स्थान पर श्री दुर्गालाल बाढदार को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित व्याख्यात्मक ज्ञापि

(मेमोरेन्डम)

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित व्याख्यात्मक ज्ञापि (मेमोरेन्डम), जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन

श्री राधाकृष्ण गोयल !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत बेंगूं, जिला चित्तौड़ में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस रिन्युअल सम्बन्धी, संग्रामसिंह बेंगूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत बेंगूं, जिला चित्तौड़ में चरनोटों की भूमि की असुविधा दूर करने सम्बन्धी श्री संग्रामसिंह, ग्राम पंचायत, बेंगूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया !

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय अध्यक्ष, मैं श्री ताराचन्द अग्रवाल, एस. डी. ओ., नीम का थाना को राज्य सेवा से हटाने के सम्बन्ध में २४ याचिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

(१२.१४ म. प.)

आय व्ययक १९६२-६३ से सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न ।

श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने एक सूचना, उन्हें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये अनुमति दिये जाने हेतु दी है । माननीय सदस्य का तर्क यह है कि वर्ष १९६२-६३ के निमित राज्य के आय व्ययक के पारण के पश्चात्, मितव्ययता के नाम पर आय तथा व्यय के प्राक्कलनों की संरचना में तथा विभागों के सदन द्वारा पारित अनुदानों में बहुत बड़े परिवर्तन किये गये है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा किये गये मितव्ययता के उपाय (मेजर्स) आय-व्ययक पर वाद विवाद के समय सदन के ध्यान में लाये जाने चाहिये थे और वित्त मंत्री ने ऐसा न करने के कारण सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा सदस्य, विधान सभा ने भी सदन के विशेषा धिकार का प्रश्न उठाने के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु सूचना दी है जो सारतः श्री व्यास की सूचना के समान ही है । श्री सुराणा का तर्क यह है कि गत आय व्ययक सत्र के पश्चात् सरकार ने एक तरफा तौर पर (यूनीलेटरली) तृतीय पंच वर्षीय योजना को "कोर ऑफ दी प्लान" और " नॉन कोर ऑफ दी प्लान" में विभाजित किया है और वस्तुतः २३६ करोड़ रुपये की भूल योजना में जो कि सदन द्वारा स्वीकृत की गई थी, बिना विधान मंडल को विश्वास में लिये ४८ करोड़ रुपये की कमी कर दी है और ऐसा करने में सरकार ने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है ।

मैंने श्री व्यास और श्री सुराणा दोनों के द्वारा दिये गये तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है ।

इस सदन के और इसके सदस्यो के विशेषाधिकारों के विनिश्चय करने के विषय में हम संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) के प्रावाधनों से विनियमित होते हैं जिनके अनुसार किसी राज्य के विधान मंडल के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वैसी हैं जो हमारे संविधान के आरम्भ पर हाउस ऑफ कामन्स की थीं । दूसरे शब्दों में हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के थे; और नये विशेषाधिकारों का निर्माण नहीं किया जा सकता । अतः यह निश्चित करने के लिए कि आया सदन द्वारा पारित आय तथा व्यय का मूल' प्राक्कलनों को कम करने के मामले में सदन को विश्वास में लेने में अभिकथित असफलता सदन के विशेषाधिकार का हनन है या नहीं, हमें हाउस ऑफ कॉमन्स के दृष्टान्त तलाश करने होंगे मैंने मेज पालियामेन्टरी प्रेक्टिस को देखा है, परन्तु मुझे ऐसा कोई दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं हुवा जो सदन के विशेषाधिकार का हनन होने के बारे में दोनों सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हो । अतः सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

तथापि मैं कुछ दृष्टावलोकन (ऑब्जरवेशन्स) करना चाहूंगा ।

संसदीय शासन प्रणाली में आय-व्ययक की महत्ता स्वयं सिद्ध है । आय-व्ययक के पारण के तुरन्त पश्चात् उसमें तात्विक

(श्री अध्यक्ष)

परिवर्तन करना न केवल उसकी उपयोगिता को बल्कि उसकी पवित्रता को भी कम करता है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित बजट मेन्युअल में उल्लेख है:

"The sum provided in an estimate of expenditure on a particular item must be that sum which can be expanded in the year and neither larger nor smaller. This principle demands that estimating should be as close and as accurate as possible. A saving in an estimate constitutes as much a financial irregularity as an excess in it." (Vol. I, second edition, 1958).

अर्थात् किसी विशेष मद पर व्यय के प्राक्कलन में प्रावधानित राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि उसी वर्ष में व्यय की जा सके और वह न तो अधिक होनी चाहिए और न कम। यह सिद्धान्त यह अपेक्षा करता है कि प्राक्कलन यथासम्भव संन्निकट तथा सही होने चाहिये। प्राक्कलन में बचत वैसी ही वित्तीय अनियमितता है जितना कि उसमें आधिक्य।

चालू वर्ष का आय-व्ययक सदन की वर्तमान सरकार के शपथ-ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। परिणामतः इस पर उतना विचार और ध्यान नहीं दिया जा सकता जितना कि सरकार संभवतया देने की इच्छा करती। इस प्रकार की परिस्थिति जो हमारे सामने है, गत राजस्थान विधान सभा द्वारा माह फरवरी, १९६२ में कुछ महीनों के लिये सरकार को चलाने के निमित्त, वोट ऑन एकाउन्ट प्राप्त करके दूर की जा सकती थी, जैसा कि सन् १९४७ में किया गया था।

यह तरीका यदि अपनाया जाता तो वर्तमान सरकार को आय-व्ययक प्रस्ताव बनाने में अधिक समय और ध्यान देने का अवसर मिल सकता था।

(विराम)

Calling attention Notice. Shri Hardutt Singh.

(१२.२८ म प.)

भाखरा क्षेत्र में आरजी काश्त की सरकारी कृषि भूमि का आरजी काश्त पर अलॉटमेंट न करने सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ अन्तर्गत में भाखरा क्षेत्र में आरजी काश्त की सरकारी कृषि भूमि का आरजी काश्त पर एलोटमेंट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नोहर भादरा तहसील के अन्दर जो भाखरा क्षेत्र की जमीन है, उसको आरजी काश्त पर दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है उस क्षेत्र में नीलाम का कार्यक्रम चालू है। हमारे पास ५० हजार बीघा का रकबा था उसमें से २० हजार बीघा रकबा बिक गया है बाकी सब

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

३१ मार्च ६३ तक बिक जायगी। सरकार की यह नीति तो नहीं कि आरजी तौर पर काश्त के लिये जमीन न दी जाय उस क्षेत्र पर प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जिनके आधार पर कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने उस क्षेत्र में आरजी तौर पर जमीन काश्त के लिये नहीं दी है। वे दो तरह की डिफिकल्टीज है। जैसा कि मैंने बताया नीलाम का कार्यक्रम जारी है। यदि जमीन को नीलाम करते हैं तो नीलाम की बोली के बाद, नीलाम की बोली लगाने वाले व्यक्ति को उस जमीन का कब्जा देना पड़ता है। उस वक्त वह जमीन यदि दूसरे लोगों के आरजी तौर पर काश्त के रूप में कब्जे में है तो बतौर आक्शन उसको देने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। आगे केसेज चलते रहते हैं और हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते। साथ ही माननीय सदस्य को मालूम है कि जितने एरिया में पानी पहुंचना चाहिये था ओरीजिनल स्कीम के मुताबिक उतना पानी नहीं पहुंचा है और आगे भी कम क्षेत्र में पहुंचेगा इसलिये बहुत सारा एरिया जो कमाडेण्ड है उसको अनकमान्डेड घोषित करना पड़ेगा। वैसी हालत में कमाण्डेड एरिया की कीमत ली गई है अथवा कमाण्डेड की वजह से कम एरिया रहा है तो उनको कम्पेन्सेट करना सरकार का कार्य हो जाता है, इसके लिये भी जमीन हमारे डिस्पोजल में चाहिये।

तीसरी डिफिकल्टी प्रेक्टिकल है वह यह है कि जैसे घग्घर नाली में बाढ आती है, बहुत सी जमीन उस नाली की बाढ की वजह से निरन्तर पानी में रहती है और निरन्तर पानी में रहने से उसमें काश्त नहीं कर सकते। इस लिये सरकार का इरादा है कि उस नाली की बाढ में हमेशा पानी भरा रहता है उसको छोड़ कर इस जमीन को जो इरिगेटेड है उसको लेना चाहें तो इसको देने का इरादा सरकार रखती है। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये हैं, इसलिये उनकी मांग को पूरा करने के लिये भी इस जमीन को हमारे डिस्पोजल पर रखा है।

इन तीन-चार दृष्टिकोणों की वजह से फिलहाल आरजी तौर पर जमीनें अलॉट करने की नीति नहीं होते हुए भी कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट इन डिफिकल्टीज की वजह से अलॉट नहीं कर रहा है। यह मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन किया है।

श्री हरदत्तसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के मुताबिक इस पर डिबेट तो नहीं हो सकती है लेकिन जो स्टेटमेंट दिया था उस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊं कि पहले भी जमीनें ओक्शन होती थीं तो साथ ही साथ आरजी तौर पर भी दी जाती थीं। जमीन की कीमतों में अन्तर नहीं आया है। १६००) की जमीन आरजी तौर पर काश्त पर जोत रहे हैं। अभी देश में अधिक अन्न उपजाओ की बात आयी। २४ तारीख को गवर्नर्स कान्फ्रेन्स में श्री गुल्जारीलालजी नन्दा ने भी इस पर बल दिया था कि देश में अधिक उपज बढ़ानी चाहिये। लेकिन जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी फरमाया कि ५० हजार बीघा कृषि योग्य जमीन भाखरा क्षेत्र में

(श्री हरदत्तसिंह)

पड़ी है। कोलोनाइजेशन ने २० हजार दी है लेकिन अभी भी ३० हजार बीघा जमीन बाकी पड़ी है और यदि ५ मन बीघा काश्त के हिसाब से लगाये तो १।। लाख मन गल्ले का नुक्सान होगा। जैसा मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि जमीनें कट गई हैं, दुबारा अलॉट करेंगे। बारिश इस साल ज्यादा हुई है। चने की फसल जा चुकी है। दस दिन और गेहूं की फसल को बोने का समय है। उसके बाद आप किसी को ओक्शन करें या न करें व्यर्थ ही जावेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह राजस्थान के लिए अविलम्बनीय प्रश्न है। १।। लाख मन का नुक्सान होगा। अलॉटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं आवेगी राजस्थान सरकार ने नोहर और भादरा में अपने हुक्म से नीलाम बन्द करवा रखा है। जब तक वह नहीं बदलेगा फसल होने का सवाल ही नहीं होता है, पहले भी जमीनें आरजी तौर पर दी जाती रही हैं। सरकार को भी बोली लगाने से कोई घाटा नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर तुरन्त कदम उठाये। देश को १।। लाख मन अनाज का जो घाटा होगा उसकी पूर्ति करावें।

साथ साथ यह जो भूमि है हमेशा आरजी तौर पर फसल के लिए देते आये हैं। सरकार अलॉट करती है। कब जाकर नवम्बर में? यह एक सरकार की नियम और परिपाटी बन गई है। कुछ लोगों ने उस जमीन पर काश्त भी कर दी। अफसोस होता है सदन को बताते हुए भी, कोलोनाइजेशन विभाग ने हुक्म दे दिया कि इन फसलों को ट्रेक्टर लगा कर नष्ट कर दिया जाय और ६५ गुना तावान लगा दिया। इस प्रकार अवहेलना हुई। तो इस ओर सरकार स्पष्ट रूप से बतावे।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह जो प्रश्न उठाया गया है वह इसलिए कि उससे सदन वाकफियत हासिल करे। पिछले सेशन में भी यह प्रश्न उठाया था और राज्य सरकार से मालूम किया कि सरकार के पास कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : नयी बात ही बतायें। दोहरायें नहीं। ताकि संक्षेप में उत्तर मिल सके।

श्री श्योपतसिंह : पिछले वर्षों प्रयत्न किये जा चुके है। सरकार न मानी। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के कारण भी अधिक अन्न न उपज सका, उसका तो सरकार को घाटा हुआ ही सरकार को जमीन का पैसा भी नहीं मिला। कर्मचारियों ने २५० बीघा मैच्योर्ड फसल ट्रेक्टरों द्वारा खत्म करा ती गई। एक तरफ बजट को कटकर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में अन्न की कमी है। सरकार ने ढिलाई और नेग्लेक्टेड रुख से इस मसले को देखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : जैसा मैंने निवेदन किया कि सरकार की यह नीति नहीं है कि आरजी तौर पर जमीन न दी जाय। इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां थीं वह मैंने आपको निवेदन किया। माननीय सदस्य ने यह कहा कि आरजी तौर पर होती आई है और जब कब्जा मांगा दे दिया गया और दिक्कत नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आई। उसके प्रमाण मुझे नहीं चाहिये। सैकड़ों मुकदमें उस डिस्ट्रिक्ट के चल रहे हैं। नीलाम हो गई जो हाइएस्ट बिडर था उसको उसका कब्जा नहीं दिया जा सका और आरजी तौर पर जिनके कब्जे में वे जमीनें थीं उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। स्टे आर्डर अपील आदि चलते रहे। यह दिक्कत है। हजारों काश्तकार शिकायतें लेकर आते हैं हाइएस्ट बिड किसी का है, सेन्क्शन उसको हो गई और दूसरा आदमी उसको खाली करके नहीं देताहै इन्स्पाइट ओफ दी सेन्क्शन। राजस्थान की सारी जमीन अनओक्युपाइड को यदि इन्डिसक्रिमेटली करने लगें तो यह हो नहीं सकता। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार ध्यान रख कर इन पड़त जमीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की बड़ी विचित्र स्थिति हैं। सरकार इस बात का ज्ञान करे कि कितने वर्षों से लोगों का कब्जा है। और कोलोनाइजेशन विभाग किस प्रकार दखल करता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कब्जा नहीं है। आरजी तौर पर लेना चाहते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं सूचना दूं•••

श्री अध्यक्ष : वह दूसरा प्रश्न है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : यह तो सारे कोलोनाईजेशन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रम फैलाया हुआ है। एक दफा अलॉट करेंगे तो दूसरी बार नहीं होगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : गंग के नाल में ऐसी जमीनें हैं जो एक साल के लिए अलॉट कर दी हैं। एक ही जिले में दो पोलिसीज को चलाना ठीक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : वहां ५२-५३ से लोग-बाग पहले से काश्त करते चले आ रहे हैं उनको परमानेन्टली अलॉट कर रहे हैं। बच जाय तो उनको एडजस्ट करना है और अभी अलॉटमेंट उनका कर दें तो जरा मुश्किल हो जावेगा।

श्री श्योपतसिंह : अधिकारियों को मालूम था कि इतने साल में इतनी जमीन अोवशन करेंगे और नहीं होगी तो एक साल के लिए अलॉट करेंगे। जमीन खाली क्यों रही यह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक फेज्ड प्रोग्राम के मुताबिक ओक्शन कर रहे हैं। जो खाली है उनको ओक्शन करने का कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार जमीन पड़ी रही तो सरकार क्यों नहीं काश्त करवा लेती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हजारों एकड़ जमीन पड़त रहती है और उसमें सरकार खुद ही काश्त करवा ले, यह संभव नहीं लगता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आध घन्टे की चर्चा कोलायत तहसील के जो खातेदार किसान थे और जिनकी खातेदारियां इसी वर्ष वहां के रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा तोड़ दी गई, इस सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं। मुझे बड़े दुःख

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के साथ निवेदन करना पड़ता है कि करीब एक हजार काश्तकार ऐसे हैं जो सन् ६०-६१ तक खातेदार थे सारे रेवेन्यू रेकर्डस में संवत् २००५ से उनको बीकानेर स्टेट के सेटलमेन्ट में खातेदार दर्ज किया गया है। उसके बाद राजस्थान निर्माण के बाद में राजस्थान के रेवेन्यू रेकर्डस में बराबर उनको खातेदार दर्ज किया गया है। अभी उनकी खातेदारियां तोड़ दी गई मैं उन गावों के नाम सुनाना चाहता हूं जिन गांवों में किसी में तीस किसी में ४० किसी में पचास खातेदार किसान थे जिनकी खातेदारी तोड़ दी गई।

सीयाणा, लाबासर, पाबूसर, सड़सर, रणदेसर, खजोड़ा, बजाव, रावतान, इत्यादि।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू के नायब तहसीलदार ने यह सब कार्यवाही की हैं रेवेन्यू सेक्रेट्री के आदेश के अनुसार। उनका एक सरकुलर १६-६-६० का है। उस सरकुलर के आदेश के अनुसार यह कार्यवाही की है। उसमें कुछ कानूनी नुक्ते हैं, उसके बारे में अर्ज करना चाहूंगा। प्रिन्सीपल्स आॅफ नेचुरल जस्टिस की ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदय की तवज्जुह दिलाना चाहूंगा। जो खातेदार १५ वर्ष तक खातेदार रहा आज उनकी खातेदारी तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम उनको नोटिस तो दे कि हम इसलिये आपकी खातेदारी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा हजारों काश्तकारों को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। एक दिन सिर्फ यह नोटिस जरूर आया कि आप राज की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाये हैं इसलिये आपको बेदखल क्यों न कर दिया जाय। यह सिर्फ नोटिस आया है इसके बाद कुर्कियां शुरू हो गई। जो प्रिन्सीपल आॅफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया है। सरकार इसकी जांच करे और जिन अधिकारियों द्वारा इसका वायोलेशन किया गया है उन अधिकारियों को दंड दें। क्योंकि जो एक हजार काश्तकारों की खातेदारियां तोड़ते हैं और इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि वे अपील करें तहसीलदार की अपील कलेक्टर को और कलेक्टर की अपील रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी को और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड को और फिर हाई कोर्ट में जायं। जहां तक प्रिन्सीपल आफ नेचुरल जस्टिस का सवाल है इसको हाई कोर्ट ने भी माना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अगर उसका वायोलेशन राज्य सरकार करे तो राज्य सरकार की यह परम्परा बहुत गलत होगी। सन् ५५ से हम टीनेन्सी एक्ट का निर्माण करते चले आ रहे हैं जो काश्तकार हैं जो खुद काश्त करते हैं उनको खातेदार बनाया है उसको जमीन का मालिक बनाया है लेकिन यहां तो उल्टी प्रक्रिया शुरू की है खातेदारी तोड़ने की मैं निवेदन करूंगा यह गलत तौर से की गई है।

जो आधार बनाये गये हैं खातेदारी तोड़ने के, उसमें यह है कि सेटलमेन्ट रेकर्ड में जहां खुद काबिज दर्ज किया गया है बीकानेर स्टेट के लेन्ड रेकर्ड में खुद काबिज दर्ज करने के साथ साथ खातेदारी कालम में उनको दर्ज किया गया है। खुद काबिज का जो इन्टरप्रीटेशन लेते हैं वह इस तरह से लेते हैं कि वह जमीन उनके पजेशन में थी लेकिन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कल्टीवेशन में नहीं थी। खुद काबिज और खुद काश्त में फर्क करते हैं। खुदकाश्त और ठिकाना मखबूजा बराबर मानते हैं। मखबूजा का मतलब यहां लेते हैं वह बीकानेर में नहीं था। पुरानी स्टेट के समय सेटलमेन्ट में ठिकाना मखबूजा का कालम अलग था। अगर ठिकाना मखबूजा के कालम में वह होता तो अलग सेटलमेन्ट रेकार्ड में होता। लेकिन यह भूतपूर्व रियासतों में नहीं था। अब बीकानेर स्टेट के सेटलमेन्ट में जो खुद काबिज है उनके खातेदारी इस आधार पर नहीं तोड़ सकते कि सेटलमेन्ट खुद काबिज को तोड़ दिया है। उनका पजेशन दिखाया गया है कल्टीवेशन नहीं दिखाया गया है यह जो आधार बनाये गये हैं गलत हैं संवत् २००५ से जिनको खातेदार मान लिया गया है उनकी भी खातेदारियां तोड़ दीं। इस तरह से हजारों काश्तकारों को उनके खातेदारी हकूक से वंचित किया गया है यह अनावश्यक रूप से उनके सामने विपत्ति आयी है आज वे लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं.। जिनके गांव ८० मील दूरी पर हैं वे कोलायत तहसील आते हैं जहां रोड की व्यवस्था नहीं सारा रेतीला इलाका है। अस्सी अस्सी और चालीस चालीसा मील दूर से ऊंटों पर चढकर आते हैं तहसीलदार के यहां पर आते हैं उनको दरख्वास्त देते हैं कि उनको पुराने रेकर्ड्स की नकल दी जाय उसके लिये सात सात दिन तक उनको ठहरना पड़ता है। कलेक्टर के पास जाते हैं वहां भी उनको दो दिन का समय लग जाता है इस तरह से हजारों काश्तकार जिनकी खातेदारी तोड़ दी है अपील करने के लिये इधर उधर फिर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अवैधानिक और इल्लीगल कार्यवाही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई उसकी जांच करें और उन अधिकारियों को कहिये कि आप अपने तरीकों को दुरूस्त करिये और अनावश्यक तौर से किसानों को परेशान न करें। जिन लोगों की खातेदारियां गैर कानूनी ढंग से तोड़ दी हैं मैं मंत्री महोदय पर यह इल्जाम नहीं लगाना चाहता कि यह उनके आदेश से तोड़ी गई लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बेईमानी बदनीयती और जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर यह कार्यवाही की गई है इसकी आप जांच करें और जो गलत काम किया गया है उसको दुरूस्त करें।

जिस नायब तहसीलदार ने यह कार्यवाही की उसकी और मिसाल भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन काश्तकारों में लेन्ड रेवेन्यू के सिर्फ सात नये पैसे ही बाकी रह गये उस नायब तहसीलदार ने उन काश्तकारों के खिलाफ डिमान्ड् नोटिसेज जारी किये जिस में २) रु० ७ नये पैसे की पर्चियां जारी की। क्या हम यह मान सकते हैं कि जिन काश्तकारों ने बीस बीस रुपये की लेन्ड रेवेन्यू चुका दी क्या वह काश्तकार सात पैसे बाकी रख सकता है। अगर रह भी जायं तो उनको नेक्स्ट ईयर की लेन्ड रेवेन्यू द्वारा रिएलाइज किया जा सकता है लेकिन नायब तहसीलदार ने बिना डिमान्ड नोटिस के वितरित किये दो दो रुपये के लिये अटेचमेन्ट जारी किये। इस प्रकार के अटेचमेन्ट केवल एक दो के हों तो कोई बात नहीं कम से कम इस तरह के डिमान्ड नोटिस डेढ हजार की तादाद में नायब तहसीलदार ने जारी किये

Page No 48

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं । अटेचमेन्ट के जरिये कई लोगों को उनके खेतों से बेदखल कर दिया गया है ।

तीसरी आपत्ति यह है कि राजस्थान केनाल आने के कारण मालिकाना टैक्स लागू कर दिया गया । मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जिन गावों में राजस्थान नहर नहीं पहुंच सकेगी उसके लिये इस बात की व्यवस्था कर सकते हैं कि वहां से मालिकाना टैक्स वसूल नहीं किया जाय । अभी तक वे प्रोपोजल्स फाइनेन्स में जाकर पड़े हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर उस पर बैठ गये हैं वे इस बात को भी मन्जूर नहीं कर रहे हैं । इस तरह का डिसकोर्डिनेशन गवर्नमेन्ट के अन्दर है वह दूर किया जाना चाहिये । पोलिसी मेटर्स की जहां सरकार द्वारा घोषणा की जाती है उस घोषणा की ईमानदारी के साथ में लागू करके लोगों को जो तकलीफ है उसको महसूस करते हुए उसका आदर किया जाना चाहिये । खातेदारियां जिनकी तोडी गई हैं यह ग्रेव इनजस्टिस किया गया है इस ग्रेव इनजस्टिस पर आप गौर करने का कष्ट करेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा उठाई कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की कोलायत तहसील के उन काश्तकारों की जिनकी जमीन खातेदारी लेन्डस् थी जिनको खातेदारी हक प्राप्त हो चुके थे उनको किसी नायब तहसीलदार ने इस प्रकार परेशान किया कि उनके खातेदारी हक समाप्त करके उनकी जमीन को गवर्नमेन्ट लेन्ड डिक्लेयर कर दी । यह उनकी चर्चा का सारांश था ।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उपरोक्त बात का जवाब दूं उससे पहले सेटलमेन्ट रेकार्ड जिसका हवाला दिया गया है उसकी तहत कैसे क्या अधिकार है जिसके आधार पर बहस खड़ी की जा रही है वह किन लोगों के बारे में है उसकी जानकारी देना चाहता हूं ।

बीकानेर स्टेट का जब सेटलमेन्ट हुआ, यह जमीन जिसका जिक्र है मोस्टली जागीर एरिया की है । उस समय जो सेटलमेन्ट हुआ उसमें जो जमीन किसी जागीरदार की पर्सनल कलटीवेशन में थी उसको खुदकाश्त सीगे हवाले दर्ज कर दी । लेकिन उस समय जो जमीन वीरान थी, बंजर थी, किसी की काश्त में नहीं थी वह जमीन खुद काबिज दर्ज कर दी । खुद काबिज का तो अर्थ बताया वास्तव में वही है वह पर्सनल कलटीवेशन में नहीं । जब जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास किया जब जागीर रिज्यूम करने के नोटिसेज दिये गये धारा २१ के तहत उसके प्रावधान के मुताबिक जो भी जमीन जागीरदारों की पर्सनल कलटीवेशन में थी वह उनके पजेशन में एज खुदकाश्त रहने दी । और बाकी की सारी जमीन जागीर रिजम्प्शन एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट में वेस्ट हो जाती है । इसलिये जो जमीन किसी जागीरदार के पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं थी उसके नाम पर सारी खुदकाश्त हवाला दर्ज नहीं थी वह जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत ही गवर्नमेन्ट में वेस्ट हो जाती है । लेकिन अगर किसी काश्तकार का उस पर कब्जा है कोई उस पर खेती करता है तो उसके हक से उसको

(श्री रामप्रसाद लडूढा)

महरूम कर दें तो ज्यादती हो सकती है। कानून में स्पष्ट है :

" Subject to the provisions of section 15 A and proviso etc. he will get the khudkasht rights... "

तो सेक्शन १५ (१) के कन्तर्गत जो केसेज जिन कल्टीवेटर्स के खातेदारी राईट्स के सम्बन्ध में आते है उनको खातेदारी राइट्स उनकी तहत मिल सकते हैं और मिलने भी चाहिये । आदेश ऐसे दिये गये हैं। इसका सवाल तो नहीं उठाया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आन ए पोइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, इसका सवाल इसलिये नहीं उठाया कि बीकानेर स्टेट के समय में ही टीनेन्सी एक्ट के पास होने के पहले खातेदारी रजिस्टर हो चुकी थी और ५५ से ही टीनेन्सी एक्ट में उनको खातेदार माना। और ६१-६२ में जागीरी खातेदारियां तोड़ी गई। ६० में सर्कूलर इश्यू किया और ६२ में तोड़ी गई क्योंकि हमारी स्टेट ने भी मान लिया और रेकार्ड में खातेदार दर्ज कर लिया ।

श्री रामप्रसाद लडढा : अपने सेक्शन १९ में भी लिखा है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट के कि जो एन्युअल रजिस्टर में दर्ज हैं और सेटलमेंट रिकार्ड में केवल कब्जा दर्ज होने के कारण पर्सनल कल्टीवेटर के हवाले की तारीफ में नहीं आ सकता है । इसलिये एबोलिशन एक्ट के तहत उसके कब्जे में नहीं रह सकता था पर प्रेक्टिस में यह नहीं आई तो जब सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई तो क्लेरिफिकेशन लेकर सरकार में वह वेस्ट की गई। वेस्ट तो पहले ही हो चुकी थी, केवल पजेसन बाद में लिया गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो जवाब दिया है उसकी पूरी इत्तला नहीं आई है, न सेटलमेंट के रिकार्ड को एग्ज़ामिन किया है तो क्या इसलिये सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि आप इन केसेज में रोक करेंगे और सेटलमेंट रेकार्ड को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे कि २००५ में ही खातेदारी के कॉलम में वह खातेदार माना गया था ।

श्री रामप्रसाद लडढा : मैं अर्ज करूं, कर दिया, और खुदकाश्त और पर्सनल कल्टीवेशन में भी दर्ज कर दिया तो जाहिरा इसका इन्फरेन्स यही निकलेगा कि पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं था। तो फिर सब टीनेंट तो हो नहीं सकता वह अपनी ही जागीर का। तो खातेदारी का सवाल इस तरह पैदा नहीं होता। सेटलमेंट रेकार्ड में लिखने न लिखने से फर्क नहीं होता। अब दूसरे के कब्जे में इसलिये नहीं था कि क्योंकि बीकानेर टीनेंसी लॉज के अनुसार जब तक बीस वर्ष तक कब्जा साबित नहीं होता तब तक कोई खातेदार नहीं बन सकता था। इसलिये खातेदार के स्थान पर खुदकाबिज लिखा गया ।

और आपने कोलायत का उदाहरण दिया तो मैं यह बता सकता हूं कि कोलायत के केसेज के सम्बन्ध में, चूंकि आपका २२ का नोटिस दिया हुआ था और २४ को सूचना आई तो टेलीफोन से बातचीत की है उससे थोड़ा मालूम कर सका हूं बाकी डिटेल्ड जानकारी और कर लूंगा और यह भी देख लूंगा कि यह सारी कार्यवाही नियमानुसार हुई है या नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information Sir.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ पांच मिनिट ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट भी नहीं, पांच तो बहुत होते हैं ।

(विराम)

श्री उदयलाल गोर्दिया।

याचिका का उपस्थापन

श्री उदयलाल गोर्दिया (लसाड़िया) : मैं चित्तौड़ जिले की ग्राम पंचायतों के आबादी एरिया में पड़त जमीन को, जो बिना नाम पड़ी है, आबादी में दर्ज कराने के सम्बन्ध में श्री संग्रामसिंह, सरपंच, ग्राम-पंचायत बोर्ड, बेगूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पंचवर्षीय योजना पर कल बहस हुई, उसका माननीय मुख्य मन्त्रीजी कृपया उत्तर देंगे ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन इत्यादि सम्बन्धी हुई चर्चा

(मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रायोरिटीज तय करने के बारे में एक नोट यहां पर सर्कुलेट किया गया जिसके आधार पर चर्चाएं हुईं । उस नोट के द्वारा इस बात को हमने प्रस्तुत किया कि तीसरी योजना, जो २३६ करोड़ की बनाई गई थी उसमें से २०८ करोड़ रुपये को हम ट्रू केरी ग्रोन दी प्लान इस वक्त रख रहे हैं पर इसकी मन्शा यह है कि साधनों को देखते हुए कम से कम हम इस बात की कोशिश करें कि पहले २०८ करोड़ रुपयों में किन योजनाओं को हाथ में लिया जाय ।

अगर उपयुक्त परिस्थिति हो और साधन हम ज्यादा एकत्रित कर पावें तो २३६ करोड़ रुपयों की योजना को कम कर देने का सवाल नहीं है । माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि योजना में कमी का किया जाना अच्छा नहीं है, इससे हमारी पर कंपिटा इनकम पर असर पड़ेगा वगैरह चीजों की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया । हम स्वयं भी, एक भी रुपये की कटौती करनी पड़े, यह नहीं चाहते । पर प्रश्न यह है कि जो भी योजना तीसरी या दूसरी है, यह निर्भर करती है इस बात पर कि भारत सरकार के द्वारा असिस्टेन्स के रूप में, चाहे वह सब्सिडी के रूप में हो, चाहे लोन के रूप हो, हमें क्या मिलता है ? यह हमारा एक साधन है। इसके बाद हमको जो धनराशि एकत्रित करनी है वह दूसरा इसका साधन है कि जिनके द्वारा हम इन योजनाओं को पूरा कर सकते हैं । हमारी योजना के अनुसार हमें ८० करोड के करीब इकट्ठा करना था और १५६ करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा हमें मिलना था ।

अब जबकि हमारी दूसरी योजना १०५ करोड़ की थी और १०२ करोड़ हमारे द्वारा उसमें खर्च किया गया और इसकी वजह से

Page No 51

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जो कमिटेड एक्सपेन्डीचर तीसरी योजना में आये और साथ साथ जो अपने साधनों के लिए अलग अलग तरह से एस्टीमेट किया था, वे सब देखे तो उस पर से यह उपयुक्त समझा गया कि अगर हमारे साधन कम होते हैं और हम हरेक वर्ष उस पर विचार करके निर्णय करते हैं तो इसमें इस बात की सम्भावना हो सकती है, कि जिन चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिये कि कौनसे वर्ष में एक काम इस साल शुरु किया जाता है. और माननीय अध्यक्षजी मान लीजियेगा कि रिसोर्सेज पोजीशन को हमारी को देखते हुए हम यह समझते हैं कि अगर बाकी उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बहुत से काम शुरु करदें पर वे पूरे न हो पावें तो इसके बजाय यह ज्यादा उपयुक्त होगा कि आज हमको जो रिसोर्सेज नजर आते हैं उनको देखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इस बात का ख्याल रख कर चल सकें कि कितने कामों को हाथ में लिया जावे जिनको अपने आज के साधनों को देखते हुए हम पूरा कर सकें, अगर साधन बढ जावें तो और ले लें। लेकिन अगर हम कोई प्रायोरिटी तीसरी योजना के लिए तय नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ज्यादा योजनायें हमारी इन्कम्पलीट रह जावें और उनसे पहुंचने वाला लाभ हमें न पहुंच पावें। जो

(१.०० म० प०)

उसके लिए व्यवस्थायें करनी चाहिएं थीं वह नहीं कर पाये तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त समझा गया कि जो स्थिति आज है उसमें उसको विचार करते हुए हम एक योजना पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके प्रायोरिटी तय कर दें कि अगर साधन ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं तो हम और योजनाओं को हाथ में लें। लेकिन आज जो दीखता है उसको देखते हुए एक व्यवहारिक तरीके से इस योजना के बारे में सारा का सारा स्वरूप बनाये तो २३६ करोड़ रुपये की योजना को कम कर देने का प्रश्न नहीं आता है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्लानिंग कमीशन का यह दृष्टिकोण गलत है कि वह हमारे एफर्ट्स को और सेन्ट्रल असिस्टेन्स को जोड़ते हैं और इस आधार पर उनका कहना यह था कि प्लानिंग कमीशन को हमारी आवश्यकताओं पर देख कर फिर निर्णय करना चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा उसके बारे में मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है कि उमूलन वह गलत हैं या प्लानिंग कमीशन इस सारे मामले में गलत है। दर-असल आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय कोई सेट फार्मूला नहीं है कि जिस आधार पर हम प्लानिंग कमीशन पर यह दोष डाल सकें कि उन्होंने ऐसा फॉर्मूला एडॉप्ट कर लिया है कि हम एक रुपया इकट्ठा कर लें तो वह दो रुपया देंगे। बल्कि वह सारा स्कीम वाइज है और वह योजना बनाते समय कुछ ख्याल बेकवर्डनेस और योजनाओं का स्वरूप देख कर भी इस बारे में निर्णय करते है। उदाहरण के तौर पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पोंग डैम और राजस्थान केनाल को दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा गया था राजस्थान के प्लान में अच्छी बात थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसको रखा गया वह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गलत बात है । लेकिन यह एक सैट प्रिन्सिपल है कि जो आज प्लानिंग कमीशन जो सारे हिन्दुस्तान के लिए फोलो कर रहा है जब एक योजना पूरी हो जाये और उसके बाद योजना के दौरान में अगर किसी बड़ी योजना को हाथ में लिया जाता है तो उस प्लान पीरियड तक उस योजना को आउटसाइड दी प्लान रखा जाता है और स्टेट सेक्टर में उसको इन्कलूड नहीं किया जाता है । उसके बाद ज्यों ही दूसरी योजना शुरू होती है वह स्टेट प्लान का पार्ट बना दया जाता है । स्टेट सेक्टर के बारे में यही हुआ और दूसरी योजना के बारे में भी यही हुआ । एक अखिल भारतीय नीति के आधार पर हम चलते हैं और हमने इस बात के लिए काफी कोशिश की कि प्लानिंग कमीशन हमारे इस राजस्थान कैनाल और पोंग डैम को इसमे अलग रखे लेकिन हम बिलकुल यह समझ कर चले कि राजस्थान कैनाल का या पोंग डैम का राजस्थान को आज या आगे, तो लाभ मिलेगा ही इसमें कोई दो राय नहीं हैं, आज इसकी वजह से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेन्ट करना पड़ रहा है और उसकी वजह से प्लान भी एक हद तक बड़ा नजर आता है और दूसरी योजनाओं के ऊपर असर पड़ता है इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो हम इन्वेस्टमेन्ट करेंगे उसके मुताबिक हमारी इकोनॉमी पर असर होगा ।

आज राजस्थान कैनाल के ऊपर काफी खर्चा होगा उसमें से काफी धनराशि राजस्थान में भी इन्वेस्ट होगी । हां, कुछ धनराशि पोंग डेम और पंजाब पर खर्च होगी और दूसरी जगह होगी । यह सही है, लेकिन राजस्थान को भी उसका लाभ होने वाला है । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो १५६ करोड़ रुपये का असिस्टेंस तय किया है उसमे प्लानिंग कमीशन ने ऑल इण्डिया सेट फॉर्मूला के मुताबिक इसको तय किया है, केवल इतना ही नहीं है । यह अलग बात है और यह सही है कि राजस्थान की आवश्यकताएं ज्यादा हैं हमें प्लानिंग कमीशन के सामने इस बात को रखना चाहिए था कि राजस्थान में को हम से एफर्ट्स हो सकते हैं वह हमने किये हैं और भी सम्भव एफर्ट्स हम करना चाहते हैं और उसके बाद एक जनरल लेवल तक प्लानिंग कमीशन को और भारत सरकार को इस नीति को बनाकर चलना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के अन्दर उसके रिसोर्सेस के एफर्ट्स करने के बाद भी कमी हो तो भारत सरकार उसके बारे में ज्यादा असिस्टेन्स देकर भी मिनिमम स्टेन्डर्ड तक सारे स्टेट्स को ले आयें । जैसे प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है और दूसरी चीजें हैं उनकी पूर्ति के लिये रिसोर्सेज की वजह से उन मिनिमम चीजों को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिये । प्लानिंग बोर्ड ने भी इस राय को जाहिर किया था लेकिन जो बात आज से हम दस-पन्द्रह दिन पहल सोचते थे उसको आज नहीं कह सकते । हम भारत सरकार से यह कहें कि आप ज्यादा से ज्यादा रुपया हमको दे दीजिए जबकि एक विशेष परिस्थिति हमारे सामने है । आज २०८ करोड़ रुपये की योजना प्रायोरिटीज के आधार पर जो यहां पर प्रावधान रखा है उसके बारे में भी यह मानकर चलना चाहिए कि हम पूरा प्रयत्न करना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहते हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का, मैं समझता हूं कि सारे भारतवर्ष के प्लान पर और हमारे प्लान के ऊपर भी कुछ असर हो सकता है। यह जानते हुए भी कि जो चाइना का अग्रेसर हमारे सामने है उसको सिर्फ फौजों के जरिये ही मीट नहीं किया जा सकता बल्कि पंचवर्षीय योजना भी उनका आधार है और वह हमारी योजनायें सफल न होने दें इसके बारे में भी हम पूरी तरह सजग हैं। हम उतना करना चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं।

कल बहस के दौरान में यह प्रश्न भी आया कि हमारे यहां जो रिसोर्सेज हमने सोचे थे उन रिसोर्सेज के अन्दर अन्तर क्यों हुआ ? फर्क क्यों हुआ ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान की १०५ करोड़ रुपये की थी उसमें १०२.७४ करोड़ रुपये हमने राजस्थान के अन्दर खर्च किए। उस योजना का आधार यह था कि सारी योजना में हम यह आशा करके चलते थे कि ३३.७ करोड़ रुपये राजस्थान के स्टेट रिसोर्सेज हैं और ७१.६ करोड़ रुपये सेन्ट्रल असिस्टेन्स के तौर पर हमको मिले। जो एक्चुअली उसके अन्दर परिस्थिति हुई वह इस प्रकार बनी कि जिसमें सेन्ट्रल असिस्टेन्स हमको ६२.८१ करोड़ रुपये की मिल पाई। उसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने रिसोर्सेज १०२ करोड़ को पूरा करने के लिए ४० करोड़ के करीब के कर लगाने की परिस्थिति हमारे सामने आई। यह रिसोर्सेज कम मिलने का कारण सेन्ट्रल असिस्टेन्स के पैटर्न में और दूसरी चीजों में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होने की वजह से बहुत सी जगह हुए हैं यह अन्तर उसके अन्दर पड़ा लेकिन यह जो खर्चा हुआ है यह प्लान एक्सपेन्डीचर के लिए हुआ है। जो डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के लिए हुआ है कि जो यहां किया गया और टोटल १०२ करोड़ के प्लान के कुल मिला कर खर्चा आया। उस सबका रिजल्ट यह हुआ कि जब सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान पूरा हुआ तो यहां पर ओवर-ड्राफ्टिंग हुआ और ओवर-ड्राफ्टिंग के कारण जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो रिसोर्सेज हैं और जिसके बारे में हम सोचते थे कि हमारे होने चाहिए उसमें खास तौर से जो कमियां हुई हैं उनका कारण कोई एक्स्ट्रावेगेन्ट एक्सपेन्डीचर या जो इन्कम आम तौर पर हमारी होनी चाहिए उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाये, यह बात नहीं है। सिवाय इसके कि हमारे कुछ मीन्स बाकी हैं जो इकट्ठे हो जायेंगे लेकिन जो अन्तर पड़ा उसका कारण यह था कि जैसा हमने २ करोड़ का एस्टीमेट किया था दूसरे प्लान पीरियड में जो हमारी प्रोपर्टी दूसरी जगह है उसका है वह मेटीरियेलाइज नहीं हो पाया। आज वैसे वे असेट्स मौजूद हैं। उनके अन्दर कोई अन्तर नहीं है। इसी तरह के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सेल ऑफ लेण्ड और बेटरमेंट लेवी की बात थी इससे ३.६ करोड़ का डिफरेन्स हुआ और पंजाब गवर्नमेंट ने और कुछ दूसरों ने पहल किया उसको आगे बढ़ाया गया, कहीं इन्स्टालमेन्ट्स बढ़ाये गये, इससे भी फर्क पड़ा। इसी तरह से जो रोड ट्रान्सपोर्ट है वह दूसरी योजना के अन्दर लिया और ८० लाख के करीब उसमें इन्वेस्ट किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसका भी असर हुआ । उसके साथ ही साथ जो इन्डस्ट्रीज ४० लाख के करीब की नई लगी, यह फीगर उसमें भी एड हुआ । साथ ही साथ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिए कुछ जगह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से और दूसरे तरीके से हमें मैचिंग ग्रान्ट और मिली, लेकिन जो इन्क्रीज वक्त बक्त पर हुआ उसका इम्पेक्ट ३ करोड़ के करीब हुआ जो यहां पर खर्चा हुआ ।

दूसरा सब मिलाकर जो कि हम यह कहें कि अलग अलग छोटे छोटे हैडस के रिसीट्स और एक्सपेन्डीचर एक सेट के अन्दर हुआ वह १.४ करोड़ के करीब हुआ । इस प्रकार यह ११. २ करोड़ के आसपास का जो कि मैंने आपको निवेदन किया एक अन्तर इसके अन्दर आया और इस सब के बाद कमिटेड एक्सपेन्डीचर जो हमारे सेकण्ड फाईवईअर प्लान का था उस सेकिण्ड फाईवईअर प्लान के कमिटेड एक्सपेन्डीचर जब हम थर्ड फाईवईअर प्लान के फर्स्ट ईयर में आये तो ७ करोड़ रुपया हम पर कमिटेड एक्स्पेन्डीचर का आया था और उस ७ करोड़ के साथ साथ ११. २ करोड़ रुपया जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया वे एक तरफ से ओवरड्राफ्ट के रूप में सामने आये १५ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन के तौर पर ओवरड्राफ्ट मीट करने के लिए दिया । इस तरह से ३.२ करोड़ डेफिसिट के तौर पर हमारे पास रह जाते थे । उस ३. २ करोड़ के साथ लास्टईयर पेमेन्ट किया गया । उसके पेमेन्ट करने के बाद सारी पोजीशन सामने थी । टैक्सेशन का जो कुछ हमारे सामने है वह भी मौजूद है, और बेटरमेन्ट लेवी आदि के बारे में जितना अनुभव हुआ वह भी सामने था उन सब चीजों को रीव्यू करना हमारी समझ में उपयुक्त है । उन सब चीजों को रिव्यु करने के बाद यह बेटरमेंट लेवी से जो एक्सपेक्ट करते थे उसमें १० १२ करोड़ के करीब कम हुआ । जो इन्कम हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें एक्सपेक्टेड इन्कम २२ करोड़ की प्राप्ति होनी थी । अब उसमें १०-१२ करोड़ का फर्क हुआ । टैक्सेशन में कमी होने के कारण कमी है । उन सब कारणों के अन्दर मैं जाऊं तो उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन आम तौर से जो टेक्सेशन का कलेक्शन्स हम समझते थे ३२ करोड़ का कर पायेंगे और उसमें प्राइसेज और दूसरे कई फेक्टर्स आज हमारे सामने हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ३२ करोड़ के बजाय २४ करोड़ होंगे और उसका भी एफर्टस काफी करना होगा कि उसको पूरा करे, उसकी पूर्ति कर सकें ।

मैं ऐसा समझ सका । आज जो यह कहा गया बहस के दौरान में कि सेकिण्ड फाइवईयर प्लान के पीरियड में जो पर केपिटा इन्कम बढ़ने की बात बताई गई है प्राइसेज की वजह से और पोपुलेशन की वजह से जो फीगर्स दिये हैं वे गलत हैं, मैं समझता हूं यह बात सही नहीं है क्योंकि जहां तक पोपुलेशन का सवाल है उसके लिए पहले की प्रोजेक्टेड फीगर्स को सामने रखते हुए एस्टीमेट किया गया है । उन फीगर्स के बेसिस पर हमारे प्रोजेक्टस में हम यह मानकर चलते थे कि १६५ लाख के करीब हमारे प्रोजेक्टेड फीगर्स थे उसके मुकाबले में एक्चुअली २ करोड़ के करीब यह फीगर्स आये तो ५ लाख का एरियर ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं । दूसरा, इसके साथ साथ जिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फीगर्स को हम कम्पेरीजन के लिए यहां पर हमने रखा है ६०-६१ के अन्दर जो पर केपिटा इन्कम है उसके पहले पर केपिटा इन्कम है उसके अन्दर प्रोजेक्ट फीगर्स का डिफरेंन्स गलत साबित होता है बाई ५ लेक्स which is point something error यह प्रीवियस पीरियड में एरर रिफ्लेक्टेड है और जो फीगर्स दिये हैं उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं है इसलिए मार्जिन जो है पर ईयर पर केपिटा के अन्दर फीगर्स जो इन्क्रीज हुए हैं वे बहुत कुछ करेक्ट फीगर्स हैं। दूसरे, यह जो पर केपिटा फीगर्स दिये हैं वे बेस्ड हैं ५४-५५ की कान्स्टेन्ट प्राइसेज पर। इसलिए प्राइस वाली जो बात है उसकी वजह से पर केपिटा इन्कम में अन्तर है वह प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

यह जो बात कही गई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है जिससे कि हम भारतवर्ष की पर केपिटा इनकम के साथ में केच कर सकें, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि हमें करीब ५०० करोड़ करना होगा इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। हम यह चाहते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम बढ़ायें। उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील हैं कि किसी तरह से बढ़ा सकें तो प्लान में प्रोवीजन नहीं होते हुए भी हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं। ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइजेशन पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हमको और इनकम के सोर्स निकालने होंगे जिससे नॉन टैक्स रेवेन्यू उपलब्ध हो सके लेकिन जब तक हम करेंगे तब तक हम यह मानकर चलते हैं कि जो भी इन्स्टान्सेज यहां पर दिये गये हैं किसी ने कहा कि राज्यपाल महोदय पर बहुत खर्चा किया तो मैं निवेदन करूं कि अगर दूसरी जगह पर जो राज्यपाल पर खर्चा होता है उस पर माननीय सदस्य अगर कम्पेरेटिवली विचार कर लेते तो आसानी के साथ मालूम होता कि हमारे यहां पर जो आज प्रोविजन रखा हुआ है वह कई स्टेटों के मुकाबले में कम है।

दूसरे साथ ही साथ में यह निवेदन कर दूं कि बहस के दौरान में यह बतलाने का प्रयत्न होता है कि व्यक्तिगत तौर पर इतना खर्चा होता है। यह प्रश्न नहीं है कि उनके वहां आने जाने वाले जितने हैं उनका वह सारा का सारा खर्चा जुड़ा रहता है। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है कि वे उसको जुदा जुदा करेंगे।

किसी ने यह कहा कि दो डिप्टी मिनिस्टर्स जोड़े गये। अगर उनको नहीं करते तो चपरासी नहीं कम करने पड़ते या फलां काम कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने देखने की बात यह होती है कि जहां तक मैं माननीय सदस्य की सारी बातों को समझ पाया तो उन बातों में एक दो लाख के बजट का प्रश्न नहीं है। कई मंत्रियों का निर्णय लेना होता है जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मूल प्रश्न इस बात का है कि दरअसल में जो इकोनोमी की गई है और इसी सदन के अन्दर कुछ मिनटों के बाद जो इकोनोमी की गई है उस पर बहस होगी तो एक तरफ तो हम एक्सपेन्डीचर पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम यह कहें कि यह नहीं किया जाना चाहिए या वह नहीं किया जाना चाहिए जब कि हम यह कह रहे हैं कि हम रिट्रेन्चमेंट नहीं कर रहे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं, बल्कि एक को दूसरी जगह और दूसरे को तीसरी जगह प्लान की वजह से जो हर साल पोटेन्शल बढ़ता है उसमें एकजादू कर लेगें। लेकिन एक्सपेन्डीचर कम करना चाहते हैं तो वे कहेंगे कि यह नहीं होना चाहिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने राजस्थान के अन्दर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है तो बहुत से सदस्यों को अवसर मिलता है एक्जामिन करने का, लेकिन आज जो एक्सपेन्डीचर होता है उसमें एस्टीमेंट्स कमेटी ने और दूसरों ने कई बार हमारे जुरिस्डिक्शन के तौर पर डिस्ट्रिक्ट का छोटा होना, एस० डी० एम० के जुरिस्डिक्शन का छोटा होना, तहसील का छोटा होना, आदि इन चीजों की तरफ कई बार ध्यान आकर्षित किया है और टैक्स के तौर पर रिसोर्सेज इकट्ठे करें तो टैक्स नहीं होने चाहिएं इस बात को सामने रखा जायगा। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ठीक करने के लिए एक्सपेन्सेज कम करने की बात आये तो कहा जायगा कि कम नहीं किये जाने चाहिएं। दूसरी तरफ काम होगा और उसे खुले प्रकार से देखा जायगा तो कहा जायगा कि वह चीज कम हो जाती। यह एक प्रश्न इस तरह का है कि दरअसल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा किसी प्रकार से इकट्ठे किये जायं उसका सवाल नहीं है। रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के बारे में माननीय अध्यक्ष, यह निश्चित बात है कि राजस्थान के बाहर कुछ जगहें हैं जहां जागीरदारी एबॉलिशन हुआ, उस जागीर एबॉलिशन के अन्दर ४०-४०साल के अन्दर कम्पेन्सेशन पे करने का प्रावधान है हमारे यहां पर जो बीच में निगोशियेशन हुए और पंत एवार्ड हुआ और दूसरी दूसरी जगहों पर भी जैसे सौराष्ट्र वगैरह ने जागीरदारी एबोलिशन के लिए जो कानून पास किया है उन सब चीजों की बेकग्राउन्ड के अन्दर जो निर्णय लिया गया उसमें कम्पेन्सेशन १५साल में पे करने का जागीर रिजम्पशन के अन्दर पास किया है।

आज इन चीजों के ऊपर हम निगाह डालें तो यह मालूम होगा कि इस प्लान पीरियड के अंदर करीब २१ करोड़ रुपये हम कंपेनसेशन के तौर पर इंट्रेस्ट मिलाकर आज पे कर रहे हैं वह नेक्स्ट प्लान एस्टिमेंट्स में १३।। करोड़ के करीब आवेगा क्योंकि इंट्रेस्ट आदि की एमाउन्ट कम होती चली जायगी और मैं समझता हूं पांचवी योजना तक बहुत कम होनी चाहिये क्योंकि १५ साल कइयों के पूरे हो जायेंगे। तो आज प्रेशर ज्यादा है इसमें शक नहीं लेकिन इसके साथ साथ एसेटस भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं। क्योंकि जागीर रिजम्पशन से जो रिसोर्सेज एवेलेबल हो जाते हैं वे चाहे लोन हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिये उपलब्ध हो सकते हैं। तो आज राजस्थान को कुछ खर्चे जो छोटे जुरिस्डिक्शन के होते हैं या जागीरदारों को कंपेन्सेशन देने की वजह से ज्यादा होते हैं या जो और चीजों में होते हैं लेकिन उनके पीछे सर्टन हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड हैं। इस लिये मैं उम्मेद करता हूं कि माननीय सदस्य सारे बैक ग्राउन्ड को देखेंगे कि हम पर एक्स्ट्रा लाएबिलिटीज ज्यादा आजाती हैं हमारा फैला हुआ इलाका है। कई जगह हो सकता है कि डेढ लाख की आबादी पर ही एक तहसील हो सकती है दूसरे निर्णय भी हम आसानी से नहीं कर सकते। पुलिस के बारे में नहीं हो

Page No 57

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकता क्योंकि ज्योग्रेफिकल कंडीशन्स और बेकवर्ड होने से हमारी इकोनोमी इस प्रकार की है कि उस इकोनोमी को ठीक करने के लिये जब कदम उठाना चाहते हैं तो केवल सदन में एक बात आती है एफर्टस के लिहाज से क्योंकि बेकवर्ड हैं इसलिये वजन नहीं आना चाहिये और परिणाम के लिहाज से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिये। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारी जगह खड़ा होकर यह महसूस करेगा। हमको टैक्स लगाने में मजा नहीं आता, हम खुद इसको महसूस करते हैं। हम यह मानते है कि चाहे टैक्स के जरिये, चाहे नॉन टेक्स के जरिये, चाहे लोन के जरिये हो चाहे भारत सरकार से असिस्टेन्स के जरिये हो हम जितना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके राजस्थान का डेवलपमेंट कर सकते हैं उतना डेवलपमेंट करें जिससे कि फ्यूचर में जाकर राजस्थान अपने पांवों पर खड़ा हो सके। ऐसा करने के लिये हम अभी दिक्कत समझ कर फेस नहीं करना चाहेंगे तो वे दिक्कतें आगे चल कर और माउन्ट होंगी यह निश्चित बात है। अभी जिस तरह से हम बढ सकें उतना बढना चाहिये नहीं तो आगे चल कर ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके लिये हम ज्यादा से ज्यादा एफर्टस करते रहें।

मुझे खुशी है कि ज्यादातर सदन में यह जोर दिया गया कि प्लान रिड्यूस नहीं हो। मैं भी यह चाहता हूं कि रिड्यूस नहीं हो और न हमारी यह इच्छा है कि यह रिड्यूस हो। लेकिन रिड्यूस नहीं होने से जो जिम्मेदारी हम पर आती है वह जिम्मेदारी गंभीरतापूर्वक समझ कर आवश्यक वातावरण बनावें। वर्ना माननीय अध्यक्षजी, जो एफर्टस हम करें उनको नहीं करने देने का एक रोल है। और दूसरी तरफ यह चाहें कि कोशिश पूरी हो ये एक दूसरे के कन्ट्राडिक्टरी है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। इससे तो हम नुक्सान ही करना चाहते हैं। यदि हमारी इस प्रकार की स्थिति है कि एफर्ट करके रिसोर्सेज रेज नहीं करना चाहते हैं और केवल भारत सरकार से ही सहायता चाहते हैं तो जो कुछ हमारे एफर्टस और रिसोर्सेज हैं वे इसमें नहीं हों तो हमारी लिमिट नहीं होने वाली है। क्या यह लिमिट राजस्थान के लिये अल्टीमेटली हितकर है? यह सोचना चाहिये। यदि यह हितकर नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न सामने आया कि हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करावें लेकिन मै समझता हूं प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कुछ चीजों में पब्लिक सेक्टर के साथ लिन्क्ड है जैसे पावर। यदि पावर पब्लिक सेक्टर में नहीं उपलब्ध होती है तो प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्रीज नहीं बैठा सकते। आज हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा से ज्यादा आवें। इरिगेटेड एरियाज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है बनिस्पत ड्राइ एरिया के। लेकिन हम इरीगेशन दे पायेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह से को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को जितना हम दे पायेंगे उतना ही उनका इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिये इनको करने में ये चीजें दोनों जुड़ी हुई हैं। पावर पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है। हमने प्लान में कुछ रुपयों की कमी की है। जो यहां प्रायोरिटी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया.)

के लिये नोट सर्कूलेट हुआ उसके साथ यह भी निर्णय किया कि जो हम कमी कर रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट होगी तो जो प्रावधान पावर के लिये रखा है उससे भी ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं ताकि पावर में शोर्टेज नहीं हो पावे तो उसके लिये लोन एलोट कर रहे हैं जिससे और रुपये इकट्ठे हो सकें और इसको सप्लीमेंट कर सकें जिससे कि और कामों में जो कमी करनी पड़ती है वह नहीं करनी पड़े ।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग स्कीम से, एल० आई० सी० से या और रिसोर्सेज के जरिये ज्यादा से ज्यादा मिल सके उसके लिये प्रयत्नशील हैं ।

माइनर इरिगेशन के लिये उस वक्त जो रुपया रखा था उसके बाद गवर्नमेंट आॅफ इंडिया कि मिनिस्ट्री आॅफ एग्रीकल्चर से बात करने के बाद ज्यादा रुपये लेने का प्रयास किया है । हम उम्मेद करते हैं कि और रुपया मिलेगा ।

पॉवर साइड में प्रतापसागर और उसके एस्टीमेट्स और डिजाइन में चेन्जेज हुई हैं, उनके जरिये हम टार्गेट पूरा कर सकें उसके लिये मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से न सिर्फ प्रतापसागर के तौर पर सहायता मिल सकेगी बल्कि कोटा डेम भी पूरा कर सकेंगे और बिजली उपलब्ध हो सकेगी इसके लिये कोशिश की जा रही है । तो जो २३६ करोड़ का रखा है उसमें भारत सरकार की आज की परिस्थिति को देखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स हो सके उनमें कोई स्लेकनेस नहीं होनी चाहिये । लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हम यह मान कर चलें कि अल्टीमेटली जो रेस्पोन्सिबिलिटी हम पर है उसको शर्क करके नहीं चल सकते । यह कह कर नहीं चल सकते कि हमारा डेवलपमेन्ट करने के लिये रेस्पोन्सिबिलिटी किसी और की हो । हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी भी है हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करें। मुझे खुशी है कि एफर्ट्स किये गये । आज की परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, हो क्या सकती है, स्पष्ट है उन पर लाएबिलिटी आज और भी बड़ी से बड़ी आ गई है । ऐसे मौके पर सदन भी नहीं चाहेगा उनके सामने हम यह कहें कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा दें क्योंकि हम नहीं कर सकते । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्लान को पूरा करने के लिये हम ज्यादा से ज्यादा करें और हो सके तो उनको मौका दें कि वे दूसरी तरफ की आवश्यकताओं को पूरा करें । जो भारत सरकार से हम चाहते हैं कि एक तरफ एग्रेसन का मोर्चा हो तो दूसरी तरफ मोर्चा इस बात का हो कि घर में उत्पादन बढ सके । घर घर में उत्पादन बढ़ाकर पंच वर्षीय योजना को हमें पूरा करना है । इसको पूरा करने के लिये जो सेक्रिफाइसेज करनी पड़े उसके लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर जो बातें आवें, मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि उन पर गंभीरता से विचार करके सहयोग दीजिये ताकि हमारे एफर्ट्स पूरे हों । इसमें सहयोग दीजिये क्योंकि हमारा एक्स्ट्रीम इमरजेंसी का टाइम है । उनके एफर्ट्स की पूरा करना उतना ही

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जरूरी ही है जितना दूसरी जगह है। इसलिये छोटे छोटे सवालों पर कि यहां इकोनोमी क्यों हुई इनमें न जाकर ज्यादा से ज्यादा एफर्टस करने हैं। आप लोगों के सहयोग से और दूसरों के सहयोग से इस प्लान को हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा इम्पलीमेंट करना है इसके लिये सरकार पूरी तरह से तैयार रहेगी।

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिंह दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(१०-३० म. प.)

राज्य सरकार द्वारा तहसीलों तथा विभागीय कार्यालयों को कम किये जाने इत्यादि सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि "राज्य सरकार द्वारा तहसीलों तथा विभागीय कार्यालयों को कम किये जाने एवं नॉन-प्लान व्यय में की गई मितव्ययिता पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी प्लान के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन के माननीय सदस्यों का जिस प्रकार से सहयोग चाहा, उस सहयोग की दृष्टि से यदि यह निवेदन किया जाय कि सहयोग इकतरफा नहीं होता, सहयोग के लिये यदि सरकार आगे बढ़े, विरोधी दल के माननीय सदस्य जो वाजिब चीजें सरकार के सामने रखें, उनके ऊपर सरकार यदि सहानुभूति से विचार करे तो दोनों दलों में एक प्रकार की यह स्थिति बन सकती है कि हम राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए सामूहिक रूप से कुछ विचार करें। यदि उस प्रसंग को, जो मैंने प्रस्ताव रखा है, उसकी दृष्टि से देखा जाय तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार हमसे तो सहयोग चाहती है लेकिन हम जो वाजिब चीजें सरकार के सामने प्रस्तुत करें उनके ऊपर विचार करने को तैयार नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी ने शायद यह संकेत भी किया था कि उनके भाषण के बाद कटौती के सम्बन्ध में जो चर्चा होने वाली है, उसमें माननीय सदस्य उस कटौती का शायद समर्थन न करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मेरे दल की तरफ से कि आप अगर वाजिब रूप से कोई कटौती करें और आपके सामने कोई मुश्किलात भी कटौती करने से पैदा हो जाय तो भी हम आपका साथ देने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी कटौती से पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन होता है तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि इस कटौती का परिणाम क्या निकलने वाला है। आपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों के रीआर्गेनाइजेशन के लिए १९५४ में एक कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमारी सरकार को आज के लगभग चार वर्ष पहले प्रस्तुत कर दी। इस सदन में मैंने पिछले दिनों में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था कि राजस्थान की तहसीलों, राजस्थान की पंचायत समितियों और राजस्थान के जिलों – इनका पुनर्गठन किया जाना प्रशासन की दृष्टि से और साधनों की दृष्टि से बहुत वाजिब है और इसको तुरन्त किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने उसके उत्तर

(श्री भैंरोसिंह)

में यह आश्वासन दिया था कि जिस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने आई है, कमेटी की उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार विचार कर रही है। यह विचार १९५९ से शुरू हुआ और आज १९६२ तक उस पर हमारी सरकार विचार करती हुई आ रही है। पिछले दिनों में जो हमने १७ तहसीलों को तोड़ने का निश्चय लिया, यह वाजिब हो सकता है कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन या जिनकी एड-मिनिस्ट्रेटिव एबेलिटी है वे लोग इस प्रकार की ओपीनियन दें कि राजस्थान की अमुक अमुक तहसीलें तोड़ दी जायं, इन तहसीलों को दूसरी में मिला दिया जाय—जहां तक इन एक्सपर्ट्स की ओपीनियन आती है, हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि उस ओपीनियन को स्वीकार करें या न करें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट इस प्रकार की ओपीनियन देने वाला नहीं होगा, जिस पर हर व्यक्ति उनके आंकड़ों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर अन्य बातों के आधार पर विचार व्यक्त न करें। और उनकी बातों के ऊपर विचार करने को तैयार होते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि जिस सरकार को विचार व्यक्त करना चाहिए, वह १९६२ तक विचार व्यक्त नहीं करती है। और आज तहसीलों की संख्या है, उन तह-सीलों में से कौन कौनसी तहसील टूट रही है, इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि १९५९ में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के अन्दर जिन तहसीलों का जिक्र नहीं है, उन तहसीलों को तोड़ दिया गया है। और जिन तहसीलों को तोड़ने का जिक्र था उनको नहीं तोड़ा गया है राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी यह तो कहक बचने की कोशिश करते हैं कि हमने तहसीलों को तोड़ कर कुछ मितव्ययिता का एक काम प्रारम्भ किया है, लेकिन मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको यदि मितव्ययिता करनी थी, राजस्थान के लिए धन इकट्ठा करना था तो राजस्थान में एक्सपर्ट कमेटी की जो ओपीनियन ली, और उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स, जिस प्रकार की रिक-मेण्डेशन्सहै, उनको क्यों स्वीकार नहीं किया? आपने १७ तहसीलें ही क्यों तोडीं जब कि ३३ तहसीलों को तोड़ने की सिफारिश की थी।

आज पहला प्रश्न यह आता है तो ऐसा लगता है कि ३३ तहसीलों में से १७ तह-सीलों को तोड़ने के दृष्टिकोण में, सिलेक्शन के दृष्टिकोण में मितव्ययिता का दृष्टिकोण नहीं है बल्कि वह पॉलिटिकल विक्टीमाइजेशन का है। जब यह प्रश्न आता है तो मजबूर होकर सरकार से असहयोग करने को मजबूर होते हैं। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान सरकार राजस्थान के डेवलपमेंट और राजस्थान के विकास, औद्योगिक विकास की योजना लाती है और वह हमसे यह उम्मीद लेकर चलें कि हम राजस्थान के विकास में बाधक बन जायेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, हम उनके लिए साधन जुटाने में सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन वह लेने के लिए जिस वातावरण को पैदा करना आव-श्यक है, वह नहीं किया है। और इसलिए उसमें असहयोग होता है तो वह विरोधी दल

(श्री भैरोंसिंह)

के कारण नहीं बल्कि वह सरकार के पॉलिटिकल एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपका क्या आधार है ? आप कह देंगे कि १९५९ से लेकर अब तक हमने एक्सपीरियन्स गेन किया है जिसके आधार पर जितनी तहसीलों को तोड़ने का डिसीजन किया गया है, उसमें कमी की गई है तो आप यह बतायें कि ३३ तहसीलों में कुछ तहसीलों को जो तोड़ा है, उसमें आपने एक एक तहसील को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा कि फलां तहसील को तोड़ने से नुक्सान किसको है ? आपको पता लगा किइसका फायदा विरोधी दल के सदस्य को होने वाला है। आपने कहा—तोड़ो। फलां तहसील को तोड़ने से किसको फायदा होगा? आपको पता लगा--आपके दल को। आपने कहा--चलो फायदा है। यह आपका दृष्टिकोण है। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने बनेड़ा तहसील को तोड़ा, बनेड़ा को तोड़ने के लिए आपकी कमेटी की कोई सिफारिश नहीं थी बल्कि हुरड़ा तहसील को तोड़ने की थी। लेकिन हुरड़ा का यह सौभाग्य रहा अब की कि उस क्षेत्र से हमारे माननीय उप-राजस्व मन्त्री आ गये। खैर, उसके साथ लिहाज किया गया, उसको नहीं तोड़ा गया, उसके प्रति आपत्ति मुझे इस समय नहीं हो सकती। मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि हुरड़ा के साथ में आपने रियायत की है तो बनेड़ा में कौनसा अन्याय किया था जनता ने जिसका प्रतिफल पोलिटिकल दृष्टि से भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से कई तहसील तोड़ी हैं और कई तहसीलें हैं जो नहीं तोड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जैसलमेर जिले की तहसील है, उस जैसलमेर जिले की तहसील को नहीं तोड़ा है......

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): तोड़ी है।

श्री भैरोंसिंह: एक तोड़ी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जिला छोटा है।

श्री भैरोंसिंह: जिला छोटा है और इसलिए कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक तहसील तोड़ दी जाय। हमारी एक्सपर्ट कमेटी में कोई मामूली आदमी नहीं थे-- राजस्थान के मुख्य सचिव उसके मेंबर थे, राजस्थान के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी उसके मेंबर थे। उनके अतिरिक्त जो मेंबर थे, उनको एक्सपीरियंस पाइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट मान कर चल सकते हैं उन्होंने सिफारिश की थी। हमारी सरकार के मंत्री मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी जितनी आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सचिव की आज के दिन है उतनी किसी इलेक्टेड मेंबर या केबिनेट मेंबर की नहीं हो सकती। यह ठीक है कि उसको डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह राजस्थान का डेवलपमेंट होगा और डेमोक्रेसी की जड़ जमेगी, उस तरह डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मेंबर की केपेसिटी या योग्यता बढ़ेगी। इसलिए आज के दिन जो ओपीनियन दी है वह ठीक है। और आपने जो निर्णय लिया है, उसमें आपने १७ तहसीलें ऐसी तोड़ी हैं जिनके तोड़ने के अन्दर आपके राजनैतिक दल के जितने लोग हैं उनको

(श्री भैरोंसिंह)

थोड़ा बहुत फायदा मिल जायगा और ये तहसीलें ऐसी तोड़ी हैं जिनके अन्दर विरोधी दल के सदस्य हैं। आपके पास इस कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, उसके बाद १९५९ से लेकर अब तक डिसीजन नहीं लिया। यह नहीं कि सरकार ने इसे कन्सीडर नहीं किया, इसे सरकार ने सरकार की हैसियत से नहीं कन्सीडर किया बल्कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी की हैसियत से कन्सीडर किया और उस रिपोर्ट में सारी की सारी तहसीलें उस समय ऐसी थीं सिवाय चार के जो कांग्रेस मेंबर्स के क्षेत्र में थीं, इसलिए १९५९ से डिसीजन नहीं लिया गया। आज जब विरोधी दल की संख्या ज्यादा हो गई, विरोधी दल के क्षेत्र में वे सम्बन्धित तहसीलें आ गई तो सरकार ने डिसीजन ले लिया कि इन्हें तोड़ दिया जाय। मैं पूछना चाहूंगा कि कमेटी ने सिफारिश की कि अन्ता को नहीं तोड़ा जाय, बल्कि मांगरोल को अन्ता में मिला दिया जाय। आपने कह दिया कि अन्ता को तोड़ दिया जाय और उसे मांगराल में मिला दिया जाय। तब कौनसे आंकड़े आपने दिये हैं, आपके सामने कौनसे नये डेवलपमेंट हो गये, जिसके आधार पर अन्ता और बनेड़ा को तोड़ना आवश्यक था और मांगरोल को तोड़ना आवश्यक नहीं था .....

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में यदि सरकार पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है या राजनैतिक आधारों पर निर्णय लेती है तो जनता उनके निर्णयों का स्वागत नहीं करने वाली है, उनका यह निर्णय जनमानस का रोष बढाने वाला होगा इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि आपने बाकी की तहसीलें छोड़ी हैं जो १६ तहसीलें हैं, उसमें आपने या तो यह कहिये कि राजस्थान में पैसे की कमी नहीं है इसलिये उनको नहीं तोड़ रहे है। यदि आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो फिर केवल इन १७ तहसीलों को तोड़ने के लिये आपके पास पैसे की कमी कैसे आई। यह भी आपने नहीं बताया कि किस तहसील को तोड़ने से कितनी बचत होगी। इतने तहसीलदार, इतने नायब तहसीलदार, इतने कर्मचारी और सरकारी अधिकारी सरप्लस होंगे। कितने अधिकारी कम होंगे और उनसे कितना खर्चा बचेगा, कितनी बचत होगी। यह आपने नहीं बताया कि अमुक तहसील को बनाये रखने से क्या फायदा होगा। आपने कमेटी सिफारिश के बेसिस पर नहीं तोड़ी आपने जिसको तोड़ना चाहा तोड़ दिया और जिसको रखना चाहा रख लिया। मैं यह कहूंगा कि आपने जो तोड़ने का एक्सप्लोइटेशन रखा है वह केवल विरोधी दल के लोगों को विक्टेमाइजेशन करने का रखा है। आपको मालूम है कि बनेडा में आन्दोलन हो रहा है। कोटा में जन भावना भडक रही हैं। आज की स्थिति में जब हम समझ रहे हैं कि हमारे देश में संकट आ रहा है उस समय कुछ हो जाए, आप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें।

हमें एक बड़ी शक्ति का सामना करना है। सरकार ने पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन के लिये षडयंत्र किया यह साफ जाहिर होता है और इसी लिये इन १७ तहसीलों को तोड़ा गया है। आज भावुकता के नावे मुख्य मंत्री कह सकते है कि संकटकालीन स्थिति

(श्री भैरोंसिंह)

है और ऐसे अवसर पर हमें चुप रहना चाहिये। मैं कहूंगा कि वह भावनाओं को उकसाने की चेष्टा न करें। उनको चाहिये कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने सिफ़ारिश की है उसको लागू कर दें। मैं आपको अपने दल की तरफ से निवेदन करूंगा कि यदि उसमें आपका विरोध किया जायगा तो हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप पोलिटिक्ल विक्टीमाइजेशन करना चाहते हैं और कमेटी ने जो निर्णय दिया है उसको ज्यों का त्यों लागू नहीं कर रहे है। इसलिये मैं गृह मंत्री से और फाइनेन्स मिनिस्टर से खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि यह डिसिजन लिया है उसको आप एमेन्ड करें और इस हृद तक अमेन्ड करें कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो राय दी है उसके बाहर आप न जावें। बनेड़ा को तोड़ने का आपने ओर्डर दिया है उसको वापिस न लें। लेकिन उसके साथ साथ जो तहसीलें उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कवर होती है उनको भी साथ साथ रखें तो मैं समझता हूं कि पब्लिक में अपने आप विश्वास पैदा हो जावेगा।

मैं यह कहूंगा कि यह निर्णय तहसीलों को तोड़ने का लिया गया है वह किसी राजनैतिक दल की तरफ से नहीं लिया गया है बल्कि यह निर्णय राजस्थान के उच्च कोटी के अधिकारियों ने लिया है और जिसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया। यदि आप नहीं करें तो मैं ज्यादा तो आपको नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें। बनेड़ा और अन्ता के अन्दर दबी हुई आग है उसको भड़काने का सवाल नहीं है, हमारी सरकार को चाहिये कि जब वह राष्ट्र के संकट का सामना करने के लिये हमें साथ लेने को तैयार हैं तो हमें किसी प्रकार से तनिक भी ऐसा काम नहीं करें जिससे लोगों की भावना भड़के। इसलिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि हमारा सहयोग लेना है तो जिन ५ तहसीलों को हटने का सजेशन कमेटी ने नहीं किया उनको वापिस उसी स्थान पर रख दें तो किसी तरह से भी आपकी बात नहीं जावेगी और अगर आप यह समझते हैं कि इससे इज्जत हतक होती है तो मैं यह कहूंगा कि हम आपका भार इस संबन्ध में लेने को तैयार है लेकिन आपका हाथ सहयोग का बढ़े, उसको लेकर मैं चलता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिया चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि एक कटौती के नाम पर और दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर।

कटौती के नाम पर मैंने कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप देखें तो हमें जो नोट दिया गया है उसमें पेज नं० २ पर है जिसमें तहसीलों के अदलबदल करने को प्रोपोज किया गया :

(१) तहसील कोटपुतली ो अलवर डिस्ट्रिक्ट में, (२) तहसील फागी और चाकसू को टोंक जिले में (३) भीम तहसील ऑफ उदयपुर को अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मिला दिया जाए। ७१ गांव भैंसरोरगढ़ तहसील के कोटा में ट्रान्सफर कर दिये जावें।

बनास नदी के पूर्व की तरफ फिरोजपुर तहसील जिला भीलवाड़ा को बूंदी में मिला दिया जावें। इस तरह से करीब १० जिलों का है। यदि प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न है

(श्री भैरोंसिंह)

तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट १९५९ में पेश कर दी थी। उन्होंने जो रिकमन्डेशन किये उनके क्या माने रह गये ? उन पर आपने डिसिजन क्यों नहीं लिया ? आप यह कह सकते हैं कि आपको समय नहीं मिला। आप १९५९ से उसको विचारार्थ लिये हुए बैठे रहे और आप कोई डिसिजन नहीं ले सके, क्यों नहीं ले सके इसके पीछे राजनैतिक कारण है। मित व्ययता की बात नहीं है कुछ व्यक्तियों ने कहा होगा और कहा भी है कि इसको मत मिलाओ और इनको मत तोड़ो।

एक माननीय सदस्य : आप नाम बतावें कि किसने कहा।

श्री भैरोंसिंह : आप नाम पूछना चाहते हैं तो फिर वही झगड़ा होगा। आपने यह नारा लगाया कि मित्त व्ययता के नाते हम इनको कम करना चाहते है तो मैं यह कहूंगा कि आपने जनहित को दृष्टिकोण में नहीं रखा अगर जनहित को दृष्टिकोण में रखते तो जो सिफारिशे कमेटी ने की है उनको उसी रूप में स्वीकार किया जाता। यह मैं मानता हूं कि एक्सपर्ट की ओपीनियन कोई मेन्डेट्री स्थिति पैदा नहीं करती। मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस प्रकार की परम्परा बनानी चाहिये कि जिस मसले को किसी एक्सपर्ट कमेटी के सुपर्द कर दिया जावे तो उसकी ओपीनियन को जहां तक संभव हो स्वीकार करें। लेकिन यहां तो अस्वीकार करे ऐसी स्थिति पैदा की जाती है।

यहां पर तहसीलों को तोड़ने में सरकार का दृष्टिकोण मित व्ययता का नहीं है और न पब्लिक हित का दृष्टिकोण है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के हित में है। कांग्रेस के हित के सामने जनहित की कोई चिन्ता नहीं की जाती। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि फुल फ्लेज्ड कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिये। यदि आप इसमें राजनैतिक सिद्धान्त की पूर्ती करने की चेष्टा करेंगे और प्रयत्न करेंगे तो मैं उसमें आपके साथ आने को तैयार नहीं हूं। अगर कोई जन भावना उमड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, विरोधी दल की नहीं होगी। इसलिये आज इस तरह की जिम्मेदारी सरकार न ले जिससे कि उसको भारत के सामने कलंकित होना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, इसके टर्मस ऑफ रेफेरेन्स है उनमें एक जगह लिखा है :—

सरकार द्वारा समिति को यह भी निर्देश दिया गया था कि जिलों की संख्यां कम करने करने के बारे में समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा और समिति प्रशासन में अधिक सुविधा होना सुनिश्चित करने के निमित्त वर्तमान जिलों इत्यादि की सीमाओं के किनारों पर स्थित क्षेत्रों को इधर से उधर मिलाने या उठाने के लिये सिफारिशें करने तक ही अपने को सीमित रखेगी।

लेकिन अब सरकार ने इसका कारण यह बताया इन सिफारिशों के फलस्वरूप, मूल रूप में विद्यमान २१२ तहसीलों की संख्या कम की जा कर १८० रखी जानी थी। समिति ने यह बात प्रकट की थी कि इन परिवर्तनों की सिफारिशें मुख्यतः इस निर्णय से प्रभावित हैं कि भविष्य में मित व्ययता

(श्री भैरोंसिंह)

और विकास सम्बन्धी समस्त आयोजन के लिये विकास खण्ड की प्रशासनिक व प्रादेशिक इकाई होगी ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तहसीलों को आपने तोड़ा है तो क्या पंचायत समिति और तहसील के क्षेत्र को टर्मीनस बनाने की कोशिश की है या नहीं । क्या आपने इस तरह के आदेश दिये हैं कि जिस जगह से तहसील हट गई है वहां पंचायत समिति का हैड क्वार्टर रखा जायगा ?

आप चाहे हजार तरह के आंकड़े रख दें पर लोगों में संतोष नहीं हो सकता । जहां से तहसील हटाई गई उस जगह पंचायत रख देते हैं तो लोगों में संतोष होता है कि चलो तहसील चली गई तो कोई बात नहीं हमारे यहां पर पंचायत समिति तो रह गई, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर तो हमारे यहां रह गया । अब आप लोग कहेंगे अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लोगों को कि देखो हम जीत कर गये तो न तो पंचायत समिति को ही हटने दिया और न तहसील को ही हटने दिया, हमने अपने क्षेत्र में तहसील भी रख ली और पंचायत समिति का हैड क्वार्टर भी जहां का तहां रख लिया, दोनों चीजें रख ली और जहां से विरोधी दल के सदस्य जीत कर गये वहां तहसील भी गई और पंचायत समिति भी गई । तो हमें अफसोस होता है कि हमारी सरकार करना क्या चाहती है ? हर चीज में सरकार का राजनैतिक स्वार्थ साधन का दृष्टिकोण हता है ।

हमारे वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान पर बड़ी कृपा की है, इन्होंने पिछले बजट में राजस्थान की वित्तीय स्थिति का वास्तविक अवलोकन कराया । स्पष्ट शब्दों में न सही, पर दबे शब्दों में राजस्थान के सामने भयंकर आर्थिक संकट का चित्र सदन के सामने प्रस्तुत किया । मैं उनको धन्यवाद देता हूं । आज उन्हीं के प्रयासों का फल है कि हमारी सरकार वित्तीय प्लानों में हेर फेर पर आई है वरना पहले की सरकार के भरोसे यह सब कुछ न होता और न आज यह स्थिति पैदा होती । पर वे सम्भले और किस किस स्थान पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफीसर और किस किस स्थान पर रीजनल ऑफीसर होंगे इसकी सूची तैयार की, गजट नोटिफिकेशन कराया, जनता से भी जानकारी की होगी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी की है ? कार्यवाही की है ? डिस्ट्रिक्ट में कोई काम न हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफीसर को वहां नियुक्त किया जाय इससे तो केवल अपव्यय ही होता है, तो यह जो किया है इसका तो मैं समर्थन करता हूं, इसका विरोध नहीं करता । पर इस सारी सूची को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह सब करने में सरकार का कोई साइंटिफिक वे नहीं है, हैपहैजर्ड वे में यह सब कुछ किया है कि यहां से एज्यूकेशन के इन्स्पेक्टर को हटा दो, यहां डी. आई. जी. का ऑफिस कर दो, यहां से यह हटा दो, वहां यह कर दो तो यह सब कुछ हैप-हैजर्ड वे में किया है जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है । उदाहरण के तौर पर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को ही ले लीजिये । हमारी सरकार द्वारा जिलेवार आंकड़े दिये हैं, किस किस जिले में कितनी

Page No 66

(श्री भैरोंसिंह)

कितनी सहकारी समितियां खुली है, कितना कितना काम हुआ; पर क्या वित्त मंत्री बता सकते है कि क्या उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर यह कदम उठाया है ? जहां ज्यादा संख्या है सहकारी समितियों की वहां तो तोड़ा जाय और जहां कम संख्या है वहां रखी जाय डिप्टी डाइरेक्टर को ? यह स्थिति है ।

इसी तरह से इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के ऑफिसेज की व्यवस्था की है । इन्स्पेक्टर्स के हैड क्वार्टर्स ऐसी जगह पर रखे गये हैं जहां दूसरी जगहों के मुकाबले में स्कूल्स कम हैं ।

यही हाल फोरेस्ट्स के हैड क्वार्टर्स का है, कहीं फोरेस्ट है या नहीं जंगल बड़ा है या नहीं, फोरेस्ट्स का काम बडा या नहीं, इन बातों को बिना ध्यान में रखे हुए फोरेस्ट्स के आफिसेज की, हैड क्वार्टर्स की अदला बदली की गई है, इनमें लोगों की सहुलियतों का ध्यान नहीं रखा गया है । यह ध्यान रखते तो इन चेंजेज में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता होती ।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर इस दृष्टी से कटौती करना चाहते हैं कि पैसा बचे, अगर आपका यह दृष्टिकोण है तो हम इसका समर्थन करते हैं । इस दृष्टि से जितनी ही कटौती करते हैं जनसुविधा का सवाल आता हैं तो हम साथ देंगे । पर हम साइन्टिफिक तरीके से करना चाहेंगे । अगर आप पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन करना चाहेंगे, हैप-हैजर्ड वे में करेंगे तो हम निश्चित रूप से इन चीजों का विरोध करेंगे ।

कुछ सरकारी विभागों में रिट्रेन्चमेंट किया है । माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने सरकुलर्स इश्यू किये हैं उनको मैंने पढ़ा है आपका दृष्टिकोण साफ है, जहां सरप्लस कर्मचारी हैं, काम कम है, उन को कम करना चाहिये सरप्लस डिक्लेअर करना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि रिट्रेन्च करते हैं तो माननीय सदस्य विरोध करते हैं कि क्यों किया । रिट्रेन्चमेंट का किसी ने विरोध नहीं किया, सभी सदस्य इसकी तारीफ करते हैं. काम नहीं है तो रिट्रेन्चमेंट करना चाहिये । पर आपने कमिटमेंट किया है कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लॉन में जो ७० हजार अन एम्प्लोयड हैं उनको एम्प्लोयमेंट देंगे । यह स्थिति पैदा होती है तो मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि आज जो आलरेडी गवर्नमेंटस् सर्विस में हैं उनको तो कम से कम एब्जोर्व करें । सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने सरप्लस घोषित होंगे उनको एब्जोर्व करेंगे, इसका हम स्वागत करते हैं पर मुझे जानकारी मिली है कि यह सर्कुलर तो जारी कर दिया पर हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दे दिया कि आप अपनी मर्जी के मार्क करें और जिनको भी सरप्लस घोषित करें उनके नाम एब्जोर्वेशन कमेटी को भेज दें । तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इस आधार पर काफी विक्टिमाइजेशन किया गया है, दस वर्ष से जो लोग परमानेन्ट सर्विस करते थे उन लोगों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है और जो लोग केवल ६ महीनों से सर्विस में हैं उनको रख लिया गया है । सेटलमेंट, कन्सोलिडेसन डिपार्टमेंट में इन्स्पेक्टर्स नायब तहसीलदारों के ग्रेड में काम करते आ रहे हैं, वर्षों से काम करते आ

(श्री भैरोंसिह)

रहे हैं उनको सरप्लस डिक्लेअर किया है ग्रौर जो लोग ६ महीनों से काम कर रहे हैं उनको सरप्लस डिक्लेग्रर नहीं किया है ।

ग्राप कह सकते हैं कि फर्क क्या पड़ता है, पे के हिसाब से कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता; पर ग्रन्तर ग्राता है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से । कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट के इन्स्पेक्टर को एक यू० डी० सी० की जगह बैठा दिया जाय, सेटलमेंट के इन्स्पेक्टर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसी जगह बैठा दिया जिसका उसे कतई ज्ञान नहीं तो वह उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।

ऐसी हालत में दृष्टिकोण होना चाहिये था कि जितने डिपार्टमेंट में पुराने हैं उनको सरप्लस नहीं करेंगे, ग्रॉर्डर ग्रॉफ सीनियोरिटी में जो सबसे जूनियर हैं उनको सरप्लस करेंगे, ग्रौर उनको भी एब्जोर्ब कर लिया जायगा, तो सरकार ग्रौर सरकार के ग्रधिकारी इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हो सकते है ।

पर बदकिस्मती है कि सरकार ने हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेंट्स को बुला लिया ग्रौर हर एक को पूछा कि ग्राप ग्रपने यहां कितनी कितनी कटौती करेंगे वे लोग तैयार नहीं थे, जिस तरह ठेकेदारों को ठेका दिये जाने के समय एक्साइज इन्स्पेक्टर्स मिनिस्टर साहब को खुश करने के लिये ज्यादा से ज्यादा ऊंची बोली लगाने के लिये उकसाते हैं, उसी तरह हैड्स ग्रॉफ दी डिपार्टमेंट्स ने सरकार को खुश करने के लिए कह दिया कि हम इतनी इतनी कटौती करेंगे । ग्रौर उस वायदे के ग्राधार पर कटौती करना शुरू कर दिया । क्योंकि उनके पास कोई साइंटिफिक ग्राधार कटौती करने का नहीं है इसलिये उन्होंने चूचरिंग करना शुरू कर दिया । जितनो पर उनकी नाराजगी थी उनको रिट्रेन्चमेंट की स्थिति में लाने के लिये सरप्लस कर दिया, कहीं धीरे धीरे कर रहे हैं, कइयों का ग्रपोइन्टमेंट नही होता, मारे मारे इधर से उधर फिर रहे हैं ।

(२०० म० प०)

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने केवल दो डिपार्टमेंट्स के ही नाम दिये हैं । बाकी कई डिपार्टमेंन्ट्स हैं जिनके ग्रन्दर सीनियर लोगों को रिट्रेन्च किया गया है ग्रौर उनके स्थान पर जो नीचे के ऊंचे जुनीयर को जाने चाहिए उनको न किया जाकर दूसरों को किया है । इसलिए सरकार इस फ्लोर पर यह ग्राश्वासन दे केटोगोरिकली कि सरकार व्यक्ति विशेष का ख्याल न करते हुए जो सीनियर होंगे केडर के हिसाब से उन्हीं को रखेंगे ग्रौर उनसे जो ज्युनियर होंगे दूसरी जगह रखेंगे । यह हुआ तो सेटलमेंट ग्रौर कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट में जो हुग्रा है ग्रौर बाकी के डिपार्टमेंट्स के बारे में ग्राज हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी दर-दर के भीखारी के रूप में होकर कभी हमारे पास ग्राते है ग्रौर कभी कांग्रेस वालों के पास जाते हैं उसके बाद वे ग्राना बन्द करेंगे । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी निश्चित रूप से इस ग्रौर गौर करेंगे । ग्रन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट में कमी की गई, मित व्ययता ग्रपनायी गई । उसके आंकड़े दिये गये हैं । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रमाउन्ट ग्रॉफ इकोनोमी टोटल इन बजट १९६२-६३, उसमें ११ पोइन्ट की कटौती का ग्रनुमान लगाया

(श्री भैरोंसिंह)

और अब कटौती क्या की है १.७७। मैं समझ नहीं पाया कि उस वक्त आपने अंदाज किस बेसिस पर लगा लिया और आज उसको पूरा क्यों नहीं कर सकते ? बाकी के फीगर भी देख लें। पुलिस में १२ का रखा और १८ हुआ। कमी करनी चाहिए थी वहां अधिक हुआ है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कटौती की राय पटवारी और तहसीलदार के लिए थी। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स ने राय दी ११ परसेन्ट कटौती कर सकते हैं और आपने कटौती की १ परसेन्ट। या तो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इनएफिशियेन्ट है या आप इनएफिशियेन्ट हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को काबू में न करके जितनी कटौती का अनुमान लगाया था उसको नहीं कर सके। वित्त मंत्री बतायेंगे कि कौन इनएफिशियेन्ट हैं। या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनएफिशियेन्ट है या केबीनेट इनएफिशियेन्ट है।

कटौती के द्वारा मितव्ययता की राय यह सिद्धान्त मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन कटौती का एक माध्यम नहीं जिसके कारण ही बचत कर सकते हैं। कटौती के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियेन्सी और खास कर यह आज की इस संकट की स्थिति में बहुत ही आवश्यक हैं। आज चीन बढ़ता आ रहा है। मंत्रियों की शान शौकत और उनकी तनख्वाह आदि देखें और मितव्ययता में रुकावट ये चीजें देखे, तो सरकार की सहानुभूति केवल दिखावे की है, जबान से ही सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है। लाखों रुपयों के घोटाले हैं उनको चेक नहीं कर सकते हैं। जितनी कटौती की है उसके मुकाबले में दो विभाग ही मैंने रखे हैं और दो विभाग और रखता हूं एक है फोरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी और मेडीकल विभाग में जो अभी परचेजेज हुई हैं उनको ले लीजिये। लाखों की पर्चेजेज होती है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स में लाखों रुपयों के घोटाले हैं। जांच करें तो मैं आपको प्रमाण सहित बताने के लिए तैयार हूं। आप जांच नहीं करावेंगे। कटौती इन-एफिशियेन्सी लाकर नहीं करना है। तीनों की पर्चेजेज में और दूसरे अफेयर्स में लाखों रुपयों की बुरी तरह से हत्या की गई है, बरबाद किये गये हैं उसकी जांच करो। पता चले। मैंने राजस्थान के मंत्रियों को चिट्ठियां लिखी। पहले मुख्य मंत्री कहते थे कि हाउस में न कह कर मुझे चिट्ठी लिख दे तो अच्छा हो। मैंने उनको चिट्ठी लिखी उसका जवाब नहीं।

अध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण हैं, ५) रु की चीज १२) रु. में खरीदी गई २५) रु. चीज २२५) रु. में खरीदी गई। मैंने अपनी चिट्ठी के अन्दर टेन्डर्स की कॉपी दी, कोटेशन्स दिये, फर्म्स के नाम लिखकर भेजे, सब कुछ किया लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। आज ऐसी स्थिति है। देश में संकट की स्थिति है। राजस्थान में लाखों रुपयों की परचेजेज होती है उनको ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, अच्छी चीज नहीं कर सकते हैं। कटौती की, किस बात की कटौती की ? कटौती परचेजेज में नहीं हुई। आपको अपनी आदतों में कटौती करनी पड़ेगी। इन एफिशियेन्सी में कटौती करनी पड़ेगी। इन एफिशियेन्सी में कटौती आपकी एफिशियेन्सी बढ़ायेगी, अपव्यय रुकेगा। लेकिन हमारी

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार उस सम्बन्ध में बिलकुल मौन है और मौन जब सरकार है तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल बातों से कटौती नहीं होती है। बातों से पैसा बचाया नहीं जाता है। वित्त मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं फर्नीचर के मामलों को और मोटर के मामलों को। शायद उनको मालूम हो जाता कि चीन आक्रमण करने वाला है तो वह नहीं खरीदते लेकिन खैर, चीन ने गलती की अचानक नहीं की। माननीय मंत्रीजी को कुछ चीजें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने खरीद ली। उन्होंने भी एक एक्जाम्पल कर ली। नयी गाड़ी के बिना मंत्री नहीं बैठ सकते, शान शौकत बिना मंत्री चल नहीं सकते, अच्छी कुर्सी बिना मंत्री नहीं बैठ सकते। यदि वे यह करते हैं तो समाज से क्या अपेक्षा करेंगे कि वह साधारण बनने की चेष्टा करेगी, नहीं करेगी। आज की संकट पूर्ण स्थिति में राजस्थान के मंत्री और अधिकारियों को सादा जीवन अपना कर समाज के सामने उदाहरण पेश करना पड़ेगा जिससे बाकी के समाज में वह चालू हो जाय और पैसे को बचाया जाय।

आज बदकिस्मती यह है कि छोटे २ कर्मचारियों को रिट्रेन्च कर रहे हैं और बड़े कर्मचारियों का नाम नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में कुछ इन्जीनियर्स को इधर से उधर कर दिया कोई कमी नहीं हुई। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं नाम बतला सकता हूं उनका। अधिकारियों को इधर से उधर पलट दिया उसके कारण कोई विशेष कमी हो गई यह समझते हो तो मैं कहूंगा कि कोई कमी नहीं हुई। कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं लेकिन तहसीलों में कमी की है तो पोलिटिकल विक्टोमाइजेशन की दृष्टि से किया है बाकी के काम जनहित की दृष्टि में नहीं किये गये हैं। जो कटौती की गई है वह साइन्टिफिक मेथड से नहीं की गई है। छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। ये कटौतियां जिस रूप में की गई है उनका समर्थन न करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि रिकन्सीडर करें और हमारे दृष्टिकोण से सरकार उचित समझती है, उन सारी बातों पर सरकार रिकन्सीडर करें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह कटौती जनहित में होगी और लाखों रुपयों का जो अपव्यय हो रहा है वह रुकेगा और उसके लिए मेरा दल सहयोग देगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, विभागीय कार्यालयों को कम किया जाने एवं नोन प्लॉन में की गई मितव्ययता के ऊपर विचार किया जाय, यह मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय है। मितव्ययता आवश्यक है। लेकिन वह मितव्ययता वास्तविकता के अनुसार हो तब तो वह सच्चे रूप में मितव्ययता है; यदि वह वास्तविकता के प्रतिकूल है तो वह मितव्ययता नहीं है। मैं समझता हूं कि वह एक ऐसी चीज है कि जिसके सम्बन्ध में सरकार ठीक रूप से निर्णय नहीं कर पायी।

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन व्यय में जो १५ लाख की कमी की गई है उसके बारे में जो कर्मचारियों को कम किया गया है उसके सम्बन्ध में निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। कर्मचारियों का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कम किया जाना एक हद तक अनुचित है मैं समझता हूं ब्रीच ऑफ कन्ट्राक्ट अगर कर्मचारी सरकारी सेवा में जब वह एन्टर होता है सरकारी सेवा ग्रहण करता है तो सरकार का पुनीत कर्तव्य हो जाता है उसको टेन्योर ऑफ सर्विस हो उसकी सेवा की सुरक्षा हो ताकि उसके मन में स्थिरता उत्पन्न हो सके। और उस स्थिरता द्वारा वह सरकार की सच्चे रूप से सेवा कर सके। जो कर्मचारियों को कम किया गया है उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनको दूसरी सेवाओं के अन्दर एब्जोर्ब करने के लिये सरकार व्यवस्था करे। यह मैं पूर्ण आशा करता हूं उनके मन में स्थिरता लाने के लिये सरकार ठोस कदम उठाये यह परम आवश्यक है

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक विशाल राज्य है इसका क्षेत्र फल अनुपात में इसकी विशालता अन्य राज्यों से मैं कम नहीं मानता। इसके अन्दर जो जिले है विभिन्न रूप से कहीं यह बडा है कहीं बहुत बड़ा है कहीं छोटा है। उनके अन्दर समानता लाना मैं समझता हूं परमावश्यक है। इस हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा छोटे छोटे जो जिले हैं उसके अन्दर यह व्यवस्था होनी चाहिये कम से कम उसमें पांच छः तहसीलें हों बड़े बड़े जिले हैं उनके अन्दर अधिक से अधिक आठ से नौ तहसीलें होना मैं परम आवश्यक समझता हू। यह असंभव नहीं कि सरकार इस ओर ध्यान दे तो योजना बद्ध तरीके से सरकार सफलता प्राप्त कर सकती है। हरेक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ५० से ६० मील दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से दूर नहीं होना चाहिये। शायद संभवतः जोधपुर बीकानेर क्षेत्र के अन्दर अगर यह न भी हो सके तो एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के बीच का अन्तर ९० से १०० मील से अधिक नहीं होना चाहिये। यह मैं समझता हूं प्रशासनिक रूप से परमावश्यक है।

मैंने प्लानिंग बोर्ड के समक्ष तहसीलों के गठन के सम्बन्ध में अपने विचार रक्खे थे। मैं समझता हूं हरेक तहसील क्षेत्र के अन्दर समानान्तर रूप से उस क्षेत्र के अन्दर एक पंचायत समिति स्थित होना चाहिये और एक डेवलपमेंट ब्लाक विकास क्षेत्र उस तहसील के अन्दर समानान्तर रूप से स्थित होना चाहिये और इस तरह से एक तहसील के अन्दर एक विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्र का होना भी उतना ही आवश्यक है। अगर तहसील में इन तीन संस्थाओं को स्थित कर सकते हैं तो मैं समझता हूं हरेक तहसील एक डेफीनेट डिनोमिनेशन और डेफीनेट कनोटेशन होगा। इसके अनुसार जन साधारण आसान तरीके से समझ सकती है कि तहसील का क्या मायने हैं तहसील की क्या सिगनीफिकेन्स है तहसील कौन कौन से मुद्दे को लेकर कौन कौन सी संस्थाओं को लेकर मानी गई। मैं समझता हूं तहसीलों के सम्बन्ध में सरकार इस रूप से विचार करेगी।

तहसीलों के सम्बन्ध में अभी अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि कोई तहसील बहुत बड़ी है कोई तहसील छोटी है। तहसीलों के गठन के सम्बन्ध में एक लाख की आबादी एक तहसील की रख दी जाय। सिद्धान्ततः मेरे ख्याल से तहसीलों का गठन विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र को मद्दे नजर रखते हुए सुचारू रूप से हो सकता है। क्षेत्रफल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का सवाल है वह मैं समझता हूं भिन्न सवाल है। उदाहरण की तौर पर मैं निवेदन करूं भूतपूर्व जैसलमेर राज्य और भूतपूर्व जयपुर राज्य का क्षेत्रफल करीब करीब समान है लेकिन भूतपूर्व जयपुर राज्य की जन संख्या ४० लाख थी वहां जैसलमेर की १ लाख है। भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण लिये हुए हैं मारवाड़ और जैसलमेर बीकानेर के कुछ क्षेत्र में क्षेत्रफल का अन्तर है वह विशेष है। मैं समझता हूं यह एक दोष दोष नहीं है क्षेत्रीय विशेषता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं हरेक जिले के अन्दर कम से कम शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग कलेक्टोरेट के अलावा होना अनिवार्य रूपेण परम आवश्यक है। जिलों का क्षेत्र फल मिलता जुलता बनाना उतना ही आवश्यक है क्योंकि हमने कमिश्नरों के डिवीजन खत्म कर दिये है। कमिश्नरी डिवीजन की जगह हम तीन रीजन्स वापिस स्थापित करना चाहते हैं। यह योजना एक हद तक ठीक है; इसका मैं स्वागत करते हुए सरकार का ध्यान पुरजोर रूप में आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं जिले के संगठन के सम्बन्ध में सिमिलरीटी आॅफ साइज जैसा कि मैंने निवेदन किया मद्देनजर रखना परमावश्यक है। छोटे छोटे जिलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, खास तौर से डूंगरपुर जिले के सम्बन्ध में दो शब्द सदन के समक्ष अवश्य निवेदन करूँगा। डूंगरपुर और उसके निकटम क्षेत्र बांसवाडा ये दोनों छोटे जिले हैं वायोबल जिले नहीं। किन्तु उनका पड़ौसी जिला उदयपुर जिला है उसके अन्दर १३ तहसीलें हैं, वह इतना बड़ा जिला है। उदाहरण के तौर पर अगर कलेक्टर पंचायत समिति की मीटिंग के अन्दर भाग लेना चाहे तो वह ले नहीं सकता। इतना अन विल्डी, इतना बड़ा जिला जनतंत्र युग के अन्दर ? हमको जहां विशेष क्षेत्रीय ऐतिहासिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, प्रशासनिक सुदृढता को ध्यान में रखते हुए उदयपुर जिले को कुछ हद तक कम करना परमावश्यक समझता हूं। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है फलासिया तहसील का उत्तरीय हिस्सा खैरवाड़ा तहसील डूंगरपुर जिले में मिला दिया जाय। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सराड़ा, सलूम्बर तहसील का उत्तरी क्षेत्र अगर डूंगरपुर में मिला दिया जाय तो भौगोलिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, मेरे ख्याल से एक ठोस और उत्तम योजना होगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगर डूंगरपुर की निकटता उन क्षेत्रों से है उससे भी मैं यह समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई योजना, तहसील गठन की योजना सरकार विचार करके उसको स्वीकार करेगी तो उदयपुर जिले के लिये और डूंगरपुर जिले के लिये प्रशासनिक ढंग से उभय पक्ष में मेरे ख्याल से लाभ ही होगा।

बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले के बीच में जो माही नदी इन दोनो जिलों की सीमा बनाती है उसके ऊपर पुल भी नहीं है। जब तक यह पुल नहीं है तब तक मैं समझता हूं कि बांसवाड़ा जिले के संबंध में डूंगरपुर के लोगों की सद्भावना के और कोई भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि बांसवाड़ा जिला भी रहे, लेकिन लीव एण्ड लेट लीव

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के सिद्धान्त पर हम यह भी चाहेंगे कि डूंगरपुर जिला भी रहे और पांच छः तहसीलों का हो, वैसे ही बांसवाड़ा भी पांच छः तहसीलों का अवश्य हो सकता है अगर प्रतापगढ़ तहसील इसमें मिला दी जावे तो प्रशासनिक ढंग से मेरे ख्याल से यह भी एक उचित कदम होगा।

यदि सरकार के मन में कोई दूर भविष्य में भी यह विचार हो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को एक कर दिया जाय तो मैं इसका विरोध करूंगा।

मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वास्तविक दृष्टिकोण से ये दोनों सीमान्त नगर हैं। इनके आस पास तहसीलों का गठन इस रूप से किया जावे, इन क्षेत्रों को, इस रूप से बिल्ड-अप किया जावे कि उनकी जीवनी शक्ति, सरवाइवल वेल्यू विजिलेन्ट को एनहान्स और एन्स्योर किया जा सके। मेरे ख्याल से उदयपुर जिले के सिवाय और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मैंने जो कहा है मैं आशा करता हूं, सरकार उस पर उचित रीति से अवश्य विचार करेगी।

डूंगरपुर की दिनों दिन बढती हुई इम्पोर्टेन्स को भी ध्यान में रखना चाहिये। वहां पर रेल भी आ रही है, वहां पर नेशनल हाई वे नम्बर वन भी खेरवाड़ा से अहमदाबाद के रास्ते पर उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होकर गुजरता है और जो रेल आ रही है उसकी भी सम्भावना है कि वहां पर रेल्वे जंक्शन भी स्थापित हो। वहां पर कई प्रकार के मिनरल भी निकलने की सम्भावना है और यदि सफलतापूर्वक डूंगरपुर जिले के अन्दर फ्लोराइट माइन्स का एक्सप्लोइटेशन सफल हुआ तो मुझे विश्वास है कि डूंगरपुर की स्थिति आर्थिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टियों से सभी दृष्टियों से उच्चस्तरीय हो सकती है। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरा सरकार से यह नम्र निवेदन है कि डूंगरपुर को भी जिला स्तर पर रखा जावे और बांसवाड़ा को भी।

तहसीलों के सम्बन्ध में, मेरे पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है। मैं केवल मात्र दो ही उदाहरण सदन के समक्ष निवेदन करूंगा। कुछ ही समय पूर्व अराई तहसील जो कि एक ज़माने में तहसील थी, उसको खतम किया गया। उसको फिर इस सदन के सामने एक खास विधेयक के द्वारा पुनर्जीवित किया गया और उसको यूनीटरल इलेक्शन के द्वारा बिना सदन की मंजूरी के समाप्त किया। मैं समझता हूं कि यह भी एक इर्रेगुलर एक्शन है। यह भी एक ऐसी बात है कि जो सिद्धान्त विहीन है। सिद्धान्त विहीन बात का विरोध करना मैं मेरा पुनीत कर्तव्य समझता हूं।

मेरे एक पूर्व वक्ता ने बनेड़ा के सम्बन्ध में भी कुछ अपनी बात कही। उसका भी मैं समर्थन करता हूं। जो कमेटी ने सिफारिश की थीं कि २१२ तहसीलों को घटा कर १८० कर दिया जावे उसमें बनेड़ा का जिक्र नहीं है उसे बाद में सरकार ने अपने निर्णय से घटाया है। अगर जैसी विरोधी पक्ष से इस बारे में बातें कही गई वे सही हैं तो उन पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया। अगर राजनैतिक कारण से ऐसा किया गया है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी निम्नस्तरीय राजनीति है और इसकी कटु निन्दा और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आलोचना तथा इसके प्रति विरोध और रोष करना प्रकट मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

मैं आशा करता हूं कि यह राजनैतिक कारणों से नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि अगर यह सही है तो यह मोडल हैडेड थिंकिंग है सरकार का। इसको दूर करके क्लीयर थिंकिंग सरकार अख्तियार करे। बनेड़ा एक दो सौ वर्ष पुरानी तहसील है। भीलवाड़ा जिले की वह एक रम्य और प्राथमिकता लिए हुए तहसील नगरी है। भीलवाड़ा जिले के पांच या छः मुख्य नगरों में बनेडा की, मैं समझता हूं, गणना है। उसको नहीं रखते हुए हुरडा को रखा गया। यह मेरी समझ के बाहर की बात है। जनसंख्या के अनुपात से भी अध्यक्ष महोदय, बनेडा की जनसंख्या ६० हजार है तो हुरडा की चालीस हजार। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी सूरत में बनेड़ा को मिटा कर और हुरडा को कायम किया जावे और बनेडा तहसील के क्षेत्र को पड़ोसी तहसीलों में टुकड़े टुकड़े करके पीस पीस करके उसको डिवाइड किया जावे यह अगर राजनीति से सम्बन्ध रखता है तो एक बड़ी बुरी बात है।

वहां पर दो लाख रुपयों की सरकार ने इमारतें भी बनाई हैं और अब उनका कोई उपयोग नहीं हो पावेगा। इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि बनेड़ा तहसील को नहीं तोड़ा जावे और जो कमेटी की सिफारिश है उसी पर कायम रहा जावे। मैं समझता हूं कि कमेटी की सिफारिशें ठोस हैं, रीजनैबल हैं और उन लोगों के द्वारा की गई हैं जो प्रशासन के सम्बन्ध में एक्सपर्ट ओपीनियन और नॉलेज रखते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा उसको तोड़ने का एक्शन बिल्कुल आरबिटरेरी है।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जो इस तरह से बचत की गई है, उसको सरकारी फिजूल खर्चियों में न लगाकर विकास के काम में उस रकम को लगावे। खास करके आज जो संकटकालीन स्थिति के अन्दर से हमारा देश गुजर रहा है उसको देखते हुए मितव्ययिता प्रशासन में होना परमावश्यक है और दूसरे क्षेत्रों में भी होनी परमावश्यक है, अगर हम इस मितव्ययिता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को आगे बढ़ावेगे तो मेरे ख्याल में समय को देखते हुए राजस्थान की जनता का अधिकाधिक हित होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अब तक के भाषणों से, यहां सदन में जो विरोधी दल के नेता व जनसंघ के नेता ने कहा उसमें भी सरकार के इस कदम की तारीफ की गयी है कि मितव्ययिता की तरफ सरकार ने कदम उठाया है। इस विषय में जो कुछ तहसीलों के बारे में कहा जा रहा है उस विषय में एक दृष्टिकोण की बात हो सकती है। हमारे नेता महोदय ने सहयोग की सरल और सादा ढंग से बात कही है लेकिन उसको भी जिस तरह से सोचने की कोशिश की गयी, इधर की तरफ से यह विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसी कोई भावनायें नहीं रही हैं कि जिस तरह की भावनाओं का उनकी तरफ से आभास हुआ है और उस आभास के सिलसिले में जहां तक रीआर्गेनाइजेशन का सवाल है।

(२.३१ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति)
(पदासीन)

उसके बारे में सरकार ने जो अपना दृष्टिकोण दिया है वह स्पष्ट इन नोटस के अन्दर है और उसके लिए एक कमेटी बेठी थी उसकी कापी भी आपके सामने दी है। उसको अगर देखा जाये तो इतने बड़े काम को करने के बाद और जितनी शांति से उसको किया और सारी जनता ने उसको जिस तरह से माना है उससे यह पता चलता है कि इसके लिए आम जनता इसको मानती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह सही है और उस जनता ने उसको मान्यता प्रदान की है। एक प्रश्न और है जिसकी तरफ भी मैं आप का ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं कि जो आज यह स्थिति पैदा हुई है देश के अन्दर उससे जज्बात की बात को निकाल दिया जाये तो यह जो सरकार ने कदम उठाया था वह उसके पहले उठा लिया गया था। आज जिन परिस्थितियों में आये हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको भी सरकार के नोटिस में लायेंगे तो सरकार उसके ऊपर सही ढंग से विचार करने को तैयार होगी और अभी यह तर्क किसी तरह उचित नहीं हैं कि यह तर्क करें कि २१२ में से १८० तहसीलें रखने की बात है तो अभी और भी तहसीलें टूटने वाली हैं और विरोधी दल का इसको कांग्रेस का हर कदम पार्टी की बात बताना मैं समझता हूं कि अपने लिए गलत होगा। बात यह है कि किसी का तो नम्बर पहले आना ही था। मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि अगर एक्सपर्ट कमेटी की यह रिपोर्ट है कि आज हमारा काम १८० तहसीलों से चल सकता है तो आज राजस्थान का मानस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से जो अपने इस काम की शुरुआत की थी इस काम को जनता ने माना और इसको और भी आगे बढ़ायें। जो रिपोर्ट है इसके माफिक १८० तहसीलों में इसको परिणत कर देना चाहिए। जिस तरह का राजस्थान था उसके अन्दर जिस तरह से हम एक हुए उसकी वजह से जो सरकार के ऊपर एक विशेषतौर की जिम्मेदारी रही और उसके जज्बात हैं वह दूसरी चीजें हैं उनको ध्यान म रखते हुए आज तक एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस सुधार की ओर कदम उठाना चाहिए था पहली दफा सरकार को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी को जो वजन देना चाहिए जिसके बारे में शुबाह हो रहा है मैं समझता हूं कि वह शुबाह भी जहां तक जनता का ताल्लुक है उस शुबाह को निकाल देना चाहिए। बनेड़ा का मामला है उसके बारे में कई चीजें आई। बनेड़ा के मामले में जो भी दिक्कतें हुई उसके साथ सहानुभूति हो सकती है लेकिन जो तरीके अख्तियार किये गये वह गलत हैं। इसमें कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं था। उसको समझाया जा सकता था लेकिन यह सही है कि बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी। अगर किसी कारण से कोई बात हुई है तो आप देखेंगे कि १८० तहसीलें होने वाली हैं तो इधर वाले भी कोई बचने वाले नहीं हैं और सरकार को वह कदम उठाना चाहिए कि जो एक्सपर्ट कमेटी है जितनी तहसीलें कम होने वाली हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सम्माननीय वित्त मंत्री जी अगली मर्तबा एलान करेंगे तो आप और हम बराबर हो जायेंगे। इसके लिए हमको और आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिए। अब यह तो वही बात हो गयी कि एक मर्तबा एक मुर्दे को उठाने लगे तो वहां यह झगड़ा हो गया कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हमें इसका मुंह उत्तर की तरफ रखना है या दक्षिण की तरफ तो एक अजीब झगड़ा था और मुर्दे को तो जाना ही था और इस बात पर झगड़ा करना कहां तक वाजिब था ?..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) इसी तरह सरकार को भी जाना ही है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हमको अपना मानस इस प्रकार का करना है कि मितव्ययिता के नाम से जितनी तहसीलें टूटनी हैं उनको तोड़ना है । उसके लिए पहले कौन सी टूटे और कौनसी बाद में और कौनसो एक टूटती है कौन सी दो । तो उस स्थिति के अन्दर हर बात के ऊपर किसी तरह के मोटिव लगाना मैं उचित नहीं समझता । इसके अलावा मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि उनके नेता महोदय ने सहयोग की भावना से आपको कहा है उसी भावना के अन्दर कोई फर्क नहीं आना चाहिए । अगर आपका दृष्टिकोण इसी तरह का रहा तो बड़ी दिक्कत हो जायेग सरकार के लिए कि आपकी सहयोग की भावना का मतलब यह रहा कि जो आप कहते हैं वही सही है, इसी तरह की नीति रही तो यह गलत होगी । बल्कि सहयोग की भावना में यह देखना है कि आप जो जायज बात कहते हैं वह सरकार को माननी चाहिए । सही बात पर हम भी जोर देंगे और जायज बात होगी तो हम बराबर खुला हुआ इतमीनान दिलाते हैं···

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन तहसीलों के तोड़ने के बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश नहीं की उनको नहीं तोड़ा जाये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप स्वयं ही उत्तर दे लेते हैं और स्वयं ही सवाल उठा देते हैं । आपने स्वयं ही कहा है कि एक अर्सा हो गया सरकार ने उस पर विचार किया है और उसके लिए उन्होंने अपना तर्क दिया है कि इन तहसीलों को तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि उनको तोड़ने से सिर्फ तहसीलें टूटी हैं । अगर वहां को इम्पोर्टेन्स है, किसी डिपार्टमेंट के वहां रहने से उस जगह की इम्पोर्टेन्स है तो वहां के काम के लिहाज से उस जगह से वे चीजें नहीं उठाई गयी हैं और उनके महत्व को कम करने की कोई कोशिश नहीं की गयी है । यह सही है कि एक अर्सा निकला है, जिसको आप मानते हैं । जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, यह डिसीजन लिया गया था तब भी एक्सपर्ट बैठे होंगे और उनकी मन्शा जान कर ही तय किया होगा, आपने जिस स्पिरिट में रखा है उसी में सरकार को लेना चाहिए, यह नहीं है । अगर कोई चीज गलत हुई है, आप तर्क से समझा सकते हैं तो आपको सरकार को समझाने का पूरा हक है लेकिन आपके समझाने का तरीका कन्स्ट्रक्टिव होना चाहिए । आपका समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि सरकार को पर्सुएड किया जा सके····

श्री भैरोंसिंह : आपकी ही बात नहीं मानते हमारी बात कौन सुनेगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभानेत्री महोदया, मैं यह कहूंगा कि वह डिमाण्ड है । मैं सरकार से कहता हूं कि आप खुद एडमिट करते हैं कि आपकी बात मानी जाती है हमारी बात नहीं मानी जातो है । मैं कहूंगा कि यह इस तरह की चर्चा है कि जिससे इधर के लोग पीड़ित हैं और मैं सरकार को

Page No 76

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आगाह करता हूं और जो सर्विसेज वाले हैं उनको भी आगाह करता हूं इस बात से कि हमारे इस सदन के इधर के सदस्य एक एक आदमी यह कहता है कि आपकी बात मानते हैं, आपकी बात चलती है और इधर के लोगों की बात नहीं सुनी जाती है....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय सदस्य सच कहते हैं और उसका कारण है कि वे बारबार हस्तक्षेप करते रहते है इसलिए उनकी बात नहीं मानी जाती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे लिए बात कहते हैं, You are a very chummy boy, तो मैं यह अर्ज कर रहा था इस सिलसिले में कि जहां तक तहसीलों का सवाल है......

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने उन शब्दों को वापिस लें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चम्मी बाय शब्द हटा दिये जायं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको प्यार से कही है यह बात ।

श्री मानसिंह महार : प्यार तो नहीं होना चाहिए, सभापति महोदया ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय, यह व्यक्तिगत एस्पर्शन है । अगर ऐसा है तो इसको एक्सपंज करने के लिए कहा जाये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कोई गलत नही कहा है । अगर आपको बुरा लगा है तो मैं दस बार वापिस ले लूं ।

तो अर्ज यह थी कि यह बात इस तरह से हुई । मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने फर्माया कि मेरी बात इसलिए नहीं समझते हैं कि मैं बीच बीच मे कुछ कह देता हूं । मेरा कहना है कि आप बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा करते हैं और आपकी सुनते हैं तो अच्छी बात है ।

मैं अर्ज कर रहा था तहसील के बारे में । उसके बाद माननीय नेता महोदय ने बल्कि संबंधित मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ बातें इस तरह की हैं कि वातावरण बनाने की कोशिश हुई है । कोई सही चीज है और सबूत के साथ में चीज रखी जाय तो उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से सहयोग के साथ जनता कि सेवा करेगी । इस संबंध में जो जनसंघ के माननीय नेता ने इस मितव्ययिता का मजाक उड़ाते हुए बात कहा, तो हम उसका सोर्स जानना चाहते हैं । आपने चार्ज लगाया तो इधर की तरफ से सहन किया गया । पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस यह है कि अगर विरोधियों को गलत बात हो तो मंत्रीजी को टोक देना चाहिए, चाहे जवाब बाद में दिया जाय इसलिए मुझे अफसोस है और इसलिए मैं सफाई चाहता हूं कि मितव्ययिता का मजाक उड़ाया गया और सारी १३ हजार के फर्नीचर की बात कही है और वे कुर्सी पर बैठे रहते हैं और नहीं कहते हैं कि वह बात गलत है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): वह उनको कहने दें । आप कैसे कहते हैं कि गलत है

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुगलों की तरह से कोई भी चीज की जा रही है तो गलत होगी और मितव्ययिता की बात जब हो रही है और किसी ने इस तरह की बात कही है कि १३ हजार का फर्निचर केवल एक आदमी के लिए लिया गया है । वह कोई पुलिस या आर० ए० सी० के लिए नहीं है । १३,००० की एक ऐसी रकम है जो हमारी समझ में नहीं आती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप माननीय मंत्रीजी से कहें कि वे स्पष्ट करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे पूछना चाहता हूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सही सही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसका टेन्डर नोटिस लाइये कि किस को दिया है, सबूत करें।

श्री भैरोंसिंह : फाइल पैड दिखाते हुए यह लो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सदन की मेज पर रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की मेज पर फर्नीचर नहीं रखा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार की गलत बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री: (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत) Order Order Please

श्री निरन्जननाथ आचार्य उप-मंत्री (शिक्षा) : Point of Order Chairman Madam.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके बारे में नहीं है। रूल्स में मंत्रियों को मना है पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज करने के लिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रूल ८४ ऑफ दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह है कि कुछ एलीगेशन्स फेक्ट्स का फार्म लेकर यहां प्रांगण में लगाये जाते हैं तो उनके संबंध में प्रीवियस नोटिस की आवश्यकता होती है स्पीकर महोदय को और जो मेम्बर कन्सर्न्ड है उनको ताकि इस संबंध में उचित रूप में जवाब दे सके तो एक बात तो यह है। दूसरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह से तो हम भूल जायेगें अपनी बात।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब यह प्रश्न बारबार उठाया जाय तो यह जरूरी हो जाता है। It has become a repetition. It has been raised more than once. It has been repeated four to five times and it has been replied or........

श्री भैरोंसिंह : Not replied.

श्री निरंजननाथ आचार्य: इसलिए मेरा यह निवेदन है कि प्रोसीजर में यह है कि रिपीटिशन नहीं होता है। यहां रिपीटिशन ऑफ दी सेम एलीगेशन हो रहा है एलीगेशन इन दी फार्म ऑफ फेक्ट्स दिये जाते हैं तो

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया हमें मालूम नहीं कि कौनसा रिपीटिशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्पीकर महोदया माननीय सदस्य का नोटिस चाहिए, वर्ना इस तरह के ऐलीगेशन्स नहीं लगायें जाय।

श्री भैरोंसिंह: सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि मैंने दो बातों बताई उन दो बातों के लिए वित-मंत्रीजी को जाने दीजिये लेकिन जिन्होंने पोइन्ट ऑफ आडर रेज किया है उनसे ही निवेदन कर दें कि ये दोनों चीजें गलत है क्या ? अगर वे यह कह दें कि गलत हैं तो मै अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप शिफ्ट बहुत जल्दी होते हैं। he has developed a very fine change …………

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : what is the point of order ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर वही है। आप जो सवालात उठा देते हैं उसका……..

श्री मानसिंह महार : यह तो भाषण होने लगा। Is this a point of order or a speech

श्रीमती सभानेत्री: Order ! Order please !!

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं चेयर से व्यवस्था चाहता हूं कि २७४ के अन्तर्गत यदि आरोप लगाये जायं तो उसकी व्यवस्था ी जानी चाहिये। प्रीवियस नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मिसाल कई मर्तबा हो चुकी है। जब आप वहां तशरीफ रखते थे तब आ चुका है। वहां की व्यवस्था कायम है। मित्तव्ययिता का मामला डिसकस हो रहा है तो उसमें फैक्ट्स देने का हमें पूरा अधिकार है। हमने किसी पर लांछन नहीं लगाया है। हमने एक क्वश्चन उठाया है कि ११-१३ हजार का फर्नीचर एक मिनिस्टर के लिये भी नहीं आता है। जो एलीगेशन लगाया है मैंने उसका विरोध किया है। इस तरह का एलीगेशन लगाना हम लोगों के लिये उचित नहीं है। इसलिये जब उन्होंने कहा और मित्तव्ययता का मामला चल रहा है तो २७३ लागू होता नहीं है। इस बारे में फैसला आपकी तरफ से हो चुका है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आप उपाध्यक्ष थे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप एलीगेशन न लगाकर अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एलीगेशन लगाये हैं उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : २५४ का उल्लेख किया गया है, उसमें ऐसी बात नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : २५४ का नहीं २७४ का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २७४ में भी ऐसी बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक नंबर इधर-उधर का क्या फर्क पड़ता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो, चेयरमैन महोदया, मैं अर्ज कर रहा था इस बात के लिये मित्तव्ययता के बारे में। कुछ तहसीलों के बारे में सिद्धान्त सरकार की तरफ से रख दिया गया है। उसके बाद में जो मित्तव्ययता हुई है उसके बारे में अपने विचार कि मित्त-व्ययता क्या होनी चाहिये ? उसके बारे में एक कमेन्ट में कहा गया। मैं इस मित्तव्य-यता के बारे में जो फीगर्स सरकार की तरफ से आये हैं ये फीगर्स पुराने हैं और आजका

Page No 79

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो नया वातावरण हुवा है और आज हमारी जो जरूरतें बढ़ी हैं उसकी रोशनी के अन्दर इन फीगर्स पर गौर नहीं किया गया। आज जिस वातावरण के अन्दर देश है, आज जिस तरह की हमारी ईमानदारी है, जिस तरह से हम उत्तेजना के अन्दर हैं, जिस तरह की हमारी तरफ से बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये उसकी जरूरत को देखते हुए फीगर्स पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि जब किसी गरीब के घर के अन्दर और गरीबी आती है, और पैसा कम होता है तो वह गरीब भी अपना बजट बनाता है, और उस बजट के अन्दर मैं आपको कहूं कि जब पैसा कम होता है और चीजें महंगी हो जाती हैं तो बजट के अन्दर वह आदमी हमला किस पर करता है कि घर में जो बच्चे होते हैं जो कि बोल नहीं सकते उनके दूध पर करता है, वह उनके दूध को काट देता है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर बजट बढ़ जाता है तो उसका असर छोटे तबके पर पड़ता है। लेकिन वह आदमी जब बाहर निकलता है तो उसका गरीब बच्चा जो आवाज नहीं दे सकता, जो चीख नहीं सकता उसका बाप ही खुद जो खास रिलेशन रखता है वही आज खुद कट करता है, उस बेजुबान का दूध बन्द करना चाहता है। गरीब लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनका दू़ध काटने की बात हुई, उनकी पढ़ाई काट दो, उनका दूध काट दो, उनकी और सुविधाएं काट दो, लेकिन आप खुद उसी हालत में रहना चाहते हैं, उसी तरह से रहना और चलना चाहते हैं। दूसरों की तरफ नहीं देखते यह इस सरकार की तारीफ है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। यह साधारण आदमी की तरह काट दिया गया है। इसके फीगर्स देखे जायं तो आप देखेंगे तो उसके पुलिस के खर्चे में से २८ लाख २४ हजार ७० की कटौती करने की बात है और अंदाज इसमें १२ लाख काटने का था। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया कि १२ लाख की कमी इसमें हो सकती है और आज जिन हालतों में से हमको निकलना पड़ रहा है और जिसको सदन और देश का बच्चा बच्चा जानता है उसमें पुलिस के खर्चे में कमी करना मैं समझता हूं मजाक की बात है। आज के इस रेफरेन्स में मैं यह कहूंगा कि और कुछ चाहें तो लेलें लेकिन पुलिस और आर० ए० सी० के अन्दर जिस तरह की गाड़ियों की जरूरत है, जिस तरह की डिफेन्स के लिये जरूरत है, सीमा की रक्षा व्यवस्था की जरूरत है उसको देखते हुए इसका खर्चा २८ लाख से १ करोड़ भी ले जावें तो यह सदन इन्कार नहीं करेगा। आज इस व्यवस्था के अन्दर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी के हाथ लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि सम्माननीय वित्त मंत्रीजी, इसके सब महत्व को समझना होगा। इसके महत्व को समझने के बाद बंदर के हाथ में तलवार नहीं होनी चाहिये वरना जिस पर चलगई चल गई बल्कि तर्क, सिद्धान्त या उसूल पर चलना पड़ेगा।

दूसरी तरफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। वहां ११ लाख मेंसे १ लाख की कमी की गई। आपका तखमीना ११ लाख का था और आज आप फरमाते हैं १ लाख…

श्री मानसिंह महार (आमेर) :अभी बंदर किसको बताया गया है? वह बहुत गलत है क्या हमारे वित्त मंत्रीजी बन्दर हो गये? ऐसी बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने आपको बताया है । आप समझे नहीं हैं....

श्री मानसिंह महार : मैं बहुत समझ रहा हूं । मैं आपके शब्दों को बहुत साफ देख रहा हूं और मैं ऐतराज करता हूं । मुझे बंदर बनाया तो मैं वित्त मंत्रीजी की तरह बंदर नहीं हूं, मनुष्य हूं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्द वापिस ले लें, विद्ड्रा कर लें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): On a point of privilege, Sir. वित्त मंत्रीजी के सम्बन्ध में कहा गया कि "वित्त मंत्रीजी की तरह बंदर नहीं हूं; This is a breach of privilege, Sir and I would say that the Hon'ble Member should withdraw and tender unconditional apology for what he has said, as against the dignity of the House, Sir.

श्री मानसिंह महार : पहले मुझे बंदर बनाया गया है, वे अनकंडीशनल एपोलोजी कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे मेरे से अनकंडीशनल एपोलोजी मांगें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे शब्द पढ़ लिये जायं । मैंने सिर्फ यह कहा है कि फंड्स बंदर की तलवार नहीं है । आपके लिए कहा नहीं और आप बीच में ही बोले । पहले आपने लांछन लगाया इसलिये मजबूर होकर मैंने आपकी तरफ इशारा किया । आपकी तरफ मजबूरी में किया है । पहले आप अपनी एपोलोजी कर लीजिये उसके बाद आप जो कहेंगे वह कर लूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत): मुझे दुःख है कि आप सदस्यगण इस तरह की बात कर रहे हैं । Please Continue.

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about my point?... जो माननीय सदस्य ने कहा है.....

श्री मानसिंह महार : क्या कहा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनसे एपोलोजाइज कराया जाय ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इस तरह का वातावरण चल रहा है यह हाउस के लिये शोभायमान नहीं है । माननीय सदस्य जो, अपोजिशन के चीफ व्हिप हैं उनकी तरफ से आवे तो यह दुःख पूर्ण है, अशोभनीय है; इसलिये मैं समझता हूं कि वे स्वयं विद्ड्रा कर लेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दोनों ही तरफ से आया है इसलिये दोनों ही विद्ड्रा करें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मैं माननीय सदस्य श्री मानसिंहजी ने जो रिमार्क्स दिये हैं उनको उचित समझता हूं और न माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसादजी ने जो शब्द कहे हैं, उनको उचित समझता हूं । इसलिये मैं आपकी मार्फत दोनों से निवेदन करना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ये शब्द वापिस लें ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपके विचारों से सहमत हूं। दोनों ही तरफ से ये शब्द विदड्रा कर लिये जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने अपने शब्द सही कहे हैं यह फंड्स बंदर की तरह से नहीं है। इनसे इन्कार नहीं हूं। बाद में उन्होंने इस तरह के शब्द कहे. । पहले श्री मानसिंहजी माफी मांगे तो बाद में मैं मांगने के लिए तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छाहोगा बदरों की बात को प्रोसिडिंग्ज में सेनिकाल दिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी : प्रोसिडिंग्ज में से एक्सपन्ज करना (is something else)।

श्रीमती सभानेत्री : बंदरवाले शब्द दोनों ओर से विथड्रॉ कर लिए जायं। मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं हैं। इसलिए बहुत अच्छा हो विथड्रॉ कर लिए जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर रहा था बीच ही में इन्होंने बात चलाई। मैं सदन से कहूंगा कि जिस बारे में....

श्रीमती सभानेत्री : पहले इन शब्दों को विथड्रॉ करें दोनों तरफ से।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले वे करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : जिसमें बड़प्पन हो वही पहले विथड्रॉ कर लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे कोई ऐतराज नहीं है यह कहने में कि बंदर की तलवार है। इससे यदि आप नाखुश हैं तो मैं इन शब्दों को विथड्रॉ करता हूं।

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्षा महोदया, मैंने वित्त-मंत्री को डाइरेक्टली कभी बंदर नहीं कहा और न कभी कहूंगा

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बार बार बंदर शब्द का उपयोग न हो और दोनों तरफ से विथड्रॉ कर लिए जाएं और बहस शीघ्र समाप्त कर दी जाय।

श्री मानसिंह महार : बंदर शब्द मैंने वित्त-मंत्रीजी के लिए नहीं कहे थे, यदि आप समझते हैं कि कहे तो मैं उनको वापिस लेता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सरकार को सही ढंग से चीज को लेना है..

श्री मानसिंह महार : On a point of order Madam, उन्होंने अपने शब्द वापिस नहीं लिए हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जारी रखें।

एक माननीय सदस्य : क्या ये ही आपस में बहस करते रहेंगे और दूसरों को नहीं बोलने देंगे ?

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जारी रखें और फिर इस तरह की बात न हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने कहा इस बारे में आपसे फिर बात करूंगा । यह कहना है कि इसको सही ढंग से रखने दें । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुझे लाइन से उतारने की कोशिश न करें और मेरी बात मुझे कहने दें मितव्ययता में हमारा इरादा ५० लाख काटने का था उसको ९६ लाख किया । सही कदम है लेकिन जैसा बैलेंस के अन्दर कहा गया, आप देखेंगे कि २३ लाख एज्यूकेशन में काटा है । मैं सरकार से पुरजोर अपील करना चाहता हूं । (३.०० म. प) कि मैं आज मानता हूं कि हमारे बच्चों का दूध काटने का तरीका है एज्यूकेशन के बजट में से कटौती करना । इसमें मितव्ययता हमको किसी तरह पनपने नहीं देगी । मैं मासूम बच्चों के नाम पर अपील करूंगा कि आपको उन्हें आज शिक्षा से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है । जो बच्चे जुबान नहीं निकाल सकते हैं और जिनकी तरफ से जबान निकालने वाले यहां बैठे हुए है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी रक्षा करनी चाहिए । राजस्थान के बच्चों की रक्षा की मैं उम्मीद करता हूं, हमारे वित्त-मंत्री से नहीं तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री से ····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): दोनों अजमेर के हैं

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : दोनों अजमेर के हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरे हाथ मत लग जाना । मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा चेयर से, किस तरह कहें कि हम कहां के हैं । हम कहां के है इससे आपका क्या ताल्लुक हैं ?

मैं अर्ज कर रहा था कि मैं २३ लाख की कटौती का विरोध करता हूं और आपको अगर २३ लाख चाहिए तो मैं ऐसी जगह बतला सकता हूं, आपको २३ लाख चाहिए पुलिस के लिए तो मैं रास्ता बतला सकता हूं लेकिन जिसमें कटौती करने की जरूरत नहीं उसमें मितव्ययता क्यों करते हैं और जिससे हमारा मन निकलता है और दिमाग को, जिसको मडल्ड हैडेड कहा, वह एक दो का नहीं राजस्थान के सब बच्चों का बनाना चाहते हैं । इसलिए वहां कोई कट नहीं होना चाहिए बल्कि कट के तरीके को सोचना चाहिए कि हमें रास्ता कहां से निकालना है ? रास्ता वहां से निकल सकता है, आपने ऐसा कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब सब बैठे हैं, मैं बड़े अदब और दुःख के साथ अर्ज करूंगा कि यह जनता की कमाई है, यह टैक्स की कमाई है, और इसलिए अगर सदन में तेरह हजार के फर्नीचर की बात आती है तो आप उसको फेंक दीजिये, उस तेरह हजार के फर्नीचर के लिए आप कह दीजिये, हमें इसका उपयोग नहीं करना है, नहीं करना है ······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : जो मोटर खरीदी, उसका क्या होगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मोटर के बारे में छेड़ दिया है तो मैं बताता हूं

श्रीमती सभानेत्री : समय का ध्यान रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मोटर की बात कहते है मोटर की बात छेड़ते हैं तो मैं कहता हू, आप तसल्ली से सुनिये । मैं साफ कहने का आदी हूं, आपको पता नहीं लगा हो, मोटर ली गई वैसे मोटर सबको मिलती है, आपका जो मतलब है कि मोटर ली तो मैं कहना चाहता हूं कि मोटर तो सब के पास है ··

श्री भैरोंसिंह : नई ली गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नई और पुरानी की बात छोड़ दीजिए । सबकी मोटर नई है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । लेकिन मैंने एक बात सुनी थी—रेल्वे लाइन के ऊपर एक पुल बना है । वहां कुछ लोग खड़े हुए थे । उन्होंने एक मोटर को रोका और कहा--देखो, यह कुत्ता मार मोटर आ गई । उन्होंने उसको रोका और रोकने के बाद में जो उस मोटर में ड्राइवर बैठा था, उसने कहा—मैं नहीं हूं । मैं नहीं चला रहा था; मोटर उस वक्त चला कोई दूसरा रहा था मुझे छोड़ो । यह मुझे लोगों ने कहा, यह उसी मोटर का केस है । वैसे मैं कहता हूं कि आज मोटर की जरूरत है लेकिन जहां फर्नीचर की बात है, हम क्योंकि साधारण घरों से आते हैं, और साधारण आदमी मोटर में नहीं चलता·····

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, समय का जरा ध्यान रखें क्योंकि और बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बस ! दो पाइंट और हैं ।

इसके बाद में कट की बात पर आ जाता हूं और उसके सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । जो सही बात है, उस पर किसी मेम्बर की नजर नहीं जाती है बल्कि व्यक्तिगत और जातिगत बातें चलती हैं । मैं दिल से यह बात कहता हूं और जो लोग मुझे जानते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत बातों के अन्दर नहीं जाता । लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से किसी तरह से मुझे आज मौका मिला है और भगवान को हाजिर नाजिर समझ कर बड़ी इज्जत के साथ अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला है, जो कि मेरा कर्त्तव्य भी है और उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं । मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आज एक सवाल उठा, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि शराब के बारे में जब प्रश्न उठाया था, जब इस पर टैक्स लगाया गया था और क्योंकि पंजाब में ज्यादा लगा हुआ था इसलिए आमदनी का जरिया ज्यादा बढ़ाने के लिए आप सब लोगों ने मांग की थी कि टैक्स लगाया जाय । उस पर टैक्स बढ़ा और टैक्स बढ़ने के बाद दा साहब, या शिक्षा मंत्री जी कहूं, ने मीटिंग में मुझे बुलाया, मुझे निमंत्रण दिया, जिसकी प्रेसीडेन्ट न जाने कौनसी माता जी थी और उस मीटिंग में विचार किया कि शराब नहीं पीनी चाहिए···

एक माननीय सदस्य : श्रद्धा माता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे आश्चर्य है, चौदह वर्ष से इसकी जरूरत नहीं हुई लेकिन आज सोलह दुकान देने की जरूरत हो गई शराब की और वह भी उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां जब से राजस्थान बना तब से दुकान देने की जरूरत नहीं समझी गई । इसके सम्बन्ध में जो पॉलिसी बनी हुई है, इसके लिए जो केबीनेट का डिसीजन है, वह आपके पास कागज है, जिसमें कहा है कि हमारी पालिसी है कि कम दुकान दें । उसके बाद भी दुकानें दी गई । दुकानें दी गई, इसका अफसोस नहीं है । अफसोस इस बात का है कि आज घाटे में, इस योजना काल में, राजस्थान में वार फंड या डिफेन्स फंड के लिए सोलह दुकानों में से ग्यारह दुकानें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दे दी हैं। तब पांच बची हैं, मैं पांच के लिए कहता हूं, आप पांच दुकानें देना चाहते है तो भले ही आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है लेकिन आप वार फंड में दें या किसी और फंड में दें, आज पांच लाइसेन्स के लिए आपको चालीस हजार देने को लोग तैयार हैं। आपने ग्यारह दी है, किस लिए और किसको दी हैं, उसे कभी पूरा कहूंगा जब कभी मौका होगा। ग्यारह दुकान पचास हजार में देकर उसका विकास काल में योजना तथा शालाओं के लिए उपयोग किया जाता है······

एक माननीय सदस्य : किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ग्यारह दुकानें देने के अन्दर, जो लाइसेन्स की कन्डीशन्स हैं, वे किस तरह पूरी हुई हैं और कैसे लाइसेन्स दिये गये हैं यह हर कोई समझता है और सदन के अन्दर साफ तौर से सब बातें आ गई हैं। उसके बाद जो पांच दुकानें बची हैं उन्हें इस तरह मत दीजिये जिस तरह ग्यारह दी है। ग्यारह दुकानों को देने के बारे में इन्क्वायरी करवा लें जिनसे मेरे लिए और आपके लिए- दोनों के लिए– इज्जत का प्रश्न बन गया है। इसके लिए आप मैदान में आयें और एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी के नाम पर इसे मत दीजिये इसमें सेफ्टी की बात नहीं है। अगर आपने लाइसेन्स गलत दे दिये हैं तो ठीक हैं। इसमें सेफ्टी को बात कहां है ? शराब देने में एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी की बात आ गई। इससे हम दोनों की इज्जत ही खतरे में नहीं पड़ती, यह गलत लोगों के नोटिस में भी आती है, यह बात समझ में आती है लेकिन आपने लचर दलील दी है और साथ ही साथ आंकड़े भी दिये। उस आधार पर अब आप बाकी की पांच दुकानें मत दीजिये। जब आप देंगे तो कम से कम तीस हजार और ज्यादा से ज्यादा चालीस हजार देने वाले मिल जायेंगे। उस पैसे को लेकर आप चाहें जहां लगा लें। (घंटी) इससे आमदनी बढ़ सकती है इसलिए आप मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दीजिये। पुलिस का जो विभाग आज काम कर रहा है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है इसमें कोई सन्देह नहीं हैं। लेकिन इस सदन में इधर से लेकन उधर तक यही राय है कि हमारे सामने शांति और व्यवस्था की बात रख कर अगर हमारे बच्चों की एज्यूकेशन में कमी करके हमारे बच्चों के गले पर सरकार ने हाथ रखा तो सदन के सभी सदस्यों को एक तरफ खड़ा होना चाहिये और इसमें कोई कमी नहीं करने देना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): सभापति महोदया, राज्य सरकार ने हमारे राज्य के प्रशासन में कमी करने के सिद्धान्त को लेकर जो कुछ भी विभागों में रद्दोबदल करके, कमी करके और उनमें खर्च कम करने के सिद्धान्त को मान कर जो हमारे सामने उसकी रिपोर्ट पेश की हैं, आज हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मैंने बजट अधिवेशन के समय में भी यह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कहा था कि राजस्थान के अन्दर प्रशासन के ऊपर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है और उसको कम करना अत्यावश्यक है। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट निकाला था और उसमें यह कहा था कि इस प्रान्त की आर्थिक हालत को देखते हुए यह जरूरी है कि हम लोग अपने खर्च में कमी करें और इसके लिए उन्होंने विरोधी सदस्यों से भी सुझाव मांगे थे। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी इस बात को किसी दूसरे ने माना हो या न माना हो, पर ज्यों ही उनका स्टेटमेंट अखबारों में निकला, ठीक उसके दूसरे रोज मैंने एक विस्तार से राजस्थान के प्रशासन में किस किस विभाग में किस किस तरह कमी की जा सकती है उसके लिए सारा स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद आज जो परिस्थिति हमारे सामने इस प्रान्त के अन्दर प्रशासन के खर्च को लेकर उसमें कमी करने के प्रश्न के ऊपर आई है यह एक बहुत ही शोचनीय परिस्थिति है। सबसे पहले जब यह कहा गया कि हम इस राजस्थान के अन्दर कुछ तहसीलों को इसलिए कम करना चाहते हैं कि ये तहसीलें छोटी हैं और इनको कम करने से प्रशासन के खर्च में कमी हो जायगी। मैं इस बात की इन्तजार में था कि शायद वित्त मंत्री, यह सरकार या सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री इतनी बड़ी बात को जब करने जा रहे हैं, जिसके लिए इस हाउस के अन्दर आज के पांच महीने पहले एक एक आइटम के ऊपर खर्च को लगा कर आमदनी को लगा कर एक बजट पेश किया गया, उस बजट के अन्दर इतनी बड़ी कमी करने के लिए बहुत जरूरी था कि हाउस के जितने भी अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उनकी कमेटी बना कर, उनको कान्फीडेन्स में लिया जाकर इस तरह की कमी की जाती तो मैं समझता हूं कि वह प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज होती और जिस चीज को आज अॉपोजीशन किया जा रहा है, जिसको गलत साबित करके कहा जा रहा है, उसको कहने का मौका नहीं आता; परन्तु कानून को ताक में रख कर आपने यह कार्य किया है। आप देखते हैं कि आज के कानून में कहीं पंचायत भी हो और अगर वह किसी की बाउन्डरी को कम करना चाहती है तो नोटिफिकेशन जारी करती है। यह तो तहसील या जिले की बाउन्डरी को कम करने के लिये बात है इसके लिये आपका गजट में नोटिफिकेशन होना चाहिये। मैं बहुत अदब से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पंचायत एक्ट में कहा गया है कि अगर ५ रुपये की जमीन को भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको नोटिस दिया जाता है। जब राजस्थान की सरकार इतना बड़ा मसला तय करने जा रही है जिसमें लाखों आदमियों की जिन्दगी का सवाल है तो पब्लिक को इस मामले में पूछा नहीं गया कि इतनी तहसीलें कम की जा रही है। इतना ही नहीं इसके अलावा जिस दिन यह सूचना निकाली गई कि इतनी तहसीलों को कम किया जावेगा उसके पहले यह किसी को पता नहीं कि जिनकी उन तहसीलों में पेशियां थीं उनका क्या होगा यह सूचना १४ तारीख को गजट में निकलती है। १५ और १६ की छुट्टी होती है। १७ तारीख को लोगों को पेशियों पर कोर्ट में जाना है। उनको यह भी पता नहीं कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कौनसी कोर्ट में जाकर हम हमारा मुकद्दमा पेश करेंगे । इस तरह का निर्णय लिया गया, यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध था । इसलिये मैं कहूंगा कि जो गजट नोटिफिकेशन किया गया वह गजट भी हमको २० तारीख को मिला । उसके अन्दर यह बताया गया कि इन आधारों पर हमने तहसीलों को कम किया और उसका मूल आधार है सन् १९५५ में बिठाई गई एक कमेटी जिसके ५ सदस्य थे वे हमारे राजस्थान की राज्य सरकार के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं । उन लोगों की कमेटी बनाई गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कमी करने का मूल सिद्धान्त सरकार ने बताया और इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की जब बात आई तो काफी बहस के बाद यह पोजिशन जो हमारी तहसीलों को तोड़ने के सम्बन्ध में है हमारे सामने रखा । हम देखते हैं कि जिन ३२ तहसीलों को कम करने की सिफारिश की है उसके साथ साथ बहुत सारी बातें कही गई है और यह कहा गया है कि २१२ तहसीलें हैं उसके बजाय १८० करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है ? उन्होंने बताया कि मितव्ययता हो नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि उसकी जनसंख्या ५० हजार से कम हो उसके अलावा हम डेवलपमेंट ब्लॉक भी रख सकते हैं उसको आधार मानते हैं । इसको आधार मानते हुए उन्होंने तहसीलों को कम करने की सिफारिश की । परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से और वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं क्योंकि यह किसी एक मंत्री की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं संयुक्त मंत्री मंडल की जिम्मेदारी है ।

इसमें जो मूल बात कमेटी की तरफ से लिखी गई थी उसके बारे में मैं पूर्व इतिहास बताऊं तो आपको मालूम होगा । सन् १९४७ में हिन्दुस्तान को आजादी मिली । सन् ४८ में छोटा राजस्थान का निर्माण उदयपुर में हुआ । उस तारीख से लेकर इस रिपोर्ट को बनाने वालों का पूरा सम्बन्ध है । ऐतिहासिक सम्बन्ध मैं बताना चाहता हूं । मेवाड़ जो पुराना राजस्थान था, उसमें जो ठिकाने थे, दूसरी रियासतें मिली उसके बारे में १९४९ में व्यवस्था की गई थी । इसके पहले सन् १९४२ में मेवाड़ में एक व्यवस्था की, जब टी. कृष्णामाचारी वहां प्राइम मिनिस्टर बन कर आये । उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा था उसको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में बदल दिया । उस वक्त में तहसीलें और डिविजन व सब-डिविजन आदि का निर्माण किया गया । मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उस समय भी वही मुख्य सचिव थे···

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी समाप्त कर दें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं बहुत कम बोला हूं अभी काफी बोलना है ।

श्रीमती सभानेत्री : और भी बहुत से आदमियों को बोलना है ।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये समय निर्धारित कर दें ।

श्रीमती सभानेत्री : समय निर्धारित करना होगा ।

श्री उमरावसिंह : मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ३५ मिनट तक बोला है ।

श्रीमती सभानेत्री : अब मैं १० मिनट देती हूं ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभानेत्री महोदया, तहसीलों के पुनर्गठन को लेकर बहस चल रही है, आज की फाइनेन्शियल कॉन्टीनेन्सीज को लेकर । सन् १९५५ में एक ऐक्सपर्ट कमेटी इसके लिये बनाई गई थी और यह कार्य उस कमेटी को सौंपा गया उस कमेटी में राजस्थान के टोपमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले शामिल थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट ४ वर्षों में तैयार करके जो सिफारिशें गवर्नमेंट को की उसमें ३२ तहसीलों को कम करने का आयोजन था । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से केवल १७ को ही कम किया है । इन १७ में से ९ तहसीलें तो कोटा में से कम की गई हैं और जो कम की गई है सिफारिश के आधार पर नहीं, उस सिफारिश को अलग रख कर दूसरी तरह से कम की गई हैं । यह बड़े अफसोस की बात है कि जिस कमेटी ने चार वर्षों में अपनी रिपोर्ट की है उसको नहीं मानकर दूसरी तहसीलों को अपने मनमाने ढंग से कम करना, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियेन्सी का अच्छा नमूना नहीं कहा जा सकता । इसमें जो टर्मस ऑफ रेफरेन्स है उसमें यह कहा गया है कि "with a view to ensure greater efficiency in the disposal of the public business and speedy execution of development programmes" तो स्पीडी एफिसियेन्सी और एग्जिक्यूटिव ऐफिशियन्सी का जहां तक सवाल है वह अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं किया है । जैसा कि मैं आपको एग्जेम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं कि कोटा जिले की तहसीलों का नमूना है वह मैं पेश करता है । कोटा रियासत के समय में तहसीलें बड़े साइन्टिफिक तरीके पर बनाई गई थीं। उसमें वहां की आबादी के साथ साथ रिसोर्सज और आवागमन के साधनों का भी ध्यान रखा गया था । अभी आपने तहसील कनवास और सांगोद को एक तहसील बना दिया । मैं कहूंगा कि वहां वर्षा में ऐसी नदियें आती हैं कि लोग आ जा नहीं सकते और ४ महीने तक रास्ता बन्द रहता है । इसलिये वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियन्सी में दिक्कत आवेगी । यह सदन को मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ ।

इसी तरह तहसील बकानी है । इसको इकलेरा और झालरापाटन में बांट कर लगाया है । इसके जिस हिस्से को इकलेरा में मिलाया गया है, उसके और इकलेरा के बीच में एक बड़ी नदी आती है, जिसको बरसात में पार करना बड़ा मुश्किल है । तो ऐसी हालत मे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन्स लिये हैं उनके साथ साथ उनमें कॉम्युनिकेशन्स के साधनों का भी प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि इनके फोर्मेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिसियेन्सी रह सके । इस तरह के काम्युनिकेशन्स के अभाव में नये फॉर्मेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिसियेन्सी का रहना बड़ा मुश्किल है । मैं मानता हूं कि जनसंख्या के हिसाब से कम करना आवश्यक था पर जिस तरह एमलगमेशन किया है उसमें काम्युनिकेशन्स की डिफिकल्टी आयगी, इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी टर्म ऑफ रेफेरेन्स में बात बताई है वह यह है.—

"They should be so reorganised so as to make their jurisdictions coterminus with the development blocks" इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा है । कई

(श्री जूंझारसिंह)

जगह को-टर्मिनस विथ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर बकानी के ब्लॉक के लिए अर्ज करूं, बकानी का ब्लॉक अलग चीज हैं। यह तहसील दो जगहों में बांट दी गई है और तहसील हैडक्वाटर, पंचायत समिति और ब्लॉक; इन तीनों का कोटर-मिनस नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी बढ़ेगी, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह मनोहरथाना तहसील है वह बोर्डर पर है, पास में मध्यभारत लगा हुआ है। बोर्डर प्रोब्लम्स रहती हैं, आज इकलेरा में मिलाने से एक लाख से ऊपर आबादी हो गई है। तो इसको बनाने में जल्दी की है और पूरी तरह इस सवाल को नहीं विचारा है। इसी तरह मे अपने एन्क्लेव्ज के बारे में कहा है कि इन को मिला दिया जायगा पर अब तक एन्क्लेव्ज को नहीं मिलाया गया है। गागरोन है झालावाड़ से तीन मील है। आज की मौजूदा तहसील, कनवास तहसील हैडक्वार्टर्स से ३२ मील पर है. जबकि झालावाड़ तीन माइल पर ही है, इसमें नहीं मिलाया गया है। तो सरकार को यह सोचना है कि जो एरिया जिस तहसील में मिलाने के लायक है, उसमें उसे मिला देना चाहिये। इसी तरह से भैंसरोड़गढ के ७२ गांवों को मिलाने की सिफारिश थी उसके बारे में भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, यह कोटा की चेचट तहसील के साथ है इसके बारे में डेफीनेट डिसिजन होना चाहिये ताकि रीऑर्गेनाइजेशन का मामला पीस मील में न हो। आज एक डिसीजन लिया एक साल बाद और दूसरा डिसीजन लिया दो साल तीन साल बाद; तो यह सब पीस मील में हो जायगा। तो पीस मील के बजाय जो कुछ भी आपका फैसला लेना है, डिस्ट्रिक्ट की एन्क्लेव्ज के बारे में, तहसीलों के बारे में, इनको सबको एक साथ तय करना चाहिये ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी को एक साथ पूरा करें। कोटा के कुछ एरिया को झालावाड़ में ट्रान्सफर करने की सिफारिश की है। कमेटी ने दो तहसील ऐसी है जिनको कोटा से झालावाड़ में ट्रान्सफर करने की सिफारिश की है, इनकी ज्योग्राफिकल सिच्युएशन ऐसी है, झालावाड़ के नजदीक पड़ती है, जनता भी वहां की यहीं चाहती है। तो ऐसी दशा में ज्योग्राफिकल सिच्यु-एशन ऐसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी ऐसी है, वहां की जनता चाहती है तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, सस्पेन्स में इस मामले को छोड़ दिया है, इसके बारे में सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिये।

यह सब फैसला करने के साथ ही साथ हमें मितव्ययता की बात को भी ध्यान में रखना होगा। जो डी०एल०आर०ओज० के हैडक्वाटर को बदला गया है इसके लिये निवेदन है कि डी०एल०आर०ओज० को एक जगह से दूसरी जगह देने में लोगों को तकलीफ हुई है। आज जिस ढंग से काम हो रहा है उसको देखते हुए लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आज लोगों को अपना कोई भी काम करवाने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स तक जाना पड़ता है, वे लोग यदि वहां नहीं पहुचते हैं तो उनका कोई भी काम नहीं होता। यदि एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिना किसी प्रकार की डिफिकल्टीज

(श्री जूंझारसिंह)

के; ठीक ढंग से, आसानी से चलता हो तो उस दशा में डी०एल०आर०ओज० के हैड क्वार्टर्स कहीं भी रहें तो भी किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं; पर आज जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है उसको देखते हुए, इस प्रकार के इन्तजाम से लोगों को डिफिकल्टी होगी।

एक निवेदन मेरा और है। वह यह है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले उस डिसीजन पर गवर्नमेंट को डटे रहना चाहिये, स्ट्रिक्ट रहना चाहिये, उस पर स्ट्रिक्ट नहीं रहने से ज्यादा आपत्तियां उठती हैं; पहले से ही अच्छी तरह केलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिये। यह बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है। तहसीलों के फोर्मेशन के बारे में जल्दी की गई है, वह वाजिब नहीं है, माइनर एड्जस्टमेंट करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर): आदरणीया सभानेत्री महोदया, सदन के समक्ष विचारणीय प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलों का कम करना कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में तहसीलें जरूर कम होनी चाहिये। तहसीलें ही नहीं, मैं समझता हूं जिलों को भी तोड़ कर कम कर देना चाहिये। हमारा विरोध सरकार के इस प्रकार के कामों से नहीं है। हमारा विरोध तो इससे है कि सरकार अपनी नादिरशाही करती है, जनता की भावनाओं को नहीं देखती। मैं तो जानता भी नहीं कि हुरड़ा तहसील कहां है, बनेड़ा तो मुझे जाने का सौभाग्य हुआ है।

एक माननीय सदस्य: बनेड़ा में आपके रिश्तेदार होंगे।

श्री मानसिंह महार: बनेड़ा और हुरड़ा के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, हुरड़ा से रिटर्न हुए माननीय उप-मंत्रीजी भी मेरे मित्र हैं, जैसे बनेड़ा के मेरे मित्र हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व): मैं हुरड़ा से रिटर्न नहीं हूं।

श्री मानसिंह महार: वहां के रहने वाले होंगे, पर इस बिना पर बनेड़ा को तोड़ दिया जाय और हुरड़ा को तहसील कर दिया जाय, यह दुःख की बात है। वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, यह बहुत गम्भीर विषय है। इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां होती हैं, यह ठीक नहीं है। मैं जानता हूं सरकार की नियत में बदनियती नहीं है लेकिन यह कैसे हुए, इस पर विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत पक्षपात हो गया है। इस प्रकार का काम किया जाय तो साफ दिमाग से काम करना चाहिये, प्लान्ड वे में चलना चाहिये, तहसीलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ना। यह कोई ओवर नाइट चीज नहीं होनी चाहिये, राजस्थान वाइड करना चाहिये।

कोटा से आये हुए मित्र ने कहा कि तहसीलें तोड़ दीं, मैं तो कहूंगा कि जयपुर में इतनी बड़ी तहसीलें हैं कि उनके कारण हमें बड़े घाटे में रहना पड़ा है। डेवलपमेंट का पैसा मिलता है तो हमें बहुत घाटा रहता है। इस समय जब कि पंचायती राज में रहते हैं तो तहसीलों को बहुत छोटी-छोटी करना आवश्यक हो गया है। बनेड़ा तहसील टूटने से पंचायत समिति बनेड़ा भी टूट जायगी।

(श्री मानसिंह महार)

इस प्रकार कोटा डिविजन में भी कुछ पंचायत समितियां टूट जावेंगीं। इस ओर भी हमें ध्यान देना है। जयपुर जिला कोटा डिविज़न के बराबर होगा। यहां १७ एम० एल एज हैं जब कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दो-तीन एम. एल. एज. हैं यदि कम करना है तो इस ओर कुछ करना चाहिये। जिलों को रिओर्गेनाइज़ करिये। १७६ सीट्स एम. एल. एज़ के लिए राजस्थान में हैं। या तो सब इनको तहसील कर दीजिये। असेम्बली की एक युनिटउचित मानता हूं और जिलों को भी इसी प्रकार चार-चार, पांच-पांच या आठ-आठ की एक युनिट में बांट दिया जाय काम चल सकता है। आपका जितना प्लान है वह एक हेपहेजार्ड प्लान है। रिओर्गेनाइज करना था तो इसके लिए सेट पैटर्न बनाना चाहिये था। मुख्य मंत्रीजी ने बड़े दुख के साथ कहा कि ऑपोजिशन को को-ऑपरेट करना चाहिये। जहां प्लान्ड वे में अगर मुख्य मंत्रीजी काम करेंगे तो को-ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अन्यायपूर्ण और पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियां होती है तो सहयोग करने के लिये तैयार नहीं है।। आज हमारे सिर पर एक तरफ चीन का आक्रमण हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिस में कमी की जा रही है। राजस्थान की आर्म्ड कान्स्टेबुलरी नेफा में गई हुई है, काश्मीर में गई हुई है। गृह-मंत्रीजी कह रहे हैं कि आर्म्ड कान्स्टेबुलरी नेफा नहीं गई है। कश्मीर भी इतना ही खतरनाक है। उनको एक्स्ट्रा तो देते नहीं है। गृह मंत्रीजी पुलिस में और कटौती करते हैं। वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमको वार फुटिंग पर चलना है। हमें ये चीजें नहीं देखनी है कि एक जिला तोड़ दिया या एक सोशियल वेलफेयर आफिसर तोड़ दिया या एक इन्स्पेक्टर ओफ स्कूल्स कम कर दिया। वार फुटिंग पर हमको चलना है। इस सेशन में हम उम्मीद करते थे कि वित्त मंत्रीजी कोई ऐसी चीज लावेंगे जिससे टोटल मोबिलाइजेशन हो। राजस्थान वार फुटिंग पर चले तो कम से कम हमें मालूम हो तो सही। यह दुर्भाग्य है इस देश का। मितव्ययता के नाम पर पुलिस और फौजी ताकतको तो बढ़ाने की बात नहीं की जाती है और कटौती की जाती है। पाकिस्तान का हमला हो तो बोर्डर पर आर. ए. सी को तैयार करना चाहिये।

(घंटी)

अभी खत्म कर रहा हूं। अभी दो मिनट और बाकी हैं। मैंने समय देख लिया है।

आज हमारे बोर्डर पर पाकिस्तान का हमला हो सकता है किसी समय। इस ओर भी ध्यान देना है। भारतवर्ष के डिफेंस मिनिस्टर यह कहते थे कि मैं कल्पना नहीं करता था कि चीन नेफा में हमला कर देगा। आज भी यही कहते हैं। गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कल्पनाशून्य न हो जायें। यह ध्यान रखें कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान का लम्बा चौड़ा बोर्डर है और उसको यह मालूम है कि हिन्दुस्तान की सारी फौजें नेफा और लद्दाख में जारी हैं तो किसी समय पाकिस्तान हमला कर सकता है। उसके लिए तैयार नहीं हैं तो उसके लिए आप मोबिलाइजेशन कीजिये

(श्री मानसिंह महार)

राजस्थान के अन्दर । राजस्थान एक बहुत लड़ाकू प्रान्त है, लड़ाकू आदमी है । यहां पर रिटायर्ड फौजी भी है । मैं तो कहूंगा कि ये छोटी २ बातें जिला और तहसील इनको भूल जाइये । यह भी आप भूल जाइये कि इधर कांग्रेस पार्टी वाले हैं और उधर स्वतन्त्र पार्टी वाले बैठते हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं गृह मंत्रीजी आप जितने प्रेक्टिकल स्टेप्स उठायेंगे राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए जितनी जितनी कुर्बानियां चाहेंगे स्वतन्त्र पार्टी पूरी तरह कुर्बानी देगी । लेकिन अगर वे इस प्रकार की हरकतें करेंगे और उनमें साम्यवादियों को शामिल करेंगे····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): साम्यवादियों को लेकर नहीं कह रहा हूं दूसरी बात कर रहा हू ।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : उनका भी दिमाग साम्यवादी हुआ जा रहा है ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): पाकिस्तान से बात की थी, उसके सम्बन्ध में सलाह करने गये थे ।

(शोरगुल)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : किस किस से कर रखे हैं···

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : पाकिस्तान से किये हैं, और से कर रखे हैं उनके चरण सरकार···

(शोरगुल)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : किस किस से कर रखे हैं····

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : विषय पर आइये ।

श्री मानसिंह महार : ये डिस्टर्ब कर देते हैं ।

तहसीलों की ओर ज्यादा विचार न करके राजस्थान को एक नेशनल वारफूटिंग पर लाना है । बोर्डर पर पूरी ताकत लगा देनी है और इसके अन्दर यह प्रिसिपिटेंट टेन्डेन्सी वाले लोगहै जैसे कि हमारे साम्यवादी है जो एक तरफ चीन हम पर हमला करता है तो वे नहीं मानते, चीन ने हमारी ५०० मील भूमि पर हमला कर दिया और फिर भी उसको वे हमला नहीं मानते । दूसरी तरफ हमारी खुली ओफर है हम से सहयोग लीजिये, मदद करेंगे । उन पर आप विशवस मत कीजिये ।

(घंटी)

जिस प्रकार चीन ने हमारे साथ धोखा किया है । उसी प्रकार भारत के इन साम्यवादी मित्रों से भी धोखा खावेंगे । यह अपील करते हुए मैं कहूंगा कि यह समय है कि आप राजस्थान को एक वारफूटिंग पर लावें । वित्त मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ध्यान देंगे उचित होगा, वर्ना इस प्रकार की कटौती से कोई फायदा नहीं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं यह निवेदन कर दूं कि मुझे अपनी पार्टी की ओर से बोलने का समय जरूर मिलेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : इनके बाद आपको समय जरूर मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदया,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)। On a point of order, Madam, सभापति महोदया, हाउस की परम्परा यह रही है कि हर पार्टी मेम्बर का वाद-विवाद में रिप्रजेन्टेशन होने के बाद दूसरों को समय दिया जाता है। केवल दो पार्टियों को ही समय दिया गया है। आपको नहीं दिया है –

श्रीमती सभानेत्री : उनके बाद आपको दिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदया, यहां डिपार्टमेन्ट्स में जो कटौती की गई है और कटौती के स्टेप्स लिये हैं उन पर विचार किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस कारण उस कमेटी का गठन किया गया है कि कितनी तहसीलें हों और उनको किस प्रकार बनाया जाय। उस समिति का मुख्य ध्येय यह था कि तहसीलों में कितनी जनसंख्या हो, कितना क्षेत्र हो और विकास खंडों का भी उसमें ध्यान रखा जाय। मेरे निवेदन करने का मकसद यह है कि राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां और २१२ तहसीलें हैं और जो रिपोर्ट समिति के द्वारा दी गई है उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि राजस्थान में मौजूदा तहसीलों में कमी की जाकर १८० तहसीलें बनाई जांय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब विकास खंड और तहसील दोनों का क्षेत्राधिकार एक किया जायगा तो उसकी संख्या १८० के बजाय २३२ होनी चाहिये उससे और भी ज्यादा खर्चा बढ़ने की संभावना है। इस दृष्टि कोण को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने सुझाव दिया है इनकी संख्या १८० हो। जो तहसीलें जिनकी जन संख्या १ लाख से कम है उनको घटाई जाकर ऐसी तहसीलें बनायी जायं जिनकी संख्या १ लाख के करीब हो इसी तरह से पंचायत समिति और ब्लाक्स का निर्माण किया जाय।

जो सिफारिशें की गई हैं उस हिसाब से १७६ कोन्स्टीट्यूएन्सी थीं। अब जनसंख्या के बढ़ जाने से १ लाख का क्राइटेरिया माना जाय तो उस हिसाब से १८० कोन्स्टीट्यूएन्सी बैठती हैं। यह जो सुझाव दिया गया है, वाजिब है। आज कई पंचायतों और तहसीलों का क्षेत्राधिकार अलग अलग बना हुआ है। एक तहसील की एक लाख की जन संख्या है, कहीं ६० हजार भी है। जिसका ब्लॉक बनाया एक इलाके में ४० हजार भी है। एक तहसील जो एक युनिट हो सकती है दो दो पंचायत समितियों के टुकड़े करके खर्चे में बढोतरी हो रही है। मेरा सुझाव यह है कि १८० तहसीलें ही होनी चाहियें और उसी हिसाब से पंचायत समितियों और तहसीलों का भी निर्माण किया जाय तो कफी बचत हो सकती है। इससे दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन भी सुधर सकता है और उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकती है। मैं अपनी तहसील के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जहां एक लाख की जनसंख्या है उसमें से ८० हजार तो एक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पंचायत समिति में हैं और २० हजार दूसरी दूसरी पंचायत समिति में है जो हुरडा पंचायत समिति में आती है। इस प्रकार से टुकड़े करके पंचायत समिति का निर्माण कर दिया जाय जिस पंचायत समिति की पूरी जन संख्या हो वहां एक पंचायत समिति को रखा जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा और लोगों को ज्यादा सुविधायें मिलेंगी। आसीन्द के पास जो लोग रहते हैं उनको बीस बीस या तीस तीस मील की दूरी की पंचायत समिति में मिला दिया जाय तो उनको भी कठिनाई होगी और उनके कार्यों में बाधा पड़ेगी। इसलिये इस प्रकार की तहसीलों को संगठित किया जाना चाहिये उन तहसीलों और पंचायत समिति का क्षेत्राधिकार एक लाख के करीब बढ़ाया जा सकता है और इसी प्रकार पंचायत समिति का निर्माण करना चाहिये।

दूसरा सुझाव है वह यह है कि जो जो तहसीलें हमारे यहां पर तोड़ी गई है उनके सम्बन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है ऐसी तहसीलों को तोड़ा गया है जिनकी जनसंख्या ४० हजार और तीस हजार के करीब है। जो इकोनोमिकल नहीं पड़ती. जो खर्चे की दृष्टि से ठीक नहीं पड़ती है और राजस्थान के एक्सचेकर पर भी जो बहुत बड़ा बोझ है। १०–३० और ४०-४० हजार की. जनसंख्या वाली तहसीलों को तोड़ने का कारण यह है कि छोटे छोटे युनिट्स ठीक प्रकार से नहीं चल सकते उनमें राज्य सरकार का खर्चा ज्यादा होता है। इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अलग अलग दलीलें दी हैं। उनका कहना है कि आज की कठिन परिस्थिति में इस समय जो प्रस्ताव लाया गया तहसीलों को तोड़ने का उससे लोगों में उद्विग्नता और असन्तोष फैलेगा। तहसील तोड़ने के कारण इस प्रकार की बातें करना, असन्तोष व्यक्त करना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है। जैसा कि मानसिंहजी महार ने सुझाव दिया मैं समझता हूं, वह उपयुक्त सुझाव है उस पर राज्य सरकार को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये। जिस प्रकार आपने निवेदन किया कोन्स्टीट्यूएन्सी, तहसील और पंचायत समिति तीनों का क्षेत्राधिकार एक हो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी और ज्यादा अच्छी तरह से हमारे यहां पर काम चल सकता है। हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत से भाग हैं जिसमें एक तहसील का हिस्सा दूसरी तहसील में मिल गया है इस प्रकार का युनिट रखने से बहुत लोगों को तीस तीस मील दूर जाना पड़ता है। रिपोर्ट में इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया भीम तहसील में दो तीन गांव हैं वे मेरी तहसील के बिल्कुल बीच में पड़ते हैं और तीस तीस मील दूर पड़ते हैं दो दो तीन तीन गांव हैं जो दूसरे युनिट में पड़ते हैं उस तहसील से दूर पड़ते हैं ऐसे गांवों को ऐसे टुकड़ों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए अगर उनको नजदीक वाली तहसील में मिलाया जायगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी।

मितव्ययता की दृष्टि से डिपार्टमेंट्स में कट की गई है इस संबन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। आज बहुत सी बातें हो रही हैं हमारे यहां पुलिस में कटौती की गई है वाकई यह बहुत दर्दनाक चीज है आज स्थिति यह है कि हमें आर. ए. सी. को

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके हमारे डिफेन्स को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिये। दुर्भाग्य है जब हमारे यहां पर होमगार्ड बिल रखा गया, तो हमारे विरोधी दल के सदस्य उसको प्रवर समिति में भेजने के लिये बड़े उत्सुक दिखायी दिये यदि हम उसको पास कर देते तो इस समय में वह बहुत उपयुक्त होता। मगर हमारे विरोधी दल के सदस्य ज्यादा से ज्यादा देर हो इस प्रकार की बातें करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कठिनाई के समय इस प्रकार की बातें न करके कह संगठन हमारा हो जाता, आज उससे हमें काफी मदद मिलती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा ऐसा संगठन बनना चाहिये ताकि संगठित हो कर हम ज्यादा से ज्यादा देश की रक्षा कर सकें।

शिक्षा के संबन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हम शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों को ऊंचा उठाना चाहते हैं और राष्ट्र को आगे बढाने वाले हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा में हम कमी करते हैं तो बच्चों का भविष्य नहीं बन पायेगा। आज के बच्चे भावी नागरिक हैं अत: उनकी शिक्षा में कटौती नहीं की जानी चाहिये। पुलिस का बहुत जरूरी महकमा है जिसमें कटौती नहीं की जानी चाहिये। इनको नहीं करते हुए भी खर्चे में और खर्चे में मितव्ययता की जाय तो अच्छे ढंग से काम चल सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : (वयाना) : माननीय सभानेत्री महोदया, आज सदन के समक्ष तहसील पुनर्गठन और मितव्ययता आदि का सवाल विचारार्थ है। इस संबन्ध में मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हू। राज्य सरकार को इस संबन्ध में कोई फैसला लेने से पहले अच्छा तो यह होता कि जनतन्त्रात्मक परम्पराओं का ध्यान रखते हुए आवश्यक तो यह होता इस बारे में सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया जाता। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा सरकार ने यह एक तरह से गलत तरीका अपनाया और उस गलत नीतियों के कारण यह तानाशाही का निर्णय लिया गया।

मैं इस संबन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। वित्तमंत्री महोदय इस मौके पर होते तो वे मेरी बात अच्छी तरह से समझ सकते होते। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त हम प्रशासन का पुनर्गठन करने जा रहे है उस वक्त हमारे सामने पांच मसले होने चाहियें। एक तो यह कि तहसीलें कहां रखी जाय? जिले का सवाल, पुलिस स्टेशन का सवाल, पंचायत समितियों का सवाल और चुनाव क्षेत्र का सवाल; ये पांच मसले हैं जिनको एक साथ मिल कर जब हम अपने सामने रखते हैं तो इसका अच्छा नतीजा निकल सकता है। मेरा तो यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार अपनी इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उच्च अधिकार प्राप्त कमीशन नीयत करें और वह इस बात का फैसला करें और उस पर सदन में विचार हो कि अमुक अमुक स्थान पर पुलिस स्टेशन हों, अमुक स्थान पर जिले हों, ब्लॉक हों। पंचायत समितियों का क्षेत्र क्या होना चाहिये?

(कुछ माननीय सदस्यों के परस्पर बातें करने पर)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें माननीय सदस्य आपस में न करें कि मैं डिस्टर्ब होऊं।

(फिर भी बाधा अनुभव करने पर)

अच्छा तो फिर, मैं बैठ जाऊं।

श्रीमती सभानेत्री (श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत) : श्री मोतीलालजी, माननीय सदस्य, आपकी बातचीत करने से आप (श्री मुकुटबिहारी) डिस्टर्ब होते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने एक स्वागत के योग्य स्कीम चालू की है जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करके।

इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि एस.डी. एम. के पास काम नहीं रह गया है। सिवाय रेवेन्यू के कुछ मुकद्मों के। मैं समझता हूं कि तहसील और जिला प्रशासन के बीच में एस.डी.ओ. का काम पोस्ट आफिस की तरह का है सरकार इसलिये इनके फंक्शन्स के बारे में फिर से विचार करे।

फिर एक बात और है जब आज आपने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन लागू कर दिया और जिला पंचायत समितियां और जिला परिषद् आदि संगठन ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो तहसील की आज कोई जरूरत नहीं

(घंटी)

रह गई है। तो इसलिए या तो एस. डी. ओ. को हटा दिया जावे या तहसीलों को समाप्त कर दिया जावे। सभानेत्री महोदया, मुझे और सुझाव रखने के लिये तीन मिनिट का समय और दिया जावे।

जो मामले आम तौर पर पहले तहसील के समक्ष प्रस्तुत होते थे वे काम तथा तकाबी का काम, कृषि का काम, विकास का काम आज जब पंचायत समितियों और जिला परिषद् के पास आ गये हैं तो तहसील की क्या जरूरत रहती है। इसके बाद अब केवल थोड़ा रेवेन्यू का काम रह जाता है तो इसके लिए सरकार यह कर सकती है कि तहसील को तोड़ कर केवल रेवेन्यू एक्सटेन्शन आफीसर पंचायत समिति में रख दिया जावे। कुछ रेकॉर्ड का काम भी तहसीलों में हो सकता है। यह काम एस० डी० ओ० को दिया जा सकता है। तो या तो एस० डी० ओ० को हटा दें या तहसीलों को। अगर तहसीलों को आप हटाते हैं तो २३२ तहसीलों का खर्चा बचता है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इन तमाम चीजों पर विचार करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करे और इस हाउस को और जनता को विश्वास में ले और सुनियोजित शासन दे।

आज बनेड़ा की तहसील इसलिये तोड़ दी जाती है कि किन्हीं मन्त्री महोदय की इसमें दिलचस्पी है। इसमें भाई-भतीजावाद पनपता है। एक दूसरे अपने प्रतिद्वन्द्वी से राजनैतिक दुश्मनियां निकाली जाती हैं। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता के साथ खुली गद्दारी है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये।

सरकार प्लेन माइन्ड से आज दो दृष्टिकोण सामने रख कर चले। एक गांवों को स्वायत शासन और अच्छा शासन दे, दूसरा राजस्थान की जनता के लिये सुख और सुविधाएं जुटाए। इन दो बातों को बराबर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ध्यान में रखकर अगर सरकार काम करती है तो राजस्थान की जनता का हित हो सकता ये सुझाव मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, वरन् रचनात्मक दृष्टिकोण से रख रहा हूं । सरकार इन पर ठंडे दिल से विचार करे ।

भरतपुर से मैं आया हूं, वह एक बड़ा जिला है । पर पिछले दस सालों से इस जिले को बरबादी की तरफ ही धकेला गया है । सरकार घोषणाएं करती है कि पुरानी रियासतों की कैपिटल्स को अक्षुण्ण रखा जावेगा, उनके महत्व को घटने नहीं दिया जावेगा । पर मैं बताऊं भरतपुर के साथ क्या किया गया । वहां के जेल का अच्छा प्रशासन था, उसे समाप्त कर दिया गया, वहां अच्छी इन्डस्ट्री एक छापेखाने की चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया जो लाखों की आमदनी सरकार को हर साल देता था । वहां से मशीनों को उखाड़ कर यहां लाकर पटक दिया गया है जो यहां के सेन्ट्रल छापेखाने में अभी भी यों ही पड़ी हैं । इसका प्रभाव वहां के लोगों के रोजगार पर भी पड़ा । लोग बेरोजगार बने । वहां एक अच्छा मोटरों का वर्क-शाप था । आज राजस्थान का ट्रान्सपोर्ट डिपो बनने वाला है । लाखों की बिल्डिंग का वहां एक अनुपम वर्क-शॉप था, पर उसे समाप्त किया गया ।

वहां पर कृषि संचालन का विभाग था उसको खत्म किया गया । वहां उप-संचालक को रखा गया । उनके भी आठ आदमियों सहित स्टाफ को जबर्दस्ती जयपुर में रख रखा है, काम नहीं करने दिया जाता उनको वहां ।

समाज कल्याण का कार्यालय वहां से हटा कर ले गये । अनुसूचित जातियां भरतपुर में काफी संख्या में हैं उसको देखते हुए यह कल्याण का महकमा वहां रहना चाहिये था, पर नहीं रखा ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

भरतपुर के इलाके में बाढ़ बहुत आती रहती हैं । इरिगेशन का सबसे बड़ा ढांचा वहां है एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर वहां रहा, पर उसे अलवर में रखा जा रहा है । अलवर भरतपुर से ७२ मील की दूरी पर है । अब कोई भी भरतपुर से धौलपुर में जावे तो यू० पी० की सीमा में ७२ मील चल कर पहुंचता है । राजाखेड़ा जावे तो २२ मील अलग जाना पड़ता है और अगर बसेड़ी जाना चाहें तो ३२ मील और आगे जाना पड़ता है और बरौसा जाने के लिये ५० मील जाना पड़ेगा । तो इसे देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भरतपुर का प्रशासन बड़ा खराब हो रहा है और सरकार का रुख उसके प्रति बड़ा उपेक्षापूर्ण है । इसमें सुधार लाना चाहिये । सुशासन अगर देना है तो इसके लिये धौलपुर को भी एक जिले का रूप देना जरूरी है । उसे जिले का प्रशासन दिया जाना चाहिये ।

मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां जितनी योजनाएं चलती हैं वे भाई भतीजावाद के आधार चलती हैं । वहां का आज का प्रशासक वर्ग ईमानदारी और सच्चाई में नहीं समझता । मैं इसके लिये सरकार की कोई आलोचना नहीं करना चाहता ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

केवल दो मिनट में अपने दिल की बात कहना चाहूंगा ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव से बाहर बोल रहे हैं इकोनॉमी कट पर ही उनको सीमित रहना चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हाउस में जब बन्दरों की बात हो रही थी, तब आप कहां थे, तब तो आप कुछ नहीं कह रहे थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि वहां का सारा प्रशासन आज जातिवाद के आधार पर चलाया जा रहा है। भरतपुर जिले में एक ही जाति के करीब बड़े बड़े २५ अधिकारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जानबूझ कर वहां एक ही जाति के व्यक्तियों को वहां लगाया जाता है। मैं जाति-वाद में कतई विश्वास नहीं रखता और न इसकी उस रूप में आलोचना ही करना चाहता हूं, पर तथ्य सामने रखना चाहता हूं। वहां के कलेक्टर नरेश चन्द्र सक्सेना, एस० डी० एम०, सिविल जज।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सब एक ही जाति के हैं।

श्रीमती सभानेत्री : Order Please ! Order !! आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक मिनिट में।

उद्योग अधिकारी भी उसी जाति के श्री एल० एन० श्रीवास्तव, एस० डी० ओ० माथुर असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां का श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट कमिश्नर ट्रान्सपोर्ट वह भी माथुर, इरिगेशन इन्जीनियर वह भी माथुर, हैड मास्टर पल्टी पर्पज, वह भी माथुर। मैं निवेदन करूं, यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ है गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका वह भी सक्सेना, माथुर। डिप्टी आई० ओ० एस० वह भी माथुर। इसी तरह से वहां का टूरिस्ट ऑफिसर जो है वह भी माथुर है। इसी तरह से पब्लिक प्रोसीक्यूटर वहां का जो है वह भी श्रीवास्तव। इस तरह से सारा भाई-भतीजावाद; वहां पूरी तरह से जमा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : वहां से कोई मिनिस्टर तो है नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वहां के केन्द्रीय मिनिस्टर श्रीवास्तव हैं।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : तभी तो मैं जल्दी कर रहा हूं। तो तबादले पर तबादले वहां हो रहे हैं माथुर साहिबों के। आखिर आप जातीयता का यह विष अपने दिमाग में लेकर क्यों चलते हैं ? इस विषय को भरतपुर में क्यों उंडेल रहे हैं। अब इसके लिये दिल्ली से जड़ें हिलती है या राजस्थान से तमाम अधिकारी एक ही जाति के और एक ही आदमी के रिश्तेदार। एक ही आदमी के रिश्तेदारों के रिश्तेदार। किसके कौन कौन रिश्तेदार ? दिल्ली की हुकूमत के बाबू राज-बहादुर के खास खास रिश्तेदार। आप इन सबको वहां क्यों थोंप रहे हैं। आप भरतपुर को गढ़े में क्यों ले जाना चाहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(४.०० म० प०)

(श्री मुकुट बिहारी लाल)

अगर इस तरह से खुला जातीवाद चलेगा तो जनता के हृदय का ढाढस डोल जायेगा। उस जाति के मेरे भी मित्र हैं, मेरी पार्टी के अन्दर भी बड़े बड़े दोस्त हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि इस मूल में क्या भावना काम कर रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर सेल्स टैक्स ऑफिसर मिस्टर माथुर, ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर मिस्टर माथुर, विकास अधिकारी मिस्टर श्रीवास्तव, एस०डी०एम० बयाना मिस्टर माथुर और इसी तरह से म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट मिस्टर माथुर। आखिर बनेगा क्या? वहां के ऑफिस के सुप्रिन्टेन्डेन्ट मिस्टर माथुर। परन्तु एम० एल० ए० नहीं है। एक व्यक्ति दुर्भाग्य से दिल्ली के लिए जीत गए उनकी सुखाड़िया साहब से बहुत दोस्ती है, उसका नतीजा यह होता है कि रात दिन गुंडागर्दी होती है, मर्डर होते हैं और राजनैतिक हत्याओं का दौर भरतपुर में चल रहा हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री: आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अभी समाप्त करता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से अगर हम प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं, अगर राजस्थान को सच्चा शासन देना है, सुयोग्य शासन देना है तो हमको ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा, ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, हमें इस नीयत से सोचना पड़ेगा कि हम जनता के साथ गद्दारी न करें। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो जनता का मानस डोल जायेगा और यदि जनता का मानस डोल गया तो फिर रेवोल्यूशन हो जायेगा और न मंत्री रहेंगे, न सदन रहेगा और न कुछ रहेगा। क्योंकि यह प्रकृति अपना कोर्स लेकर रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी एक मिनट में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो यह कठोर सत्य है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का जातिवाद का विषैला नाग जो फनफना रहा है राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार पर उसको ललकारना चाहिए, उसकी थूथरी को कुचल देना चाहिए.........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री: अब आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम राजस्थान में भाई भतीजावाद फैलायें। आज जरूरत इस बात की है कि जनता को हमें सच्चा शासन देना है। आज मैं एक बात कहूं कि वह सिद्धान्त कहां गया। तीन साल पहले अराई तहसील को स्थापित किया और अब नहीं है। इस सदन में बजट पेश किया और बजट पास हुआ और पैसा खर्च हुआ। मैं कठोर तथ्य की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं......

Page No 99

श्रीमती सभानेत्री : Order! Order please!!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह कह कर अपनी भावनाओं को रखता हुआ सभापति महोदया से आशा करता हूं कि वे मुझे इस बात का प्रोटेक्शन दें कि मैं अपनी बात को राज्य सरकार के सामने रख सकूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुराणा जी, आप समय का ख्याल करें क्योंकि १५ मिनट आपको मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : इन्हें १५ मिनट का समय कैसे मिल सकता है और भी कई बोलने वाले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : अपनी पार्टी के बिहाफ पर बोल रहे हैं, इसलिये १५ मिनट का समय दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Dose it mean that the Finance Minister will start his reply at 4.20 ?

श्रीमती सभानेत्री : आपको १५ मिनट दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : May I know that because he has been given 15 minutes time, the Finance Minister will start his reply at 4.20 ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मितव्ययता पर जो बहस है यह बहस तो काफी गर्म रूप ले चुकी है। यह गर्मी कुछ रिलेवेन्ट भी थी और कुछ इर्रेलेवेन्ट भी। लेकिन मैं इसको ठंडा नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिये......

श्रीमती सभानेत्री : मैं आशा करूंगी कि आप समय पर ही समाप्त करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप विश्वास रखें, मैं १५ से १६ वीं मिनट नहीं होने दूंगा।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने विरोधियों से सहयोग की बात कही है। मैं कुछ तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहूंगा इस सहयोग की पृष्ठभूमि में बजट आप बनाते हैं उसको इस सदन में पेश करते हैं उस समय यदि हम यह कहते हैं कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो सरकार कहती है कि खर्चा तो प्रशासन में होगा ही और इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। आप प्लान बनाते हैं, हाउस से पास करवाते हैं और इस सदन की मोहर लगवाते हैं। हम उस समय में यह कहते हैं कि यह योजना काफी है तो आप कहते हैं कि इस तरह ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल सकते। हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ी योजना बना ली है यह ओवर एम्बीशश प्लान है और इतने रिसोर्सेस नहीं मिल सकते तो आप कहते हैं कि नहीं, हमको हिम्मत रखनी चाहिए। उसके बाद में आप ही उस बजट में खुद कटौती करते हैं और हम उसकी आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि आपने ही तो कहा था कि मितव्ययता करनी चाहिए। और अब आलोचना करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि योजना के आधार कई हो सकते है। योजना को ओवर-एम्बीशश करने के कई आधार हो सकते हैं। इसी तरह से मितव्ययता के सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूंगा जिसके आधार पर आपने तर्क

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की है। एक एब्सट्रेक्ट प्रिन्सिपल है कि किसी पार्टी का कोई भरोसा नहीं करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो ; लेकिन मितव्ययता किस प्रकार लागू की जाती है और वह मितव्ययता है या नहीं और जनता पर उसका क्या असर पड़ता है और हमारी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वन में उसका क्या असर पड़ता है, इसको देखना बहुत आवश्यक है। जनता की भावना की आप बात कहते हैं। बनेड़ा तहसील की बात को लीजिए।

अभी इस सदन के ७३ माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र है जिसे मैं इस सदन की मेज पर रखूंगा जिसमें यह मांग की है कि बनेड़ा तहसील को पुनः कायम किया जाये। मैं कहता हूं कि कम से कम वे १ करोड़ की जनता के प्रतिनिधि हैं, यदि आज सरकार जनभावना की बात कहती है तो मैं इस बात की परीक्षा करना चाहूंगा कि आप एक करोड़ आदमियों को कहां तक इज्जत देते हैं। अगर आप उनकी बात को मानते हैं तो हम कहेंगे कि सहयोग की भावना है। लेकिन यदि आपने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की तो हमको अन्यथा निष्कर्ष निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा। तहसीलों के बारे में जो उदार भावुकता की बात कहते हैं मैं पूछना चाहूंगा कि कमेटी ने ३२ तहसीलों की कटौती की सिफारिश की, उससे १५ लाख रुपये की कटौती हो गई। आपको कटौती की बहुत आवश्यकता है तो क्या वजह है कि १७ को तोड़ा और १५ को नहीं तोड़ा इसको भी यदि आप सिद्धांत के रूप से ले लें तो मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में आर० ए० एस० कैडर का एक व्यक्ति बैठता है, बी० डी० ओ० और वह वहां सेक्रेटरी भी होता है उसके पास पूरा वर्कलोड नहीं है और कम से कम वह तहसीलदार से ज्यादा योग्यता रखता है। यदि आप सारी ही तहसीलों को तोड़ दें और ऐसा करने से यदि आपको एक तहसील पर ५० हजार बचता है तो २०० तहसीलों को तोड़ देते हैं तो १० करोड़ की बचत हो सकती है। तो आप इस कटौती को क्यों नहीं करते? इस तरह से आप पांच साल का अनुपात लगायें और क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजना में चार साल बाकी हैं तो आप एक साल के ६ लाख के हिसाब से २४ लाख की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कहते हैं कि हमें कमी करनी है। यदि आप इस सिद्धान्त को लागू कर दें तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके प्लान में बहुत बड़ा एक्सपेन्डीचर है वह रिड्यूस हो सकता है और पंचायत समितियों में बी० डी० ओ० को सारे अधिकार दे सकते हैं जो कि तहसीलदार को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में दिये हुए हैं। लेकिन सरकार एक सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह तो छोटी छोटी बातों में कटौती करेगी तहसीलों के रीआरगेनाइजेशन के दौरान का एक नोटीफिकेशन है जिसे ३ पेज में सरकार ने प्रकाशित किया है। उसमें १।। पेज तो सिर्फ बनेड़ा तहसील के लिए उसमें है। १।। पेज में इसलिए विज्ञप्ति निकाली है कि उसके १० गांवों को मांडल में मिला दिया, कुछ को हुरड़ा में मिला दिया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का व्यवहार आपने बनेड़ा तहसील के साथ किया है उस तरह का व्यवहार आपने किसी भी तहसील

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के साथ राजस्थान में नहीं किया। जहां भी आपने तहसीलों को तोडा है दो-चार गांवों के हेरफेर के साथ दूसरी तहसील में मिला दिया और एक तहसील के दो टुकडे करके दूसरी तहसील में मिला दिया। आपने उनकी जो एन्टीटी है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियन्स से कायम रखा है; लेकिन जो बनेड़ा तहसील को तोड़ा है उसमें एडमिनिस्टेटिब कन्वीनियेन्स या किसी सिद्धांत की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी और हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चूंकि वहां से बिरोधीदल के सदस्य हैं इस नाते किसी तहसील को तोड़ा है। हम जब यह आरोप लगाते हैं तब आप कहते हैं कि इस खयाल से तहसील नहीं तोड़ी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय का मूल सिद्धांत है कि सिर्फ न्याय ही नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा महसूस भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है ! Justice should not only be done, but it should be seen that justice is being done.

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने बनेड़ा के साथ में जो कुछ किया है उसमें इस सिद्धांत की बिल्कुल अवहेलना की गई है इसके लिए प्रदर्शन किया गया, पंचायत समिति ने इसके लिए दुःख प्रगट किया है, इस सदन के ७३ एम० एल०एज० ने मांग की है। यदि आपका जनतन्त्र के सिद्धांत में कुछ भी विश्वास बाकी रह गया है तो इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की मांग के आगे सिद्धान्त का हनन भी होता है, इसके बावजूद भी जनता की मांग की रक्षा की जानी चाहिए।

अब आप दूसरी बातों को लीजिए। तहसील का मैंने जिक्र किया। आपने तो अभी तशरीह बतलाई है उसमें आप कहते हैं कि हमने ९३ लाख की कटौती रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में की है और करीब ३६ लाख की केपिटल एक्सपेन्डीचर में की है। आपने केपिटल एक्सपेन्डीचर में ३६ लाख की कटौती की होगी लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपकी स्माल सेविंग्स योजना का क्या हुआ। आपकी स्माल सेविंग्स योजना में ३ करोड़ रुपये जो आपको इस वर्ष इकट्ठे करने थे। माननीय वित्त-मंत्रीजी आप बतायें कि आज तक आपने उसमें से कितना रुपया इकट्ठा किया है? इस साल के प्रथम महीने की स्माल सेविंग्स बोर्ड की रिपोर्ट मैंने देखी है, उसके मिनिट्स देखे हैं उससे पता चलता है कि आपने अभी तक इसमें २९ लाख रुपया इकट्ठा किया है जब कि पिछले साल इन्हीं पहले ५ महीनों में करीब ५२ लाख रुपया इकट्ठा किया गया था। आपने तीन करोड़ रखा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक करोड़ का ही टारगेट स्माल सेविंग का कर पायेंगे। जो प्लान के द्वारा डेट डाली गई है स्माल सेविंग में ३ करोड़ इकट्ठा करने का उसमें आप दो करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पायेंगे।

आपने ३६ लाख रुपये की केपिटल एक्सपेंन्डीचर में कटौती बता दी कि कटौती कर दी है तो निवेदन करना चाहता हूं कि गलत प्रोपोर्शन में काम किया जा रहा है। जो रिसोर्सेज रेज़ करना चाहिए उन रिसोर्सेज़ को रेज़ नहीं किया है, और जो काम आपको करना है वह काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रिसोर्सेज़ नहीं हो रहे

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं। आपने एज्यूकेशन में कटौती की है, आपने मेडिकल डिपार्टमेन्ट में कटौती की है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मेडीकल और हैल्थ डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय ने यह बताया कि ५०० डाक्टर्स में से २०० डाक्टर्स की कटौती की है, ३०० डाक्टर्स की वेकेन्सी मौजूद है। २०० डाक्टर्स की कटौती किस आधार पर की जा सकती है ? क्या राजस्थान में वह यह चाहते हैं मंत्रीजी कि जहां अस्पताल खोल दिये गये हैं वहां डाक्टर नहीं रहें। जो टारगेट आपने फिक्स कर दिया है कि इतनी मेडीकल फैसीलिटी आप राजस्थान में देंगे इसमें मितव्ययता का सिद्धान्त कैसे लागू किया जा सकता है जो कि प्लान में प्रोपोज किया था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और इस बात को पूर्णतया डिसएप्रूव करना चाहूंगा कि जो कटौती आपने की हैं, हो सकता है कि जनसंघ के नेताओं ने आपकी तारीफ कर दी हो कि माननीय मुख्यमंत्रीजी से हमने पहले ही कहा था कि प्लान ओवर एम्बीशस था कि पौंग डेम और राजस्थान केनाल इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इसमें रखी। उनकी इस तरह की भावनाओं को कोई प्रायोरिटी नहीं देता हूं और मितव्ययता के नाम पर कहना चाहूंगा कि आपने प्लान में जो कटौती की है उसको मैं डिसएप्रूव करता हूं और आपको इस बात के लिये नाकाबिल ठहराता हूं कि आप रिसोर्सेज़ रेज़ करने में असफल रहे। हमारी पार्टी, यह आपके द्वारा फ्रेम किया हुआ प्लान, जिसको आपने इस हाउस के सामने रखा और उससे एप्रूव कराया उसके लिए आप रिसोर्सेज़ रेज़ करने के काबिल नहीं हैं। आपने अपने टार्गेट को छोड़ दिया है। जो ड्यूटी आपके कन्धों पर इम्पोज़ की गई थी उसको निभाने में आप असमर्थ रहे। यह प्लान आपने खुद ने हमें दिया था, कोई विरोधी दल ने नहीं दिया था। आपने स्वयं ने बनाया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एप्रूव किया था; इसके बावजूद दो साल बाद में आ गये और आपने कह दिया कि रिसोर्सेज़ रेज़ नहीं कर सकते हैं। ८० करोड़ में से केवल ४५-५० करोड़ ही रियेलाइज कर सकते हैं और २४ करोड़ तो आप कहते हैं कि टेक्सेशन से रियलाइज़ करेंगे और २० करोड़ रुपया आप लोगों से पब्लिक लोन के रूप में लेंगे। आपका मतलब यह हुआ कि सिर्फ टेक्सेशन और लोन के अलावा आपके पास रिसोर्सेज़ रेज़ करने का कोई साधन नहीं है। स्माल सेविंग्स में कोई जोर नहीं देना चाहते, और भी दूसरे तरीके हैं। उन पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ४४ करोड़ रियेलाइज करना चाहती हैं उसमें ३२ करोड़ का जो अन्दाजा है वह टेक्सेज़ है तो टेक्सेज़ जो बरदाश्त करने के काबिल हैं उन पर टेक्स लगा कर आप पैसा इकट्ठा करें और वसूल करें। आपने प्लान में जो सुझाव रखें हैं जो टारगेट रखे हैं उनको पूरा करने के लिए आप टेक्स रियेलाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इसलिये कहता हूं कि आपने टेक्स की जो योजना बनाई है वह पूरी नहीं हो सकती है। इतनी मितव्ययता की गई, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आई. ए. एस. आफिसर की स्पेशल पे कम की जाय। हमारे वित्त मंत्रीजी कहते है कि जहां तक आई०ए०एस० आफिसर का

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सवाल है वह भारत सरकार के नियमों से हम बन्धे हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने मालूम करने की कोशिश की कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा नियम है जिनके अन्दर आई०ए०एस० आफिसर को स्पेशल पे दी जाये, वह आज तक सदन की मेज पर आया और मुझे देखने को नहीं मिला है कि उनको २५०) रु० की स्पेशल पे दी जाय और अगर नहीं दी जाती है तो कॉन्स्टीट्यूशनल ब्रीच होता है या किसी भी रूल का वायालेशन होता है । सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और ऊँचे तबके के जिन अधिकारीयों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और नीचे के लोगों की तनख्वाहें नहीं वढ़ाई गई हैं । तो एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में आपने कितने चपरासी लगा रखें हैं ? यदि मेरी सूचना सही है तो आपने राजस्थान में १,७६,००० चपरासी लगा रखे हैं । मैं पूछना चाहूंगा कि २ करोड़ की जनसंख्या वाले प्रान्त में १,७६,००० चपरासियों की आवश्यकता क्या थी ? मुझे तो ताज्जुब होता है यह जान कर कि आपने पटवारियों के पास भी चपरासी लगा दिया है । यदि कोई पटवारी है तो चपरासी उसके साथ है । कांग्रेस सरकार क्या यह चाहती है कि कोई भी आफिसर जो पटवारी के रेंक का है वह भी हाथ से काम नहीं करे । वह उठकर अपने हाथ से ग्लास से पानी भी नही पिये । यदि आप इस आदर्श को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने आप यह देख लें कि राजस्थान में जितने चपरासी हैं उनकी आवश्यकता है या नहीं और उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति आवश्यक है या नहीं । अभी जहां दो चपरासी काम करते हैं वहां एक से काम चलाइये । जहां चार काम करते हैं वहां एक से काम चलाइये । इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी को निकाल दें । मैंने यह मांग नहीं की है कि उनको रिट्रेन्च करिये, लेकिन उनका रिटायरमेंट होने पर दूसरों को उनके स्थान पर नियुक्त नहीं करें । लाखों करोड़ों रुपये इसमें जा रहे हैं ।

आपके दूसरे ड्यूज हैं, आपकी पंचायतें हैं, आबकारी में कितनी बकाया हैं जबाब नहीं आता, इन्डस्ट्रीज में कितनी बकाया है, जबाब नहीं । मैं कहूंगा कि ड्यूज रियेलाइज करनेवाली मशीनरी को स्ट्रिक्ट करें । इसका ख्याल नहीं हो कि कोई मिनिस्टर है, लखपति है, एम. एल. ए. है, पंच है, या सरपंच है या जिला परिषद् का अध्यक्ष है कोई भी हो उसमें यदि बकाया है तो ड्यूज़ रियेलाइज होने चाहियें । सरकार की जो यह नीति है वह गलत है । मितव्ययता के नाम पर मेडिकल फेसिलिटीज में, शिक्षा में और दूसरे आवश्यक विभागों में कटोतियाँ की हैं उनको हम डिसएप्रूव करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : १५ मिनिट से ऊपर १८ मिनिट बोलते हुए हो गये ।

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरे हाथ में घड़ी है । मिनट होते ही बैठ जाऊंगा । एग्रीकल्चर पर ६ करोड़ ४७ लाख रुपये खर्च करने थे उस खर्च में कमी करके ४ करोड़ खर्च करने का रखा है । पहले जहां २६ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ओफिसर्स थे उनमें से ७-८ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ओफिसर्स हटा दिये । मैं पूछना चाहताहूं कि आज राष्ट्रीय

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्राइसिस के युग में शपथ की आवश्यकता है तो आप किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ओफिसर्स को अनावश्यक समझते हैं। जो काश्तकार नये नये मेथड्स काम में लाना चाहते हैं उनको नये नये तरीके से खेती करना वे लोग सिखाते थे उनको किस तरह से आप गैर वाजिब समझते हैं ? आपने एज्युकेशन में, मेडिकल में और ट्रान्सपोर्ट में जो कमी की है उसको हम गलत समझते हैं। आपने जो प्लान में कटौती की है उसको हम कंप्लीटली डिसएप्रूव करते हैं और मांग करते हैं कि प्लान में इस तरह कटोती न करें। जहां वर्क लौड नहीं है वहां कमी करिये यदि २ अधिकारियों की जगह एक अधिकारी काम चला सकता है वहां दो की जगह एक अधिकारी रखिये। जहां वर्क लोड नहीं है, २ घंटे काम करके ८ घंटों की तनख्वा लेते हैं वहां राशनेलाइजेशन होना चाहिये। आप उनको रिट्रेंच नहीं करें, उनको दूसरी जगह अपोइन्टमेंट नहीं दिला सकें तो उनको एक एक मुरब्बा जमीन राजस्थान केनाल एरिया में देकर आबाद करिये और सही तौर से खर्च करिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानंद अग्रवाल।

श्री मोतीलाल चौधरी : (डीडवाना) : मैं निवेदन करूंगा कि उनकी तरफ से बहुत से लोग बोल चुके हैं, हमारी तरफ से भी उनका जबाब देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : इनकी पार्टी की ओर से कोई नहीं बोला है। आप लोगों को भी बोलने के लिये समय दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : इन्डिपेन्डेन्ट्स की तरफ से किसी को नहीं बोलने दिया।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस प्रस्ताव पर आज बहस हो रही है, अच्छा होता मुख्य मंत्री महोदय यहां उपस्थित होते क्योंकि प्लान के संबंध में उत्तर देते हुए उन्होंने बहुत गंभीरता से एक बात कही थी और हम लोगों से विशेष तौर पर जो इस पक्ष में बैठते हैं, सहयोग की आकांक्षा की थी। हमें यह बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस नीति पर हमारी सरकार चलती है, जिन आइडिया प्लान के संबंध में विरोधी पक्ष में और सरकारी पक्ष में कोई मतभेद नहीं है उन पर भी हमारी सरकार सहयोग लेने का तरीका नहीं अपनाती और यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। यह बहुत अच्छी बात है कि मुख्य मंत्री महोदय ने सहयोग की बात कही लेकिन वह किस प्रकार से सहयोग चाहते हैं ? हमारे राजस्थान का वास्तव में यदि हमें विकास करना है, उन बड़ी बड़ी समस्याओं को हमें हल करना है तो यह गवर्नमेन्ट का अपना रोल ही नहीं, विरोधी पक्ष का भी डेमोक्रेसी में एक रोल है उस रूप में यदि हमें स्वीकार करें ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य तो वास्तव में एक अच्छा वातावरण राजस्थान में बन सकता है और हम राजस्थान की २ करोड़ जनता के लिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिक उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस रूप में मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात को कहा लेकिन उनका खुद का अमल, उनकी खुद की अपनी सरकार चलाने का तरीका, उनका अपना सहयोग मांगने का तरीका इस बात को निगेटिवेट करता है। वह इस बात से इन्कार करते हैं जिससे वास्तव में सहयोग की भावना है, जिसमें वास्तव में विरोधी पक्ष के सहयोग की आकांक्षा रखते हों। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सहयोग का तरीका है कि राजस्थान में इतना बड़ा प्लान जिसके बारे में हम सब दिलचस्पी रखते हैं, जिससे हमारा सब का भविष्य बंधा हुआ है, जिसके बारे में एक प्लानिंग बोर्ड तक मुकर्रर किया हुआ है, उस प्लानिंग बोर्ड को कन्सल्ट नहीं करें, इस एसेम्बली ने प्लान को मंजूर कर लिया उसको भी कॉन्फीडेन्स में नहीं लें और उसमें महत्वपूर्ण तब्दीलियां कर दें और फिर आप हमें उपदेश दें कि राजस्थान के विकास के लिये हम सहयोग दें।

आप युनिवर्सिटी का बिल बनाते हैं जिस पर हमारा भविष्य है, सारी शिक्षा का तरीका है और जिसमें कोई विरोधी पक्ष और आपके बीच में बुनियादी मतभेद नहीं हो सकता उसके लक्ष्य के संबंध में, लेकिन जिस तरीके से आप कानून लाते हैं और पास करने का आग्रह करते हैं और अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं.....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : जो लेजिस्लेशन इस सदन द्वारा पारित किया जा चुका है उसके बारे में हमारी सेंक्टीटी है कि उसके मुतल्लिक कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। इसलिये माननीय सदस्य को इस बारे में न बोलने के लिये संकेत किया जावे।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं उस बिल पर नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके सहयोग मांगने के तरीके की मिसाल दे रहा हूं। और आप तहसीलों का और डिस्ट्रिक्ट्स का रिआॅर्गनाइजेशन करते हैं लेकिन आपके उस ओर भी बैठने वाले माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से आपके इस विचार से सहमत नहीं होंगे। उन्होंने मतभेद प्रगट किया, फिर भी इस प्रकार के सवाल को भी आप अपने तौर-तरीके से हल करते हैं और आॅपोजिशन को आप कोंफीडेन्स में लेने की बात नहीं करते हैं तो फिर मैं तो यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय का सहयोग से मतलब सहयोग नहीं, उन पार्टियों से सहयोग नहीं जो उनकी तरह से जनता से चुन कर आये हैं जिनका स्टेटस उन्हीं के जैसा है, उन्हीं की तरह जनता के चुने हुए नुमायन्दें हैं, जिनका स्टेटस उन्हीं की तरह का है, उनका प्रोग्राम है उनके सामने संकल्प है, उनसे सहयोग बराबर का नहीं चाहकर एक एब्सोल्यूट सरेन्डर चाहते हैं। इस प्रकार से चाहते हैं जिस प्रकार से एक मालिक नौकर से चाहता है या सबोरडिनेट अपने फालोवर्स से चाहता है। सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से यदि सहयोग की भावना की कामना हमारे मुख्य मंत्री महोदय करते हैं तो हमें मजबूरी के साथ कहना पड़ेगा कि हम भी अपने कुछ खयालात रखते हैं। हमारे दिल में भी कुछ तमन्ना है सेवा करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की राजस्थान की जनता की, हमारे दिल में कुछ ख्यालात हैं यदि आप चाहेंगे तो, यदि आपको पसन्द हैं तो ख्याल करें, जिन मामलों में हमारा और आपका मतभेद न हो उनको आप युनिलेटरली न करें। लेकिन इस बात को सोचते हैं कि गरीबों पर टैक्स लगाने की बात सोचें तो हम को कंसल्ट न करें राजाओं को कंपेन्सेशन देने की बात हो तो हमसे बात न करें तो समझ में आ सकता है, पूंजीपतियों को कुछ देने के बारे में हमें कंसल्ट न करें तो गुरेज नहीं होगा। लेकिन ऐसा सवाल जिसमें हममें और आपमें मतभेद न हो उसमें इस तरह का फैसला करने लगेंगे तो मुझे अफसोस है वास्तव में आप डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है उसको मान देना चाहिये, उनके ख्यालात का ख्याल रखना चाहिये वह आप नहीं कर रहे हैं।

और यही कारण है कि जो सहयोग की आज उसमें कमी है, यह आपका एप्रोच है उसके कारण उसमें कमी है।

सभानेत्री महोदया, जो आपने निर्णय किया तहसीलों के सम्बन्ध में, उन बातों को मैं अब नहीं दोहराऊंगा। जिस तर्क से आपने अपनी खुद की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने निर्णय दिये, उन निर्णयों के बाद आपने जो फैसला किया, उन फैसलों में जो उस कमेटी ने आधार निर्धारित किये थे कि पचास हजार से नीचे की जिनकी आबादी है, उन तहसीलों को तोड़ा जाय और इस प्रकार तहसील, जो कि आगे आने वाले को-टर-मीनस हो पंचायत समिति से, वहां हैड क्वार्टर कायम किया जाय। आपने अपने फैसले को खुद ही तोड़ा है और हमारे अपोज़ीशन के साथियों ने आपके इस निर्णय में शुरू से ही असहमति नहीं की है लेकिन उसमें हमने जो देखने की कोशिश की है, जानकारी करने की कोशिश की है, जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनसे हमें ऐसा लगता है कि बनेड़ा के साथ आपने ट्रीटमेंट किया है वह आपके फैसले के अनुसार उचित नहीं है। अन्ता के मामले में मैं ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सका लेकिन अन्ता के बारे में इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका दृष्टिकोण अकमोडेट करने का है। तो आपने अपनी ही उस कमेटी, जिसने ३२ तहसीलों को हटाने की सिफारिश को की सिफारिशों को चाहे अपनी पार्टी प्रेसर की वजह से या जैसा आप एक्सप्रेस करेंगे उस वजह से, पूरा नहीं किया है। मैं समझता भी हूं आखिर डेमोक्रेसी के सेट अप में इस प्रकार के पुल और प्रेसर होते हैं और उनका दबाव मानना पड़ता है। लेकिन अगर आप ८९ होने के नाते, आपके हाथ में गवर्नमेंट होने के नाते अपनी एक्सपर्ट कमेटी की ३२ तहसीलों हटाने की सिफारिश में १५ को ही कम करेंगे तो ८५ की राय यह नहीं मान सकती है। मैं एक तहसील के बारे में कहता हूं, जहां जनता का आन्दोलन हुआ है, जहां गिरफ-तारियाँ हुई हैं, जहां कितने अरसे से झगड़े और बखेड़े हुए हैं, उसके बारे में अपोजीशन की राय जो ८५ को रिप्रजेन्ट करती है के अनुसार अपने निर्णय को नहीं बदलेंगे तो जैसी दलील दी जा रही है कि यह आपके खुद के फैसले और उसकी भावनाओं के खिलाफ है। जो आपका फैसला है, उसकी बुनियाद पर ही आपको यह बदलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप यह कहेंगे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि आपने केबिनेट में फैसला ले लिया है तो मैं समझता हूं कि ऐसी परम्परा तो नहीं है कि केबिनेट का फैसला जो एक दफा ले लिया, वह कभी बदला नहीं गया हो और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस सम्बन्ध में कोई फैसला होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जिस प्रकार यूनीवर्सिटी बिल पर कुछ आपने सोचा, कुछ हमने सोचा, इसी प्रकार इस प्रश्न को सुखद वातावरण में हल करने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी बात जो मितव्ययता के बारे में कहनी है वह यह है कि इसमें सन्देह नहीं है कि मितव्ययता करनी चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च अधिक है, पर जैसा मेरेसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा था, मितव्ययता का अर्थ यह नहीं है कि चाहे जहां कैंची चला दें, आपको वास्तव में देखना पड़ेगा कि कौनसे मार्ग पर कौनसी दिशा में जाना चाहते हैं और वह उतनी ही आवश्यक है या नहीं, उतनी मददगार है या नहीं ? आपके आंकड़े तो इतने उपलब्ध नहीं हैं, हमने कोशिश की थी जानकारी करने की कि आप मितव्ययता की स्कीम से आपने कितने टेम्प्रेरी हैंड्स बेकार कर दिये, कितने लोगों को रिट्रेंच कर दिया, कितने लोगों को अपने आप आपके इस फैसले के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यह आपको भी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप इतना लम्बा चौड़ा है, जिसकी वजह से फोर्थ क्लास सर्वेन्टस को यदि अलवर से उदयपुर जाना पड़े, बाड़मेर जाना पड़े तो जो आपकी खुद की डिक्लेयर्ड नीति है, उसके खिलाफ है। आपकी नीति है कि फोर्थ क्लास सर्वेन्टस अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जायेंगे, थर्ड क्लास सर्वेन्टस अपने डिविजन से बाहर नहीं जायेंगे। ऐसा हुआ है और बहुत से टेम्प्रेरी होने के नाते टेम्प्रेरी डिक्लेयर हो गये, या नौकरी में नहीं रहे और कितने लोगों पर इसका असर पड़ा है ये फिगर्स नहीं दिये हैं लेकिन यह आभास होता है कि इसका भारी असर हुआ है। इकोनोमी का मतलब यह नहीं है कि इन लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाय। सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि हम यह चाहते हैं, आज इतना बड़ा प्राविन्शियल लेवल पर सेट अप है, उसमें मितव्ययता कर सकते हैं, काफी इकोनोमी हो सकती है। आपने डाइरेक्टर्स इधर से उधर तक इतने बढ़ा रखे हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम डाइरेक्टर्स से काम कर सकते हैं।

एक उदाहरण दूं। आप एजुकेशन को लें तो आपके पास डाइरेक्टर्स डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन व डाइरेक्टर ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन है, आपके पास डाइरेक्टर ऑफ संस्कृत एजूकेशन है। मुझे इस संस्कृत एजूकेशन के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने का मौका मिला तो पता लगा कि चार जगह आपके स्कूल कम कॉलेजेज चलते हैं एक जयपुर में है जिसमें स्कूल सेक्शन में ७४ लड़के हैं और कॉलेज सेक्शन में २६ लड़के हैं। उदयपुर में स्कूल सेक्शन में ६५ लड़के हैं और कॉलेज सेक्शन में ९ लड़के हैं। अलवर में स्कूल सेक्शन में ७३ लड़के हैं और कॉलेज सेक्शन में ९ लड़के हैं और जोधपुर में ·····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री-शिक्षा) : जयपुर में कॉलेज सेक्शन में कितने लड़के बताये······

श्री रामानन्द अग्रवाल : २६ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाहर के कितने हैं और राजस्थान के कितने हैं, इसका एनेलेसिस किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं है ।

जोधपुर में स्कूल सेक्शन में ३३ लड़के हैं और कॉलेज सेक्शन में ९ हैं । इस प्रकार कुल मिला कर इस इन्स्टीट्यूशन में, जिसमें राजस्थान में एक डाइरेक्टर मेन्टेन कर रहे हैं, जिस पर करीब सवा दो लाख खर्च कर रहे हैं और डाइरेक्टरेट पर ८५ लाख खर्च कर रहे हैं और इसमें कुल मिला कर ३४५ लड़के स्कूल सेक्शन में हैं और ५३ लड़के कॉलेज सेक्शन में हैं, जो एजूकेशन पा रहे हैं । तो इस तरीके की संस्कृत एजूकेशन से भावना और मोहब्बत आपकी है, वह मुझे भी हो सकती है । लेकिन पंजाब यूनीवर्सिटी में एक ऑरियेन्टल एजूकेशन कॉलेज मेन्टेन करते थे । उसमें एरेबिक, संस्कृत, पर्सियन आदि ऑरियेन्टल लेंग्वेज पढ़ाने की व्यवस्था थी और वह एक स्पेश्यलाइज्ड कॉलेज था । वहां इस तरह की शिक्षा देते थे । अब मैंने सुना है कि आप इसको और बढ़ा रहे हैं और मालपुरा, मनोहरपुरा, कालाडेरा आदि में स्कूल हैं, छोटी छोटी जगह में इस तरह के छोटे छोटे स्कूल हैं, उनको आप बड़ी बड़ी एड देंगे । इस तरह का खर्च आप कर रहे हैं । मेरे कहने का मतलब है कि आप इस काम को दूसरे तरीके से बहतर कर सकते हैं । आपको इतने डाइरेक्टर चाहिए अलग अलग ब्रांचेज के, इतना हमारे पास पैसा नहीं है । जिस रोज हमारे पास पैसा हो जायगा, उस रोज यह बात सोच सकते हैं कि इस प्रकार का सेट अप हो, डाइरेक्टर हों और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी... /

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of Clarification, Sir, मेरा अर्ज करना था कि आपका क्या यह अर्थ है कि डाइरेक्टर एक हो जाय संस्कृत के कॉलेज का और प्राइमरी एजुकेशन का; एक डाइरेक्टर हो जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा कम से कम संस्कृत एजुकेशन के लिए निश्चित कहना है कि इसके लिए अलग डाइरेक्टर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके लिए अलग डाइरेक्टर रहने की कतई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितना काम है, उसको डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन अच्छी तरह कर सकता है, कोई अलग डाइरेक्टर रखने की जरूत नहीं है तो, सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन यह करना चाहता था कि इस तरीके से जो आपका सेट अप है एडमिनिस्ट्रेशन का, यह टॉप हेवी है, इसमें मितव्ययता कीजिये, इसमें कमी लायें और जो फंट सेलेरी है, उसमें कम करेंगे तो उसमें इकानामी होगी और उसमें काफी बड़ा खर्च भी बचेगा और इस तरीके से हम राजस्थान में अपने फाइव ईयर प्लान के लिए धन की बचत कर सकेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक एक बचत का सवाल है, जिसका प्लान से ताल्लुक था, उसका पहले जिक्र किया था, इसलिए इस रूप में यह

Page No 109

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि आप तहसील या डिस्ट्रिक्ट का रीआर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं उसके प्रिन्सिपल से हमें इन्कार नहीं लेकिन उसके प्रिन्सिपल पर रहें, फिर आर्बीट्रेरी तरीके से महरबानी करके नहीं करें और जो काम खूबसूरती से किया जा सकता है उसको बदसूरती से करने की कोशिश न करें। इकोनोमी इस प्रकार से की जाय कि जिससे आपका बड़ा वह सेट अप है उसको लाइट लाया जा सके और उसका असर लो पेड पर न पड़ सके। यही मेरा सजेशन था।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)।

श्रीमती सभानेत्री: श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद (मांडल): सभानेत्री...

श्री निरंजननाथ आचार्य: Are we going to extend the time of the House ?

श्रीमती सभानेत्री: Yes.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): किसी भी सदस्य को इस बात से नाराजगी नहीं होगी कि जो नाजायज खर्चा किया जा रहा है उसको बन्द किया जाए। मगर तहसीलें तोड़ने में यह ख्याल नहीं किया गया है। उस तहसील में कितने गाँव होते हैं, किस प्रकार का इलाका है और लोगों को किस प्रकार से दिक्कत होगी। मौके पर जाकर इन सारी बातों को नहीं देखा गया है और यहीं जयपुर के सेक्रेटेरियेट में बैठकर आपने तहसीलों को तोड़ा है। रायपुर तहसील भीलवाड़ा में है उसको आपने तोड़ा है। यह तहसील मेवाड़ राज्य में राज्य भर में सबसे बड़ी तहसील थी। आजादी के बाद जागीरदारों को काबू में लाने के लिए, सामन्तों को दबाने के लिए कर रहे हैं, यह कह कर इसके दो टुकड़े किये गये। ये टुकड़े राजस्थान बनने के बाद किये गये। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से अलग अलग तहसीलों में मिला दिये। तीन तहसीलों में २०, २० गांव अलग अलग मिला दिये गये। इस प्रकार यह बहुत बड़ी तहसील थी उसके पाँच तथा छः टुकड़े किये और आखिर में मांडल तहसील में मिला लें मगर यह कहा कि यह प्राचीन तहसील है इसके लिए महाराजा ने कहा कि यह प्राचीन तहसील है, वहां पर गढ़ बना हुआ है। उसको तोड़ने को थे जब कहा कि तहसील नहीं टूटे हम अपनी नई बिल्डिंग बना दें। इनके अलावा आज चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि यह तहसील नहीं टूटेगी। अब आप अपने बचनों से अलग जा रहे हैं। आप अपने विचारों से विमुख हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने वहां पर बड़े बड़े नेता लोग थे उन्होंने यह कहा कि यह पहाड़ी इलाका है और वहां पर लोग ५०:५० घरों की आबादी में बसते हैं। अभी आंकपुर है वहां के लोग २०:२५ मील उनको रास्ता तय करके आवेंगे।

मैं यह कहूंगा कि आपको एक तहसील तोड़ने में ७ या ८ हजार की बचत होती होगी। इतनी बचत में आपने हजारों किसानों को २० मील की दौड़ लगवा दी। इसके अलावा आपको यह मालूम नहीं कि आपके सरकारी अधिकारियों को कितना भत्ता मिलेगा। वे आखिर तनख्वाह आदि लेने के लिए, मास्टरों की व दूसरे लोगों की, ट्रेजरी में जावेंगे उनका कितना खर्चा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Point of order, Madam, the House has fallen short of quorum. We are at present 18 members in the House. The proceedings should be stayed.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The quorum is composed of 18, while the number available is more then 20.

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कौरम तो है मगर आपकी आदत बीच बीच में टोकने की पड़ी हुई है तो उसका क्या किया जा सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : Please continue.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सरकार को कितनी बचत होगी इसके लिये आपने कहा है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इससे ज्यादा लोगों को दिक्कत होगी और रोजाना ऑफिसर्स जावेंगे और उनको रोजाना भत्ता मिलेगा इससे कोई बचत नहीं होगी। हम तो बचत बताते हैं उसमें कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में १ लाख ७७ हजार की बचत होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में यह तहसील को तोड़ने से आपको फायदा नहीं होगा आपको यह पता है कि एक लाख की बचत की जो तहसील को तोड़ने से आपको संभावना है वह नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इसमें से १ लाख ७७ हजार कम करते हैं तो ९ लाख २३ हजार भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आप तहसीलों का गला घोंट रहे हैं। आपने हमसे बजट पास कराया है २ करोड़ का। अब एक लाख ७७ हजार कम करते हैं और बचत की आप कहते हैं वह आप हमसे ९ लाख २० हजार की और मंजूरी लेंगे। आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आपने जितना बजट पास कराया था। आपने आगे कहा कि ५० लाख की संभावना है। आपने बजट तो अप्रेल में पास कराया और हमने इसको पास नहीं किया है। इसको छोड़ दें तो इसके बाद जब ५० लाख की बात आती है तो ९६ लाख की बचत बताते हैं। ११ लाख रुपया बाद देकर पास किया है..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Madam, आप जो बजट का इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं वह ठीक है या जो सरकार कह रही है वह ठीक है, यह तो संबन्धित मंत्री बतावे। लाखों की बातें हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रही हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इन सब चीजों का जवाब मंत्री देंगे। यह गलती कह रहे है, तो ठीक है; इसका जवाब दिया जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब ये गलत कह रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना चाहिए और ठीक करना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे आपसे पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस नहीं सीखनी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको कुछ नहीं सीखना है यह तो ठीक है। आप पक्के इरादे के आदमी हैं। पक्का इरादा करके आये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ६४ हजार रुपये बढ़ेंगे या कम होंगे। हमने ९६ हजार की बचत की है। अगर ऐसा है तो आपको घटाना होगा। इस प्रकार आपने ६ लाख १० हजार रुपये सार्वजनिक कार्यालय में बचत की संभावना बताई है। १ लाख ५६ हजार बचे। मैं यह कहूंगा कि आप कौनसी और मांगें ला रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको बताना होगा। आपने यह नहीं बताया कि आप सवा करोड़ में किस किस जगह कट कर रहे हैं। संसद के मामले में आपने बताया है कि ९६ हजार रुपये की कमी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आपने बजट १७९ का तो पास कराया है क्या आप उस गलती को ठीक कर रहे हैं। आपने बताया १६ मिनिस्टर। ८ मिनिस्टर और ८ डिप्टि मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक स्पीकर, एक डिप्टि स्पीकर और १६० सदस्य। इस प्रकार आपने १७९ का बजट पास कराया है। आपने हमसे बजट हमारा मुख बन्द करके पास किया है। मगर आप बजट में उसी वक्त कुछ सुधारते तो ठीक था। अब कटौती की कोई बात नहीं है।

लेखन सामग्री में १ लाख की कमी कर रहे हैं, मैं इसको कमी नहीं मानता, स्टाफ उतना का उतना, वेतन यों का यों रहा, ५ लाख के बजाय चार लाख की लेखन सामग्री खरीदेंगे इससे क्या कटौती हुई है? इसी प्रकार इन्डस्ट्रीज के अन्दर कमी करने की बात आई है कि ६ लाख कम करना है। पंचायतों को दो लाख की सहायता कम कर देंगे, लघु उद्योगों का कारपोरेशन बनाया है उसको देदेंगे तो खर्चा कम क्या किया? दो लाख पंचायतों को नहीं देंगे, स्माल उद्योगों का कोरपोरेशन है उसको दे दिया जायगा। ३५ हजार की प्रेस में कमी बताई है, उसमें स्टाफ उतना ही है जितना कि पहले था, २०० आदमियों की पहले सेही आलरेडी कमी है, तो फिर आप इसमें क्या कमी कर रहे हैं?

नॉन प्लान में १९३४ हजार की कटौती की गई है। सही माने में मैं इस कटौती को कटौती नहीं मानता। पुलिस में १६२८ हजार की कटौती है। तो इसमें आप किस चीज में कटौती करेंगे? क्या उनके शस्त्रास्त्रों में कमी करेंगे, क्या उनकी गाड़ियों में कमी करेंगे? अगर आप यह करना चाहते हैं तो आप भूल कर भी यह मत कीजिये, और हमारे जितने भी खर्चे हैं उनमें भले ही कमी कर दीजिये पर इसमें कमी मत कीजिये। बच्चों के लिये १८ लाख की कमी की है, क्या आप हमारे बच्चों को नहीं पढायेंगे, या सैनिकों के लिये शस्त्रास्त्र और गाड़ियां नहीं लायेंगे? इन चीजों में आप कमी मत कीजिये, जो आप भवन निर्माण करवा रहे हैं, गांवों में या शहरों में स्कूलों के लिये मकान बनवा रहे हैं, दूसरे मकान बनवा रहे हैं उनमें कमी कर दीजिये। आज देखा जाय तो जिन खर्चों में कमी की जानी चाहियें उनमें कमी नहीं की जा रही है और जिनमें कमी नहीं की जानी चाहिये उनमें कमी की जा रही है।

तहसीलों से खर्चा बचाना चाहते हैं पर १५६ हजार सेक्रेटेरियेट में स्पेशल पे देते हैं, २०० जिनको पे मिलती है उनको २५० स्पेशल पे देते हैं वह मत दीजिये। इस तरह करने से डेढ लाख की अपने आप ही कमी

Page No 112

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हो जाती है, न तहसीलें टूटेंगी और न किसान तकलीफ पायेंगे। नहीं तो १ करोड़ के करीब किसान तकलीफ पायेंगे। ४० लाख के ऊपर का फर्नीचर में खर्चा है आप कह देते कि हम फर्नीचर नहीं खरीदेंगे। तार टेलिफोन की यह हालत कर दी है कि कहीं डाकू आ जाये तो फोन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। थानों में कहीं बाहर फोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका टूटा हुआ फर्नीचर कहां जाता है? राजस्थान बना तब से ४० लाख रुपया सालाना फर्नीचर पर खर्च होता रहा है अब तक करोड़ों रुपयों का फर्नीचर हो गया होगा। पर मंत्रीजी के बंगले के लिये नया फर्नीचर आ रहा है एम्बेसेडर कार आ रही है नई। क्यों पुराने फर्नीचर से, पुरानी गाडियों से काम नहीं चला सकते?

श्रीमती सभानेत्री : ऐसा प्रतीत होता है, काफी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर सदन की सम्मति हो तो समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

एक घंटा समय बढाया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तहसीलें सबकी टूटी हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था साफ शब्दों में गुजारिश की कि तहसीलें मत तोड़िये। पर बनेड़ा तहसील तोड़ने के सम्बन्ध में आन्दोलन हुआ है, इसके लिये बनेड़ा से जो भाई आये हैं उन्होंने कहा था कि तहसीलें तोड़ देनी चाहिये..

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : On a point of clarification, Madam, यह जो कुछ कहा है गलत कहा है। प्रोसीडिंग्ज मंगा कर देखी जायं; मैंने कभी नहीं कहा कि तहसील तोड़ दी जाय। माननीय सदस्य ने सरासर गलत कहा है..

श्रीमती सभा नेत्री: आप अब संक्षेप में कह दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : संक्षेप में कहता हूं।

उनकी बात मान कर हमारी तहसीलें तोड़ते हैं, हमको तंग करते हैं और जिन्होंने कहा उनकी तोड़ देते हैं तो आन्दोलन करते हैं। यह तो फोर्मर राजस्थान में वर्मा साहब को कह कर उनकी सिफारिश पर बनेड़ा तहसील बनी थी..

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य जो सदन में मौजूदा नहीं हैं, उन पर यह एस्पर्सन है, उनका नाम ले रहे हैं; यह ठीक नहीं है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एस्पर्सन नहीं है, कुछ गांव इधर के कुछ गांव उधर के लेकर भानुमती का कुनबा जोड़ दिया; यह तहसील बना दी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इतने दिन राजस्थान सरकार की अक्ल गुम हो गई थी क्या?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पहले बातों में आ गई थी, अब असलियत पर आ गई है। ५ तहसीलों को मिला कर एक की।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तो मैं कटौती की बात कह रहा था कि वास्तव में देखा जाय तो कटौती कहीं नहीं की गई है, विरोधियों को खुश करने के लिये यहां कटौती की बात लाते हैं, जैसे उनको खुश करने के लिये तहसीलें तोड़ी हैं। नहीं तो वित्त-मंत्री हमें बता दें कि कहां उन्होंने कटौती की है वास्तव में देखा जाय तो एक पैसे की भी कटौती नहीं की है। यह सब देख कर मुझे तो संदेह होता है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट में कहीं कोई ऐसा आदमी है जो विरोधियों से मिला हुआ है, जो इस तरह की सदन में रिपोर्ट पेश करवा कर विरोधियों से सरकार को इस प्रकार से गालियां दिलवाता है। वास्तव में देखा जाय तो कोई कटौती सही माने में नहीं की गई है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : सरकार की तरफ से रिपोर्ट पर बहस हो रही है..

(समय-समप्ति-सूचक-घंटी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तहसीलों की बात है··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां तहसीलों को न तोड़ कर जो फिजूल खर्ची है, उसको कम कर दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदया, बहस के दौरान में कई बातें उठी हैं कि जिनका सम्बन्ध राजस्थान की आर्थिक स्थिति से है, चाहे वे कटौती के नाम पर हों चाहे किसी दूसरे नाम पर हों। मूल प्रस्ताव जो इस सदन के सम्मुख पेश हुआ वह इस रूप में है कि तहसीलों और शासकीय इकाइयों को कम करने पर विचार किया जाय।

मेरे पूर्व वक्ता अभी इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वास्तव में यह कटौती का नाम गलत रखा गया है। फीगर्स करीब करीब उतने ही बैठेंगे, पर खामोखाह कटौती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

(५.०० म.प.)

कुछ तहसीलें तोड़ दी गई। कुछ जिलों को इधर उधर किया गया और उनके अफसरों और हैडक्वार्टरों को इधर उधर कर दिया गया और इस नाम पर यह कहा गया कि हम ९० लाख रुपयों की कटौती हमारे इस खर्च में से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदयाजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में यह स्टेटमेंट आना चाहिये था कि किस विभाग में कितने अपोइन्टमेन्टस हुए हैं और अब कितनी जगह खाली हैं इन चार छः महीनों में कितना खर्चा होगा और कितना खर्चा होना बाकी है। हरएक डिपार्टमेंट की इस प्रकार की फीगर्स यदि सदन के सामने हों तो सदन को मालूम होगा कि हमने अभी तक कई जगह खाली रखी हुई हैं जिनके लिए बजट में प्रोविजन है उनको इस साल भरा नहीं और अर्से दराज से खाली चली आती हैं और वास्तव में वह खर्चा होने वाला नहीं है चाहे किसी तरह से उसको कहें। तो फिर ये जितने फीगर्स हैं कटौती के माने में नहीं आते हैं। ये तो ऐसे फीगर्स हैं जो खर्चा वास्तव में नहीं होने वाला था और यहां रख

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिया गया है कटौती रूप में। अगर ऐसा नहीं है तो आपका स्टेटमेंट सदन के सामने आये तो अपने आप मालूम हो जायेगा और एक्सपेन्डीचर की तालिका और गत वर्ष का और इन छः महीनों का एक नक्शा पेश किया जाय तो सदन को असली नक्शा मालूम हो जावेगा कि वास्तविक रूप में कटौती कितनी हो रही है।

कुछ विभागों और जिलों के हैडक्वार्टर्स तोड़ कर कुछ खर्चा कम करके बताने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिससे खामख्वाह राजस्थान के वातावरण में गर्मी आयी है, आम जनता में रोष बढा है। करना ही था तो समझदारी से करना चाहिये था। रिपोर्ट आयी है उसमे तहसील कम हो जाती है। कोई दुख नहीं होता वास्तव में यह सही बात है कि ज्यादा तहसीलें तोड़ने की बात है रिपोर्ट में उसको स्वीकार करना चाहिए था। स्वीकार नहीं किया गया इसके लिये भी वजह बतानी चाहिये थी। इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहूंगा। सभापती महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कटौती ऐसी है कि मेरे जैसे आदमी के लिए कही जाय कि वजन कैसे घटाया जाय वजन कम करने की जगह बाल काट कर कम कर दिया जाय कि वजन घट गया

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : ऐसा सुझाव नहीं देंगे। आप वजन बढ़ाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो कटौती के नाम पर ऐसी चीज खड़ी करना मुनासिब नहीं था। किसी वक्त आपको मालूम होगा कि जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन आज आपने बना रखा है उसमें दिक्कत आवेगी कि एक तहसील में ४० हजार है और दूसरी में ३५ हजार थी ; दोनों को मिला दिया तो उनकी आबादी ८५ हजार हो गई, फिर कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी हो गई। नहीं पचास हजार की होनी चाहिये। यही फिर होने वाला है, जब आप यह महसूस करेंगे। कि एक तहसील का अलग अलग तरीके से ५०० स्क्वायर माइल्स का एरिया था और ३०० वाली का भी मिला दिया तो दोनों का ८०० स्क्वयर मील का ऐरिया हो गया फिर आप कहेंगे कि एक तहसीलदार इसको नहीं सम्हाल सकता। राजस्थान को बने हुये इतना अर्सा हो गया और उसका अब तक भी आप रिआर्गेनाइजेशन नहीं कर पाये और यही सिलसिला जारी रहेगा। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को धक्का पहुंचेगा। एक तहसील २५००० हजार की आबादी है और दो ऐसी मिल गयी तो ५० हजार की आबादी की हो जावेगी। इस प्रकार नहीं करते तो समझते कि कोई बात नहीं।

:

उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह पार्टीबन्दी के आधार पर किया गया है और यह नही किया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहां इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की कोन्स्टिट्चुएन्सी पर असर पडा है तो उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की कोन्स्टिचुएन्सी पर भी असर पड़ा है। ऐसी तहसीलें हैं ६०-६२ हजार की आबादी की थी और किसी में मिल गयी तो दोनों को मिला कर १ हजार स्क्वायर मील का क्षेत्र हो गया। मैं यह असंभव मानता हूं कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पहाड़ी इलाका हो ग्रौर जहां कि इतने आवागमन के साधन नहीं होते हैं तो वहां उनको सम्हालना असंभव हो जायगा । सुख सुविधा के लिहाज से कुछ डिपार्टमेंट्स कम कर दिये, खर्चा कम हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता । जनता में एक ग्रान्दोलन खड़ा होगा । ग्राज तहसीलें तोड़ी हैं, कल जिलों को तोड़ देंगे । ग्राज वह जनता के सामने नहीं लेकिन खामख्वाह आप डर पैदा कर रहे हैं । हमेशा इससे जनता में असंतोष रहता है । मैं समझता हूं कि इस ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये । रीजन्स बताते हैं तो इसका बेसिस क्या है ? कोटा को तोड़ कर कहते हैं कि उदयपुर में रहेगा । अजमेर ग्रौर जयपुर में क्यों नहीं रहेगा । ग्रजमेर ग्रौर जयपुर उसके नजदीक हैं, किसी काम के लिए ग्राप यह समझते हैं कि कोई उदयपुर जाय । ग्रजमेर ग्रौर जयपुर क्यों नहीं ग्रा सकते ? तो ये चीजें हैं जिनको आपको सोचना पड़ेगा । ग्रापको सोचना चाहिये था । मैं समझता हूं कि वाजिब तरीके से नहीं सोचा गया है । ग्रभी नहीं करेंगे तो साल दो साल बाद में करेंगे । ग्रापकी समझ में ग्रावेगा कि गलती हो गई । यह होना चाहिये । यह जो हैपहेजर्ड थिंकिंग डेवलप हो रहा है वह कभी स्थिरता नहीं ग्राने देता है, यह महसूस करना चाहिये । खुशी होती सदन के सामने यह स्टेटमेंट ग्राता कि कटौती तो कर रहे है इससे इरिगेशन में इतनी ग्रामदनी बढ़ायी है, इन्डस्ट्रीज में इतनी ग्रामदनी बढ़ाई है रेवेन्यू में इतनी ग्रामदनी बढ़ायी है, माइन्स में इतनी ग्रामदनी बढ़ाई है । उस ग्रोर तो आप कोई ध्यान नहीं देते । स्टेटमेन्ट तो कोई सदन के सामने ग्रापकी ग्रोर से ग्राये कि फलां जगह इतना डेवलपमेन्ट करके इतनी ग्रामदनी बढ़ाई । आमदनी बढ़ाने की ग्रोर कोई ध्यान नहीं । कटौती की तरफ ग्रापका ध्यान जरूर चला जाता है । पुरानी परिपाटी चली ग्रा रही है ।

गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इन्डिया के एक प्रोफेसर थे । उनके जमाने में खर्चा कम करने के सिलसिले में एक कमेटी बैठी थी । उस कमेटी की रिपोर्ट खड्डे में गयी ग्रौर इसकी रिपोर्ट भी खत्ते में चली जावेगी ग्रौर जितनी कमेटियां बनाई उनकी भी रिपोर्ट खत्ते में चली जावेगी लेकिन मुद्दे की बात है कि प्लान्ड वे में ग्राप क्यों नहीं ग्रागे बढ़ रहे हैं । वतन-फवक्तन सवाल ग्राता है कितने ही एश्योरेन्स सदन में दिये होंगे, ग्राप उन पर ध्यान नहीं देते । सदन में एक एश्योरेन्स दिया गया कि मंडी डिपार्टमेन्ट के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर का हैडक्वार्टर बूंदी में रखा जावेगा । ग्राश्वासन के बावजूद कोटा के साथ मिल तो गया, लेकिन हैडक्वार्टर में क्यों नहीं तबदीली की । ऐसे कई मामलों में ग्रामदनी बढ़ाने के बारे में सुझाया गया ।

ग्रामदनी बढ़ाने के सुझाव भी ग्राये कुछ कटौती करने के बारे में भी सुझाव ग्राये । मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेन्स में लेकर सब लोगों की इस बारे में सलाह ली जाती तो इससे भी ज्यादा कटौती के संबंध में सुझाव दे सकते थे । हम जानते हैं कि कहां कहां पर डिस्ट्रिक्ट में कितना फिजूल खर्चा होता है । पहले हमें चाहिये कि उस फिजूल खर्ची

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की जांच करके पहले उसको बन्द करें। मैं ऐसे विभाग भी बता सकता हूं जिसमें आदमी बैठे रहते हैं उनके पास काम नहीं हैं। आप एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट को ही ले लीजिये जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके पास काम नहीं। जो कुछ काम नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपने सुझाव एक एक शब्द में कह देता हूं। एग्रीकलचर विभाग में कमी की जा सकती है। इसी प्रकार लैन्ड रेकार्डस का सिस्टम दकियानूसी सिस्टम है उसके अन्दर पटवारी की जरूरत नहीं तहसीलदार की जरूरत नहीं सिर्फ एक एस०डी०ओ० की जरूरत है। वह अपने अन्दर में चार पांच आदमी लेकर के टैक्स क्लेक्शन कर सकता है। एक टैक्स क्लेक्टिंग मशीनरी हो जो सब प्रकार के टैक्स वसूल करे एक्साइज के भी वही करे रेवेन्यू के भी वहीं करें और ट्रान्सपोर्ट के भी वही करे। आज हम देखते हैं कि हरेक विभाग अपनी मशीनरी अलग अलग लिये हुए है। इस तरह से जो हेवी एडमिनिस्ट्रेशन आज चल रहा है उसमें कमी की जा सकती है। आपको क्या आवश्यकता है कि आप इतने आई० ए० एस० आफिसरों को नियुक्ति करें उनको जो स्पेशल अलाउन्स दिया जाता है उसको कम कर सकते है वैसे ही इनको पे बहुत मिलती है। जहां तक कटौती का सवाल पाँच आदमियों को आप यहीं पर दीजिये, हम निकाल कर बता सकते हैं कि किस किस में कमी की जा सकती है। आप कम कर रहे हैं एज्यूकेशन में पुलिस में जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है, जिसको हम कम कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें ठीक नहीं हैं, इसको ठीक किया जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदया, इसका जबाब मुझे देना है और भी मंत्री महोदय जिनके डिपार्टमेंट से संबंधित बातें कही गई हैं वे भी बोलेंगे। इसलिये थोड़ा थोड़ा समय सब को दिया जाना चाहिये।

श्री जयकिशन (थानागाजी): सभापति महोदया, अभी हम जिस प्रस्ताव पर बहस कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, इसका उत्तर मुख्य मंत्री दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Ithink there is no bar if I reply.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केबीनेट सारी की संयुक्त जिम्मेदारी है लेकिन जिन तहसीलों का जिक्र किया गया है उन तहसीलों से माननीय मंत्री महोदय पर्सनली इन्टररेस्टेड हैं इसलिये हम चाहते हैं कि इस बहस का जबाब मुख्य मंत्री दें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इस कारण अपने पक्ष की वकालात अच्छी तरह से कर सकेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा सभापति महोदया,..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप मुझे इस तरह से भयभीत करने की कोशिश मत कीजिये । मैं इस तरह से भयभीत होने वाला नहीं । मैं फिर अनुरोध करूंगा कि उप-मंत्री महोदय हुरड़ा तहसील से कनेक्टेड हैं इससिये वे इस बारे में अपना पक्ष तो रख सकेंगे, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका जवाब मुख्य-मंत्री दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अच्छा तो यह होता, कटौती की मदन सामने रखी गई है इसका एडमिनिस्ट्रेशन से संबन्ध नहीं है, इसका संबन्ध फाइनेन्स से है; अतः इसका जबाब वित्त मंत्री महोदय दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, हम महसूस करते हैं कि हमने जो भी पोइन्ट रखे वे सीरियसली रखे थे और हम सोचते थे कि उसका मुख्य मंत्री जबाब देंगे जिससे हमें सन्तोष हो सकता है । ट्रेजरी बेंन्चेज इसको लाइटली ले रही हैं, यह उचित मालूम नहीं पड़ता । स्पीकर महोदय से भी हमने प्रार्थना की थी वे मुख्य मंत्री महोदय, से कन्टेक्ट करके उनको यहां बुलायें हम उनको ही सुनना चाहते हैं । जो भी तहसीलें तोड़ी गई हैं उनके सम्बन्ध में हमको भी कोनफीडेन्स में लें हम तो इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सुनना चाहते हैं । नहीं तो आप रेजोल्यूशन रख दिया करें और उस पर वोट ले लिया करें । आखिर इतनी बात करने की क्या जरूरत ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): आपने रूलिंग दे दी है उसी के मुताबिक कार्य होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं । आपके पास बहुमत है, आप क्लोजर मूव कर दिया करें और वोट ले लिया करें तो इतनी बहस करने की क्या आवश्यकता ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभानेत्री महोदया, इस चीज को गंभीरता से सोचा जाय । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं । उनमें से अधिकतर ने यह कहा कि तहसीलों के पुनर्गठन में पक्षपात किया गया है । खास तौर से हुरड़ा तहसील के बारे में उप मंत्री महोदय पर आक्षेप लगाया गया है बनेड़ा तहसील को तोड़ने में उप मंत्री महोदय का हाथ था । इस तरह से बनेड़ा तहसील तोड़ कर हुरड़ा को बचा लिया गया । इसलिये हमारा यह निवेदन है कि चूंकि हुरड़ा तहसील से उप मंत्री महोदय सम्बन्धित हैं उस हालत में मुख्य मंत्री महोदय को इस बात का जबाब देना चाहिये । ये छोटी बातें नहीं हैं बड़े गम्भीर मुद्दे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र (निर्माण मंत्री) : The Deputy Minister has every right to reply.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्री महोदय ही निष्पक्ष रूप से कोई बात कह सकते है इस संबन्ध में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल . हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बातों की उपेक्षा की जा रही है इस प्रकार ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मुख्य मंत्री नहीं हैं तो क्या, उप-मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं । केबीनेट की सारी सम्मिलित जिम्मेदारी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : On a point of order, Madam; after the observations of the Chair there can be no speech. That is my point of order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No point of order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : There can be no speech. Observations are to be complied with.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उप-मंत्री इन्टरेस्टेड हैं । हुरड़ा तहसील के बारे में मुख्य मंत्री ही आलटर्नेट डिसीजन ले सकते हैं । उप-मंत्री महोदय का जवाब इस बारे में गैर जिम्मेदाराना होगा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका यह कहना ही गैर जिम्मेवाराना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काम ही उप-मंत्री महोदय ने गैर जिम्मेवाराना किया है ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : आप यह कैसे कहते हैं, गैर जिम्मेवाराना है ......

(शोर गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Address the Chair, please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक मुक्का बताते हैं यहां दो दो मुक्के लिये हुए हैं । मुक्के का जवाब मुक्के से देना जानते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपके प्रभाव को समझ गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We know how to speak You are nobody to tell us how to speak. We know manners. We don't want any advice from you. You may be the leader of your party, We don't want to rear any thing from you.

We want to hear the Chfef Minis'er, please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा No. We walk out.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Chief Minister must speak on such an important matter

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस संबन्ध में हम मुख्य मन्त्री को सुनना चाहते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इसमें मनमानी चलने वाली नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (बहिर्गमन करते करते) : कांग्रेस बेंचों का टाइम समाप्त हो गया । हमारा तो अब शुरू होगा ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : महदूद रक्खेंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (टनेड़ा) : माननीय सभानेत्री महोदया, इसके पहले कि मन्त्री महोदय जवाब दें....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : जवाब शुरू हो गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। उसकी सिफारिशों को मान लिया जावे। उसके पीछे उसकी क्या भावनाएं थीं? क्या उद्देश्य था? क्या इरादा था? यह तो मैं नहीं जानता। पर अगर ऐसी भावनाएं हमेशा रक्खें कि जो कमेटी की रिपोर्ट हो तो उनको वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जावे तो अच्छा है।

रावत कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा भी हुई थी। वह स्वीकार इस तरह से नहीं की तो समय समय पर कमेटियों की रिपोर्ट आती हैं वे इन टोटो स्वीकार नहीं होती। पर इसको इन टोटो स्वीकार करना चाहते हैं। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि, उनकी क्या इच्छा थी। इस डिस्ट्रिक्ट रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट में काफी तहसीलों को तोड़ने का और दूसरा एडजस्टमेंट करने का प्रावधान किया गया था।

(५.३० म० प०)

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

जिनको तोड़ने का कहा गया है उनमें से कुछ को दूसरे जिले के समीप जो एरिया पड़ता है और सहूलियत रहती है, तो उसमें मिलाने का प्रावधान है कुछ को आसपास के इलाके के साथ मिलाने के लिये कहा गया है। इस तरह से कुछ को तोड़कर २१२ तहसीलों में से १८० तहसीलें रखने की सिफारिश की गई है।

इन सिफारिशों पर अमल करने के लिये सरकार ने इस समय केवल १७ तहसीलों को तोड़ने का निर्णय किया। फिर सबको एक साथ तोड़ना और एडजस्ट करना प्रेक्टिकल भी नहीं था और आवश्यक भी नहीं था।

अब जो दूसरे एन्क्लेव्ज हैं या दूसरी तहसीलें दूसरे जिले के समीप पड़ती हैं या छोटा जिला कम हो सकता है, दूसरे में मिलाया जा सकता है, बड़े का कम किया जा सकता है इस प्रकार का जो मसला है उस पर अब विचार किया जावेगा।

इस समय तो केवल इन १७ तहसीलों को तोड़ने का निर्णय किया गया है। इसलिये इन एन्क्लेव्ज और दूसरे जिलों के बारे में जो मुद्दे उठाये गये हैं वे सरकार के ध्यान में हैं। निर्णय करते समय उन पर विचार करेंगे, उनको ध्यान में रक्खेंगे और तब सदन में भी ये बातें हम रख देंगे।

अब सवाल आता है जिन तहसीलों को तोड़ने के लिये कहा गया, उनको नहीं तोड़ कर दूसरों के तोड़ने के बारे में। इनके पीछे कारण हैं और वे कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार का आरोप लगाया गया कि ये तहसीलें इस नीयत से तोड़ी गई कि इसमें राजनैतिक भावनाएं काम करती थी या विरोधी दल के एम. एल. ए. साहबान वहां से आये थे। ये सारी बातें निर्मूल हैं। वास्तव में पब्लिक कन्वीनीयेन्स को आधार मान कर इनको तोड़ा गया है। अब १७ तहसीलों में १२ ऐसी हैं कि जिनमें वही निर्णय माना गया है जो कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है। केवल पांच दूसरे कारणों से तोड़ी गई हैं। और यह कारण

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

था पब्लिक की सहूलियत । इसके लिये भी हमने तोड़ने से पहले कलक्टर, एस. डी. ओ. आदि सबसे सलाह ली और सब आगे पीछे सोचते हुए निर्णय लिया गया है । अब मैं इनको तोड़ने के पीछे जो जस्टिफिकेशन हो सकता है जो वाजिब वाक्यात हैं उनका जिक्र करूंगा ।

सबसे पहले तहसील चेचट और रामगंजमण्डी को लेता हूं । कमेटी की सिफारिश थी कि रामगंजमण्डी को तोड़ा जावे । पर इसको न तोड़कर हमने चेचट को तोड़ा और इसके लिये जहां पर यह बात कही जाती है पोपुलेशन की, नम्बर ग्राफ विलेजेज की और लैंड रेवेन्यू की, तो रामगंजमण्डी में क्रमश: ३७,२६,४८३ और १,५४,४९२ रुपये होते हैं, जब कि चेचट में क्रमश: पापूलेशन, २५,७९३, नम्बर ऑफ विलेजेज ७५ और लैंड रेवेन्यू १,१७,०१८ हैं । इस प्रकार रामगंजमण्डी से चेचट तीनों बातों में कम है । और रामगंजमण्डी सेंट्रल प्लेश भी है । और रोड से जुड़ा हुआ भी है । इसलिये इसको तहसील हैड क्वार्टर रखते हुए चेचट को भी उसका महत्व कम न हो इसलिये पंचायत समिति का कार्यालय वहां रखा । इससे दोनों को सहूलियत हो, इनकी इम्पोर्टेन्स बनी रही ।

इसी प्रकार तहसील इटावा और पीपलदा का मामला है पीपलदा को तोडने की सिफारिश कमेटी ने की थी, पर हमने पीपलदा को न तोड़ कर इटावा को ही तोड़ा । इसमें भी पीपलदा की पापूलेशन ५१,३९४ और इटावा की २६,१७२ है, विलेजेज पीपलदा में १६५ और इटावा में ६२ हैं और रेवेन्यू पीपलदा में ३,४०,४९५ है और इटावा की २,४६,००० ही है । इस तरह से पीपलदा तहसील हर दृष्टि से उपयुक्त है ।

इसी तरह कनवास और सांगोद हैं । सांगोद को तोड़ने की सिफारिश की गई थी । पर हमने इसको न तोड़कर कनवास को तोड़ा । कनवास की पापूलेशन सांगोद से कम हैं और विलेजेज कनवास में १०५ और सांगोद में १२१ हैं, रेवेन्यू कलेक्शन सांगोद में २,८४,२७६ है जब कि कनवास की २,१२,३१३ है । इनमें भी ऐसा रखा गया है; तहसील हैड क्वार्टर जहां है वहां पंचायत समिति का हैड क्वार्टर दूसरी जगह रखा गया और इस तरह दोनों जगहों का महत्व कायम रखा गया है ।

इसके बाद में आता है सवाल हुरड़ा का और बनेड़ा का । बनेड़ा के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि कैबिनेट में डिप्टी मिनिस्टर किसी पर्टीक्यूलर तहसील का रहने वाला है या सम्बन्ध था, इसलिये अपनी घर की तहसील को बनाये रखने के लिये बनेड़ा को तोड़ने का प्रावधान कराया गया है । यह आरोप कतई निर्मूल है और इसके लिये मैं सारी हिस्ट्री तहसील की बयान करता हूं जिससे सदन को सही हालात मालूम हो सकें ..

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : माननीय मन्त्री, जिनके लिये कहा गया है, वही जवाब दे रहे हैं अपने पर लगाये गये आरोपों का, यह तो एक्स पार्टी जवाब होगा ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मन्त्री, वित्त): वे नहीं बोल सकते तो फिर आप भी वहां से चुनकर आये हैं, आप बनेड़ा के लिये बोले क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : पहले तो मैं इस दृष्टि से इस मेरिट पर डिस्कस करना चाहता हूं। पब्लिक कन्वीनीयेन्स को इसमें दृष्टि में रखा गया है और जनता के जनमत को भी ध्यान में रखकर जो जनता चाहती थी वह चीज यहां की गई है। केवल एक माननीय सदस्य सदन में यह कह दें कि बनेड़ा को रखने की जनता की मांग है तो उनके कहने से वह मांग जनता की नहीं होगी। जनता की मांग वही होगी जो जनता बतावे, सरपंच वहां के बतावें, लोग-बाग कहें, पंचायत समिति का पूरा रिजोल्यूशन है इसके लिये ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप स्वयं तो सही कह रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह : सही क्या साहब, ये झूठ बोल रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : "झूठ" ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिये। कुछ तो उनको भी जवाब देने दीजिये। आपने जोश खरोश से काफी कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब फॉर्मर राजस्थान में रेवेन्यू पॉवर्स वियड्रा किये गये जागीरदारों के तो उस वक्त इस तहसील का निर्माण किया गया। पर यहां की आबादी और एरिया कम था इसलिये आसपास की छः तहसीलों के २० गांव इसमें मिलाये गये। जो तहसील हुरड़ा है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है वह पहले से थी और उसके १८ गांव इस बनेड़ा तहसील में उस वक्त मिलाये गये और इसी तरह से आसीन्द, मांडल, भीलवाड़ा और शाहपुरा के गांव मिलाये गये, जिसकी लगभग जनसंख्या इस समय १७-१८ हजार है। इस जनसंख्या को देखकर ही यहां तहसील कायम की गयी। इसी तरह से एक ठिकाने में दूसरी जगह भी और तहसील बदनोर शामिल की गयी। उसके अन्दर भी हुरडा तहसील में मिलाकर कायम की गयी। जिस समय रेवेन्यू पॉवर्स विथड्रा हुए थे और जागीरों के एबोलीशन का सवाल था यह तहसील कायम की गयी थी। उसके बाद में दो साल बाद ही इसको तोड़ने का प्रपोजल रखा गया था। पांच में से चार तहसीलें जो नई कायम हुई थीं उनको तोड़ दिया गया था और फोर दी टाइम बीइंग नहीं तोड़ा गया था। सन् ६२ में जब यह तहसीलें तोड़ी गयीं तो कोई नई बात नहीं है। जो गांव जिस तहसील में आये थे उन गांवों को उसी तहसील में वापिस मिला दिया गया। बनेड़ा के गांवों का सवाल रहता है, यह आवाज उठती है कि यह केवल बनेड़ा गांव को तोड़ा गया है। मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। वह यह है कि इस तहसील में २७ ग्राम पंचायतें हैं उनमें से २० ग्राम पंचायतों के रेज्योल्यूशन्स गवर्नमेन्ट के पास आये हुए हैं और गवर्नमेन्ट के पास इस प्रकार के समाचार भी आये हैं कि जो गवर्नमेन्ट ने डिसिजन लिया है वह स्वागत योग्य है और ऐसा भी उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा न हो कि आप वापिस बनेड़ा तह-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सील को कायम कर दें अगर ऐसा कर दिया गया तो हमारी प्रगति रुक जायेगी। इस प्रकार के वहां की २० ग्राम पंचायतों के रेज्योल्यूशन्स हैं। बाकी की ७ ग्राम पंचायतों में प्रधानों का असर होने के कारण उन्होने दस्तखत नहीं किये हैं लेकिन उन गांवों की भी दरख्वास्त आई हुई है कि जिन्हें मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें उन्होने कहा है कि हमारा इस तहसील से अधिकार हटा दिया जाये और सरकार ने जो इस मामले में फैसला लिया है वह हमें मान्य है और वह हमारी प्रगति में सहयोगी सिद्ध होगी। अब श्रीमान् सदन के लिए यह निर्णय करने की बात है कि जब कि एक तरफ वह कहते हैं कि जनता की पुकार, जनता आन्दोलन, जनता के प्रतिनिधि इस तरह की बात करते हैं। बनेड़ा तहसील क्या इस तरह के वातावरण को देख कर कायम रहनी चाहिये ? क्या यह ग्राम पंचायत और वहां की रहने वाली जनता की इच्छा की कद्र नहीं करेगी सरकार ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of clarification Sir ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो निर्णय लिया गया है इसको जनता ने माना है। उसके बाद में इस तहसील के बारे में यह आरोप लगाना कि किसी व्यक्तिगत इन्टरेस्ट से या किसी राजनैतिक कारण से यह किया गया है अनुचित और निर्मूल बात है यह भी आरोप लगाया गया कि इन सारी तहसीलों के पुनर्गठन के बारे में एक राजनैतिक रुख अख्तियार किया गया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताता हूं कि जितनी तहसीलों का एबालीशन हुआ है उसके अन्दर यदि राजनैतिक आरोप लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के मेम्बर्स जो इस समय बैठे हैं और जो कि तहसीलों से चुनकर आये हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। इन १७ तहसीलों में से १०-११ तहसीलें ऐसी हैं कि जिन पर कांग्रेस बेन्चेज के माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, उनकी तहसीलें टूट गई है। कांग्रेस मेम्बर्स की तहसीलें टूटने पर तो राजनैतिक आरोप नहीं है उनके लिए तो ठीक किया लेकिन उसके मुकाबले में यदि विरोधी दल के सदस्यों की एक तहसील भी टूट जाती है तो राजनैतिक कारण बन जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि टूटने या नहीं टूटने का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कहां है। केवल इकोनामिक दृष्टि से नहीं तोड़ी गयी है, कोई राजनैतिक कारण हो ऐसी बात भी नहीं है।

आपने देखा होगा कि १९५६ में जब कि डिस्ट्रिक्ट रीआर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी उसको आज करीब ६ साल हो गए, उस समय में और इस समय में काफी परिवर्तन हो गए हैं, हमारे तरीके बदल गये हैं; आज डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम चालू हो गयी है; हमने तहसीलों के सारे अधिकार पंचायतों को दे दिये हैं तो अब आखिर हमारी तहसीलों के पास काम क्या है ? हमारे जो पटवारी और इन्सपेक्टर्स हैं उनको देखना और अलॉटमेन्ट कमेटी को लेण्ड अलॉट करने का अधिकार, पंचायतों को तकावी देने का काम है। अब तहसीलों के पास थोड़ा सा काम रह गया जिससे किसान का सम्पर्क भी सीधा नहीं है। तो ऐसे अधिकार तहसीलों के पास

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं है सब्सटेन्शल कि जिससे किसानों का आम तौर से वास्ता पड़ता हो। इसके बारे में किसानों ने कोई शिकायतें नहीं की और उनको तकलीफ हो भी नहीं सकती। इसलिए इन परिस्थितियों के अन्दर तहसीलों का टूटना कोई महत्व नहीं रखता। तहसीलों के तोड़ने में कई बातें देखी जाती हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वियेन्स होती है, जनता को कोई तकलीफ नहीं होती है ऐसा कदम उठायें तो उसमें माननीय सदस्यों को एतराज नहीं होना चाहिए। यह तहसीलों के रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल है जिसके अन्दर कि कुछ मुद्दों पर, कुछ आधारों पर इसका निर्णय किया जाता है। तो मैं अन्त में इसी तरह अन्ता और मांगरोल के बारे में कहूंगा। इसमें जैसी स्थिति बताई कि मांगरोल की आबादी ज्यादा है और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारे विभाग में वे करते है वह यह है कि चम्बल प्रोजेक्ट से यह मांगरोल तहसील फुल्ली इर्रीगेट हो रही है और होने वाली है, कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो ऐसी सूरत में हमारे लिए रेवेन्यू की दृष्टि से, रेवेन्यू रेकॉर्डस की दृष्टि से सुपरविजन की दृष्टि से यह हिस्सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ऐसी स्थिति में मांगरोल को हमने न तोड़कर अन्ता को उसमें मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता··

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of clarification, Sir....

श्री अध्यक्ष : आप फिर पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा था कि मांगरोल की जनसंख्या ज्यादा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६१ की मतगणना के अनुसार कम है।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अन्ता की आबादी ३९,४४५ है।

श्री भैरोंसिंह : मांगरोल की ४५ हजार है। मैंने भी उसी किताब से फिगर लिये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एक बात और अर्ज करता हूं। इसमें कोई पोपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं है। कमेटी ने यह जरूर कहा कि ५० हजार तक की आबादी वाली तहसीलें तोड़ी जाय। But that is not a hard and fast recommendation which must be accepted by the Government.

इसके अलावा हमें दूसरी चीजें भी देखनी पड़ेगी। उनके साथ साथ इसका फैसला करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्ता टूट गई और मांगरोल टूट गई। एक टूटती जब भी जनसंघ का सदस्य था और दूसरी टूटी तो भी जनसंघ का सदस्य था। हमने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस को बचाकर जनसंघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और जो पांच निर्णय बदले गये जैसे चेचट का है, कानवास का है और दूसरी कोटा डिस्ट्रिक्ट में चार तहसीलें बदली हैं उनमें से एक को छोड़कर ३ कांग्रेस के मेम्बर्स हैं। वह कांग्रेस के मेम्बरों की तहसीलें हैं, उनका एबालीशन हुआ। इस लिये सिफारिश कमेटी की न मानकर किसी पब्लिक कनवीयेन्स, एडमिनिस्ट्रेशन की कनविनियेन्स को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलें

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

बदली हैं तो भी राजनैतिक दृष्टिकोण उसमें कुछ नहीं है । तो इस प्रकार इन पांच तहसीलों के बारे में जो इस सदन के सम्मुख कहा गया कि यह निर्णय किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से लिये गये, यह बात सही नहीं है । अन्त में कुछ बातें माननीय सदस्य ने यह कहीं कि कुछ एन्क्लेव्ज हैं । घागरोल, इन्दरगढ़ और दूसरी जगह की हैं । यह बात सही है कि एन्क्लेव्ज जहां रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया वहां पर मिलाई जानी चाहिये । लेकिन हमने इस पहली किश्त में यही फैसला किया कि अभी रीआॅर्गेनाइजेशन विद इन दी डिस्ट्रिक्ट कर दें यह कम्पलीट होते ही हम इस बात का निर्णय करेंगे कि अब कौनसे एन्क्लेव्ज एक डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने चाहियें । जो जानी चाहिये जिसके लिये ठीक समझा जायेगा वह उचित निर्णय करके किया जायेगा । इसी प्रकार से कुछ तहसीलें ऐसी हैं कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहियें अथवा कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा है और कुछ तहसीलें नजदीक पड़ती हैं और कुछ दूर पड़ती हैं तो वह चैप्टर भी अभी अनिर्णीत है । इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कमेटी की उन सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी बात नहीं है । हमने ऐसा डिसीजन लिया है कि बाकी मामला अनिर्णीत है और उसके ऊपर निर्णय किया जाने वाला है जो आवश्यकता अनुसार किया जावेगा ।

अन्त में आप लोगों को एक बात और सदन के अन्दर स्पष्ट करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि इन तहसीलों की रीआर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने उठाया है वह किसी राजनैतिक आधार पर नहीं उठाया है । महाराजा हरिश्चन्द्र जो कैबिनेट के अन्दर मिनिस्टर हैं, अगर राजनैतिक आधार पर किसी तहसील को तोड़ा जाता है तो महाराजा हरिश्चन्द्र जिस कान्स्टीटूएन्सी से आये हैं वहां बकानी आदि दो तहसीलों को नहीं तोड़ा जाता । इसी तरह से बृजसुन्दर शर्मा के क्षेत्र की तालेड़ा तहसील, उदयपुर की भोपालसागर तहसील और कोटा की मनोहरथाना तहसीलें तोड़ी हैं। इन तीनों जगह से कांग्रेस के सदस्य आये हैं । १०-११ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके क्षेत्र की तहसीलें तोड़ी गई हैं । तो इस प्रकार का वातावरण बनाना, इस प्रकार की लॉजिक और रिजनिंग खड़ी करना गलत है । इससे जो तथ्य है वह छिप नहीं सकता । इसलिये अन्त में मैं यही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा । जिस स्प्रिट में आपने कहा था कि कमेटी की सारी रिक्मन्डेशन्स को स्वीकार कर लिया जाय तो सारी रिक्मन्डेशन्स को स्वीकार कराना चाहते हैं या करने की आपकी अनुमति हो तो कम से कम इसको मान्य किया जाय और उसके बाद में बाकी जो निर्णय होने वाला है वह होगा । सब डिसीजन एक साथ लें, सरकार को यह नहीं मालूम था और न आज करना चाहती है । इसके रिएक्शन को देखा जायगा और सुविधा और आवश्यकता को देखते हुए निर्णय किया जायगा । यही सब बातें कहते हुवे कि किसी व्यक्तिगत कारण से किसी तहसील के रिआर्गनाइजेशन में कोई कदम नहीं उठाया गया है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी कहा गया है माननीय उप-मंत्री महोदय की तरफ से कि बनेड़ा की कुछ पंचायतों ने लिखकर दिया है तो मैं चाहूंगा कि उसको हाउस की टेबिल पर रख दिया जाये। कौनसी तारीख को लिखा है, और मैं यहां पर पंचायत समिति की जो प्रोसिडिंग है उसको रखता हूं, जिसमें युनेनिमसली रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें ३७ में से ३६ मेम्बर्स मौजूद थे। उन्होने ७-९-६२ को यह रिजोल्यूशन पास किया है वह मैं टेबल पर रखता हूं। इसके साथ साथ गांव के सारे लोगों के दस्तखतों की यह दर्ख्वास्त उनकी तरफ से मैं यहां हाउस की टेबल पर रखना चाहता हूं। इसके अलावा एक दर्ख्वास्त जो कि ७४ एम० एल० ए० के दस्तखतों की दर्ख्वास्त है वह भी रखना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि बनेड़ा तहसील को फिर से कायम किया जाय। यह तीन चीज जिसके बारे में बड़े जोरों से कहा गया है, उनका एक एक का जवाब देने को तैयार हूं। जो कुछ कहा गया है, उनमें तथ्य कितने हैं, और बनावटी बातें कितनी हैं, यह मालूम हो जायेगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं।

(सम्बन्धित पत्र विधान सभा के टेबल ऑफिस में देखिये।)

श्री निरंजननाथ आचार्य : How can they be accepted ? The right does not accrue.

श्री अध्यक्ष : If the document is about the report we can accept.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : माननीय सदस्य को यह ख्याल रखना है कि कहीं से बटोर कर लाये हों यह बात नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपके दूसरे आदमी हैं जो बटोर कर ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन कराना चाहता हूं। आपने यह कहा है कि २७ में से २० पंचायतों के सरपंचों ने सरकार के पास दर्ख्वास्त भेजी है कि बनेड़ा तहसील को बांट दो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भेजी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पंचायतों के सरपंचों ने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरपंचों और कई पंचों के दस्तखत हैं। उनके अलावा जनता के भी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी तहसील के पंच उस तहसील के तोड़ने के खिलाफ हैं तो वह तहसील न तोड़ी जाय ? यदि उस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि बनेड़ा तहसील के पंचों का रेफ़न्डम इलेक्शन कमीशन के तत्वावधान में कराया जाय और जनता की सही राय जानी जाय कि वे बनेड़ा तहसील के तोड़ने के पक्ष में हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेफ़ेन्डम का क्वेश्चन नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने जोर से, दबाव से और सरकारी डांट से, पंचों से दर्ख्वास्त प्राप्त कर ली हो।

श्री अध्यक्ष : यह तो रेफ़न्डम के लिये भी कह देंगे ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : इस तरह से पुलिस वाले जाकर जुर्म कर रहे हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) आपने भी दबाकर कराये होंगे ।

एक माननीय सदस्य : कयास इस बात का अधिक होता है क्योंकि आप प्रधान हैं। इसलिये आपने पंचायत समिति से रिजोल्यूशन पास कराया । इसमें यह कयास किया जा सकता है कि प्रधान ने अपना असर लगाया होगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसीलिये रेफ़ेन्डम की बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : असर सबको लगाने का हक है, लेकिन वैधानिक और शान्तिपूर्ण तरीकों से लगाना चाहिये ।

श्री वित्तमंत्री ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट ६२–६३ का जवाब दे रहा था, उस वक्त सदन के सामने यह निवेदन किया था कि मैं करीब ५० लाख की इकोनोमी करने जा रहा हूं । इस इकोनोमी के संबंध में मुझे उस वक्त यह विश्वास मिला था कि सदन इस इकोनोमी को खुशी से लगाने को तैयार है । उस समय जो मुझे उत्साह मिला था । आगे बढ़कर मैंने कोशिश करी कि बजट को किसी तरीके से इस तरह से ढाला जाय कि खर्च उतना ही हो, जितनी कि हमारी आमदनी हो । इकोनोमी का प्रश्न कोई आसान प्रश्न नहीं है । कहने के वक्त तो हर माननीय सदस्य इसकी ताईद कर सकता है कि इकोनोमी हो, लेकिन जब इकोनोमी होकर उसका इम्प्लीमेन्टेशन शुरू होता है तो हर तरफ से एक चीख और पुकार उठती है कि साहब, इसमें डिस्क्रीशन इस्तेमाल हो गया, गलत हुआ, कुछ नुक्सान हुआ, कई लोग गलत रिट्रेन्च हुए । मैं यह पहले से ही जानता था कि यह विषय जो है वह बड़ा नाजुक विषय है, और जिन परिस्थितियों में, वे भी ऐसी गम्भीर परिस्थितियां हैं कि जिस के बस जिस चीज को हम अच्छा भी समझते हैं लेकिन जो परिस्थितियों का असर हम पर पड़ा है कि मजबूर होकर उसको ना पसन्द करने लगे हैं ।

कुछ बातें माननीय सदस्य जो जयपुर से चुने गये हैं उन्होंने सदन के सामने रखी हैं । उन्होंने इसकी तो बहुत भर्त्सना की है पर यह जो इकोनोमी हुई, उस पर उन्होंने वित्त-मंत्री को मुबारकबाद दिया । लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ त्रुटियां सामने रखीं । हो सकता है कि वे त्रुटियां हों लेकिन जितनी मेरे सामने चीज आई उसके संबंध में मैं कह देना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन कर दूं कि इकोनोमी करने से पेश्तर यहां पर एक सर्क्यूलर निकाल दिया गया था कि डिफरेन्ट डिपार्टमेंटल हैड्स किस तरह से इकोनोमी करें, और इसी सर्क्यूलर की तहत में कुछ कंडीशन्स बताई थीं । पहली कंडीशन यह थी, कि जो आदमी सीनियर हो उसको नहीं निकाला जाय । सरप्लस हमेशा नीचे से लोगों को किया जाय, और यह भी देखा जाय कि इसमें कोई ऐसी खामी न रह जाय जिसके सबब से कहने को यह मौका मिले

Page No 127

(श्री बालकृष्ण कौल)

कि जो सीनियर मोस्ट रह गये वे तो सरप्लस डिक्लेयर हो जावें, और जूनियर मोस्ट सरप्लस न डिक्लेयर हो पावें। एक और शर्त थी, वह यह थी कि जो ६ महीनों पहले के हैं या जिनकी सर्विस ६ महीनों की हो गई है उनको सरप्लस डिक्लेयर न किया जाय, और जो ६ महीनों से कम हैं वे सरप्लस डिक्लेयर किये जावें......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरप्लस वर्ड की जगह एब्जोर्शन वर्ड यूज किया जाय तो अच्छा हो।

एक सदस्य: सरप्लस होंगे उनको एब्जोर्ब करना होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि अभी तक मेरे सामने एक भी मिसाल इस तरह की नहीं आई कि कोई भी एम्पलोई ऐसा सरप्लस डिक्लेयर हो, या रिट्रेन्च हुआ हो, जिसकी अवधि ६ महीनों से कम हो। हो सकता है कोई हो, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई इस किस्म की इत्तला नहीं और भो उस वक्त फैसला किया गया था जो एम्पलोई सरप्लस डिक्लेयर होंगे वे जब तक रीएम्पलोय नहीं हो जावे तब तक वह तनख्वा से वंचित नहीं होगा... ...

श्री भैरोंसिंह : मैं एक छोटासा क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। आपने बताया था ६ महीनों के सरप्लस नहीं हैं उनको सरप्लस डिक्लेयर किया जाय, यह समझ में आया ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिनकी सर्विस ६ महीनों से कम है उनको रिट्रेन्च किया जाये, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो एम्पलोईज सरप्लस डिक्लेयर होंगे उनको जहां तक तनख्वाह का ताल्लुक है वह तनख्वाह उनको तब तक मिलती रहेगी जब तक कि वे सरप्लस रहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : और उनसे काम नहीं लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : बात उल्टी चल रही है। सक्यूलर यह है कि ६ महीनों से नीचे के हैं उनको टेम्पोरेरी किया जाय, और आप कह रहे है ६ महीनों से कम को रिट्रेन्च नहीं किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : रिट्रेन्च किया जाय। ६ महीनों से ऊपर वाले रिट्रेन्च नहीं होंगे। इसलिये इस आधार पर यह इकोनोमी शुरू हुई। इसमें मुझे मानने में कोई दलील नहीं कि कहीं कहीं से हमारे पास यह शिकायत भी आई कि जो इन्सट्रक्शन्स निकाली गई थीं उनकी कुछ अवहेलना हुई है, और भय है, हमारे पास वह शिकायतें आई......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष सदन का समय बढ़ाने के लिये निवेदन है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पूरे ६ बजे समाप्त कर दूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्लेरिफिकेशन भी ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय जब तक वित्त-मंत्री जी चाहें तब तक बढ़ाया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कुछ मेरे पर रहम करें, मैं आज ही हाउस में आया हूं।

श्री भैरोंसिंह : ४ महीने आराम से रहेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि हो सकता है कहीं इसकी अवहेलना हुई हो लेकिन एब्जोरप्शन कमेटी जागरूक है, और जो भी इस किस्म की शिकायत आई, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि जो अब तक सरप्लस डिक्लेयर हुए हैं वे ७८९ हैं, जिनमें से गजेटेड ओफिसर १५ हैं और नोन गजेटेड ७७४ हैं और उनमें से अब तक ५५० एब्जोर्ब हो चुके हैं।

माननीय सदस्य ने इकोनोमी के संबंध में एक प्रश्न किया, वह किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि हमने प्रोपर इकोनोमी दिखाई थी उस वक्त हमने करीब ११ लाख का कट बताया था। लेकिन इस वक्त जो हमने इकोनोमी इसमें की. वह गालिबन १.७ या १.७७ की है। प्रश्न आपका मुनासिब मालूम होता है जब तक कि इसके बारे में पूरी वाकफियत न हो। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं कि ठीक है, जिस वक्त ११ लाख का प्रोविजन किया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में उस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत तहसीलों में इकोनोमी करने का हमारे दिमाग में था। इसलिये जिन तहसीलों को हमने निकाली है उसको व्यू में लें तो करीब ९ लाख हो जाती है। इसी तरह से करीब करीब डिस्ट्रिक्ट्स का सवाल है। २६ से हमको २०.२१ की हैं उनकी भी इकोनोमी है। इन सबको देखा जाय तो ११ लाख की इकोनोमी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो जायगी। लेकिन जो इकोनोमी है उसमें इस हिसाब से अब तक रखा, वह जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में देखा होगा, जो हाउस की बैंच पर रखा है और जो शायद सर्क्यूलेट भी किया है। एक तरफ प्रोपर इकोनोमी थी, जिसका जिक्र जवाब में किया था उसमें आपको बताया कि किस तरीके से ५० लाख की इकोनोमी रखी लेकिन उसके सामने ही यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से ९९.१८ लाख की हमने यह इकोनोमी दिखाई। उसमें हमने तहसीलों......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : On a point of clarification, Sir, एप्रोप्रियेशन बिल में जो डिमान्ड्स सदन में पेश की गई थीं, उनमें ये इकोनोमीज उस वक्त दिखाई गई थीं, वे शामिल थीं या अलग थीं? यानी इसमें इकोनोमी ५० लाख रुपयों की थी वह कम करके बजट पास करवाया था या शामिल करके पास करवाया था?

श्री बालकृष्ण कौल : जहां तक मुझे याद है इसमें कम किया था।

एक माननीय सदस्य ने इस इकोनोमी की कुछ मजाक सी उड़ाई और वे तो यहां तक बढ़ गये......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक छोटी सी बात और बतला दीजिये। सामान्य प्रशासन का बजट २ करोड़ ३५ लाख २० हजार का पास कराया था उसमें कमी होगी या बढ़ेगी? २ करोड़ ३५ लाख के बजाय २ करोड़ ४४.५५ लाख का नहीं हो जायेगा?

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि ९ लाख तहसीलों का है वह पूरा नहीं होगा......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बजट २ करोड़ ३५ लाख का है। अब आप बढ़ाना चाहते हैं, तो खर्चा २ करोड़ से ज्यादा बढ़ना चाहिये..

(६.०० म.प.)

इस वक्त बढ़ेगा ना ? २ करोड़ ३५ लाख ज्यादा जायगा। कटौती हुई है ?

श्री बालकृष्ण कौल : कटौती में जो अर्ज कर रहा हूं, पूरी, कितनी टोटल इकोनोमी है, वह बता रहा हूं। उसमें अभी अर्ज किया ११ लाख के बजाय १.७७ किया है, इस वजह से टोटल इकोनोमी दिखाई वह ९६ के करीब है। उस पार्टीक्यूलर डिमाण्ड में १.७७ है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पर्टीक्यूलर डिमान्ड थी, वह आपकी ५५ करोड़ ७१ लाख की थी, उसमें कम होगा या बढ़ेगा ? उसमें अलग अलग है, कहीं ६४ लाख है, कहीं ९ लाख बताया है। यह बढ़ रहा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर दूं, टोटल में कम होगा, बढ़ेगा नहीं। पहले ५० लाख था, अब ९६ लाख के करीब होगा।

श्री अध्यक्ष : किन्हीं में बढ़ेगा, लेकिन टोटल में कम होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप ९६ लाख बता रहे हो, इसमें से ४६ लाख की कटौती हो गई। बजट जितने का पास किया वह ५५ करोड़ ७१ लाख का पास किया है उसमें ४६ लाख कम हैं, ९६ लाख नहीं हैं। इस लिए आप ४६ लाख की कमी की बात कीजिये, ९६ लाख की बात मत कीजिये। पचास लाख कम करने की बात को पास नहीं किया था, इसलिए वह कम होने की बात नहीं आती है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य देखा जाय तो उसमें कोई गलत नहीं है। इस लिहाज तक कि पचास लाख का हमने यह प्रोबेबल इकोनोमी करके कम किया, वह हमने गये बार नहीं जोड़ा था। उसको निकाल दिया जाय तो ४६ लाख का होगा इसमें कोई शक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने बजट किया था पचपन लाख की सेविंग के लिए वह भी अचीव नहीं कर पायेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह कर लिया है, तभी ४६ लाख है। उसके ओवर एण्ड एबव ४६ लाख रहेगा....

श्री अध्यक्ष : ओवर एण्ड एबव ४६ लाख....

श्री बालकृष्ण कौल : मकान बनाने का प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण में चार लाख ज्यादा देने पड़ेंगे....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कुछ मदों में बढ़ेगा लेकिन टोटल में कम होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह अर्ज कर रहा था कि टोटल में कहना.....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ४६ लाख कह दीजिये, हमें संतोष है।

श्री बालकृष्ण कौल : ४६ लाख की कटौती और होगी ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ४६ लाख कहिये, ६६ लाख मत कहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : तो अगर माननीय सदस्य समझ चुके थे, तो शायद इतनी जोर से कहने की जरूरत नहीं होती कि साहब यह गलत है, यह धोखा है, या मजाक है । समझने के बाद यह कहना ठीक नहीं होता । लेकिन जिस वक्त इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उस वक्त नहीं समझे थे, तो मैं समझता हूं कि उनका कहना वाजिब था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह तो केवल आपको समझाने के लिए था ।

श्री बालकृष्ण कौल : बहुत सा विवाद इस बात पर मालूम होता है, जैसे शंका थी माननीय सदस्यों को कि कुछ लोगों को डिपार्टमेन्ट ऑफ कन्सोलिडेशन के अन्दर और एक कुछ और बताया था कि उसमें बहुत से लोगों को सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया हैं और अभी तक एब्जोर्ब नहीं हुए हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह इत्तला दे देना चाहता हूं कि वे सब एब्जोर्ब हो चुके हैं और ······

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : What do you mean by absorption दूसरी पोस्ट्स थीं थर्ड फाइव इयर प्लान में, वहां उनको लगा दिया; यह एब्जोर्ब करना है ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनमें से एक आध की शिकायत जरूर थी कि जहां उनको लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया है । वे भी जेरेगौर हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस सम्बन्ध में क्या बता सकते हैं, जब तक आप कागज देख लीजिये, आपने एब्जोर्शन जिस समय किया, उस समय कमेटी ने जानकारी की थी कि जिनको सरप्लस डिक्लेयर किया गया उनको आपके सर्वयूलर के अनुसार सरप्लस डिक्लेयर किया जा सकता था और उनसे जो जूनियर थे, जो सरप्लस डिक्लेअर किये जा सकते थे वे नहीं बचे ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि उस वक्त जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये हुए थे उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि जो लिस्ट आ रही है, वह उस के अनुसार ही है और अगर इस किस्म की शिकायत आई तो हमने उस पर तुरन्त गौर किया ।

श्री मोतीलाल चौधरी : जहां एब्जोर्ब किया है वहां पर बेटर पे है और वर्क लोड कम था । आप इसमें इकोनोमी क्यों नहीं करते ?

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने नहीं, केस सामने नहीं । माननीय सदस्यों के सामने ऐसा कोई केस हो तो उसको आप हमें रेफर करेंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे ।

मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज करदूं कि यह ह्यूमन मशीनरी है, हर जगह इन्सान बैठे हैं······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां ।

श्री बालकृष्ण कौल : और इन्हीं के हाथों से उन इन्स्ट्रक्शन्स के मुताबिक काम होता है । जैसे एक माननीय सदस्य ने खड़े

(श्री बालकृष्ण कौल)

होकर एक जातीयता पर हमला किया और यह कहा कि फलां डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं वे सब एक बिरादरी के हैं······

श्री मोतीलाल चौधरी : ऑफिसर है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं डिक्लेअर करता हूं कि मेरी जाति का नहीं है। मैंने आज ही नहीं पच्चीस साल पहले कहा था कि मेरी जाति नहीं।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें आपने नहीं कही थीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नहीं कहा, ऑफिसर्स का कहा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने सर्विस के लिए कहा······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये ऐसा समझते हैं कि जो बुरी बात करते हैं वे ही करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर दूं कि जिस भावना को लेकर उन माननीय सदस्य ने यह चीज सदन के सामने रखी, वह भावना प्रेरित करती है माननीय सदस्य को, मुझको और औरों को भी। इसलिए अपने अपने दामन में मुंह डालें और देखें कि कौनसी चीज पर अंगुली उठानी चाहिए और किस पर नहीं·····

श्री मोतीलाल चौधरी : वह तो चले गये, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसे लाभ हों जो सिफारिश के आधार पर उन इन्स्ट्रक्शन्स की, जो कि हमने निकाले हैं, अवहेलना करते हैं लेकिन आज के युग में कोई ऐसी चीज नहीं है कि सूनर ऑर लेटर (Sooner or later) सबके सामने प्रया नहीं हो जाती। इसलिए सारी चीज की जिम्मेदारी टेक्नीकली तो गवर्नमेन्ट के ऊपर है, लेकिन यह देख कर यह जानते हुए भी कि इसकी जिम्मेदारी किस लेबल पर है, गवर्नमेन्ट के ऊपर राइटली और रांगली आक्षेप लगाना, मैं समझता हूं, कि यह एक अन्याय है। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आपने बहुत से सुझाव हमारे सामने रखे हैं, वे सुझाव देखने के काबिल हैं, लेकिन उन सुझावों के साथ साथ यह भी हमको सोचना है कि माननीय सदस्य कितने ऊंचे ख्याल और अच्छे ख्यालात की रोशनी में क्या क्या कहते हैं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना होगा कि बाज माननीय सदस्य इतने × × × कि वे भूल जाते हैं कि वे इस सदन के मेम्बर हैं····

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि जिस ऊंची भावना के लिये आप कह रहे हैं, वे माननीय सदस्य तो × × × लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके × × रहे हैं। आप खुद कहने के पहले देख लें कि आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह आप समझ नहीं पाते। जिस भावना से आप बात कह रहे हैं, माननीय सदस्यों को उस भावना से कहने का हक है····

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 132

श्री मोतीलाल चौधरी : कहने की शक्ति रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कैसे रखें।

श्री भैरोंसिंह : हमें आपसे शिक्षा नहीं लेनी है।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे अफसोस है, माननीय सदस्य जिस समय भाषण दे रहे थे, उस समय मैंने यह मुनासिब नहीं समझा था कि उनके बोलने के वक्त इन्ट्रप्ट करता···

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की भाषा नहीं बोली।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह नहीं कहना चाहता था······

श्री भैरोंसिंह : किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा। ऐसी भाषा में नहीं कहा। अगर कहा तो आपको रोकना था। आप सदस्यों पर रिफ्लेक्शन करते हैं। आप बड़े बनते हैं और बाकी को × × × हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, मैं चेअर से प्रोटेक्शन चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों पर रिफ्लेक्शन करें माननीय मंत्री। जैसे आसमान से वे उतरे हैं और हम × × हों, ऐसी बात नहीं है।.

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा समय है अपनी बात कहने का ·· ··

श्री भैरोंसिंह : मैं XXXX आपको नहीं कहने दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर दूं, मैं अपनी पर आ गया तो माननीय सदस्य जिस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसा प्रयोग करना छोड़ देंगे। लेकिन इसका······

श्री भैरोंसिंह : आप तैयार हो जाइये। मंत्री होने से XXXX में आपको नहीं बोलने दिया जायगा। आप अभिमान मत रखिये कि आप वित्त मंत्री हैं या सरकार हैं, आपको XXXXXXX कर दूंगा। आप ऐसी भाषा बोल नहीं सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तक कोई लफ्ज मेरा × × नहीं है, न XXXX में मैं बात कर सकता हूं। जहां तक बोलने का सवाल है······•••

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माडल) : जहां तक हाउस के अन्दर × × × करने की बात है यह तो हो सकती है लेकिन हाउस के बाहर × × × करने का आप चेलेंज कैसे देते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : × × × × ×

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई बन्द नहीं कर सकेगा। आपको अगर आना है तो आ जावें।

श्री बालकृष्ण कौल : ये कहते हैं कि बाहर रोक दिया जावेगा। मैं वह कहूंगा कि मनोनीत माननीय सदस्यों की नीयत इससे मालूम होती है·········

श्री भैरोंसिंह : × × × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री बालकृष्ण कौल : वे हर एक चीज को सरकार के सामने ला सकते हैं और अगर कहीं सरकारकी गलती हो तो मैं उसको स्वीकार करने के लिये हर वक्त तैयार हूं। लेकिन गलत आधारों पर इन चीजों को सामने रखना। एक छोटी व्यक्तिगत चीज होती है उसे हाउस के अन्दर नहीं लाना चाहिये........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अगर कोई व्यक्तिगत बात कही जाती है या कोई व्यक्तिगत चार्ज लगाया जाता है तो आपको उसका जबाब देना चाहिये। उसकी सफाई देनी चाहिये। इसका आपको पूरा पूरा हक है। आप व्यक्तिगत चीज कह कर बचने की क्यों कोशिश करते हैं? आपको उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। आपको पूरा पूरा हक है।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कब किस किस को जवाब देना है......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह हाउस की प्रोपर्टी है और उसका जबाब हाउस में ही होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : हो सकता है कि हर एक की अपनी अपनी अलग मर्यादा हो और हर एक अपनी अपनी मर्यादा से बन्धा हुआ है. लेकिन उसको किस किस्म का जबाब और किस मौके पर और किस जगह पर जबाब देना चाहिये, यह मैं जानता हूं और इसी लिये मैं इस विषय को नही उठाता हुआ यही कहना उचित समझता हूं......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या कोई धमकी दे रहे हैं? कहां जबाब देना है...

श्री अध्यक्ष . धमकी तो कौन दे रहा है, कह नहीं सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह रहा था कि मुख्य चीजें मोटी मोटी मेरे सामने आई। इकोनोमी और नोन इकोनोमी से जो ताल्लुक रखती थी उसका करीब करीब मैंने जवाब दे दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने संसद और विधान सभा में १४ हजार की कटौती की है, वह कटौती है या सुधार किया है किसी गलती का ?

आपने विधान सभा में १७६ सदस्यों के स्थान पर बजट में १७९ सदस्यों के पैसे लगाये हैं। यह बजट की रिपोर्ट है। आपको इतना ही इल्म नहीं है कि विधान सभा में १७६ सदस्य हैं आपने एक स्पीकर, एक डिप्टे स्पीकर, १६२ सदस्य तो पार्लियामेंट विधान सभा में लिये व ८ मिनिस्टर, ८ डिप्टीमिनिटर व चीफ मिनिस्टर के सहित १७ और। इस तरह से १७९ का खर्चा लगा दिया। आपके सेक्रेटेरी वगैरह सब ने इसको चैक नहीं किया।

इसके बाद मिनिस्टरों का ५०-६० हजार का हो जाता है। इसलिये मैंने यह कहा है कि आपने सुधार किया है या गलती को ठीक किया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपको समझ नहीं सका। आप कौनसे आइटम की बात कहते हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपने १७९ सदस्यों का खर्चा लगाया है......

श्री अध्यक्ष : आप कटौती की बात बतायें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कटौती है या सुधार है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह रिडक्शन है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह तीन सदस्यों को ज्यादा गिना गया है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह ९६ हजार रिडक्शन इलेक्शन एक्सपेन्सेज़ के हैं; लिखा यही जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप जोड़ लीजिये, कितने होते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह इलेक्शन एक्सपेन्सेज में है। इसी तरह से लिखा जाता है। १५ हजार को कम कर दिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह और बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष : पे में बिल्कुल कमी नहीं होगी। यह निश्चित रखें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह रहा हूं कि चुनाव के खर्चे में की गई है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने गलत कर दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह आपका सुझाव गलत है। जो आपको गलतफहमी थी वह यह कि यह ९६ हजार ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह तीन सदस्यों को ज्यादा........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले सुन तो लें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह ९६ हजार का आइटम है वह इलेक्शन का है। इसका सदस्यों से कोई ताल्लुक नहीं है इसलिये जो आप सुझाव दे रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर इलेक्शन में ९३ हजार का है तो उसमें से १५ हजार और कम करें। आपने जो ज्यादा जोड़ा है ...

श्री अध्यक्ष : (श्री कौल को संबोधित करते हुए) आप अपना उत्तर कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आपका सुझाव है, यह भी सोचा जा सकता है। अभी तो मामूली खर्चे को कम करें इतनी सी बात हुई है। मैं अपना स्थान ग्रहण करूं इसके पेश्तर कह दूं कि यह कमी की गई है, यह आर्बिट्री नहीं है; जिस वक्त इकोनोमी करने का प्रश्न उठा था उस समय जितने मिनिस्टर थे, यह दरख्वास्त की गई की कमी की जावे। इसमें चीफ सेक्रेट्री, मिनिस्टर कन्सर्न ऑफ दैट डिपार्टमेंट, सेक्रेट्री कन्सर्न और फाइनेन्स सेक्रेट्री पर यह छोड़ दिया गया कि वे अपने अपने सुझाव दें। फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह सारी जिम्मेदारी अपने पर नहीं ली। इसलिये यह जो आपके सामने आया है कि इसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स की है, ऐसी बात नहीं है लेकिन इतनी जिम्मेदारी फाइनेन्स की है कि जो आपकी इकोनोमी करने की भावना थी, उसकी कदर करते हुए कदम उठाया। लेकिन यह जो इकोनोमी हुई वह सब की कन्सेन्ट से हुई है।

श्री भैरोंसिंह : कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि इकोनोमी नहीं होनी चाहिये ग्रौर खास कर पुलिस विभाग ग्रौर शिक्षा विभाग में, मैं माननीय सदस्यों से ग्रर्ज कर दूं कि जिस वक्त इकोनोमी हुई उस वक्त में ऐसी स्थिति हिन्दुस्तान की नहीं थी, तो आज उस चीज पर ग्रंगुली उठाना, जो चीज. हो चुकी है, ग्रौर कहना कि हम सिक्योरिटी का खयाल नहीं कर रहे हैं, यह यह ग्रसंगत है। यह चीज ग्रलग है, जो परिस्थिति इस वक्त पैदा हो रही है. उसको संभालने के लिये, उसके मुकाबले के लिये सरकार ग्रौर इस हाउस को क्या क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे. क्या क्या खर्च करना पड़ेगा, वह जब ग्रापके सामने ग्राये तो उस पर ग्राप सिफारिश. करें। पर जो चीज पहले हो गई है, उसके ऊपर ग्राक्षेप करना ठीक नहीं......

एक माननीय सदस्य : शिक्षा के लिये क्या स्थिति हो गई थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह शिक्षा मंत्रीजी से पूछेंगे तो वे बता देंगे सब।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हैं, बता दें।

श्री बालकृष्ण कौल : तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव कटौती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच सात डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमने उनमें कमी की है तो जैसा कि कहा गया कि हमने बेचारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, यह वास्तविकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कुल बुड्ढों-बुड्ढों को निकाला जायगा क्या शिक्षा के विभाग से ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह तो कोई कष्ट नहीं है, डिपार्टमेंट का गलत ग्रॉर्गेनाइजेशन था, इसलिये ग्रापने उसको ठीक किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह हाइपोथेटिकल क्वश्चन है, ग्रपनी ग्रपनी भावना है, अपने ग्रपने तरीके हैं, जो चीज है, हकीकत है, वह मैंने रख दी।

एक माननीय सदस्य : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। पोश्त को ग्रॉइल सीड से निकाल दिया है, इससे झालावाड़ को १ लाख रुपया रोज का नुकसान हो रहा है पोश्त को ग्राइल सीड से कैसे निकाल दिया है, क्या उससे तेल नहीं निकलता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि तेल तो इस वक्त मेरा भी निकाल दिया है।

एक माननीय सदस्य : पोश्त में ४२ प्रतिशत तेल निकलता है, लिन्सीड को ग्रॉइलसीड माना है तो इसको ग्रॉइल सीड से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ को एक लाख रुपया रोज का ग्राप नुकसान कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने यह चीज कुछ दिन पहले मेरे सामने रखी थी, मैंने उनको उत्तर दे दिया कि एग्जामिन कर रहे हैं। इस पर भी माननीय सदस्य ने सदन में एक प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया गया ग्रौर ग्राज फिर पूछा। वे बार बार वही चीज दें, इसलिये मैंने कहा कि इस चीज से इतना तेल नहीं निकलेगा जितना मेरा ग्राज निकला है।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसिजन लिया है कि डिस्ट्रिक्ट्स २०-२१ कर रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : डिस्ट्रिक्ट्स तो २६ हैं, पर और डिस्ट्रिक्ट्स का बीस इक्कीस हो जाय तो अलग बात है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, हाउस में दो मुद्दे उठाये गये थे, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है, एक तो यह कि १३ हजार का फर्नीचर खरीदा है अपने बंगले के लिये, और इस तरह मिनिस्टर को जितना अलाउड है उससे ऊपर खर्चा किया गया है, क्या आप पुराने फर्नीचर से काम नही चला सकते थे, मिनिस्टर को जितना मिलना चाहिये उतनी सीमा के फर्नीचर से काम नहीं चला सकते थे ?

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, यह पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिये इसका जवाब जरूर दूंगा, यह पर्सनल मामला है···

श्री भैरोंसिंह : पर्सनल नहीं है··· ···

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज करूं । मैंने कोई चीज नहीं खरीदी दूसरा मुद्दा गाड़ी का उठाया गया । मुझे गाड़ी मिलती है । कुल १२ गाड़ियों की खरीद के लिये इजाजत दी हुई है, किसको कौनसी गाड़ी दी जायगी यह कोई पहले तय नहीं किया जाता है और न पहले तय किया गया, मुझको एक गाड़ी अलॉट कर दी, इसके लिये यह कहना कि मेरे लिये खरीदी गई, यह ठीक नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इकोनोमिक कट में इस मद्द में कटौती करना आवश्यक नहीं समझते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इकोनोमी कट अनुपात से इसमें भी किया है जितना सेंक्शन किया उसमें कटौती की है ।

दूसरा यह कहा गया कि फर्नीचर खरीदा माननीय सदस्य आप जानते हैं, मुझे यह खबर नहीं कि कब फर्नीचर आया, कितना आया, क्यों आया । यह आपके हाउस का फैसला है कि मिनिस्टर को फ्री हाउस, फ्री अकोमोडेशन मिलना चाहिये । अब इस अकोमोडेटेट हाउस की डेफिनेशन में आने वाला हाउस मुझे मिला है । बस मैं यही कहना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे मिनिस्टर के यहां कूलिंगप्लान्ट लगा हुआ है और आपके यहां पर ३ कूलिंग प्लान्ट लगे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस से कोई मतलब नहीं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ७६ गाड़ियां मोटर गेरेज में हैं तो एक एक मिनिस्टर के लिये चार चार गाड़िया भी रखी जायं तो नयी गाड़िया खरीदने की क्या आवश्यकता थी जब कि दूसरी ओर इकोनोमिक कट के नाम पर कई लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने फरमाया, गाड़ियां और फर्नीचर खरीदने का काम जी. ए. डी. और और पी.डब्लू.डी. करती हैं । तो गाड़ियां उसी प्रिन्सिपल पर खरीदी जाती हैं कि गाड़ियां सब एक तरह की हों जिससे कि मरम्मत में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सुविधा रहे । तो ये गाड़ियां इन्होंने या पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर ने खरीदीं, जो प्रिन्सिपल हैं उससे अलग गाड़ियां खरीदने की क्या आवश्यकता थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): आँफ हैंड तो कहना मुश्किल है, इसको तलाश करके माननीय सदस्य को सैटिस्फाई कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : सेटिस्फाइड करना तो दूर रहा आप तो इनको जवाब दे देना ।

श्री भैरोंसिंह : आपके यहां कूलिंग प्लान्ट कितने हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : गर्मियों में एक था ।

श्री भैरोंसिंह : फिर वित्त मंत्रीजी के यहां ३ क्यों लगे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कहीं कम कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है । मैं समझता हूं काफी देर तक सुनने के बाद माननीय सदस्यों को काफी संतोष हुआ होगा । अब अनिश्चित काल के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बज कर २६ मिनिट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६२)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

गंगनहर क्षेत्र में भूमि का एलॉटमेन्ट

रतनगढ़ में डिग्री कॉलेज

करलिया देह नाला

आबकारी के ठेकेदारों में बकाया

विजयनगर सूती मिल को कर्ज

तावान की वसूली की दर

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा

राजस्थान में आर. ए. एस. अफसर

सांचोर तहसील में छोटे उद्योग

सीलिंग कानून

देवगढ़ के ऊनी कम्बल

विदेशी शराब के लिये लाइसेन्स

भूतपूर्व नवाब, टोंक द्वारा लगाया गया विशेष टैक्स

कड़ाव पेड़

पांच वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अध्यापक

केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिम्मे धनराशि

आसव अरिष्ट पर आबकारी

छात्रवृत्ति

ग्राम दीपावास में चरागाह

जहाजपुर के निकट बांध

शिक्षा विभाग द्वारा तरक्की देने के आधार

राजस्व की वसूली

कच्ची सड़क

बनेड़ा तहसील की स्कूलें

ज्ञानोदय विद्यापीठ के अध्यापकों का वेतन

मुआवजे का भुगतान

चिप बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा

पाली कॉलेज के भवन का निर्माण

आडिग्रामल कूप का ठेका

पोलिटेक्नीक संस्थाओं में स्टाफ की योग्यता

राज्य का वन क्षेत्र और उसमें उत्पादित जलाने की लकड़ी और चारकोल

पाठशाला के लिये भवन की व्यवस्था

वन विभाग के ट्रक व गाडियां

भूमि का अलॉटमेन्ट

एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत लेडी हेल्थ विजिटर

नोहर व भादरा तहसीलों में कमांड एरिया

मवेशियान की चराई की वसूली

पी. डब्लू. डी. वर्क्स फेडरेशन की मांगें

बोघोड़ी की वसूली के हिस्से का भुगतान

ऋण का उपयोग

Page No 139

एनुअल ग्रेड इन्क्रीमेन्ट

बीकानेर जिप्सम कं. के श्रमिकों को सुविधायें

घासमारी लगान

राजस्व विषयों सम्बन्धी अधिनियम एवं नियम

मकान का भत्ता

स्थगित प्रश्न

[२२-१०-६२]

राजस्थान सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से ओवरड्राफ्ट अतारांकित प्रश्न

विन्धियन लाइम स्टोन के ठेके सड़क यातायात में बसों का राष्ट्रीयकरण राजस्थान सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री कर एवं खरीद कर

२. नियम समिति का गठन

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २४७ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्य नियम समिति के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किये गये:—

१. श्री नारायणसिंह मसूदा
२. श्री बृजसुन्दर शर्मा
३. श्री रामानन्द अग्रवाल
४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५. श्री मानिकचन्द सुराना
६. श्री मुकुट बिहारीलाल
७. श्री मथुरेश बिहारी
८. श्री मालम सिंह
९. कुमारी उमा माथुर

३. विशेषाधिकार समिति के रिक्त स्थान पर मनोनयन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि महारावल श्री लक्ष्मणसिंह के स्थान पर, जिन्होंने विशेषाधिकार समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

४. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री मोहन लाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित व्याख्यात्मक ज्ञापन (Memorandum) जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

५. याचिकाओं का उपस्थापन

(१) श्री राधाकृष्ण गोयल, सदस्य विधान सभा ने ग्राम पंचायत बेगूं, जिला चित्तौड़ में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स रिन्यूअल सम्बन्धी एक याचिका का उपस्थापन किया।

(२) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम पंचायत बेगू, जिला चित्तौड़ में चरनोटों की भूमि को

असुविधा दूर करने सम्बन्धी एक याचिका का उपस्थापन किया।

(३) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा ने श्री ताराचन्द अग्रवाल, एस. डी. ओ. नीम का थाना को राज्य सेवा से हटाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन किया।

(४) श्री उदयलाल वर्दिया, सदस्य, विधान सभा ने चित्तौड़ जिले की ग्राम-पंचायतों के आबादी एरिया में पड़त जमीन को, जो बिना नाम पड़ी है, आबादी में दर्ज कराने संबंधी एक याचिका का उपस्थापन किया।

६. विशेषाधिकार प्रश्न

राज्य के आय-व्ययक, १९६२-६३ के प्राक्कलनों आदि में कथित परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित श्री मुरलीधर व्यास एवं श्री मानिकचन्द सुराना द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न की सदन में उठाये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

७. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

प्रक्रिया तथा कार्य - संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री हरदत्त सिंह, सदस्य, विधान सभा ने भाखरा क्षेत्र में आरजी काश्त की सरकारी कृषि भूमि का आरजी काश्त पर एलोटमेन्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राम प्रसाद लड्ढा, उप-मन्त्री, राजस्व विभाग ने सरकार की ओर से उत्तर दिया।

८. आधे-घण्टे की चर्चा

भूतपूर्व बीकानेर राज्य के जागीरी एरिया के बन्दोबस्त से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या २९८ (१८३/सी. एम.) के उत्तर से, जो दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२ को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा ने आधे घंटे की चर्चा उठायी।

श्री राम प्रसाद लड्ढा, उप-मन्त्री, राजस्व विभाग ने सरकार की ओर से उत्तर दिया।

९. प्रस्तावों पर विचार

(१) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर की गई बहस का उत्तर दिया:–

"राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किए जाने वाले परिवर्तन, परिवर्धन तथा इम्प्लीमेन्टेशन पर विचार किया जाय"

(२) श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान–सभा ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"राज्य सरकार द्वारा तहसीलों तथा विभागीय कार्यालयों को कम किए जाने एवं नान प्लान व्यय में की गई मितव्ययता पर विचार किया जाय।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

२. श्री ज्वालाप्रसाद

३. श्री उमराव सिंह

४. श्री जूझारसिंह

५. श्री मानसिंह महार

६. श्री गिरधारीलाल व्यास

७. श्री मुकुट बिहारी लाल

८. श्री मानिक चन्द सुराना

९. श्री रामानन्द अग्रवाल

१०. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा

११. श्री बृज सुन्दर शर्मा

सरकार की ओर से श्री राम प्रसाद लड्ढा, उप-राजस्व मन्त्री तथा श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ६ बजकर २८ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ सम्बन्धी वाद-विवाद देखिये)

उत्तर

१. जी हां।

नोटिफिकेशन सं० एफ० ६:४०: राज. (ख) ६१ दिनांक १७ मई सन् ६२ तथा २०-१०-६१ की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

२. गंगानगर में पक्की अलॉटमेन्ट भूमिहीन कृषकों को सर्वप्रथम सन् १९५२-५३ में की गई।

३. सन् १९५२-५३ के पश्चात राजस्थान कोलोनाइजेशन गंगकैनाल परमानेन्ट अलॉटमेन्ट रूल्स, लागू किये गये जिनके मुताबिक अब पक्का अलॉटमेन्ट होता है।

४. इन नियमों के आधर पर सन् १९५७ से २८-२-५९ तक प्रार्थना-पत्र लिए गये कुल २९४६१ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

५. प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से २३३३१ दरख्वास्तों का फैसला हो चुका है। जिनमें से ५१७९ हकदार थे जिन्हें भूमि अलॉट की जा चुकी है और ६१३० दरख्वास्तें पेन्डिग है।

६. इसका उत्तर बाद में प्रेषित किया जा सकेगा। सूचना एकत्रित की जारही है।

७. पक्की अलॉटमेन्ट किये जाने पर भूमि की कीमत इस प्रकार रखी गई :—

नहरी बारामासी	४०० रु०	प्रति बीघा
बारानी	२००	,,
नहरी छः मासी	३००	,,
बारानी	१५०	,,
बारानी कालीमेर	१००	,,

व इसकी अदायगी दस वर्ष में दस किश्तों में होती है।

८. भूमि अलॉटमेन्ट के नियम ७ (३) के मुताबिक प्रथम किश्त अलॉटमेन्ट के आदेश के एक माह में न चुकाने से भूमि खारिज हो सकती है।

९. इसप्रकार की किश्तें लगातार निर्धारित समय पर न चुकाने पर भी भूमि खारिज करने का प्रावधान है। जिलाधीश को संबंधित व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर प्रथम किश्त की अदायगी का समय छः माह तक अथवा फसल पकने तक जो भी पहले हो बढ़ाने का अधिकार भी है।

किश्तें हर वर्ष की १५ जुलाई को अदा करनी पड़ती है जो बाजार में फसल आने का समय हैं।

१०. जी नहीं। वास्तव में सन् ३२-३१ में बीकानेर राज्य में ५०००) रु० की मुरब्बा के हिसाब से १२ किश्तों में भूमि बेची गई

थी। किश्तों की तादाद सन् ४० में २० कर दी गई सन् १९५२ से भूमि १० किश्तों पर बेची जा रही है।

११. प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

१२. भूमि की कीमत पहले ही १० सालों में किश्तों में ली जाती है प्रथम किश्त की अदायगी में ६ माह तक की छूट के अधिकार जिलाधीश को प्रदान किये जा चुके है। इस संबंध में अन्य मोहलत देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

१३. जी हां।

१४. भूमि का नीलाम समस्त भूमिहीन किसानों जो कि अलॉटमेन्ट के हकदार हैं, के प्रार्थना-पत्रों पर भूमि देने के पश्चात ही किया जायगा। अतः भूमिहीनों द्वारा नीलाम में भूमि खरीदने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

१५. भूमि आवंटन नियम (४) के स्पष्टीकरण (explanation) के अनुसार संयुक्त व अविभाजित परिवार अलॉटमेन्ट व मोजूदा खाते के लिए एक ही व्यक्ति समझे जाते हैं और एक परिवार केवल उसी स्थिति में विभाजित समझा जाता हैं यदि १९५२ से पहले कागजात पटवार में अलग जमीन दिखाई गई है। अतः यदि अविभाजित परिवार के पास मुरब्बा से अधिक जमीन है तो अधिक भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं किया जा सकता।

१६. जी हां।

१७. इस संबंध में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Revenue (B) Department

NOTIFICATION

No. F. 6 (40) Rev. B/Gr. I. 61 Dated, Jaipur, the 7th May, 1962.

In excercise of the powers conferred by section 28, read with section 7, of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act XXVII of 1954), the State Government does hereby make the following further amendments to the Rajasthan Colonisation Gang Canal Lands Permanent Allotment Rules, 1956, as originally published under this department's notification No. F. 6 (34) Rev. II-56, dated the 3rd January, 1957, in part IV-C of the Rajasthan Gazette, dated the 21st February, 1957 namely—

Amendments

In the said rules –

1. In rule 3 –
   (i) in clause (iii) of sub-rule (1) the following explanation shall be inserted namely –
   "*Explanation:*—It is not necessary that a tenant should have been continuously cultivating the same piece of land on temporary cultivation lease if he has been holding land on temporary cultivation lease anywhere in the Gang Canal Area and has been cultivating it personally, he shall be eligible for permanent allotment of land under this clause."

   (ii) for clause (vi) of sub-rule (1) the following clause shall be substituted, namely—
   "(vi) Tenants who have been cultivating Barani land from 1952 onwards."

2. in rule 4 the following shall be inserted as proviso (c) to sub-rule (i) namely –
   "(c) In considering the extent of land to be allotted under these rules, the total area of land already held by the applicant, whether in this State or in any other State in India shall be taken into account."

By Order of the Governor,
(R. K. Chaturvedy).
Secretary to the Government.

No. F6(40) Rev. B Gr. I/61.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Revenue 'B' Department)

NOTIFICATION

Dated, Jaipur, the 26 October, 1962.

In exercise of the powers conferred by section 28, read with section 7, of the Rajasthan Colonisation Act, 1954, (Rajasthan Act XXVII of 1954), the State Government hereby makes the following further amendment to the Rajasthan Colonisation (Gang Canal Lands Permanent Allotment) Rules, 1956, as originally pnblished under this Department's notification No. F6 (34) Rev. II/56, dated the 3rd January, 1956 in Part IV-C of the Rajasthan Gazette, dated the 21st February, 1956, namely:—

Amendment

In the said rules-the following further proviso shall be inserted to sub-rule (2) of rule 7, namely—

"Provided further that the Collector may, on application, extend the period mentioned in this sub-rule by not more than six months, or till the date of harvesting of the crop, whichever is earlier in which event the provisions of clauses (i), (iii) and (iv) of sub-rule (4) shall apply".

By Order of the Governor,

R. K. Chaturvedy

Secretary to the Government.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ सम्बन्धी व्यवस्था देखिये)

उत्तर

(१) ठेकेदारों की ओर अवशिष्ट धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है: –

वर्ष	धनराशि जो बकाया है
१९५४–५५	१५,३८,९१३.००
१९५५–५६	७८,३५४.००
१९५६–५७	११,७९२.००
१९५७–५८	६,६९५.००
१९५८–५९	७,३४५.००
१९५९–६०	४,३६८.००
१९६०–६१	१७,३००.००
योग	१६,६४,७६७.००

अधिकांश बकाया सन् १९५५–५६ से पहिले की है इस बकाया के रहने का कारण उन दिनों जमानत आदि लेने का तरीका उतना मजबूत नहीं था जितना उसके बाद में कर दिया गया। इस बकाया की वसूली होने में मुख्य कठिनाई यह है कि बकाया पुरानी हो चुकी, बाकीदारों की जायदाद वगैरा नहीं है और बहुतों का पता नहीं है। काफी संख्या में उनमें से विभाजन के कारण पाकिस्तान चले गये, १९५५–५६ के बाद के वर्षों की बकाया थोड़ी है और असाधारण नहीं कही जा सकती।

ख. ऐसे ठेकेदार जिनके नाम नाम पिछले-वर्षों-की धनराशि बकाया है और जिन्हें इस वर्ष ठेका दिया हुआ है उनकी राज्य भर की कुल संख्या ३६ है। जिलेवार सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची ऐसे ठेकेदार जिनके नाम पिछले वर्षों की धनराशि बकाया है और जिन्हें इस वर्ष ठेका दिया हुआ है।

नाम जिला	नाम ठेकेदार	रकम बकाया
जयपुर	श्री हनुमान	२२२५.००
,,	श्री हनुमान	४४८.००
,,	श्री हनुमान	२८४०.००
,,	श्री श्रीनारायण	४३६.००
,,	श्री गोपीचन्द	८६६४.७८
,,	श्री रामस्वरूप	४७०७.०६
,,	श्री मूलचन्द	३५७ ००
,,	श्री कन्हैयालाल	४६.००
,,	श्री रामचन्द	६५१.३१
,,	श्री रामधन	४६८०.०२
सीकर	श्री इमामबक्स	२६१६.६४
गंगापुर	श्री कस्तूरचन्द	३०७.२०
,,	श्री हरिनारायण	२१८.६२
,,	श्री कल्याण	२११.७६
झालावाड़	श्री वेलाराम	५००५.००
चुरू	श्री नासीरअली, श्री रतनलाल	५६६६.००
उदयपुर	श्री कालूजी	११८७६.००
,,	श्री लक्ष्मालाल	३७५.००
,,	श्री लक्ष्मीलाल	२०५.००
,,	श्री इन्द्रलाल	१०५५.००
,,	श्री मोहनलाल	१७०.००
,,	श्री सोहनलाल	६५१.००
,,	श्री लछमीलाल	५३६.००
,,	श्री कजोड़	१७२७.००
,,	श्री नंसिग	२०५.००
,,	श्री नाथूलाल	१६७.००
,,	श्री नाथूलाल	५६२.००
,,	श्री मोतीलाल	४७३.००
,,	श्री धावरचन्द	३६२.००
,,	श्री छबीलाल	२३६१.००

परिशिष्ट

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ४५३ का उत्तर देखिये)

क्रमांक संख्या	नाम अध्यापक	स्थान
१.	श्री बिशनलाल बीरगोता	देवीं किशनपुरा
२.	श्री गोविन्द नारायण	टुबली का वास ,
३.	श्री सूरज नारायण	माध्यमिक शाला चन्दलाई (डेपुटेशन पर)
४.	श्री ताराचन्द	उदयपुरिया
५.	श्री रामप्रसाद	नरोत्तमपुरा
६.	श्री रामावतार	रामचन्द्रपुरा
७.	श्री नाथूलाल	देहलाना

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	नाम केन्द्रीय सरकारी बैंक	राज्य सरकार की कितनी रकम कब से बाकी है	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की कितनी रकम बाकी है
१	२	३	४
१.	अजमेर	५८०००)रु० सन् १९५९ के पूर्व से	—
२.	अलवर	१०५०००)रु० सन् १९४८-४९ से	—
३.	सीकर	—	१०,७५,०००)रु०
४.	झुंझुनू	—	१०,००,०००)रु०
५.	उदयपुर	४३१)रु० सन् १९५५-५६ से	—
६.	जोधपुर	२०००)रु० सन् १९५६ से	४६,००,०००)रु०
७.	पाली	३९९७०)रु० सन् १९५६-५७ से	—
८.	नागौर	—	७,००,०००)रु०
९.	बाड़मेर	—	१,१०,०००)रु०
१०.	बीकानेर	१०००)रु० सन् १९५८-५९ से	२,००,०००)रु०
११.	जयपुर	—	—
१२.	भरतपुर	—	—
१३.	टोंक	—	—
१४.	सवाईमाधोपुर	—	—
१५.	कोटा	—	—
१६.	बूंदी	—	—
१७.	झालावाड़	—	—
१८.	बांसवाड़ा	—	—
१९.	भीलवाड़ा	—	—
२०.	डूंगरपुर	—	—
२१.	चित्तौड़गढ़	—	—
२२.	सिरोही	—	—
२३.	जालौर	—	—
२४.	गंगानगर	—	—
२५.	चुरू	—	—

नोट: — (१) रिजर्व बैंक की कोई रकम अवधिपार शेष नहीं है।

(२) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की जो रकमें शेष बतलाई है वह सन् १९६१ से ६२ में दी थी जो सन् ६१–६२ में अवधिपार बकाया हुई।

(३) उपरोक्त आंकड़े ३० जून सन् १९६२ तक के आधार पर हैं।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ४६० का उत्तर देखिये)

सूची बाबत प्रश्न संख्या २७८ सी. एम.

क्रम संख्या	नाम जिला	प्रश्न के भाग (२) से सम्बन्धित सूचना
१	भरतपुर	इस जिले में ऐसी रेट किसी भी किस्म की जमीन पर कायम नहीं है। यहां पर तो आला किस्म जमीन पर वही रेट कायम है, और अदना किस्म जमीन पर लोअर रेट कायम है। गैर मुमकिन आम तौर पर खारिज बांछ है।
२	टोंक	जिला टोंक की किसी भी तहसील में काश्त की भूमि का राजस्व गैर मुमकिन पड़त भूमि के राजस्व से अधिक वसूल नहीं किया जाता है। चूंकि गैर मुमकिन भूमि का राजस्व अधिक वसूल नहीं होता इसलिए निर्णय का कोई प्रश्न नहीं उठता।
३	पाली	इस जिले में सावण काश्त की भूमि का राजस्व लगान सरकार से निर्धारित रेट के अनुसार वसूल होता है। मगर गैर मुमकिन में सावण काश्त करने पर पड़ोस की बारानी भूमि की दर से बराबर फी बीघा वसूल की जाती है। इसकी वसूली का आधार राजस्थान लेण्ड-रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१/२ हैं।
४	बूंदी	जिले हाजा में जिला नाम काबिल काश्त (गैर मु०) भूमि की सेटिलमेंट में २ आने से १० आने प्रति बीघा तक बारानी की हैसियत (किस्म) के मुताबिक शरह कायम कर रखी है। जब ऐसी भूमि आबाद होती है तो कायम शुदा शरह से लगान वसूल किया जाता है। शरह के अलावा ही लगान जिले हाजा में वसूल नहीं किया जाता है।
५	जोधपुर	इस तरह की प्रणाली इस जिले में लागू नहीं है। इस जिले में मुस्तकल व गैर मुस्तकिल अपर्याप्त सेटिलमेंट रेकार्ड में भूमि की वर्णित किस्म मासिक पर से ही लगाया जाता है।

Page No 151

क्रम संख्या	नाम जिला	प्रश्न के भाग (२) से सम्बन्धित सूचना
६	चुरू	इस प्रकार की कोई वसूली इस जिले में नहीं की जाती।
७	जालौर	ऐसी कोई वसूली नहीं की जा रही है।
८	कोटा,	इस जिले में नवीन सेटलमेंट विभिन्न वर्षों से प्रभावशील हो चुका है। सेटिलमेंट से नियत दरों के अनुसार राजस्व कर वसूल होता है। सावण काश्त के नाम से न तो कोई भूमि ही काश्त होती है न कोई वसूली का ही पृथक नियम है।
९	जैसलमेर	इस जिले में अलग अलग तरह की सावण काश्त की भूमि पर १॥ नया पैसा, ३ नये पैसे व ८॥ नये पैसे प्रति बीघा लगान वसूल किया जाता है। अगर गैर मुस्तकिल भूमि काश्त की जाती है तो राजस्थान टेनेन्सी एक्ट व राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत १४ गुणी वसूली जुर्माने के रूप में वसूल की जाती है।
१०	बाड़मेर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
११	सिरोही	इस जिले के उन खालसा गांवों में जिनका सेटिलमेंट १९४२-४३ में हुआ है श्रावण काश्त भूमि का लगान गैर मुस्तकिल भूमि के लगान से कम है। जो मासिक सिरोही स्टेट सेटिलमेंट हिदायत के वसूली आधार पर वसूल किया जाता है। जिन गांवों में सेटिलमेंट नये सिरे से हुआ है। वहां ऐसी भूमि पर लगान मासिक सेटिलमेंट रेट वसूल होता है।
१२	बांसवाड़ा	इस प्रकार की वसूली इस जिले में नहीं की जा रही है।
१३	सीकर	इस जिले में किसी भी क्षेत्र में गैर मुमकिन भूमि पर कोई लगान नहीं है।
१४	अलवर	इस जिले में इस प्रकार की वसूली नहीं होती है।
१५	झालावाड़	अनधिकृत काश्त करने वालों के अतिरिक्त ऐसी वसूली नहीं होती है।
१६	भीलवाड़ा	मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल पर सेटिलमेंट से कायम दरों के अनुसार वसूली होती है।

क्रम संख्या	नाम जिला	प्रश्न के भाग (२) से सम्बधित सूचना
१७	**बीकानेर**	इस जिले में इस प्रकार की वसूली नहीं की जाती है।
१८	**नागौर**	इस जिले में भूमि सेटिलमेंट के दौरान गैर मुमकिन भूमि का लगान तसकीस नहीं किया जाता है। इसलिये जब कभी ऐसी भूमि में काश्त की जाती है तो पड़ोस की भूमि का लगान की दर से काश्त की हुई भूमि का लगान वसूल किया जाता है। बिना इजाजत हासिल किये ही सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर काश्त करने वालों पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१(२) के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
१९	**अजमेर**	भूतपूर्व अजमेर स्टेट की तीन तहसीलों, अजमेर, व्यावर व केकड़ी में बारानी १, २, ३ के अलावा पड़त भूमि पर कोई रेट नहीं लगाई गई, न पड़त गैर मुमकिन भूमि पर सेटिलमेंट द्वारा कोई लगान लगाया गया है। अन्य तहसीलों के सम्बन्ध में सेटिलमेंट विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।
२०	**उदयपुर**	उदयपुर जिले में केवल श्रावण मे ही काश्त होने वाली कोई खास भूमि नहीं है। चाहे भूमि श्रावण में, अथवा असाढ, भादवा वगैरह में काश्त हो उस भूमि का राजस्व गैर मुमकिन पड़त भूमि के राजस्व दर से हर हालत में वैसी ही कायम है।

परिशिष्ट ६

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बनेड़ा तहसील की स्कूलें

४६२. श्री उमरावसिंह (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बनेड़ा तहसील में कितनी हाई व हायर सैकेन्डरी स्कूलें हैं ?

(२) इन स्कूलों में नवीं व दसवीं कक्षाओं में कौन कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ?

(३) दो हाई स्कूलों के लिए राज्य सरकार कितनी मिडिल स्कूलोंकी आवश्यकता समझती है ?

(४) बनेड़ा तहसील में कितनी मिडिल स्कूलें हैं ?

(५) पंचायत समिति, बनेड़ा द्वारा सरदार नगर व उफरेड़ा में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिस करने पर भी वहां स्कूलें क्यों नहीं खोली गई ?

(६) क्या यह सत्य है कि सरकार ने मिडिल स्कूल खोलने के लिये जो नियम बना रखे हैं वे सब इन दोनों गांवों के लिए पूरे कर दिये गये हैं ?

(७) क्या सरकार जुलाई से इन दोनों गांवों में मिडिल स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

उत्तर

१. बनेड़ा तहलील में एक उच्च विद्यालय व एक कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।

२. उच्च विद्यालय में नवीं व दसवीं कक्षा में हिन्दी, इतिहास, वाणिज्य और विज्ञान तथा कनिष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीं व दसवीं कक्षा में हिन्दी, इतिहास व सिविक्स विषय पढ़ाये जाते हैं।

३. एक उच्च विद्यालय के लिये कम से कम ५ माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता होती है अतः दो के लिए १० की आवश्यकता होगी।

४. बनेड़ा पंचायत समिति में ३ माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से एक कन्या व २ लड़कों के हैं।

५. उफरेड़ा की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के लिए पंचायत समिति व जिला परिषद् के प्रस्ताव प्राप्त हुवे थे परन्तु मित व्ययता के ध्यान से इसे अपग्रेड नहीं किया गया। सरदारनगर प्राथमिक शाला के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुवे।

६. भाग ५ के उत्तर को देखते हुए ऐसा सवाल ही नहीं उठता। फिर उफरेड़ा शाला का भवन पर्याप्त भी नहीं है।

Page No 154

७. प्राथमिक शालाओं के माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के समय ऐसी दूसरी शालाओं के साथ साथ इन शालाओं पर भी यदि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जावेगा।

ज्ञानोदय विद्यापीठ के अध्यापकों का वेतन

४६३. श्री मोहरसिंह राठौड़, (चूरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि ज्ञानोदय विद्यापीठ, जैतूसर पंचायत समिति श्री माधोपुर एक राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था है?

(ख) उसे गत तीन वर्षो में कितनी सहायता मिली है?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के अध्यापकों को गत १५ महीनों से वेतन नहीं मिली हैं?

(घ) क्या सरकार के पास उक्त संस्था के अध्यापकों की कोई शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कदम उठाया गया?

(ङ) क्या सरकार उन अध्यापकों को वेतन दिलाये जाने की कोई व्यवस्था करायेगी?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) इस प्राईमरी स्कूल को केवल द्वितीय वर्ष ६१-६२ में ७०१) रु० की सहायता राज्य सरकार से दी गई है इससे पूर्व कोई सहायता नहीं दी गई। यह संस्था सन् १९६१-६२ में ही सहायता की सूची पर ली गई है।

(ग) अध्यापकों की शिकायत है कि उनको मई १९६१ से वेतन नहीं मिला है परन्तु संस्था के संचालक का कथन है कि वेतन दिया जा चुका है जांच होने पर सच्चाई का पता लग सकेगा।

(घ) संस्था के अध्यापकों ने निरीक्षक शिक्षा विभाग, सीकर को अपनी शिकायत पेश की थी। उस पर वहां के संचालक का जवाब लिया गया। उन्होंने उत्तर दिया है कि उनकी तरफ अध्यापकों की कोई रकम। बकाया नहीं है इसलिए यह प्रश्न जांच प्रश्न बन गया है और इसके लिए दोनों पक्षों को अपने प्रमाण पेश करने के लिए दिनांक २६-१०६२ निश्चित की गई है।

(ङ) यदि जांच से यह सिद्ध हुआ कि अध्यापकों का वेतन बाकी है तो उनको दिलाया जायगा सन् १९६३-६३ संस्था को अब तक कोई सहायता द्रव्य नहीं दिया गया है, और इस शिकायत का निर्णय नहीं सहायता का द्रव्य नहीं चुकाया।

मुआवजे का भुगतान

४६४. श्री लक्ष्मणप्रसाद (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सिकराय क्षेत्र में जो भंडारी बांध बाधा गया है उसके भराव में आए हुवे पक्के मकानात एवं भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा काश्तकारों को मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(ख) क्या यह सत्य है कि बंधे की पाल के नीचे पानी के भराव के कारण जिन व्यक्तियों को हजारों रुपयों की सम्पति (मकानात आदि) नष्ट हो गई हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार का इस प्रकार से हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) कब तक ऐसे लोगों को मुआवजा मिलने की कार्यवाही हो सकेगी ?

उत्तर

(क) भंडारी बांध में डूब में मकानात एवं कुओं के मुआवजा की स्वीकृति धनराशि में से २८,१५१४) रु० का वितरण किया जा चुका है और शेष ८८८०) रु० के वितरण के लिए कार्यवाही की जा रही है। जमीन के मुआवजे के एवार्ड मिलने पर शीघ्र चुका दिया जावेगा।

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है अतः मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिप बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा

४६५. श्री भैरोंसिंह, (किशन पोल जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चिप बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा को सरकार ने प्रति एकड़ 125 Cft. yield की गारंटी दी है ?

(२) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार फैक्टरी को Weigh Bridge लगाना था ? यदि हां, तो क्या फैक्ट्री द्वारा यह ब्रिज बना लिया गया है ? यदि नहीं, तो अब भरे हुये ट्रक्स को Weigh करने की की क्या व्यवस्था है ?

(३) क्या यह सही है कि Weigh Bridge के अभाव में सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम करने की क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। एग्रीमेन्ट में वे ब्रिज बनाने की कोई शर्त नहीं है। परन्तु १२५ मन फूट गारन्टी देने के समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर लाइसेन्स होल्डर को इसका भरोसा नहीं हो तो तीन टन के ट्रक को तुलवाने के लिए वे ब्रिज लगाना होगा। इस के लगाने के लिए बराबर लाइसेन्स होल्डर्स को ताकीद की जा रही है। फिलहाल ३ टन के २।४ ट्रक्स को वक्त बेवक्त तुलवा कर वजन कर लिया हैं। और

उनमें बांसवाड़ा जैसी सड़कों पर ६०-६५ मन से ज्यादा लकड़ी नहीं भरी जा सकती है जो कि क्युबिकल कन्टेन्टस में औसतन करीब १२५ घन फुट होती है।

(३) जी नहीं। सरकार सचेत है और वन विभाग १२५ घन फुट से बेशी तीन घन के ट्रक में नहीं लाने देता।

466. श्री केसरीसिंह : Will the Minister for Education be pleased to state ;—

(1) Whether Government is aware of the fact that the construction of the building of the Degree College, Pali which was begun more than a year ago has been at a standstill for a pretty long time now, and that whatever accommodation the structure that has come up now affords is quite inadequate for the needs of the College ?

(2) What amount did the Government sanction for this building ?

(3) Whether any donations have been made by people to supplement the Government grant for the construction of this building ? If so, by whom and how much ?

(4) Why has the construction work of this building been held up for so long and when is it likely to be resumed and the building completed ?

उत्तर

(1) Yes Sir.

(2) An amount of Rs. 50,000/- was sanctioned for the construction of building for the Degree College, Pali during the year, 60-61. A further sanction of Rs. 3,42,512/- was accorded during the year 61-62.

(3) Yes Sir. A donation of Rs. 2 Lacs has been given by Seth Bangur out of which a sum of Rs. 1,95,000/- has already been received by the Government.

(4) The work has been held up for want of provision of funds in the budget. It has since been decided to resume the work immediately to the extent of the amount of donation received.

आडियामल कूप का ठेका

४६७- श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही कि बांसवाड़ा क्षेत्र में आडियामल कूप के कथे का ठेका ६०-६१ के लिये श्री शफरुद्दीन पुत्र श्री खानमोहम्मद को दिया हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि इस ठेके का एक्सटेशन किया गया ? यदि हां, तो कब कितने समय के लिये और किसके द्वारा ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में डी. एफ. ओ. बांसवाड़ा तथा कन्जरवेटर से भी राय लीगई थी ? यदि हां, तो उनकी राय क्या थी ?

(४) क्या यह एक्सटेन्शन उपरोक्त अधिकारियों की राय के विपरीत दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) ठेकेदार को मूल ठेके के हिसाब से कितनी हांडियां स्वीकृत थी और एक्च्यूअली उसने कितनी हांडियां का काम किया ? ठेकेदार से कितनी हांडियों का चार्ज और कितना वसूल किया गया ? यदि कम किया गया तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेकेदार के पिता ब्लेक लिस्ट है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां । तारीख ७ दिसम्बर १९६१ की ३० अप्रेल १९६२ तक के लिये ।

Page No 157

(६) जी हां। इनकी राय एक्सटेन्शन देने की थी।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता

(५) ठेकेदार को मूल ठेके हिसाब में ८० हांडियां स्वीकृत थी और असल में उसने १५६ हांडियों का काम किया ठेकेदार से ८० ८० हांडी की कीमत ३४४) रु० हाडी से २७५२०) रु० व २५ हांडी की एक्सटेन्शन फीस के के २१५०) रु० वसूल किये जा चुके हैं। ५४ हांडियां ठेकेदार ने बिना इजाजत लगाई जिसकी रायल्टी व जुर्माना के ११२०५) रु० की वसूली की कार्यवाही जारी है ?

(६) जी हां मुख्य वन संरक्षक की आज्ञा से भैरवी कत्था कूप का ठेका लेकर काम न करने के अपराध में।

पोलिटेक्नीक संस्थाओं में स्टॉफ की योग्यता

४६८: श्रीरामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पोलीटेक्निक संस्थाओं में तकनीकी स्टॉफ भर्ती करते समय सन् ५८ से ५ वर्ष का अनुभव और हिन्दी की साधारण जानकारी योग्यता रखी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त योग्यता के आधार पर कुछ तकनीकी स्टॉफ भर्ती किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि है कि इस स्टॉफ में से कुछ व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल होकर स्थायी बना दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि १९६१ में इन्हीं संस्थाओं में तकनीकी स्टॉफ की नई भर्ती के लिये हिन्दी की जानकारी की योग्यता मिडिल पास रखी गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि १९६१ में नई भर्ती करते समय पुराने स्टॉफ को जिसकी योग्यता मिडिल पास से कम थी ज्यों का त्यों नौकरी में रहने दिया गया था ?

(६) क्या यह सही है कि १९६२ में इन्हीं संस्थाओं में तकनीकी स्टॉफ की हिन्दी की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रखी गई है ?

(७) क्या यह सही है कि इस योग्यता के आधार को पुराने स्टॉफ पर भी लागू किया जा रहा है और मैट्रिक से कम योग्यता वाले स्टॉफ को नौकरी से अलग किया जा रहा है ?

(८) क्या सरकार योग्यता के इस नये आधार को पुराने स्टॉफ पर लागू न करने पर विचार करेगी।

उत्तर

(१) जी हां, पोलीटैकनीक संस्थाओं में तकनीकी स्टॉफ के भर्ती के लिये ५ वर्ष का कम से कम अनुभव व साधारण शिक्षा की योग्यता रखी गई थी, उनको बिल्यूप्रिन्ट व व ड्राईंग पढ़ने की सामर्थ भी होनी चाहिए।

(२) जी हां।

Page No 158

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, जनवरी, १९६१ से इन स्थानों के लिये नई भर्ती के लिये नीचे लिखी योग्यता निर्धारित की गई।

किसी प्रमाणित संस्था का प्रमाण-पत्र व ३ साल का व्यवसायिक अनुभव या ८वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पास किया हुआ हो और ५ साल का व्यवसायिक अनुभव हो उसको बिल्यूप्रिन्ट व ड्राइंग पढ़ने का सामर्थ्य होनी चाहिये।

(५) जी हां, अस्थाई व्यक्तियों को उतने समय तक रखा गया था जब तक कि निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध न हो। जिन व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार जन सेवा आयोग ने स्थाई स्थानों के लिये छांट लिया था उन पर यह परिवर्तित योग्यतायें लागू नहीं की गई थी।

(६) जी नहीं।

(७) यह परिवर्तित योग्यतायें स्थाई स्थानों के लिये छांटे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी केवल अस्थाई व्यक्तियों को परिवर्तित योग्यतायें रखने वालों से बदला जायगा।

(८) इसका पुराने स्थाई कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

राज्य का वन क्षेत्र और उसमें उत्पादित जलाने की लकड़ी और चारकोल

४६९. श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में वन है तथा कुल भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते हैं ?

(२) राजस्थान के जंगलों से प्रतिवर्ष कितनी जलाने की लकड़ी तथा चारकोल का उत्पादन होता है ?

(३) राजस्थान के जंगलों से उत्पादित जलाने की लकड़ी व चारकोल क्या पड़ोस के अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है ? यदि हां, तो निर्यात के क्या नियम हैं तथा उससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष क्या आमदनी है ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र १३१९४३ वर्गमील में से १५२२० वर्गमील क्षेत्र में वन हैं। यह कुल भूमि के ११५ प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है।

(२) राजस्थान के जंगलों से अनुमानित २१.८४ लाख मन जलाई लकड़ी और ४.१६ लाख मन कोयले का उत्पादन होता है।

(३) जी हां। जो कूप लकड़ी कोयले के निर्यात की शर्त पर रखे जाते हैं उनका माल राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में जाता है। वन विभाग में लकड़ी कोयले के निर्यात के कोई नियम नहीं हैं। निर्यात से जुदागाना कोई आमदनी नहीं होती है।

पाठशाला के लिये भवन की व्यवस्था

४७०. श्री मांगीलाल (रायपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर, तहसील डीडवाना के ग्राम कोलिया में कन्या पाठशाला के लिये भवन की व्यवस्था नहीं है और किराये के मकान चल रही है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार वहां पर भवन बनाने का विचार कर रही है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि कोलिया के निवासी श्री श्रीकिशन ने मन्त्री महोदय को अपनी तरफ से भवन बनाने के लिये लिख कर भी दिया है ?

(४) यदि हां तो अब तक भवन बनाने की स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है और अब इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कन्या पाठशाला एक धर्मशाला में चल रही है। पंचायत समिति द्वारा इस भवन का आज तक कोई किराया नहीं दिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) श्री श्रीकिशनजी का पत्र जिलाधीश, नागौर के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। श्री श्रीकिशनजी ने जिलाधीश, नागौर से भवन बनाने के हेतु वह जमीन मांगी है जिस पर इस समय पटवार खाना कायम है। पटवार खाने के लिये श्री श्रीकिशन जी ३०००) रु० का मुवावजा देने के लिये भी तैयार हैं। जिलाधीश, नागौर के कार्यालय से असिस्टेन्ट इंजीनियर, डीडवाना को पटवार-खाने की लागत कूंतने के लिये लिखा गया है। जिलाधीश, नागौर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

वन विभाग के ट्रक व गाड़ियां

४७१. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) वर्तमान सी. सी. एफ. के इस पद पर कार्य आरम्भ करने से लेकर अब तक विभाग के ट्रक व अन्य गाड़ियां राजस्थान से बाहर कब कब कहां कहां भेजी गई और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर सरकारी गाड़ियां भेजने के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है यदि हां, तो इनमें कब कब किस किस कार्य के लिये स्वीकृति ली गई ?

उत्तर

(क) सिर्फ वन शताब्दि के समय विभागीय ट्रक देहरादून सामान लाने व छोड़ने भेजा था। उसके अलावा कोई ट्रक व अन्य गाड़ियां राजस्थान के बाहर नहीं भेजी गई।

(ख) जी हां। राज्य सरकार से गाड़ियां बाहर भेजने के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली। इस बारे में सी. सी. एफ. से जवाब तलब किया जा रहा है।

भूमि का एलॉटमेन्ट

४७२. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तहसील अनूपगढ़ के चक ९० जी. बी, ९१ जी. बी.

९२ जी. बी, ९३ जी. बी. में ए. डी. ए एम., गंगानगर तथा तहसीलदार, अनूपगढ़ द्वारा ८९ मुरब्बे भूमि फौज़ियों को अलाट की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भूमि पर अधिकतर काश्तकार १९५२-१९५३ के अलाटी हैं तथा इन्हीं काश्तकारों ने बोर्डर पर स्थित इस भूमि को बजंड तोड़ कर आबाद किया ?

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि को फौजी खुदकाश्त न करके कुछ लोगों से ठेके पर कॉश्त करवा रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि अधिकतर फौजी वास्तव में फौजी नहीं हैं ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ लोग फौजियों के ठेकेदार बनकर पुराने काश्तकारों द्वारा निजी सोने सी फसल को तबाह कर रहे हैं । अपने कब्जे में ले रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ का थानेदार तथा तहसीलदार पुराने काश्तकारों की खड़ी फसल का धक्के से कब्जा दिला रहा है तथा किसानों को नाजायज तौर से तंग कर रहा है ?

(७) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री तथा उप राजस्व मंत्री को सूचित किया गया था और उन्होंने कलेक्टर गंगानगर को टेलीफोन भी किया था ?

(८) क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर ने ४१ परिवारों के एक प्रार्थना-पत्र पर २०-९-६२ को स्टे-ऑर्डर जारी किया था ?

(९) क्या यह सही है कि तहसीलदार अनूपगढ़ इस स्टे-आर्डर को मानने से इन्कार कर रहा है ?

(१०) क्या सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करके पुराने भूमिहीन काश्तकारों को राहत दिलायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) उपरोक्त मुरब्बों के काश्तकारान सन् १९५२–५३ के नहीं थे ।

(३) जी नहीं । उनकी खुदकाश्त है ।

(४) फौजी होने के नाते उनको १९५९ में रकबा एलॉट किया गया था ।

(५) जी नहीं ।

(६) कब्जा माह जून सन ६२ में दिलाया जा चुका था अब सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(७) जी हां, ऐसा याद पड़ता है ।

(८) जी हां ।

(९) जो स्टे-ऑर्डर तहसील, अनूपगढ़ में भेजे गये थे वे अब (Vacate) कर दिये गये हैं ।

(१०) भाग (२) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता ।

एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत लेडी हैल्थ विजिटर

४७३. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एम्प्लाईज स्टेट इन्स्योरेन्स स्कीम में लेडी हैल्थ विजिटरों की संख्या में कमी कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो किन कारणों से ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नोहर व भादरा तहसीलों में कमांड एरिया

४७४. श्री श्योपतसिंह, (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा क्षेत्र की नोहर व भादरा तहसीलों का कुल कितना रकबा अनकमान्ड घोषित किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि अनकमान्ड घोषित एरिया के लोगों को जमीन कमान्ड मानकर अलाट की गई और फालतू भूमि काट ली गई और किश्तें भी कमान्डेड जमीन की ही वसूल की गई हैं ?

उत्तर

(१) कुल रकवा अनकमान्डेड घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(२) जी हां, कुछ जगह ऐसा हुआ है। सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कास्तकारों से बारानी की दर से कीमत वसूल की जावेगी और पानी उपलब्ध होने पर बाकी की रकम ली जावेगी।

मवेशियान की चराई की वसूली

४७५. श्री नाथूलाल, करोल, (चाकसू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) डी० एफ० ओ०, जयपुर के तहत जयपुर रेंज में मवेशियान की चराई किस किस दर पर किस किस मवेशी की ली जाती है और उसकी वसूलात होने का क्या तरीका है ?

(ख) क्या चराई किसी अधिकारी द्वारा की जाती है और चराई होने के बाद में मवेशियों की गिनती भी किसी अधिकारी द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो इस साल के आंकड़े हर मवेशी की जाति के और उनकी आमदनी के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(क) जयपुर रेन्ज में मवेशियान की चराई के दरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनकी वसूली अमले द्वारा कराई जाती है।

(ख) जी हां। अमला मवेशियों की गिनती करता है और उसका चैकिंग रेन्ज आफिसर करता है। इस वर्ष जिस तादाद में मवेशी की चराई अप्रेल से सितम्बर तक हुई है उसकी संख्या व चराई से हुई आमदनी की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

नकशा मवेशियान

नाम पशु

माह	भैंस भैंसा	झोटा झोटी	गाय	बैल	नारडा नारडी	घोड़ा गाड़ी	गधा गधी	ऊंट	भेड़ बकरी	रकम जो चराई से वसूल हुई
अप्रेल	—	—	१५	—	—	—	—	—	३०	३९.८४
मई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जून	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जुलाई	—	—	—	—	—	—	—	—	१२	१२.७५
अगस्त	—	—	—	—	—	—	—	७०	२७५६	१७९१.९३
सितम्बर	३६८	९०	१५५०	१६५	२९९	—	—	६५८	६२३४	१३०६३.२१
कुल जोड़	३६८	९०	१५६५	१६५	२९९	—	—	७२८	९०३२	१४९०७.७३

नाम रेंज व ग्राम	भैंस भैंसा	झोटा झोटी	बैल	गाय	नारड़ा	नारड़ी	घोड़ा घोड़ी	गधा गधी	ऊंट	भेड बकरी
जयपुर रेन्ज नाल बिदाय का बाग महादेवपुरा	५)	॥)	॥)	॥)	॥)	॥)	२)	१)	३)	१)
मोकेजात घाट	५)	१)	१)	२॥)	१)	१)	४)	२)	३)	१)
मोती डूगरी	८॥)	४।)	४)	४॥)	२।)	२।)	४।)	४।)	३)	१)
मोकेजात नाहर गढ़ परूषरामघाट घाटी गोविन्दजी घाटी गुजरान	५)	२॥)	१)	२॥)	१।)	१।)	१)	॥)	३)	१)
नाहरगढ़ गेटोर	५)	२॥)	१)	२॥)	१।)	१।)	२)	१)	३)	१)
देवी खोलखेड़ो दरवाजा सांभर	५)	२॥)	१)	२॥)	१।)	१।)	४)	२)	३)	१)
सील्याबाई	२=)	२=)	१)	॥)	॥)	॥)	२)	१)	३)	१)
जीडामालावण वेरिया	५)	२॥)	१)	२॥)	१।)	१।)	२)	१)	३)	१)
लालड़ूगरी	७)	३॥)	४॥)	४॥)	३)	३)	४)	४)	३)	१)
राजे राजेश्वरी	४)	२)	२)	२)	१)	१)	२)	२)	३)	१)
बाडाग्ल्याबेल्या	१।)	१॥।)	१)	१)	॥।)	॥।)	॥)	॥)	३)	१)

नाम रेन्ज ग्राम	भैंस भैंसा	झोटा झोटी	बैल	गाय	नारड़ा	नारडी	घोड़ा घोड़ी	गधा गधी	ऊंट	भेड़ बकरी
गावाडाल हाल टाडार	५)	२)	२।)	१)	।।।)	।।।)	४)	३)	३)	१)
तालडा तालडी	१।।)	।।)	१)	।।)	।)	।)	।।)	।≈)	३)	१)
मूंगाणखेडाजोत्या	४)	२)	१)	२)	१)	१)	२)	१)	३)	१)
ग्रामेर	५)	२।।)	१)	२।।)	१।)	१।)	४)	२)	३)	१)
लवाण	—	—	—	—	—	—	—	—	३।)	।।)
पाहुक	५)	२।।)	२।।)	२।।)	१।)	१।)	२)	१)	३)	१)
हिलरवाला	४)	२)	१)	२)	२)	१)	२।)	१)	३)	।।)
सीकररेन्ज	२)	—	—	।।)	—	≈)	—	—	३≈)	।≈)
खेतड़ी रेन्ज	१)	१)	।।)	।।)	।।)	।।)	—	—	४) २)	१) ।।≈)

पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स फेडरेशन की मांगें

476. Shri Rama Nand Agarwal (Alwar): Will the Minister for Labour be pleased to state:—

1. Whether any conciliation proceedings were commenced on the demands put forward by the Rajasthan, P.W.D. Workers Federation? If so, when?

2. When have they come to conclusion and with what results?

3. Has the Conciliation Officer submitted his report to the Government?

उत्तर

(१) जी हां, तारीख ३१-१-६२ से।

(२) समझौता अधिकारी ने दिनांक २०-८-६२ को अपनी रिपोर्ट इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, १९४७ की धारा १२ (४) के अनुसार सरकार को भिजवा दी सरकार के पास पहुंचने के तिथि से कानूनन समझौता वार्ता समाप्ति समझी जाती है।

चूंकि फेडरेशन के प्रतिनिधि बारम्बार बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हुए अतएव समझौता अधिकारी ने वार्ता समाप्त कर अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष भिजवा कर सूचित किया कि निरन्तर अनुपस्थिति से वही तात्पर्य लगाया जा सकता है कि फेडरेशन अपने विवाद को समझौता वार्ता तय करवाने में इच्छुक नहीं है।

(३) जी हां।

बीघोड़ी की वसूली के हिस्से का भुगतान

४७७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में कुछ लम्बरदारान को सम्वत् २०१३ से लेकर आज दिन तक बीघोड़ी वसूली का चौधर हक का भुगतान नहीं किया गया है? अगर हां, तो ऐसे कितने लम्बरदारान हैं? नाम सहित सूच सदन की मेज पर रखवाई जाय। उन लम्बरदारान को लगान वसूली का हक का भुगतान अब तक न करने के क्या क्या कारण हैं व उसके लिये जिम्मेवार कौन है?

(२) क्या यह सच है कि संवत् २०१५ २०१६, २०१७ व २०१८ में लम्बरदारान को पेमेन्ट्स करने के लिये जितनी रकमें तहसील में पास होकर आई थी उनका भुगतान समय पर नहीं किया गया और कुछ रकमें लेप्स भी हुईं? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया व इस लापरवाही के लिये कौन जिम्मेवार है? उसके लिये सरकार क्या करेगी?

(३) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सालों में कुछ लम्बरदारों के पेमेन्ट्स गलत किये गये और पेमेन्ट्स करने में कई फाईनेन्शियल इररेग्यूलरिटीज कमिट हुई जिसकी वजह से अब काफी अर्से से लम्बरदारान के सही भुगतान भी जिला रेवेन्यू एकाउन्टटेन्ट द्वारा रोक दिये गये है जिससे लोगों में काफी असन्तोष फैल रहा है? अगर हां, तो ऐसे गलत पेमेन्ट्स करने के लिये कौन कौन जिम्मेवार है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(४) क्या यह सच है कि उक्त तहसील में उपरोक्त सालों में कुछ लम्बरदारान को तो तीन तीन बार पेमेन्ट्स कर दिये गये हैं जब कि कुछ लम्बरदारान को एक बार भी लगान वसूली का पेमेन्ट नहीं किया गया है? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या क्या कारण हैं ?

(५) सरकार लम्बरदारान के लम्बरदार हक के सारे एरियर्स के पूरे पेमेन्ट्स कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। लम्बरदारों में आपसी विवाद ही पेमेन्ट्स न होने का मुख्य कारण है।

(२) जी हां, सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(३) सम्बरदारों को भुगतान की जाने वाली रकम की फलावट की जा रही है। देरी एवं अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांच के पश्चात् जैसी स्थिति होगी, कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी हां, जिन लम्बरदारों में आपसी विवाद है उन्हें भुगतान नहीं हुआ है अब शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(५) चालू वर्ष के अन्त तक सभी बकाया रकमों का भुगतान कर दिया जावेगा।

क्र० सं०	ओ.के.के. रजि० की क्र० सं०	नाम गांव	नाम आसामी
२२	७५	प.वटा	श्री काला वल्द हरजी वजीर
२३	८१	जोरादर	श्री ईसरा वल्द मोती दरोगा
२४	८२	मंडाली	श्री भावा राम वल्द गंगाराम
			श्री थानासिंह वल्द सरदासिंह
२५	९०	बावरला	श्री रामचन्द्र वल्द गुला बिश्नोई
२६	९२	काछेला	श्री मनरूपा वल्द वीरमा
२७	९३	डुगरी	श्री लच्छू वल्द रतना जाट
२८	१०५	बरनवा	श्री मिसरी वल्द तैयब
			श्र बागा वल्द हमीरा रेबारी
२९	१०६	बांक	श्री पांचा वल्द गणेशा
३०	१०८	भाटकी	श्री धरमा वल्द नरसिंह
३१	१०९	बालेरा	श्री अम्बाराम वल्द हरदास
३२	१२२	रतोडा	श्री हरजी वल्द रामकिशन
३३	१२३	होतीगांग	श्री रेवतसिंह वल्द थानसिंह
३४	१२७	झाब	श्री भीमा वल्द पदमा सुथार
३५	१३३	वर्णपुरी	श्री भोमाराम वल्द भारताराम
३६	१३८	डटादा	श्री जवारा वल्द रूगनाथ
			श्री गगेखां वल्द शेरखां
३७	१३९	वमल	श्री भला वल्द तेजा कलबी
			श्री चेला वल्द पाता कलबी
३८	१४१	सेर्ला	श्री कमा वल्द भगा कलबी
			श्री वगता वल्द पीरा जाट
			श्री मिसरी कलबी

ओफिस कानूनगो के रजिस्टर नं० आ म में लिखी एन्ट्रीज के अनुसार नाम लम्बरदार जिन्हें आज पर्यन्त भुगतान मिलना पाया नहीं जाता तहसील सांचोर

क्र० सं०	ओ. के. के. रजि० की क्र० सं०	नाम गांव	नाम आसामी
१	४	अगार	श्री चेला वल्द रामजी
२	८	पुर	श्री इसरा वल्द काना
३	१५	करोला	श्री मोती वल्द महादेवा कलबी
			श्री भीमा वल्द रतना
४	१८	हाड़तर	श्री ईसराराम वल्द रामसी रेबारी
५	२१	लाछड़ी	श्री मोती वल्द सुरा रेबारी
६	२६	गोमी	श्री कालू वल्द वगता बिश्नोई
७	३७	बासनदेवड़ा	श्री सवा वल्द सूरा कलवी
८	३६	वीरोल	श्री वीरमा वल्द दाना
६	४०	पलादर	श्री हेमा वल्द भुगवाना कलबी
			श्री जोइता वल्द हरजी रेबारी
१०	५६	गरडाली	श्री बिरदा वल्द रामजी कलबी
११	६३	रायपुर	श्री इब्राहिम वल्द नूरखां सिपाही
१२	६४	कलजी की बेरी	श्री भीमा वल्द मोती जाट
१३	६५	मेलावास	श्री भीमा वल्द मोती जाट
१४	६६	भीमगिडा	श्री थाना वल्द मीरा जाट
१५	६८	खासखी	श्री प्रागसिंह राजपूत
१६	६६	सूथड़ी	श्री खंगार वल्द मोती घांची
१७	६६/१	फोगरवा	श्री सजा वल्द हिंगोला माली
१८	७०	साकरिया	श्री माना वल्द हरजी
१६	७१	टापी	श्री गिरधारी माली
२०	७२	निम्बज	श्री रामजी वल्द जोरा रेबारी
२१	७३	आरवा	श्री प्रहलाद वल्द जुजारा जाट

ऋण का उपयोग

४७८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि श्री उम्मेदमल नाहटा, कोटा निवासी को १५,०००) रु० ऋण प्रेस के निमित्त दिया गया है ? अगर हां तो कब-कब और क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति ने ऋण की सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्ति के मकान को अपना मकान बना कर जमानत दी है ?

(३) उक्त ऋण की वसूली के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है और अभी तक कब-कब कितन-कितना ऋण वसूल किया जा चुका है ?

(४) अगर चरण क० २ में कथिक बात सत्य है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) हां । ५०००) रु०, दिनांक २१-३-५६ और १०,०००) रु०, दिनांक २५-११-५८ ।

(२) नहीं ।

(३) उपरोक्त ५,०००) रु०, के ऋण में से ४२६० रु० निम्नप्रकार से वसूल हो चुके हैं:

७१०) रु०, दिनांक २१-२-५७
७१०) रु०, दिनांक १०-३-५८
७१०) रु०, दिनांक २१-३-५९
७१०) रु०, दिनांक ८-४-६०
७१०) रु०, दिनांक १४-४-६१
७१०) रु०, दिनांक २९-३-६२

१०,०००) रु० में से वसूल की गई रकम का व्यौरा निम्न प्रकार है:

१४००) रु०, दिनांक ४-११-६०
१४००) रु०, दिनांक २६-३-६२

(४) यह प्रश्न नहीं उठता ।

एनुअल ग्रेड इन्क्रीमेन्ट

४७९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में तहसील के फोर्थ क्लास गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को राजस्थान बनने के बाद से लेकर आज तक एनुअल इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? इतने सालों तक इन छोटे राज कर्मचारियों के इन्क्रीमेन्ट्स रोकने की जुम्मेवारी किसकी है और इसके लिए सरकार क्या कदम उठायगी ?

(२) सांचोर के कुल कितने राज कर्मचारी हैं जिनको आज दिन तक एन्यूवल इन्क्रीमेंट नहीं मिल रहा है ? कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) सरकार ऐसे राज्य कर्मचारियों को कब तक इन्क्रीमेन्ट्स के सारे एरियर्स का भुगतान कर सकेगी ?

उत्तर

(१) सांचोर तहसील में ऐसा कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है जिसको राजस्थान बनने के बाद से आज तक ड्यू इन्क्रीमेंट्स बिल्कुल न मिला हो ।

(२) सांचोर तहसील में केवल १५ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सारे ड्यू इन्क्रीमेन्ट्स नहीं मिल सके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) शीघ्र ही भुगतान करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

सूची चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण की निम्न है:--

१.	श्री टीकमदास	चपरासी
२.	" चेनाराम	"
३.	" मिश्रीलाल	"
४.	" मोहम्मद खां	सुतरसवार
५.	" मिश्री खां	"
६.	" कमाल खां	"
७.	" सवा	"
८.	" जैतसिंह	"
९.	" गंगाराम	"
१०.	" हरजीराम	"
११.	" गुलाब खां	"
१२.	" अबूखां	"
१३.	" रमजान खां	"
१४.	" गोवासिंह	"
१५.	" फकीर मोहम्मद	"

बीकानेर जिप्सम कम्पनी के श्रमिकों की सुविधायें

४८०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

बीकानेर जिप्सम कं० ने अपने श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रकाश आदि संबंधी क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं?

उत्तर

माइन्स एक्ट के अन्तर्गत श्रम कल्याण कार्यों को देखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। अतः इस संबंध में सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

घासमारी लगान

४८१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(१) क्या यह सच है कि घासमारी लगान के बारे में सरकार ने लैटर नं० एफ. ५(११६) रेवेन्यू ।बी। ६०, जयपुर, दिनांक १५-२-६१ सब कलेक्टर्स को भेजा था? अगर हां, तो ऐसा सरकूलर किस कानून के तहत जारी किया गया है?

(२) पुरानी घासमारी या चराई शुल्क को खत्म करके इस नई प्रथा को प्रारम्भ करने के क्या क्या कारण हैं?

(३) क्या यह नई प्रेक्टिस को शुरू करने के पूर्व जनता से इस बारे में कोई सुझाव मांगे गये थे? अगर हां, तो कब, और अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(४) क्या यह सच है कि इस सरकूलर के अनुसार तहसील सांचोर में पिछले दो सालों का मतालबा इसी साल से तैयार करवाया जा रहा है जब कि पिछले दो सालों में पशु-पालकों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी? अगर हां, तो क्या सरकार तहसीलदार की इस गैरकानूनी कार्यवाही को शीघ्र रोकेगी?

Page No 171

(५) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर के नैथड क्षेत्र में हजारों बीघा पड़त भूमि पड़ी है और मुस्तकिल पशु-पालक बहुत कम हैं ? अगर हां, तो ऐसे क्षेत्रों में इस सरकुलर के प्रोविजों (६) के अनुसार पर कटल व पर फेमिली कितना रुपया चराई शुल्क देना पड़ेगा ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) क्या यह सच है कि उपरोक्त घासमारी के सरकूलर के अनुसार सांचोर तहसील के नैथड़ क्षेत्र में पशु-पालकों को बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न होगी ? अगर हां, तो सरकार इस बारे में इस क्षेत्र के लिये क्या सोचेगी और नई समस्या का समाधान किस प्रकार करेगी ?

(७) इस सरकूलर में पड़त बेकार जमीन, जिसमें कोई घास व दरख्त नहीं उगते हैं, को घासमारी से मुक्त करने का क्या प्रावधान है ? अगर कोई प्रावधान नहीं है, तो इस बारे में सरकार क्या सोचेगी ?

(८) क्या यह सच है कि नई घासमारी की प्रथा तहसील सांचोर में लागू न करने से बारे में पंचायत समिति सांचोर व पशुपालकों की ओर से कई रिप्रजेन्टेशन सरकार के पास पेश हुए थे ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

(१) जी हां सरक्यूलर नं० एक.५/११६/रेवेन्यू बी-६०, जयपुर, दिनांक १५-२-६१ राजस्थान. अधिनियम की धारा ६१ तथा १०२ के तहत जारी किया गया है।

(२) उक्त सरक्यूलर के जारी होने के पहिले घासमारी की भिन्न भिन्न दरें भिन्न जिलों में प्रचलित थी। इस संबन्ध में एकात्मकता uniformity लाने के लिये ही यह आज्ञा जारी की गई थी।

(३) जी नहीं। ऐसा करना सरकार के लिये आवश्यक नहीं है।

(४) जी हां संवत २०१८ का मतालबा उपरोक्त सरक्यूलर के अनुसार अब संवत् २०१६ के साथ तैयार कराया जा रहा है। इस विलम्ब के लिये कलेक्टर, जालौर तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे है। पशु-पालकों को इस सम्बन्ध में सूचना देना जरूरी नहीं था।

(५) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(७) ऐसी पड़त जमीन को जिस पर कि घास पैदा नहीं होता उक्त सरक्यूलर से मुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसके अनुसार भूमि का लगान काश्तकारों से वसूल किया जायगा जबकि ऐसी जमीन जिस पर घास भी उत्पन्न नहीं हो कोई लगान कायम नहीं होता है।

(८) पंचायत, समिति सांचोर व पशुपालकों द्वारा किये गये रिप्रजेन्टेशन सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट

नक्शा बाबत पड़त रकबा और पशु सं० पशु पार लगाने के हिसाब से दर

क्रम.सं.	नाम ग्राम	सरकारी भूमि काबिल काश्त का पड़त रकबा	रकबे का तवान सेटिलमेन्ट से	ग्राम की पशु संख्या	पशु लगान की दरें	
१.	सुराचन्द	३८३४)४	१५१३.१८	२१२०	०.७१	न०पै०
२.	टांपी	५४६।।)४	१६५.६४	१७००	०.१६	
३.	रायपुरिया	८४१।)२	३०.५७	३३०	०.१०	इन दोनों प्रार्थी
४.	भैंसावास	११६७६।)४	२७५.५६	२१	१२.१२	का ठेका सरपंच
५.	हैवडपाली	६४५३।।)३	२१.७५	२०४३	१.०७	पुरापर्द में सं०
६.	भदावडा	८६४०।।)	१३१६.११	३६०	३.३६	३०११ का है
७.	वीराकर	३०४६।।)२	१७७६.२५	६५०	१.८७	दिया है।
८.	मंडासी	३२६१६।)२	५००.७०	२१३०	०.५१	
९.	बाकोडिया	५०७२।।)२	१९६०.७०	१०१५	६.००	
१०.	रोडका	६४०)	१७९२.७०	४६	२.१२	
११.	रखसार	१६८२।।)	१२७०.७०	००	००	गैर आबाद
१२.	भूषणी	१३११)२	१७१.७०	१८९०	०.२०	
१३.	धामुटा	४२२६।।।)२	१५६.७०	५१६	०.४८	
१४.	ठाकरिया	३०६८।)२	१७१.७५	१६८५	०.४६	
१५.	सामरणी	६००)	१८७.७५	१२५९	०.३१	
[illegible].	केसुरी	२६७५।।।)३	८४.३७	१२९७	०.०६	
	भाटकी	१८४७)३	५५९.३७	१२२७	०.४३	
	[illegible]	९१८।।)३	२७७.७१	१०९८	०.०९	

क्रम सं.	नाम ग्राम	सरकार भूमि काबिल काश्त का पड़त रकबा	रकबे का तवान सेटिलमेन्ट से	ग्राम की पशु संख्या	पशु लगान की दरें
१९.	मरठवा	५५०॥)	२७०.७०	४८४	०.४८
२०	माटवास	५०४।)२	१७०.४१	४०१	०.२४
२१.	गलफा	४७३॥।)२	१०१.३१	१४४८	०.०८
२२.	भादस्थ	२२१॥)३	६०.७०	१०१	०.५३
२३.	मेठालालसा		५६.१०	२६८	०.२१

Page No 174

482. ***Shri Durga Lal Bardar,*** (*Hawa Mahal, Jaipur*)—Will the ***Revenue Minister*** be pleased to state:-

(1) Since the formation of Rajasthan, how many Acts and Rules regarding revenue matters have been framed by the Government and whether all copies of these Acts and Rules are available in the Government Press ?

(2) Whether all the circulars issued by the Government are pub- in the Rajasthan Raj-Patra ?

(3) Is it a fact that most of the important Circulars issued by the Government are sent only to the Department concerned and the public though affected by these circulars do not come to know of them ?

(4) Is the Government aware that most of the revenue offices are not well equipped with the revenue law literature, and in the absence of such literature great inconvenience is caused ?

(5) Whether the Government is considering to provide all Government publications to the libraries ...ting aid from the Government ?

... Whether the Government is ...ing to provide adequate means ...hese publications available ...e officers who deal with ... and laws ?

ANSWER

1. A list of the Acts is placed below:—

(i) Particulars of the Rules are contained in a booklet named Referencer of Rules and Order's.

(ii) No

(2) All Circulars of important nature affecting the public are published in the Gazette.

(3) Important circulars are sent to Board of Revenue as well as to Collectors who in turn send copies to revenue authorities of their districts and give publicity for the information of the public. Very important circulars are given publicity by the Goverment through Public Relation Department.

(4) No, Collectors supply revenue laws and literature to the Revenue Officers of their Districts.

(5) No. They are expected to arrange according to their budgets and requirements.

(6) Government is getting a Revenue Code containing all Revenue Acts, Orders and important Notifications compiled for the use of Revenue Courts and Revenue Officers.

1. Rajasthan Tenancy Act, 1955.

2. Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Page No 175

3. Rajasthan Gramdan Act, 1960.
4. Rajasthan Land Acquisition Act, 1953.
5. Rajasthan Agricultural Lands Utilisation Act, 1954.
6. Rajasthan Bhoodan Yagna Act, 1954.
7. Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960.
8. Holdings Consolidation and Prevention of Fragmentation Act, 1954.
9. Rajasthan Forest Act, 1953.
10. Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Act, 1959
11. Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952
12. Jagir Decisions and Proceeding (Validation) Act, 1955.
13. Rajasthan Public Trust Act, 1959.
14. Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms Act, 1955.
15. Land Summary Settlement Act, 1953.
16. Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Act, 1954.
17. Attached Areas (Suspension of Proceedings) Act, 1952.
18. Agricultural Loans Act, 1957.
19. Anti-Ejection Officers Proceedings and Decisions (Validation) Act, 1955.
20 Escheats Regulation Act, 1956
21. Jagirs Debt Reduction Act, 1957.
22. Review and Validation of Rent Rates (Revival) Act, 1956.

मकान भत्ता

४८३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में किन किन स्थानों के राज्य कर्मचारियों को मकान भत्ता मिलता है ? मकान भत्ता देने का आधार क्या है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने सदन में यह भी कहा था कि यह भत्ता बीकानेर के कर्मचारियों को भी मिलेगा ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(१) राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को निम्न स्थानों में मकान भत्ता मिलता है :

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, माउन्ट आबू, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। मकान किराया का स्टेटिस्टीकल इन्डैक्स (Statistical index or rent) प्राप्त नहीं होने से मकान भत्ता माउन्ट आबू को छोड़ कर केवल उन शहरों में दिया गया है जिनकी आबादी एक लाख से कम नही है।

(२) राज्य कर्मचारी जो बीकानेर में काम करते हैं उन्हें १-२-१९६२ से मकान भत्ता दे दिया गया है। इस आर्डर का नं० एफ. १/६/एफ./डी./रूल्स./६२, दिनांक ४-२-६२ है।

[illegible]क २२-१०-६२ का स्थगित प्रश्न

[illegible]री तथा बिस्वेदारी उत्सादन [illegible] १९५९ के अनुसार मुआवजा

[illegible] सतीशचन्द्र अग्रवाल [illegible]जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, १९५९ के अनुसार कितना कितना मुआवजा किस किस जिले में दिया जा चुका है और कितना दिया जाना बाकी है ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(२) राज्य में कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाना है ?

(३) राज्य में कुल कितनी भूमि ऐसी है जिस पर से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमिधारकों के स्वामित्व के अधिकार समाप्त किये गये हैं ?

(४) इस अधिनियम के अधीन कितनी भूमि खुदकाश्त में और कितनी टिनेन्ट्स के कब्जे में पाई गई ?

उत्तर

१. जिस जिस जिले में जितने एवार्ड दिये गये उसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। मुआवजा का आंक प्राप्त करने में समय की आवश्यकता है। मुआवजे देने का शेष कार्य दो वर्ष में पूरा हो जायगा।

२. कुल तीन लाख सोलह हजार दो सौ चार व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत मुवावजा पाने के अधिकारी हैं।

३. भूमि कितनी है इसकी जानकारी की जा रही है।

४. तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें उदयपुर जिले की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

तालिका

क्रम संख्या	जिला	जमीदारी विश्वेदारी	फाईनल एवार्ड जारी हुए	शेष
१	२	३	४	५
१	अजमेर	६५४१५	७१२५	५८२९०
२	जयपुर	५२६४	—	५२६३
३	भरतपुर	१०७३६३	२८५६८	७८८३१
४	भीलवाड़ा	२५३६	२६३६	—
५	अलवर	८२७००	२८१९९	५४५०१
६	गंगानगर	३६६०९	—	३६६०९
७	कोटा	३५	९	२८
८	सीकर	९५	—	९५
९	उदयपुर	१४८९५	—	१४८९५
१०	चितौड़गढ़	१२५५	—	१२५५

तालिका

क्रम संख्या	जिला	रकबा खुदकास्त	रकबा टिनेन्ट्स के कबजे में
१	अजमेर	१३०२५३ एकड़	१९४७६ एकड़
२	जयपुर	७८२०३ ,,	३२६०४ ,,
३	भरतपुर	४४४१७४ ,,	४२०१६२ ,,
४	गगानगर	७१७०९९ ,,	१७८१३२ ,,
५	चितौड़गढ़	१३४७१ ,,	११८४४ ,,
	१७००४ ए शामलात देह		
६	भीलवाड़ा	१२४८७।)४ बीघा	२३१२।)४ बीघा
७	कोटा	१५६१०॥)४ बीघा	३१९४०।) बीघा
८	सीकर	१२१५।॥)१ बीश्वा	३५१।॥)२ बीघा
९	अलवर	५४७३१८ एकड़	५३४४९८ एकड़

इसमें उदयपुर जिले की सूचना सम्मिलित नहीं है ।

दिनांक ११-१०-३२ तथा २३-१०-६२

के स्थगित प्रश्न

बिक्री कर की वसूली

३५. ्री रामकिशन (बैर) : क्या आबकारी एंव कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज, मावण्डा व अन्य लाइन वर्क्स, मावण्डा (नीम का थाना, सीकर का सैल्स टैक्स का असैसमेंट किन किन वर्षों का कितना कितना हुआ है ?

(२) क्या रकम वसूल हो गई है ? यदि हां, तो कितनी और कितनी बकाया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सन् ५७ से अब तक न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज, मावण्डा का सेल्स टैक्स का असैसमेंट नहीं हुआ है ? अगर हां तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(४) उक्त इण्डस्ट्री का सैल्स टैक्स लाइसेन्स किस के नाम से है ?

उत्तर

मावण्डा और नीम का थाना के रजिस्टर्ड लाइम वर्क्स के जो असेसमेन्ट हुए, हैं उनका एक स्टेटमेंन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जी हां, कुल रु० ६५,००४) -का टेक्स लगाया गया जिसमें से ६०,१८६) रु० जमा गये, अब ४८१८) रु० बाकी है।
ख्यात इस तरह है:-

पोदी मिनरल ग्राइंडिग मिल्स,
प का थाना। २,०००)

का थाना लाइम वर्कस,
थाना। २०)

(३) राजस्थान मिनरल सिंडीकेट,
मावण्डा। ६४)

(४) कृष्ण लाइम इन्डस्ट्रीज,
मावण्डा। २७३४)

४८१८)

जी नहीं, सेल्स टैक्स का असेसमेन्ट ३१-३-६१ तक हो चुका है। सन् १६६१-६२ का असेसमेन्ट बाकी है जो कि पुराना नहीं है। इसलिये इसमें किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

सेल्स टैक्स एक्ट के माफिक लाइसेन्स नहीं दिया जाता। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही जारी किया जाता है जो न्यूभारत लाइम इन्डस्ट्रीज के नाम पर ७-१-५७ को जारी किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से ओवरडाफ्ट

४२५- श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार द्वारा इस समय रिजर्व बेंक ऑफ इन्डिया से कितना ओवर ड्राफ्ट लिया हुआ है ?

(ख) राज्य सरकार ने सन् १६६१ से लेकर अब तक ओवर ड्राफ्ट के एडजेस्टमेन्ट के लिये भारत सरकार से कितना ऋण किन शर्तों पर तथा कितना Wage and means advance लिया है और कब २ ?

(ग) इस ओवर ड्राफ्ट के लेने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(a) There is no overdraft with the Reserve Bank of India or any other Bank at present.

(b) The State Government had taken a loan of Rs. 15 crores which is repayable in 10 years in 8 equated yearly instalments commencing from 1963-64. The rate of interest is 4% per annum. Another loan of Rs. 20 crores has been taken this year. According to the terms, it is required to be cleared within the Third Plan period but the instalments will be determined from year to year after discussions and it bears 3—1/8% interest per annum. All ways and means advances were adjusted against these loans.

(i) The first loan had to be obtained since the resources expected to be raised during the Second Plan period did not come up to the anticipations. Against the total Plan outlay of Rs. 102.74 crores Central assistance to the tune of Rs. 62.81 crores only was received and the balance of about Rs. 40 crores had to be provided by the State Government against the expected resources of Rs. 33.7 crores. So far as Taxation was concerned, the State Government raised Rs. 13.5 crores as against the revised higher target of Rs. 12 crores but there was short-fall under other heads such as, lesser realisations from sale proceeds of property (Rs. 2 crores), sale of land and betterment levy (Rs. 3.6 crores) due to postponement of certain sales and recovery of instalments with a view not to allow fall in the value of land. Some additional expenditure not envisaged in the Plan had also to be incurred such as on Road Transport (.8 crore), loans to industrialists (.4 crore) etc. Beside this, increased expenditure had to be incurred on revision of the emoluments of Government Servants from time to time.

All this resulted in a deficit of about Rs. 18.2 crores in the five years period and hence the first loans was obtained.

In the year 1961-62, the State Government had to provide for committed expenditure of the Second Five Year Plan to the tune of Rs. 7 crores in addition to providing resources for the first year of the Third Plan. As the receipts did not materialise to the extent expected under a number of heads and as the expenditure under certain heads such as Police, Interest Charges (due to payment of arrears overdraft etc.), Civil Works and Printing and Stationery was higher, the State Government again ran into an overdraft during that year. The revenues fell short by Rs. 3.2 crores while the expenditure was higher by Rs. 3.48 crores including Rs. 2.06 crores on account of interest charges. There was excess under Capital to the tune of Rs. 1.4 crores. Under 'Public Account' also there was a shortfall mainly due to large sums remaining under 'Remittances' about which the matter is under correspondence with the Accountant General.

To safeguard against such overdrafts occurring in future, steps have already been taken to reduce the non-plan expenditure as also to devote more attention to the core of the Plan and to defer expenditure on non-core items unless the resources permit.

परिशिष्ट ६

[कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर १५३ सी. एम. देखिये]

Statement showing the Despatches of Limestone Kali and Lime kachara despatched from Lime Syndicate Gotan – Chemical Limes, Mundwa Keshav Singh Sheoji Singh Mandla (Sojat Road).

S. No.	Years of despatch	Lime Stone	Lime Kali	Lime Kachara
	Lime Stone lease at Gotan of Gotan Lime Syndicate :			
1.	1959-60	48,093 Mds.	3,92,316 Mds.	1,87,994 Mds.
2.	1960-61	78,900 Mds.	3,67,499 Mds.	1,86,779 Mds.
3.	1961-62	1,17,054 Mds.	3,31,708 Mds.	1,72,767 Mds.
	Lime Stone lease at Mundwa Chemical Limes Marwar Mundwa :			
1.	1958	38,563 Mds.	1,00,728 Mds.	29,005 Mds.
2.	1959	33,749 Mds.	1,90,155 Mds.	88,899 Mds.
3.	1960	70,203 Mds.	3,10 084 Mds.	1,79,523 Mds.
4.	1961	2,75,638 Mds.	4,14,677 Mds.	1,90,245 Mds.
	Lime Stone lease at Sojat Keshav Singh Sheoji Singh :			
1.	1-4-56 to 31-3-57.	391½ Tons.	10674 Tons.	2355 Tons.
2.	1-4-57 to 31-3-58.	664 Tons.	12563 Tons.	2906 Tons.
.	1-4-58 to 31-3-59.	—	—	—
	1-4-59 to -3-60.	1299¼ Tons.	12305½ Tons.	2789¾ Tons.
	60 to	8607 Tons.	13660½ Tons.	2712 Tons.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३१३३	अंन्तिम	वसूस	वसूल
३१३७	८	रिट्रस्पेक्टिव	रिट्रोस्पेक्टिव
३१३८	अंतिम से ६	मालूय	मालूम
३१४४	६	दो नोन	दो तीन
३१५०	३	अचार्य	आचार्य
३१७१	४	विभगीय	विभागीय
३१७४	४	रिपेर्ट	रिपोर्ट
३१७८	अंतिम से १०	प्राजेक्ट	प्रोजेक्ट
३१८३	८	आचाय	आचार्य
३१८३	१०	अग्रवला	अग्रवाल
३२१९	६	कन्तर्गत	अन्तर्गत
३२२३	८	सम्भावा	सम्भावना
३२२३	११	मननीय	माननीय
३२२९	७	बक्त	वक्त
३२३७	अन्तिम	एफटेस	एफर्टस
३२४२	४	कहक	कहकर
३२५१	अन्तिम	हता	रहता
३२५४	११	माकि	माफिक
३२५७	१०	सथ साथ	साथ साथ
३२५९	७	ालूम	मालूम
३२७१	२	दक्षिण	दक्षिण
३२७६	८	Reen	been
३२७६	अन्तिम से ४	आडर	आर्डर
३२७७	१८	ी जानी	दी जानी
३२८१	अंतिम से १७	वित्त मंक्रीजी	वित्त मंत्रीजी
३२८४	१५	डिस्ट्रिकट	डिस्ट्रिक्ट
३३०२	६	फटिग	फुटिंग
३३१६	अन्तिम से ११	विषय	विष
३३२०	१५	रिसोसेज	रिसोर्सेज
३३२७	११	वायालेशन	वायोलेशन
३३३९	अंतिम से १२	सदस्य	सदस्य
३३५८	१२	rear	hear
३३८०	१५	अचीब	अचीव